एन बी सी एफ डी सी
N B C F D C

33वीं वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2024-25

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

33rd

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

2024-2025

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं से लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्रांकन
A PHOTO FEATURE REAPING THE BENEFITS OF NBCFDC SCHEMES

एकल ऋण योजना
Individual Loan Scheme

हिमाचल के काँगड़ा जिले में मधुमक्खी पालन। एन.बी.सी.एफ.डी.सी.द्वारा एकल ऋण योजना के अन्तर्गत हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।
Bee-keeping at Kangra Distt., Himachal Pradesh. NBCFDC has provided loan under Individual Loan Scheme to the beneficiary through Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation

राजस्थान के पाली जिले में ब्यूटी पार्लर की दुकान। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एकल ऋण योजना के अन्तर्गत राजस्थान ओ.बी.सी. फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोआपरेटिव कारपोरेशन लि. के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।
Beauty Parlour Shop at Pali Distt., Rajasthan. NBCFDC has provided loan under Individual Loan Scheme to the beneficiary through Rajasthan OBC Finance and Development Co-operative Corporation Ltd.

समूह ऋण योजना
Group Loan Scheme

केरल के थ्रीसूर जिले में शुष्क मछली उत्पादन और बिक्री। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा समूह ऋण योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकनोमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया गया है।
Dry fish production and Sales at Thrissur Distt., Kerala. NBCFDC has provided loan under Micro Finance Scheme to the beneficiary through Kerala State Co-operation Federation for Fisheries Development Ltd. (MATSYAFED)

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में शॉल कढ़ाई। एन.बी.सी.एफ. डी.सी. द्वारा समूह ऋण योजना के अन्तर्गत जम्मू एंड कश्मीर वोमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया गया है।
Shawl Embroidery at Srinagar Distt., UT of J&K. NBCFDC has provided loan under Group Loan Scheme to the beneficiary through Jammu & Kashmir Women's Development Corporation

विपणन संयोजन
Marketing Linkages

डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के स्टॉलों का भ्रमण किया गया।
Dr. Virendra Kumar, Hon'ble Minister (SJ&E), visited stalls at India International Trade Fair, Pragati Maidan, New Delhi

डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा दिल्ली हॉट, नई दिल्ली के स्टॉलों का भ्रमण किया गया।
Dr. Virendra Kumar, Hon'ble Minister (SJ&E), visited stalls at Dilli Haat, New Delhi.

सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया गया।
Secretary and other Senior Officials of Ministry (SJ&E) visited stalls at Prayagraj, Uttar Pradesh during Maha Kumbh Mela.

एनबीसीएफडीसी के लाभार्थी दिल्ली हॉट, नई दिल्ली में हस्तकरघा उत्पादों को प्रदर्शित/ बिक्री करते हुए।
NBCFDC beneficiaries displaying /selling Handloom Products at Dilli Haat, New Delhi

एनबीसीएफडीसी के लाभार्थी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हस्तकरघा उत्पादों को प्रदर्शित/ बिक्री करते हुए।
NBCFDC beneficiaries displaying /selling Handloom Products at India International Trade Fair, Pragati Maidan, New Delhi

प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
Technology Upgradation Scheme

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपोरा में कालीन बुनाई समूह। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कालीन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक कालीन करघा / उपकरण और सीएफसी विकास प्रदान किया।
Carpet Weaving Cluster at Bandipora in UT J&K. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme, Modern Carpet Looms/Equipments and Development of CFC to artisans of this cluster through Indian Institute of Carpet Technology (IICT), Srinagar.

हरियाणा के झज्जर जिले में पॉटरी क्लस्टर। एनबीसीएफडीसी ने भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहटी के माध्यम से पॉटरी समूह के कारीगरों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक मशीनरी/ उपकरण और सीएफसी विकास प्रदान किया।
Pottery Cluster at Distt. Jhajjar, Haryana. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Training Programme, Modern Machinery/Tools and Development of CFC to artisans of pottery cluster through Indian Institute of Entrepreneurship (IIE), Guwahati

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मधुमक्खी पालन का क्लस्टर। एनबीसीएफडीसी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामक) लिमिटेड के माध्यम से इस क्लस्टर के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम और आधुनिक उपकरण/टूलकिट प्रदान किए।
Beekeeping Cluster at Distt. Changlang, Arunachal Pradesh. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme and Modern Equipments/Tools to beneficiaries of this cluster through North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) Ltd., Guwahati

असम के डिब्रूगढ़ जिले में नींबू उत्पादक क्लस्टर। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामक) लिमिटेड के माध्यम से इस क्लस्टर को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और आधुनिक उपकरण/ टूलकिट प्रदान किए।
Lemon Grower Cluster at Dibrugarh in Assam. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme and Modern Equipments/Tools to the beneficiaries of this cluster through North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) Ltd.

जागरूकता कार्यक्रम
AWARENESS PROGRAMME

केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा केरल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by Kerala State Women's Development Corporation in Kerala

जम्मू एंड कश्मीर वीमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by Jammu and Kashmir Women's Development Corporation in UT of J&K

हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा हिमाचल प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation in Himachal Pradesh

राजस्थान ओबीसी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोआपरेटिव कारपोरेशन लि. द्वारा राजस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by Rajasthan OBC Finance & Development Cooperative Corporation Ltd. in Rajasthan

सीएसआर अन्तर्गत पहल
Initiatives under CSR

वंचित वर्ग के लिए स्वास्थ्य रखरखाव पर मार्गदर्शन प्रदान करने और बुनियादी स्वास्थ्य जांच हेतु स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर मे आयोजन किया गया।
Health awareness camps organized to provide guidance on health maintenance and basic health check-ups for the underprivileged in Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.

दिल्ली और हरियाणा की वंचित महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए।
Free distribution of sanitary pads to underprivileged women in Delhi and Haryana.

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में वंचित एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी कराई गई।
Free cataract surgeries conducted for deprived and migrant workers in the inner cities of Delhi and NCR."

दौसा, राजस्थान की वंचित ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास एवं बाज़ार-उन्मुख व्यवसायों में आजीविका संवर्धन के माध्यम से सशक्त बनाया गया।
Empowerment of underserved rural women in Dausa, Rajasthan through skill development and livelihood enhancement in market-aligned trades.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

वर्षवार सकल उपभोग एवं सकल वसूली की धनराशि
Year-wise Cumulative Utilization Amount & Cumulative Recovery Amount

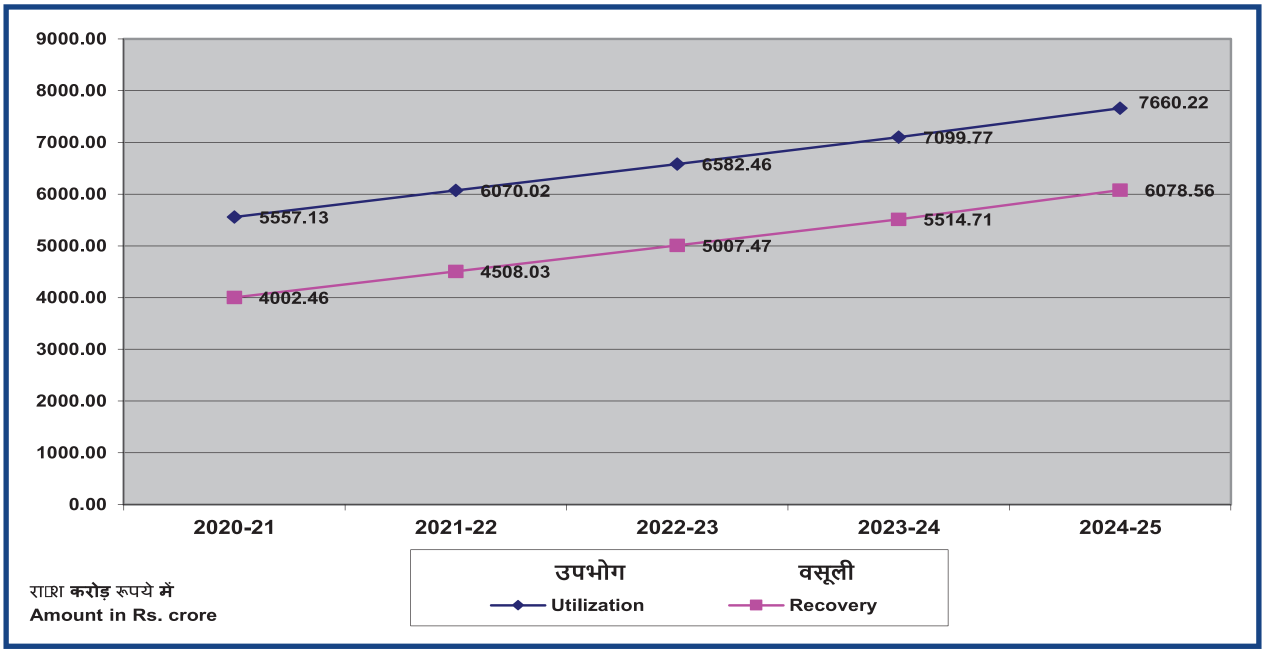

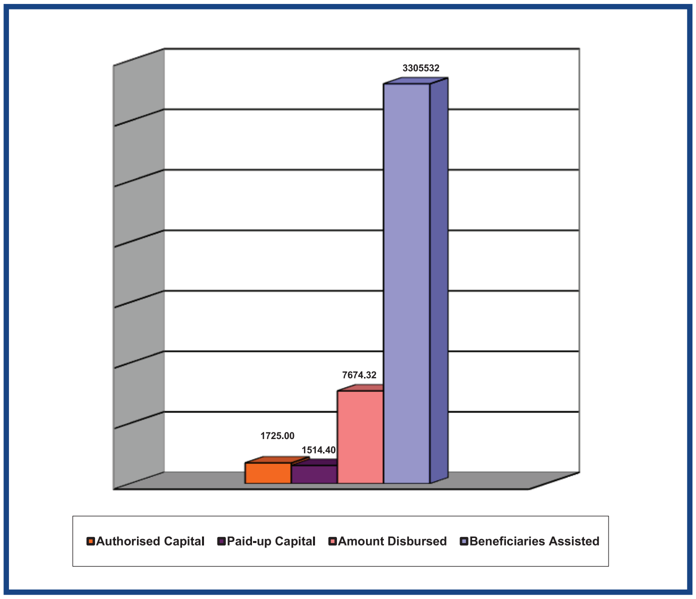

राशि रु./करोड़ में
Amount in Rs./Cr.)

पैमाने पर नहीं
Not to Scale

31.03.2025 तक अधिकृत अंशपूंजी, प्रदत्त अंश पूंजी, संचयी वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी।
Authorized Share Capital, Paid-up Share Capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2025.

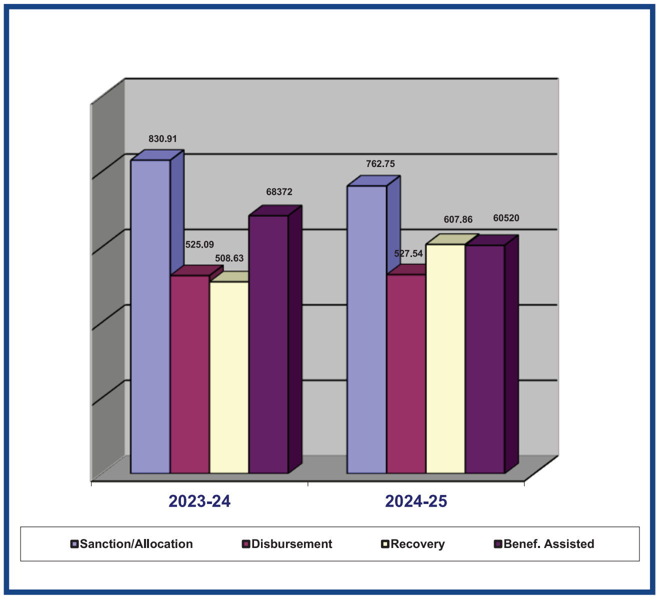

राशि रु./करोड़ में
Amount in Rs./Cr.)

पैमाने पर नहीं
Not to Scale

वर्ष 2023-2024 एवं 2024-25 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।
Comparative presentation achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2023-2024 & 2024-25.

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप
Rajbhasha Hindi Activities

निगम की राजभाषा कार्यालय कार्यान्वयन समिति में भाग लेते हुए श्री राजन सहगल, अध्यक्ष, रा.भा.का.स. एवं प्रबन्ध निदेशक व समिति के अन्य पदाधिकारी गण।

निगम की राजभाषा पत्रिका " राजभाषा सुभाषिनी" का विमोचन करते हुए श्री राजन सहगल, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य अधिकारी गण।

निगम के श्री राजन सहगल,प्रबन्ध निदेशक निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण करते हुए।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मुख्य महाप्रबन्धक व राजभाषा प्रभारी एवं श्री जावेद अहमद,प्रबन्धक (राजभाषा) विभागीय राजभाषा समन्वयकों के साथ बैठक करते हुए

हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हुए निगम के कार्मिक।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

श्री राजन सहगल
प्रबन्ध निदेशक
Shri Rajan Sehgal
Managing Director

श्रीमती देबोलीना ठाकुर
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
सा. न्याय और अधि.मंत्रालय,
भारत सरकार,निदेशक
Ms. Debolina Thakur
JS & FA, SJ&E, GOI, Director

श्री प्रवीण कुमार थिंड
संयुक्त सचिव(बी.सी.)
सा. न्याय और अधि.मंत्रालय,
भारत सरकार,निदेशक
Shri Parveen Kumar Thind
JS(BC), SJ&E, GOI, Director

श्री प्रभात त्यागी,
अ.एवं प्र.नि.,एन.एस.एफ.डी.सी.,
निदेशक
Shri Prabhat Tyagi,
CMD, NSFDC, Director

नबीन कुमार राय,
म.प्र., नाबार्ड, निदेशक
Shri Nabin Kumar Roy
GM, NABARD, Director

श्रीमती बिन्दु वी.सी.
प्रबन्ध निदेशक, केरल वीमेन, निदेशक
Smt. Bindu V. C.
MD, Kerala Women, Director

श्री रंजीत सिंह,
प्रबन्ध निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर
अ.जा./अ.जन. एवं ओ.बी.सी., निदेशक
Shri Ranjeet Singh,
Managing Director, J&K SC/ST &
OBC, Director

33वीं
वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2024-25

निदेशक मण्डल
Board of Directors

	श्री राजन सहगल प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी., नई दिल्ली	**Sh. Rajan Sehgal** Managing Director, NBCFDC, New Delhi
	श्रीमती देबोलीना ठाकुर संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	**Smt. Debolina Thakur** JS&FA, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
	श्री परवीन कुमार थिंड संयुक्त सचिव(बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	**Shri Parveen Kumar Thind** Joint Secretary(BC), Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
	श्री प्रभात त्यागी, अ.एवं प्र.नि.,एन.एस.एफ.डी.सी.	**Shri Prabhat Tyagi,** CMD, NSFDC
	नबीन कुमार राय, म.प्र., नाबार्ड, दिल्ली	**Shri Nabin Kumar Roy** GM, NABARD, Delhi
	श्रीमती बिन्दु वी.सी. प्रबन्ध निदेशक, केरल स्टेट वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., तिरुवनंतपुरम	**Smt. Bindu V. C.** MD, Kerala State Women's Development Corporation Ltd., Thiruvananthapuram
	श्री रंजीत सिंह, प्रबन्ध निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर अ.जा./अ.जन. एवं ओ.बी.सी.,जम्मू	**Shri Ranjeet Singh,** Managing Director, J&K SC/ST & OBC, Jammu
प्रबंध निदेशक/ Managing Director:	**श्री राजन सहगल**	**Sh. Rajan Sehgal**
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त) एवं कम्पनी सचिव/CGM(Fin.) & Company Secretary:	**श्री अजित कुमार सामल**	**Sh. Ajit Kumar Samal**
लेखापरीक्षक/Auditors :	**मैसर्स डी.सी.गर्ग** चार्टर्ड एकाउंटेंट, दिल्ली-110032	**M/s D.C. Garg & Co.** Chartered Accountants, Delhi-110032
मुख्य बैंकर्स/ Principal Bankers:	• केनरा बैंक, नई दिल्ली • पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली • बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली • आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक, नई दिल्ली • एच.डी.एफ.सी. बैंक,नई दिल्ली	• Canara Bank, New Delhi • Punjab National Bank, New Delhi • Bank of Baroda, New Delhi • IDFC FIRST Bank, New Delhi • HDFC Bank, New Delhi

LETTER TO THE SHAREHOLDERS

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I extend a very warm welcome to all of you to the 33rd Annual Report of the Corporation.

1. Performance and Achievements

During the financial year 2024–25, with the collective efforts of the employees of the Corporation and with the continued support and guidance of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation disbursed new loans amounting to ₹527.54 crore, thereby bringing more than 60,000 new beneficiaries under its ambit.

The Corporation registered a total income of ₹63.83 crore as against ₹57.77 crore in the previous year. The surplus funds generated will be utilized to further enhance the level of disbursement to the target groups. The net worth of the Corporation stood at ₹2,185.33 crore as on 31.03.2025, as compared to ₹2,145.31 crore as on 31.03.2024.

As part of its developmental initiatives, the Corporation is implementing the Livelihood and Health Components under the Scheme for Economic Empowerment of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (SEED) of the Ministry of Social Justice & Empowerment. During FY 2024–25, the Corporation successfully formed 1,745 Women Self-Help Groups (SHGs) across the States of Gujarat, Haryana, Rajasthan, and Madhya Pradesh. In addition, 2,752 Ayushman Cards were facilitated for members of DNT communities in Gujarat and Maharashtra, ensuring their access to essential healthcare services.

Further, during the year, the Corporation commenced implementation of the "Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) – National Fellowship for OBC Students" of the Ministry.

The overall performance of the Corporation for the financial year 2023–24 was rated 'Very Good' by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India, in respect of MoU targets. Based on self-evaluation, the Corporation expects to maintain the 'Very Good' rating for the financial year 2024–25 as well.

2. Corporate Governance

The Corporation has adopted the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. The Corporation firmly believes that transparency, integrity, and accountability are vital for its effective functioning and remains fully committed to upholding these principles in all its operations.

अंशधारकों को पत्र

प्रिय सदस्यों,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 33वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

1. कार्यनिष्पादन एवं उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम के समस्त कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन से, आपके निगम ने कुल ₹527.54 करोड़ के नये ऋणों का संवितरण किया है, जिससे 60,000 से अधिक नए लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया गया है।

निगम ने गत् वर्ष रू. 57.77 करोड़ की आय की तुलना में कुल रू. 63.83 करोड़ की आय दर्ज की है। सृजित आधिक्य आय का उपभोग लक्षित समूह हेतु संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार रू. 2145.31 करोड की तुलना में 31.03.2025 आपके निगम की निवल सम्पत्ति रू. 2185.33 करोड़ हो गई है।

अपने विकासात्मक पहलों के अंग के रूप में, निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की "अर्धघुमंतू, घुमंतू एवं विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजना (सीड)" के अन्तर्गत आजीविका और स्वास्थ्य घटकों को क्रियान्वित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम ने गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में कुल 1,745 महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) सफलतापूर्वक गठित किए हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात और महाराष्ट्र में डीएनटी समुदायों के सदस्यों हेतु 2,752 आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हुई है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, निगम ने मंत्रालय की "उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना (SHREYAS) – अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप" का क्रियान्वयन जारी रखा है।

एमओयू के लक्ष्यों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के समग्र प्रदर्शन को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई),भारत सरकार द्वारा 'बहुत अच्छा' श्रेणी में मूल्यांकन किया गया है। स्व-मूल्यांकन के आधार पर, निगम को आशा है कि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 'बहुत अच्छा' रेटिंग बनाए रखेगा।

2. कॉरपोरेट प्रशासन

निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों को अपनाया है। निगम का दृढ़ विश्वास है कि पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही उसके प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और निगम अपनी सभी गतिविधियों में इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

3. **Future Outlook**

Am fully aware of the huge mandate and expectations of the stakeholders from the Corporation. Considering the large number of beneficiaries yet to be covered under NBCFDC schemes, the Corporation is making continuous efforts to actively engage with its channel partners to expand credit outreach. The Corporation also undertakes regular review of its schemes and guidelines to promote ease of access and to better cater to the needs of its beneficiaries.

I remain optimistic that, with the support and guidance of the Board, the Government, and the dedication of our employees, the Corporation will be able to effectively address the needs of the target groups and continue to deliver on its mandate.

4. **CSR**

Not resting on its laurels as a social sector enterprise, your Corporation has also been supporting critical interventions at the grassroots level for the benefit of the poor and marginalized under its Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives. It is noteworthy that the Corporation has surpassed the minimum statutory targets of CSR spending, with a cumulative expenditure of ₹7.06 crore as at the end of the financial year.

5. **Acknowledgments**

I take this opportunity to express my sincere appreciation for the valuable support and guidance extended by the Members of the Board from time to time. I also place on record my deep gratitude for the continued cooperation and support received from the Department of Social Justice & Empowerment (Backward Classes), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India; State Governments/UT Administrations; State Channelising Agencies (SCAs); Regional Rural Banks (RRBs); Public Sector Banks (PSBs); Skill Training Partners; other concerned Government Agencies; officials of the Comptroller & Auditor General of India; and the Department of Public Enterprises.

I remain confident that, with the guidance of the Board, the valuable inputs of stakeholders, and the dedication of the employees, the Corporation will continue to serve its beneficiaries effectively and further extend its outreach in the years to come.

With best wishes,

(Rajan Sehgal)
Managing Director
DIN: 03633935

Date: 29th September, 2025
Place: New Delhi

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting.

3. भविष्य का परिदृष्य

मैं निगम के व्यापक दायित्वों एवं हितधारकों की अपेक्षाओं से पूर्णतः अवगत हूँ। एनबीसीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत अभी भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को कवर किया जाना शेष है, इस परिप्रेक्ष्य में निगम अपने चैनल सहभागियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर ऋण वितरण का दायरा बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत है। साथ ही, निगम अपनी योजनाओं एवं दिशानिर्देशों की नियमित समीक्षा करता है ताकि पहुँच को सरल बनाया जा सके और लाभार्थियों की आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति की जा सके।

मुझे विश्वास है कि निदेशक मंडल एवं सरकार के मार्गदर्शन व हमारे कर्मचारियों के कार्य के प्रति समर्पण के साथ, निगम लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होगा और अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करता रहेगा।

4. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एसआर.)

सामाजिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट न रहते हुए, आपका निगम गरीब एवं वंचित वर्गों के हित में अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) पहलों के अंतर्गत जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों का भी समर्थन करता रहा है। यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निगम ने सीएसआर व्यय के न्यूनतम वैधानिक लक्ष्यों को पार कर ₹7.06 करोड़ की संचयी व्यय दर्ज किया है।

5. आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर प्रदान किए गए मूल्यवान सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूँ। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग (बीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.), कौशल प्रशिक्षण सहभागियों, अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों,नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों एवं सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन,सहयोग और सहायता के लिए भी हार्दिक आभार अभिलेखित करना चाहता हूं।

मुझे विश्वास है कि निदेशक मंडल के मार्गदर्शन, हितधारकों के मूल्यवान सुझावों और कर्मचारियों की निष्ठा के साथ, निगम अपने लाभार्थियों की सेवा प्रभावी रूप से करता रहेगा और आने वाले वर्षों में अपने कार्यक्षेत्र का और विस्तार करना जारी रखेगा।"

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 सितम्बर, 2024

टिप्पणीः इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।

विषय सूची
Contents

क्र.स. S.No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	2-57
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of C & AG of India	58-59
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Report	60-75
5	तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	76
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	77
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	78
8	अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण Changes in Equity Statement	79
9	टिप्पणियाँ एवं लेखा नीतियाँ Notes and Accounting Policies	80-126

निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक
Annexures to the Director's Report

क्र. स. Annexure	विवरण Title	पृष्ठ संख्या Page No.
1A & 1B	चैनल सहभागियों की सूची List of Channel Partners	18-22
2	ऋण प्रदाता संस्थानों की सूची List of Lending Institution	23-24
3	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	25-26
3.1	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में उपलब्धियां बनाम लक्ष्य Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2025	27-28
4	वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक-वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement Showing SCA/RRB/PSB wise disbursement & No. of Beneficiaries Assisted during 2022-23 to 2024-25	29-31
4.1	वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित न करने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2024-25	32-33
4.2	वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं योजनावार संवितरण State/UT Scheme wise Disbursement 2024-25	34
4.3	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महिला लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण State/UT-wise Disbursement to Women Beneficiaries during 2024–25	35
4.4	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उपभोग की गई राशि का विवरण Daetail of Amount Disbursed ,Beneficiaries Assisted during FY'2024-25 & utilized theron	36-38
4.5	वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापें पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2024-25	39-41
4.6	वित्तीय वर्ष (2024-25) में चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR amount spent against Ongoing Projects for the financial year (2024-25)	42

क्र. स. Annexure	विवरण Title	पृष्ठ संख्या Page No.
4.7	वित्तीय वर्ष 2024-25 में चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2024-25	43
4.8	पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण Details of CSR amount spent in the Financial Year for Ongoing Projects of the preceding financial year(s)	44
4.9	वर्ष 2024-2025 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं CSR Activities/Projects during the year 2024-2025	45
5	31 मार्च, 2025 तक राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2025	46-49
6	ऋण वितरण के लिए भौगोलिक कवरेज का विवरण Details of Geographical Coverage for Disbursement of Loan	50
7	विपणन संयोजन (2024-25) Marketing Linkages (2024-25)	51
8	वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि में पूर्ण मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख परिणाम Major Outcomes of Evaluation Studies finalized during FY 2024-2025	51
9	निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट(2024-25) “ ADDENDUM TO THE DIRECTOR’S REPORT (2024-25)	52
10	कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कॉरपोरेट प्रशासन पर प्रमाण- पत्र Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance.	53-57

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of india Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowermnet)

No. NBCFDC/AGM-33/2025/1005-1013 **Dated: 15th September, 2025**

NOTICE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Monday, the 29th Day of September, 2025 at 2:30 PM at Old Conference Room No. 603, A Wing, 6th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No.1 :To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended March 31, 2025, together with reports of the Directors, Auditors' and comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(Ajit Kumar Samal)
CGM (F) & Company Secretary

Place : New Delhi
Dated : 15.09.2025

Notes:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

To :

1. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member is representing the President of India)

2. The Joint Secretary (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member).

Copy to:

M/s D C GARG & CO (DE1175),	} With the request to make it convenient to
Chartered Accountants,	} attend the meeting on scheduled date and
1/4969, Balbir Nagar Ext., Shahdara,	} time & place as mentioned above.
Delhi-110051	}

Special Invitees

With the request to kindly make it convenient to attend 33rd Annual General Meeting (AGM) of NBCFDC scheduled to be held on Monday, the 29th Day of September, 2025 at 2:30 PM at Old Conference Room No. 603, A Wing, 6th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001:

1. Shri Rajan Sehgal	Managing Director	4. Shri Nabin Kumar Roy	Director
2. Smt. Debolina Thakur	Director	5. Ms. Bindu V C	Director
3. Shri Prabhat Tyagi	Director	6. Shri Ranjeet Singh	Director

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of india Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowermnet)

सं.एन.बी.सी.एफ.डी.सी./ए.जी.एम.-33/2025/1005-1013 **दिनांकः 15 सितम्बर, 2025**

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंश धारकों की 33वीं वार्षिक आम बैठक, सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को सांय 2:30 बजे, ओल्ड कॉन्फ्रेंस रूम सं. 603, ए विंग, 6वाँ तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्न व्यवसाय के निष्पादित करने हेतु की जाएगीः

सामान्य व्यवसाय

मद सं.1 : 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निगम के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ निदेशकों, अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकार करना।

निदेशक मण्डल के निदेशकों के आदेश से,

ह0/-
(अजित कुमार सामल)
मुख्य महाप्रबंधक(वित्त) एवं कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.09.2025

टिप्पणीः

1. बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के पात्र सदस्य को बैठक में स्वयं उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा मेः

1. सचिव,भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सदस्य)

2. संयुक्त सचिव(बी.सी.) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)

प्रतिलिपिः

मेसर्स डी.सी.गर्ग एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउंटेंट, 1/4969, बलवीर नगर एक्सटेंसन, शाहदरा, दिल्ली-110051	} इस अनुरोध के साथ कि कृपया ऊपर दर्शाए गई तिथि } एवं समय पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। } }

विशेष आमंत्री

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.), सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को सांय 2:30 बजे, ओल्ड कॉन्फ्रेंस रूम सं. 603, ए विंग, 6वाँ तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में आयोजित किया जाना है, कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करेः

1. श्री राजन सहगल	प्रबंध निदेशक	4. श्री नवीन कुमार रॉय	निदेशक
2. श्रीमती देबोलीना ठाकुर	निदेशक	5. सुश्री बिंदु वी. सी.	निदेशक
3. श्री प्रभात त्यागी	निदेशक	6. श्री रंजीत सिंह	निदेशक

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 33rd Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2025.

1. CORPORATE PROFILE

- National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) was incorporated on 13 January, 1992 under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now Section 8 of Companies Act 2013) as a Company not for profit.
- The Corporation promotes economic and developmental activities for the target population through concessional loans and skilling activities.
- The concessional lending is the major activity of the Corporation, which is undertaken through State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks (Channel Partners).
- At present, 46 State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 36 Banks including 05 Public Sector Banks(PSBs) and 31 Regional Rural Banks(RRBs) can channelize loans under NBCFDC. List of CPs is available at **Annexure-1A &1B** (Page No. 18-22).
- The CPs are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan (AAP) to obtain loan from NBCFDC. The CPs are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries.

2. VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and other such categories as may be defined from time to time.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist in the up-gradation of technical, artisanal, entrepreneurial and managerial skills for products/ services of socially & educationally Backward Classes including all forms of skill development & up-gradation and other categories as may be defined from time to time.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is upto ₹ 3.00 Lakh)
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/technical/ vocational education or training at graduate and higher level.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 33वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगमित रूपरेखा

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कंपनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया।
- निगम रियायती ऋण एवं कौशल विकास कार्यकलापों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या हेतु 'आर्थिक और विकासात्मक' कार्यकलापों को प्रोन्नत करता है।
- रियायती ऋण प्रदान करना निगम का प्रमुख कार्य हैं जो राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) एवं बैंकों (चैनल सहभागियों) के माध्यम से किया जाता है।
- वर्तमान में राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों ने 46 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; एवं 36 बैंकों, जिनमें 05 सार्वजनिक क्षेत्र की बैकें, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकें सम्मिलित हैं, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के ऋणों को चैनेलाइज करते हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक-1क एवं1 ख** (पृ.स. 18-22) पर उपलब्ध है।
- चैनल सहभागियों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने व एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चैनल सहभागियों को लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार संभावित लाभार्थियों, उनकी व्यावसायिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्यः

- पिछड़े वर्गों एवं समय-समय पर परिभाषित इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाईयों के समुचित एवं दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु पिछड़े वर्गों के तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल को उन्नत करने में सहायता करना।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित अन्य श्रेणियों को जैसा कि समय-समय पर परिभाषित किया जाए सभी प्रकार के कौशल विकास व उत्पादों / सेवाओं के लिए तकनीकी, दस्तकारी, उद्यमीय व प्रबंधकीय कौशल उन्नयन में सहायता करना।
- सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित आय और/ अथवा आर्थिक मापदण्ड को पूरा करने की दशा में पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व-रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देना।
- समय-समय पर विनिर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय (वर्तमान में रू. 3.00 लाख तक) के अनुसार चयनित मामलों में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को रियायती वित्त प्रदान करना।
- सामान्य/ व्यावसायिक/ तकनीकी/ वोकेशनल शिक्षा या स्नातक व उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए ऋण प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is ₹ 1725.00 Crore. The paid up share capital as on 31.03.2025 was ₹ 1514.40 crore. Government of India holds the entire equity of the Corporation.

7. ELIGIBILITY

The applicant should belong to a caste included under the Other Backward Classes list as notified by State/Central Government from time to time. Applicant has to submit Relevant Caste Certificate issued by relevant authority of District Administration.

At present persons whose annual family income is upto ₹ 3,00,000/- irrespective of rural or urban sector are eligible to avail loans under NBCFDC schemes. SCAs have been advised to provide at least 50% of total funding to persons with annual family income upto ₹ 1.50 Lakh. The annual family income ceiling has been fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 8th March, 2018.

The applicant can use following certifications to establish the income criteria:-

i. Certificate of income issued by Competent Authority of State Government/Distt. Administration or Antodaya Ann Yojana (AAY) Card or Below Poverty Line (BPL) Card.

ii. Annual family income certificate may be considered by the SCAs/Banks on self-certification of the beneficiaries with endorsement of the same by any Gazetted Officer notified by State/Central Government.

iii. In case of loan being applied at Bank (Channel Partner), Self-Certification assessed and endorsed by Branch Manager can be used for providing the loan.

iv. For Landless agriculture labour, marginalized farmers (those with land holding up to One-hectare) and small farmers (those with land holding up to Two-hectare), as assessed by the Banks through their standard processes and belonging to the Backward Classes will be automatically treated as part of the target group as per following considerations: -

a. Landless agriculture labour and marginalized farmers with land holding less than One hectare will be deemed as having annual family income upto ₹ 1.50 Lakh.

b. Small farmers i.e. those with land holding between One and Two hectares will be deemed as having annual family income upto ₹ 3.00 Lakh.

8. WORKING RESULTS

During the year, the disbursement of loan of the Corporation stood at ₹527.54 Crores as compared to ₹525.09 cores in the previous year. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to ₹ 7674.32 crores for 33,05,532 beneficiaries.

The Corporation is operating income stood at of ₹ 61.34 Crore as compare to the ₹ 54.91 Crore registered in 2024-25. The surplus of income over expenditure before exceptional items and tax was ₹ 40.91 crores in the current year in comparison to ₹ 30.71 crores during the previous year.

9. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self-employment ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The loans under Corporation's schemes can be provided for income generating activities, following the due processes of the concerned Channel Partner. The activities could be anything, which have potential to provide sustainable income generation for the beneficiary or group of beneficiaries. Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice.

The Channel Partners (SCAs/Banks) are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries.

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1725.00 करोड़ है। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 1514.40 करोड़ थी। निगम की समस्त इक्विटी भारत सरकार के पास है।

7. पात्रता

आवेदक को समय-समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत शामिल जाति से संबंधित होना चाहिए। आवेदक को जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी संगत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

वर्तमान में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना, रू. 3,00,000/- लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय के व्यक्ति एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के तहत ऋण लेने हेतु पात्र है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सलाह दी गई है कि कुल धनराशि का कम से कम 50% वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक आय वाले परिवारों को उपलब्ध कराएं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं.14015/01/2010-एससीडी-IV दिनाँक 8 मार्च, 2018 के अनुसार विनिर्धारित की गई है।

आय मानदंड के लिए आवेदक द्वारा प्रमाणीकरण हेतु निम्न का उपयोग किया जा सकता है –

i. राज्य सरकार/जिला प्रशासन अथवा अंत्योदय अन्न योजना अथवा गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र।

ii. लाभार्थी द्वारा स्व-सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी से पृष्ठांकित होने पर एस.सी.ए. /बैंक विचार कर सकते हैं।

iii. बैंक (चैनल सहभागी) में ऋण हेतु आवेदन करने के मामले में ऋण उपलब्ध कराने हेतु शाखा प्रबंधक द्वारा लाभार्थी के स्व-प्रमाणीकरण को मूल्यांकन एवं पृष्ठांकन कर प्रयोग किया जा सकता है।

iv. भूमिहीन कृषि श्रमिक व सीमातं किसान (जिनके पास एक हेक्टर तक भूमि है) एवं छोटे किसानों (जिनके पास दो हेक्टर तक भूमि है), जैसा कि बैंक द्वारा उनकी मानक क्रिया के तहत मूल्यांकन किया जाता है एवं पिछड़े वर्ग से सबंधित है; निम्नानुसार स्वतः लक्षित वर्ग माने जाएगें:

क भूमिहीन कृषि श्रमिक एवं सीमांत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक मानी जाएगी।

ख छोटे किसान वे हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख तक मानी जाएगी।

8. कार्य परिणाम

निगम ने वर्ष के दौरान, गतवर्ष ₹525.09 करोड़ की तुलना में ₹527.54 करोड़ का कुल ऋण वितरण किया। आपके निगम ने 33,05,532 लाभार्थियों के लिए ₹7674.32 करोड़ की सकल ऋणराशि का वितरण किया है।

वर्ष 2024-25 में दर्ज़ की गई रु. 54.91 करोड़ की तुलना में निगम की प्रचालन आय ₹ 61.34 करोड़ है। पिछले वर्ष की अवधि में ₹ 30.71 करोड़ की तुलना में, चालू वर्ष में अतिरिक्त मदों एवं टैक्स से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य ₹ 40.91 करोड़ है।

9. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनतम समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है। निगम की योजनाओं के अंतर्गत ऋण, संबंधित चैनल सहभागियों की उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रदान किया जा सकता है। यह गति विधियां कुछ भी हो सकती हैं जिससे लाभार्थी या लाभार्थियों के समूह के लिए स्थायी आय सृजन प्रदान करने की संभावना हो । लाभार्थी अपनी रूचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं।

चैनल सहयोगियों (एस.सी.ए/बैंकों) से अपेक्षा है कि वे वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

10. LENDING POLICY :

- Method of Lending

Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the nominated State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks, who have signed MOU with our Corporation. The allocation is meant for all the CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation. The disbursement of funds depends on availability of funds with NBCFDC, availability of BGG and past performance of CPs.

As per policy of NBCFDC, the CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under Individual Loan Scheme and Group Loan Scheme.

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of CPs, 10% of the budget allocated to N-E States as per policy of the Government. It is also ensured that the disbursements to N.E. States are at least 10% of the equity received from the Government.

Disbursement of 'advance funds' to CPs is made as per approved Annual Action Plan for the financial year under Individual Loan Scheme and Group Loan Scheme.

The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from CPs.

NBCFDC provides financial assistance at concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective CPs under the following schemes:

a. **Individual Loan Scheme:** Under this scheme, loans are given up to 85% of the project cost, subject to a maximum of Rs. 15.00 lakh per beneficiary. Loans up to Rs. 1.25 lakh are provided at an interest rate of 7% p.a. for a tenure of 4 years with a moratorium period of One quarter. Loans above Rs. 1.25 lakh and up to Rs. 15.00 lakh are provided at an interest rate of 8% p.a. for a tenure of 7 years with a moratorium period of 1 quarter. Education loans up to Rs. 15.00 lakh can be availed at a uniform interest rate of 8% p.a. for a tenure of 10 years (inclusive of a moratorium period of 5 years).

b. **Group Loan Scheme:** Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group. Loans are given up to 90% of the project cost. The maximum loan limit per group is Rs. 15.00 lakh, and the loan per beneficiary in an SHG is Rs. 1.25 lakh at an interest rate of 6% p.a. for a tenure of 3 years, including a moratorium period of 1 quarter.

There is another window of channelizing loans through NBFC-MFIs or similar financial institutions, backed by bank guarantees or any other suitable security, which reach stakeholders at an interest rate of up to 16% p.a. for a tenure of 3 years with a moratorium period of 1 quarter.

All schemes carry a timely payment rebate on an annual basis @ 1%, to be equally appropriated between Channel Partners and Beneficiaries.

In case of Banks especially with a view to simplify the refinancing process, NBCFDC loans will be available upto 100% of dues not recovered; however, disbursement will be made as per specific demand of Bank.

In addition to the above concessional financing schemes, during the year 2024-25 Ministry of Social Justice & Empowerment introduced the following Interest Subvention Scheme:

(i) Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ko Aarthik Sahayata Yojana (VISVAS Yojana 2.0) : Under this scheme, interest subvention at 5% is provided to Self Help Groups (SHGs) with 70% OBC members and OBC individuals who have taken loan for various income generating activities from those Lending Institutions who have signed MoA with NBCFDC. Maximum Loan Limit for SHG is Rs. 10.00 Lakh and for individual is Rs. 5.00 Lakh. Post submission of data for beneficiaries on VISVAS Portal (dedicated portal developed for VISVAS Yojana) Interest subvention amount is directly transferred into the operating account of eligible SHG or Individual beneficiary. List of Lending Institutions who have signed MoA with NBCFDC is available at **Annexure-2** (Page No. 23-24).

10.ऋण नीति

➢ ऋण पद्धति

आबंटन

निगम प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा नामि त राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) और बैंकों को, जिन्होंने निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, को निधियों का आरंभिक आबंटन करता है। आबंटन का तात्पर्य सभी चैनल सहभागियों से है, जिनसे निधियों की वास्तवि क आवश्यकताओं का मूल्यांकन आबंटन की सीमा में करें। निधियों का वितरण एन.बी.सी.एफ. डी.सी. के पास उपलब्ध निधि, शासकीय गारंटी की उपलब्धता एवं चैनल सहभागियों के पूर्व के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, एन.बी.सी.एफ. डी.सी. की एकल ऋण योजना और समूह ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तों के अनुसार चैनल सहयोगियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को वर्ष के आरंभ में 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आबंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े होने पर) है एवं चैनल सहभागि यों का गत् कार्यनिष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आबंटन किया जाता है। सरकार से प्राप्त अंश पूंजी का कम से कम 10% उत्तर- पूर्वी राज्यों को वितरित कराना सुनिश्चित किया जाता है।

चैनल सहभागियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि ' का वितरण एकल ऋण योजना और समूह ऋण योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

चैनल सहभागियों से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि ' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहयोगियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चैनल सहभागियों के माध्यम से लाभार्थी आय सृजक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैः

क **एकल ऋण योजना:** इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का अधिकतम 85% तक ऋण प्रदान किया जाता है, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹15.00 लाख तक सीमित है। ₹1.25 लाख तक के ऋण 7% वार्षिक ब्याज दर पर, 4 वर्षों की अवधि के लिए तथा 1 तिमाही की मोरेटोरियम अवधि के साथ प्रदान किए जाते हैं। ₹1.25 लाख से अधिक एवं ₹15.00 लाख तक के ऋण 8% वार्षिक ब्याज दर पर, 7 वर्षों की अवधि के लिए तथा 1 तिमाही की मोरेटोरियम अवधि के साथ उपलब्ध हैं। ₹15.00 लाख तक के शिक्षा ऋण 10 वर्षों की अवधि (5 वर्षों की मोरेटोरियम अवधि शामिल) के लिए 8% वार्षिक समान ब्याज दर पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

ख **समूह ऋण योजना:** इस योजना के अंतर्गत, लक्षित समूह को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूहों (SHGs) को ऋण सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का अधिकतम 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा ₹15.00 लाख है तथा स्व-सहायता समूह में प्रति लाभार्थी ऋण सीमा ₹1.25 लाख है, यह ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है, जिसमें 1 तिमाही की मोरेटोरियम अवधि सम्मिलित है।

ऋणों के लिए एक और माध्यम है एनबीएफसी-एमएफआई या इसी तरह के वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, जो बैंक गारंटी या अन्य उपयुक्त प्रतिभूति द्वारा समर्थित होते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत हितधारकों को 16% तक की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा 1 तिमाही की मोरेटोरियम अवधि के साथ ऋण प्रदान किए जाते हैं।

सभी योजनाओं के अंतर्गत, समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों के लिए वार्षिक आधार पर 1% की छूट उपलब्ध है, जिसे चैनल सहभागियों और लाभार्थी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है।

बैंकों के लिए पुनर्वित्त प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, एनबीसीएफडीसी द्वारा उन बकाया राशि का 100% तक बकाया हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है हालांकि, ऋण वितरण बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार किया जाएगा।

उपरोक्त रियायती वित्तीय योजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निम्न ब्याज अनुदान योजना प्रारंभ की:

(i) वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता योजना (विस्वास योजना 2.0): इस योजना के अंतर्गत ऐसे स्व-सहायता समूह जिनमें 70% सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तथा ऐसे ओबीसी व्यक्ति जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित ऋण संस्थानों से आय सृजन गतिविधियों हेतु ऋण ले चुके हों, उन्हें 5% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। स्व-सहायता समूहों के लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹10.00 लाख एकल लाभार्थियों के लिए ₹5.00 लाख है, लाभार्थियों का डेटा विस्वास पोर्टल (जो विशेष रूप से इस योजना के लिए विकसित किया गया है) पर अपलोड करने के पश्चात, ब्याज अनुदान की राशि सीधे संबंधित स्व- सहायता समूहों या एकल लाभार्थियों के खाते में अंतरण की जाती है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित ऋण संस्थानों की सूची **अनुलग्नक-2** (पृ.स. 23-24) पर उपलब्ध है।

11. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

S.No.	Name of Scheme	Max. Loan Limit Per Beneficiary and Group	Pattern of Finance #		Rate of Interest Per Annum	
			NBCFDC Share	SCA or Benf.	SCAs/ Bank	Benef.
1.	**INDIVIDUAL LOAN SCHEME**					
(a)	For Income Generating Activities	Rs.15.00 Lakh	85%	15%	**Up to Rs. 1.25 lakh**	
					4%	7%
					Rs.1.25 Lakh to Rs.15.00 lakh	
					5%	8%
(b)	For Education	Rs.15.00 Lakh			5%	8%
2.	**GROUP LOAN SCHEME**					
(a)	To SCAs or Banks	Rs.1.25 Lakh (Max. Rs.15.00 Lakh per group)	90%	10%	3%	6%
(b)	To NBFC-MFI or similar Financial Institutions	Rs.1.25 Lakh (Max. Rs.15.00 Lakh per group)			6%	16%

Note: All Schemes carry timely payment rebate on annual basis @1% to be equally appropriated between Channel Partners and Beneficiaries

In case of Refinance by Banks, NBCFDC loan will be available upto 100% loan outstanding of eligible beneficiaries; however, disbursement will be made as per Bank's specific demand.

12. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2024-25 on 01 August, 2023. Copy of MOU is available at **Annexure-3** (Page No. 25-26). As per the achievements and based on the audited data, total aggregate score for financial year 2024-25 comes to 78.93 which conform to 'Very Good 'category and placed at **Annexure-3.1** (Page No. 27-28).

13. MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT

PERFORMANCE ACHIEVEMENT

13.1 Achievements against MOU Targets (2024-25)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements
1	Loan Disbursed/Total Funds Available	%age	100	100
2	Last Mile Disbursement to Ultimate Beneficiaries	%age	100	96.16
3	EBDTA as a percentage of Revenue	%age	62.43	64.59
4	Return on Net Worth	%age	1.91	1.87

11. ब्याज दर:

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दरें निम्नलिखित है

क्र.स.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी एवं प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति #		वार्षिक ब्याज दर	
			एन.बी.सी. एफ.डी.सी अंश	एस.सी.ए. और लाभार्थी	एस.सी.ए. और बैंक	लाभार्थी
1.	**एकल ऋण योजना**					
(क)	आय सृजन गतिविधियों के लिए	रू15.00 . लाख	85%	15%	रू5.00 . लाख तक	
					4%	7%
					रू1.25 . लाख से रू15.00 . लाख तक	
					5%	8%
(ख)	शिक्षा के लिए	रू15.00 . लाख			5%	8%
2.	**समूह ऋण योजना**					
(क)	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों या बैंकों के लिए	रू1.25 . लाख (अधिकतम रू.15.00 लाख प्रति समूह)	90%	10%	3%	6%
(ख)	एनबीएफसी-एमएफआई या समान वित्तीय संस्थानों के लिए	रू1.25 . लाख (अधिकतम रू.15.00 लाख प्रति समूह)			6%	16%

टिप्पणी: सभी योजनाओं के अंतर्गत समय पर भुगतान करने पर वार्षिक आधार पर 1% की छूट प्रदान की जाती है, जिसे चैनल सहभागियों और लाभार्थियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है।

बैंकों द्वारा पुनर्वित्तीयन किए जाने की स्थिति में, पात्र लाभार्थियों के बकाया ऋण की 100% राशि तक एनबीसीएफडीसी द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा; तथापि, वितरण बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार किया जाएगा।

12. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनः

निगम ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 1 अगस्त, 2023 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक-3** (पृष्ठ सं. 25-26) पर उपलब्ध है। उपलब्धियों एवं लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल स्कोर 78.93 आया है जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी में है व **अनुलग्नक-3.1** (पृष्ठ सं. 27-28) पर उपलब्ध है।

13. प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट

कार्यनिष्पादन उपलब्धि

13.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2024-25) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%age	100	100
2	अतंतःलाभार्थियों को वितरित धनराशि	%age	100	96.16
3	ई.बी.डी.टी.ए. राजस्व के प्रतिशत के रूप में	%age	62.43	64.59
4	निबल संपत्ति से वापसी	%age	1.91	1.87

13.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2024-25	2023-24
1	Sanction of Loan	₹(Cr.)	772.75	830.91
2	Disbursement of Loan	₹(Cr.)	527.54	525.09
3	Beneficiaries Covered	Nos.	60520	68372
4	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	97.77	98.06
5	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(Rs)	140969	156448
6	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)	(Rs)	87167	50417

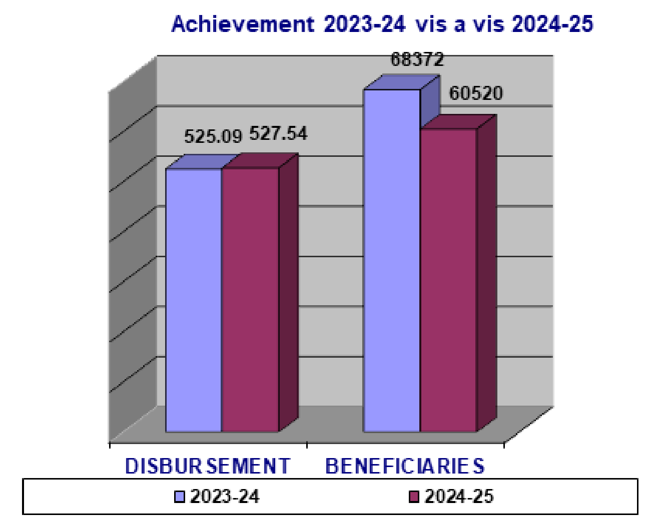

- Amount in ₹ in Cr. - Not to scale

13.3 Sanction & Disbursement

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to CPs for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from CPs, were approved to the tune of ₹ 762.75 Crore during the year 2024-25.

Against this Notional Sanction, the Corporation has disbursed ₹527.54 Crore for assisting 60520 beneficiaries and covered 31 States/ UTs out of 36 States/ UTs during the financial year 2024-25.

The disbursement so far made since inception now stands at ₹7674.32 Crore for assisting 33,05,532 beneficiaries as on 31.03.2025. SCA & State-wise loan disbursement during the last three years, cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2025 is available at **Annexure-4** (Page No.29-31). Few SCAs did not draw funds due to various reasons stated at **Annexure-4.1** (Page No. 32-33).

SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2024-25 are available at **Annexure-4.2** (Page No. 34).

Sector wise percentage of disbursement of funds of ₹ 241.78 Crore under Individual Loan Scheme (Above Rs 1.25 Lakh to Rs 15.00 Lakh) during 2024-25 is as under:

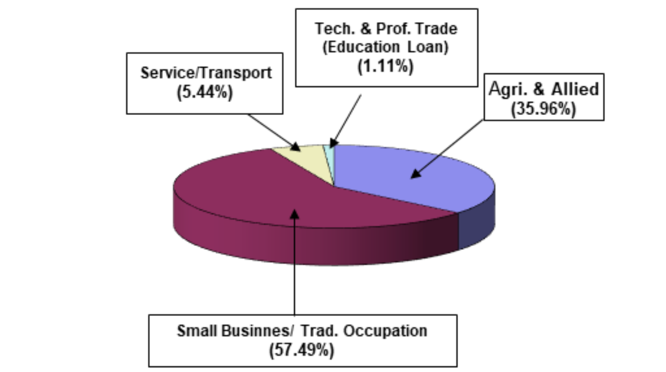

During 2024-25, 35.96% of Individual Loan Scheme was given under the Agriculture/Allied Sector as compared to 26.71% in previous year and 57.49% under Small Business/Traditional Occupation as compared to 58.61% in previous year. Loan was disbursed for activities, which include the manufacture/purchase of Agricultural Implements, setting up of Dairy Units, Installing Irrigation Bore Well, Poultry Farming, Fishery, Tractor Trolley, Tube Well, Auto Repair Workshop, Bicycle Hiring and Repair, Kirana Shop and Vegetable Shops, Seeds, Pesticides & Fertilizers etc.

The Backward Classes population is engaged in Service Sector such as Barber Shop, Drycleaner, Electrical and Electronic Shop, Woodwork, Auto rickshaw, Motorcycle Taxi, Pick-up Van, Tourist Taxi. Hence, 5.44% of Individual Loan Scheme has been drawn by CPs in 2024-25 to meet the demand of the service providers as compared to 13.02% in previous year.

Education Loan has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers

13.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं:

क्र.सं	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2024-25	2023-24
1	ऋण की स्वीकृति	₹.(करोड़)	772.75	830.91
2	ऋण वितरण	₹. (करोड़)	527.54	525.09
3	आच्छादित लाभार्थी	संख्या	60520	68372
4	पुनर्भुतान/वसूली (संचयी)	%	97.77	98.06
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(₹.)	140969	156448
6	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सूक्ष्म ऋण)	(₹.)	87167	50417

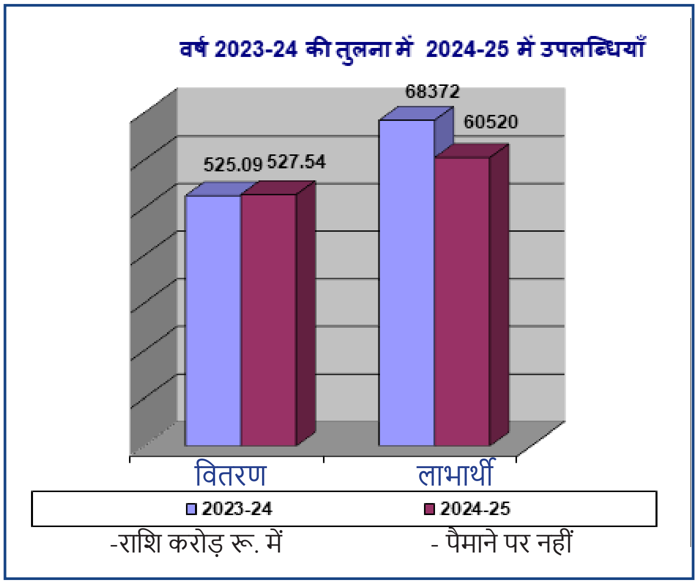

13.3 स्वीकृति एवं वितरण

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु द्वारा एस.सी.ए. को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। एस.सी.ए. से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना को निगम द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 762.75 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान अनुमोदित आरंभिक स्वीकृति के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 60520 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए ₹527.54 करोड़ वितरित किए हैं एवं 36 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में से 31 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को कवर किया है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 3305532 लाभार्थियों की सहायता के लिए ₹7674.32 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत् तीन वर्षों का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-4** (पृष्ठ सं. 29-31) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से ऋण आहरण नहीं किया है, जिनका विवरण **अनुलग्नक-4.1** (पृष्ठ सं.32-33) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2024-25 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-4.2** (पृष्ठ सं. 34) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2024-25 की अवधि में एकल ऋण योजना (रू. 1.25 लाख से अधिक व रू. 15.00 लाख तक) के तहत वितरित ₹241.78 करोड़ निधि का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:

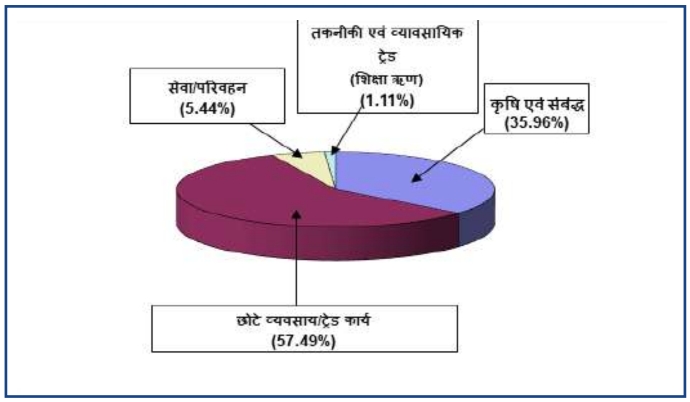

एकल ऋण योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष के 26.71% की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान 35.96% एवं लघु व्यवसाय/परंपरागत कार्य हेतु गत् वर्ष के 58.61% की तुलना में 57.49% ऋण दिए गए। जिन कार्यकलापों हेतु ऋण वितरित किए गए उनमें सम्मिलित हैं – विनिर्माण/ कृषि उपकरण की खरीद डेरी, इकाईयों की स्थापना,सिंचाई हेतु बोरवेल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर- ट्राली,ट्यूबवेल, आटो मरम्मत दुकान, किराए पर साइकिल एवं मरम्मत दुकान, किराना की दुकान एवं सब्जी दुकान, बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक इत्यादि की दुकान।

पिछड़े वर्ग के व्यक्ति नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रानिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर-साइकिल टैक्सी, पिक-अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े है। अतः चैनल सहभागियों द्वारा गत वर्ष 13.02% की तुलना में वर्ष 2024-25 में 5.44% एकल ऋण योजना के तहत सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आहरण किया गया।

पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठयक्रमों जैसे

and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report, 1.11 % of the Individual Loan Scheme has been given under Education Loan Scheme.

Disbursement During Last Four Years
(Amount in ₹ in Cr.)

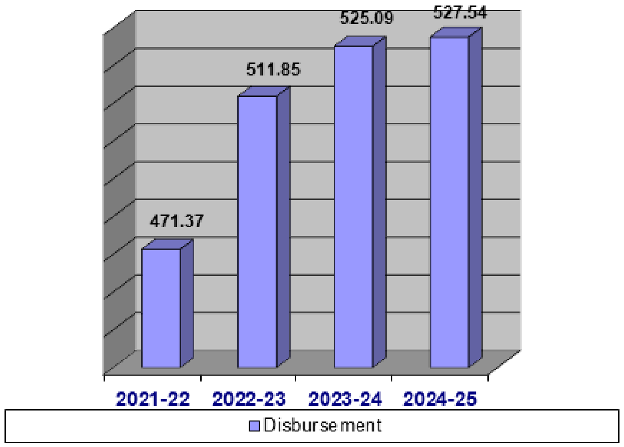

Beneficiaries Assisted During Last Four Years

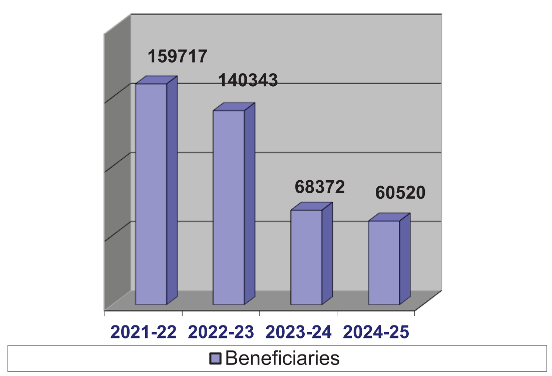

Scheme-wise Disbursement (2024-25)

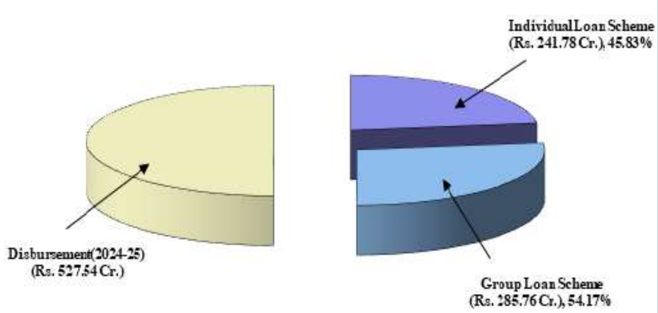

Total Beneficiaries Assisted under Individual Loan Scheme is 22802 and under Group Loan Scheme 37718 during 2024-25.

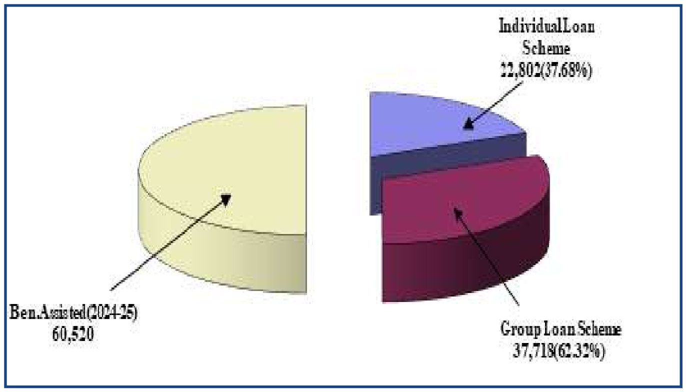

13.4 Education Loan Disbursement:

During the year 2024-25, your Corporation provided loans of ₹ 3.55 Crore to 215 beneficiaries under the Education Loan Scheme against the previous year which was ₹4.19 Crore for 96 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/ MCI/Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.

Disbursement under Education Loan Scheme

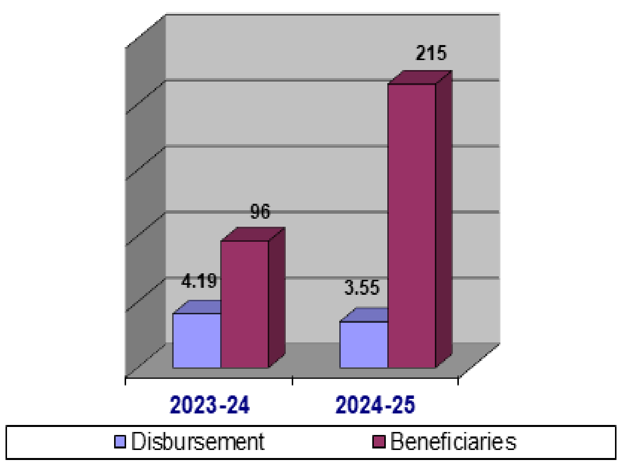

13.5 Participation of Women Beneficiary under Scheme

The Corporation benefitted 47649 women beneficiaries under the Individual Loan Scheme and Group Loan Scheme Under which mentioned above State wise details of women beneficiaries are at **Annexure-4.3** (Page No. 35). Therefore, in all ₹339.82 crores of loan was disbursed to assist 47649 women beneficiaries.

चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण जारी किए गए। संदर्भित वर्ष के दौरान एकल ऋण योजना के अन्तर्गत 1.11% ऋण शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।

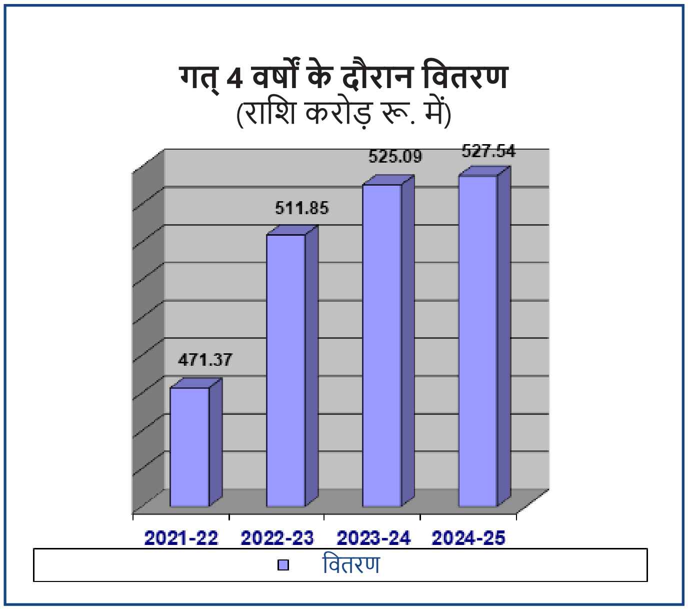

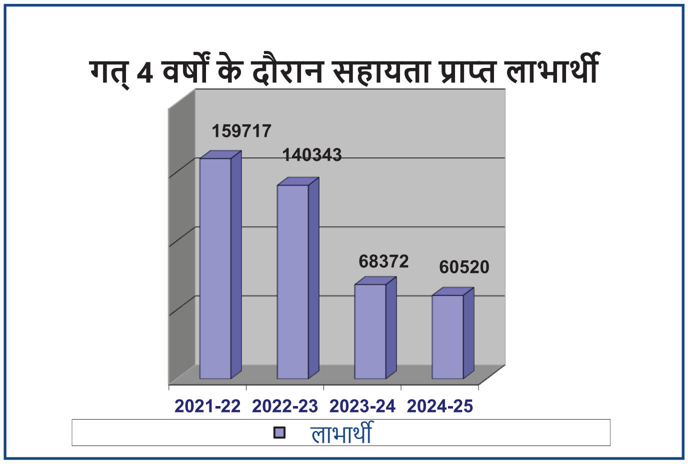

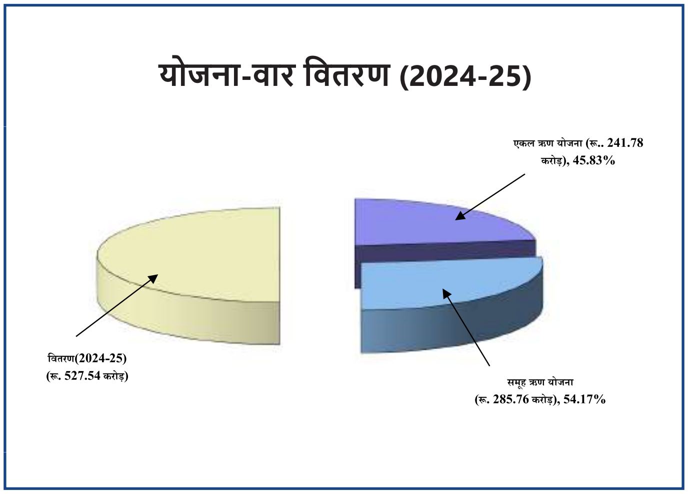

वर्ष 2024-25 की अवधि में एकल ऋण योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या 22802 एवं समूह ऋण योजना 37718

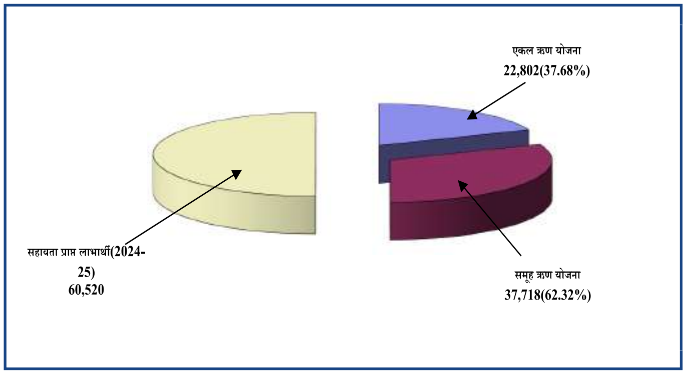

13.4 शैक्षिक ऋण वितरणः

आपके निगम ने शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत गत् वर्ष के 96 लाभार्थियों को रू. 4.19 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 की अवधि में 215 लाभार्थियों को रू. 3.55 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए हैं। योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सी.आई./उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठयक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए., इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि शामिल है।

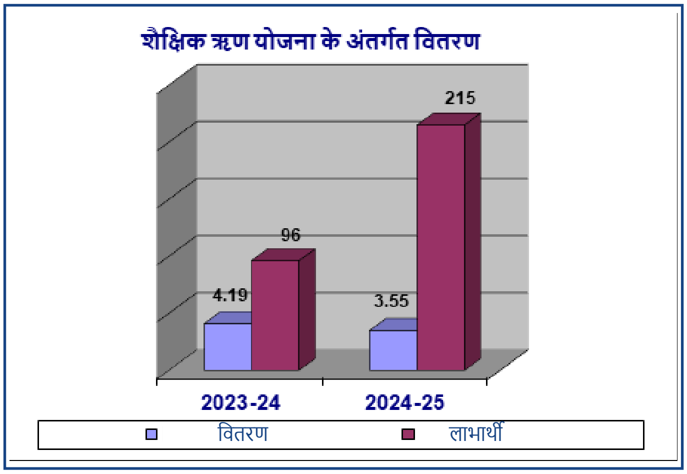

13.5 योजना में महिलाओं की भागीदारी

निगम द्वारा एकल ऋण योजना एवं समूह ऋण योजना के अन्तर्गत 47,649 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया है, जिसके तहत महिला लाभार्थियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-4.3** (पृष्ठ सं. 35) पर उपलब्ध है। इस तरह, कुल मिलाकर रु. 339.82 करोड़ ऋणों का वितरण 47649 महिला लाभार्थियों की सहायता हेतु किया गया।

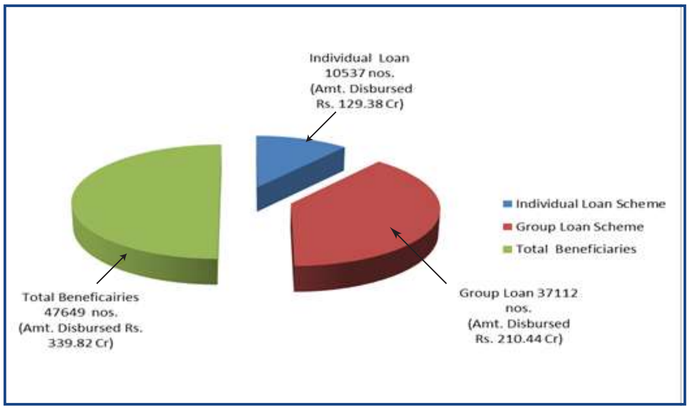

13.6 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 90 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
90 days	3%
91-180 days	6%
Above 181 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The SCAs/CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 99.82%.

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case-to-case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

During the FY 2024-25 against the fund disbursement of ₹ 527.54 Crore the Channel partners able to utilize the funds to the tune of ₹ 508.63 crore only. Hence, utilization of loans by Channel partners stands at 96.16%. Status of utilization is available at **Annexure - 4.4** (Page No. 36-38).

14. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance of Provisions of Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the average net profit made during the three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2024-25 for CSR activities. The Corporation has cumulatively achieved more than the minimum statutory spending requirements as on 31st March'2025. During the year, 10 projects valued ₹ 62.10 lakh were sanctioned and an expenditure of ₹.30.32 lakh was made on CSR activities for covering 8616 marginalized people.

The CSR activities include Health Awareness programmes and camps in the State of Odisha , Uttar Pradesh and Bihar in poor localities in the districts of Baleshwar, Gautam budh Nagar and Lakhisaria, Development of School playground at village Ulaheri, Rajasthan, Cataract surgeries in Delhi and Nuh District(Haryana), Free distribution of 40000 sanitary pads to underprivileged women in Delhi and Faridabad(Haryana), Skilling and livelihood enhancement through empowerment of underserved rural women in Dausa (Rajasthan), Development of Dairy collection centres in Sehore District, Madhya Pradesh and Creating awareness on Govt. Education schemes through performing traditional arts and Nukkad Natakas etc in Kumbh Mela.

A detailed report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available at **Annexure- 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 & 4.9** (Page No. 39-45) of this report. Your Corporation is pleased to inform that we have more than fulfilled the role of corporate citizen by spending ₹ 7.06 Crore on CSR interventions beginning 2014-15 against the mandated 2 % CSR expenditure of ₹ 6.03 Crore upto 31.03.2025.

15. PROGRESS DURING FIVE-YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

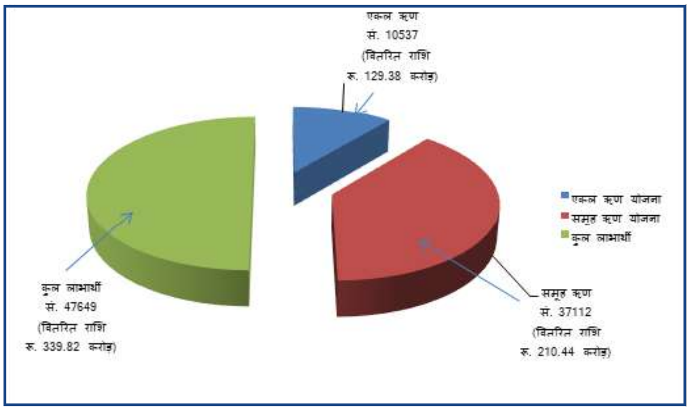

13.6 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 90 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासंभव अति शीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब-वार ब्याज दर लागू की गई है।

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
90 दिन	3%
91-180दिन	6%
181 दिनों से अधिक	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। एस.सी.ए./चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद के माध्यम से, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 99.82% है।

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा लक्षित वर्ग लाभार्थ निधियों के उपभोग को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों को शुरुआत में मामला-दर-मामला आधार पर बढ़ी समयावधि 180 दिनों तक की अनुमति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रू. 527.54 करोड़ की संवितरण के तुलना में चैनल सहभागियों ने मात्र रू. 508.63 करोड़ की राशि का उपभोग किया है। अतः चैनल सहभागियों ने 96.16% ऋण का उपभोग किया है। उपभोग की स्थिति **अनुलग्नक-4.4** (पृष्ठ सं. 36-38) पर उपलब्ध है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार निगम के पास निगमित सामाजिक दायित्व नीति है तथा निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगातार तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% आबंटन किया गया है। निगम ने 31.03.2025 तक संचयी रूप से न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक की प्राप्ति की है। वर्ष के दौरान, रू 62.10 लाख मूल्य की 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और सी.एसआर. कार्यकलापों पर रू. 30.32 लाख का व्यय किया गया, जिसमें हाशिए पर रहने वाले 8616 लोगों को आच्छादित किया गया।

सीएसआर गतिविधियों में ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों के बलेश्वर, गौतम बुद्ध नगर एवं लखीसराय जिलों के निर्धन क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एवं शिविरों का आयोजन शामिल है; राजस्थान के उलहेड़ी गाँव के विद्यालय में खेल मैदान का विकास, दिल्ली एवं हरियाणा के नूंह जिले में मोतियाबिंद सर्जरी, दिल्ली एवं फरीदाबाद (हरियाणा) में वंचित महिलाओं को निःशुल्क 40,000 सेनेटरी पैड का वितरण, राजस्थान के दौसा जिले में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दुग्ध संग्रहण केंद्रों का विकास तथा कुंभ मेले में पारंपरिक कला और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकारी शैक्षिक योजनाओं के प्रति जनजागरूकता फैलाना सम्मिलित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सी.एस. आर. कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एवं 4.9** (पृष्ठ सं. 39-45) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 2014-15 से आरंभ सीएसआर हस्तक्षेपों पर अनिवार्य 2% सीएसआर व्यय रु. 6.03 करोड़ के मुकाबले 31.03.2025 तक रु. 7.06 करोड़ खर्च करके कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका को पूरा किया है।

15. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा- सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षण व्यय इत्यादि में निगम की प्रगति निम्नानुसार है-

S.N.	Particulars	8th Plan 1992-97	9th Plan 1997-02	10th Plan 2002-07	11th Plan 2007-12	12th Plan 2012-17	2017-18 to 2021-22	2022-23 & 2024-25	Cumulative as on 31.03.2025
1	Budgetary Support (₹ in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	375.40	15.00	1514.40
2	Disbursement (₹ in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2534.35	1564.47	7674.32
3.	Disbursement / Budgetary support (%age)	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	6.75	104.30	5.07
4	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	836093	735934	269235	3305532
5	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	64691	112817	49965	343185
6	Recovery of Loan (₹ in Cr.)	47.31	202.76	323.65	600.57	927.08	1786.80	1425.25	5313.42

16. FINANCIAL /OPERATIONAL PERFORMANCE

16.1 Income & Expenditure Account

i. During the year 2024-25, the operating income of Corporation has increased from ₹ 54.91 crore to 61.34 crore
ii. The total expenses including employees cost has decreased from ₹ 27.18 crore to ₹ 23.00 crore.
iii. Excess of Income over Expenditure during the year 2024-25 is ₹ 40.91 crore as against ₹ 30.71 crore during 2023-24.

16.2 Net Worth

The Net Worth of the Corporation has increased from ₹ 2145.31 crore to ₹ 2186.54 crore in 2024-25.

16.3 Equity Support from Government of India vs Total Disbursement

During the year, the Corporation did't receive any equity support from Government of India and has disbursed ₹ 527.54 cr., which means ₹ 527.54 cr. over and above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation.

The cumulative equity support up to 31.03.2025 is ₹1514.40 Cr., against which your Corporation achieved cumulative disbursement of ₹7674.32 cr. covering 33,05,532 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 5.07 times the equity received from Government of India.

The amount of ₹6159.92 cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with Channel Partners and efficient management of internal resources.

Share of Equity and Internal Resources of Total Disbursement
(upto 31.03.2025)

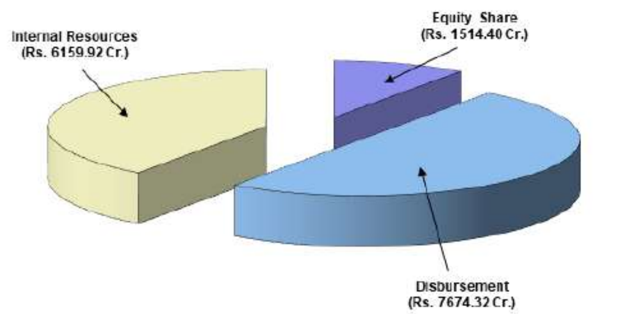

Cumulative Disbursement vs last five years Disbursement
(upto 31.03.2025)

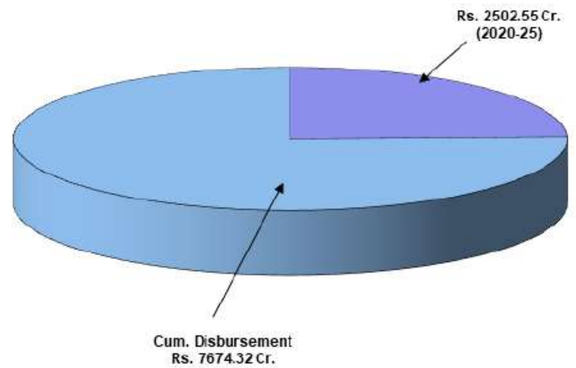

The disbursement over last five years has been 36.09% of the cumulative disbursement over 33 years of existence.

क्र.स.	विवरण	8वीं योजना 1992-97	9वीं योजना 1997-02	10वीं योजना 2002-07	11वीं योजना 2007-12	12वीं योजना 2012-17	2017-18 एवं 2021-22	2022-23 से 2024-25	31.03.2025 को सकल
1	बजटीय सहायता (रू. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	375.40	15.00	1514.40
2	वितरण (रू. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2534.35	1564.47	7674.32
3.	वितरण/बजटीय सहायता(%)	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	6.75	104.30	5.07
4	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	836093	735934	269235	3305532
5	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	64691	112817	49965	343185
6	ऋण की वसूली (रू. करोड़ में)	47.31	202.76	323.65	600.57	927.08	1786.80	1425.25	5313.42

16. वित्तीय/परिचालन कार्यनिष्पादन

16.1 आय एवं व्यय खाता

i. वर्ष 2024-25 के दौरान,निगम की परिचालन आय रु. 54.91 करोड़ से बढ़कर 61.34 करोड़ हो गई है।

ii. कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रु. 27.18 करोड़ से घटकर रु. 23.00 करोड़ हो गया है।

iii. वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय से आय का आधिक्य रु. 30.71 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 में रु. 40.91 करोड़ है।

16.2 शुद्ध मूल्य

निगम का शुद्ध मूल्य रु. 2145.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में रू. 2186.54 करोड हो गया है।

16.3 सरकार से प्राप्त अंशपूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार से कोई इक्विटी सहायता प्राप्त नहीं हुई है तथा रु. 527.54 करोड़ का वितरण किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि निधियों के चक्रण अथवा निगम के आंतरिक संसाधनों से बजटीय सहायता से रू 527.54 करोड़ अधिक का वितरण किया गया है।

31.03.2025 तक संचयी इक्विटी सहायता रु. 1514.40 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रु. 7674.32 करोड़ का संचयी वितरण कर 33,05,532 लाभार्थियों को कवर किया गया। अब तक भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 5.07 गुणा वितरण किया गया है।

इक्विटी सहायता से रु. 6159.92 करोड़ आधिक्य की धनराशि चैनल सहभागियों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से वसूली एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पूरे किए गए हैं।

अंश पूंजी का भाग एवं आतंरिक संसाधन से कुल वितरण
(31.03.2025 तक)

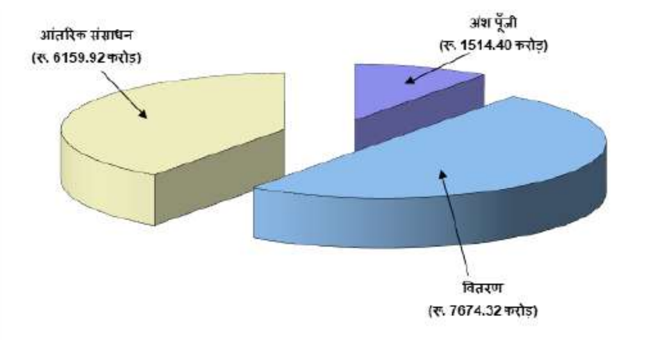

संचयी संवितरण बनाम गत् पाँच वर्षों का वितरण
(31.03.2025 तक)

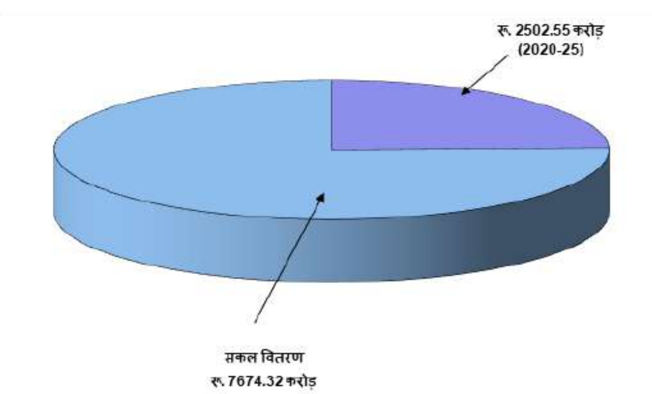

पिछले 5 वर्षों में वितरण अस्तित्व के 33 वर्षों के संचयी वितरण का 36.09% रहा है।

Cumulative Beneficiaries vs last five Years Beneficiaries
(upto 31.03.2025)

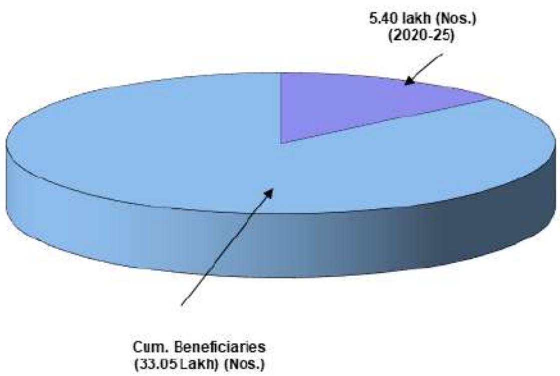

Beneficiaries assisted over last five years has been 20.13% of the cumulative beneficiaries assisted over 33 years of existence

16.4 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover ₹ 6078.56 Cr. as against cumulative dues of the ₹ 6217.24 Cr. as on 31.03.2025. This includes ₹ 109.00 crores of long outstanding. The cumulative amount of recoveries of ₹ 6078.56 Cr. comprises of ₹ 5313.42 Cr. as principal and ₹ 765.14 interest. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 97.77% as on 31st March, 2025 as against 98.06% on 31.03.2024 with recovery of old overdues being nearly ₹ 21.69 Crore.

SCA & State wise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2025 is available at **Annexure-5** (Page No. 46-49).Your Corporation hopes to increase its recoveries in the coming year for which various steps have been initiated.

16.5 Revenue from Operations (Net)

During the year, the revenue from operation of your Corporation is ₹ 61.34 crore.

16.6 EBDTA as a percentage of Revenue

During the year, EBDTA as a percentage of Revenue of your Corporation stood at 64.59%.

16.7 Return on Net Worth

During the year, return on Net Worth of your Corporation stood at 1.87%.

16.8 Assets turnover Ratio

During the year, Assets turnover Ratio of your Corporation stood at 2.81%.

16.09 Loans disbursed/Total Funds Available

During the year, the percentage of Loans disbursed/ Total Funds Available of your Corporation is 100 %, which is the best amongst all sister corporations.

16.10 Overdue loans/Total loans (Net)

During the year, the percentage of Overdue loans/ Total loans (Net) of your Corporation is 4.38%

16.11 NPA to Total Loans

NPA to Total Loans during FY 2024-25 stood at level of 0.00% '

16.12 Detailed breakdown of the Following Amount

a. Current and Non-current borrowing as on 31.03.2025 : Nil
b. Loan disbursed during the financial year : Rs. 527.54 Cr
c. Total Loan (net) : Rs. 2123.91 Cr.
d. Total funds available for loan disbursement in the Year : Rs. 527.54 Cr.
e. overdue loans as on 31.03.2025 : Rs. 93.11 Cr.
f. Non –performing asset as 0n 31.03.2025 : Rs. Nil
g. Loans disbursed to micro-finance beneficiaries : Rs. 243.48 Cr.

16.13 Geographical coverage (No. of States/Uts functional covered)

During the year, the Corporation is able to cover 31 nos of States/UTs for disbursement of loan/ Providing Skill /space for their products in various Fairs to ultimate beneficiaries is available at **Annexure-6** (Page No. 50).

16.14 Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary

During the year, the Corporation is able to achieve %age of Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary at the level of 96.16%

16.15 Cost of raising funds through bonds as compared

सकल लाभार्थी बनाम गत् पाँच वर्षों के लाभार्थी
(31.03.2025 तक)

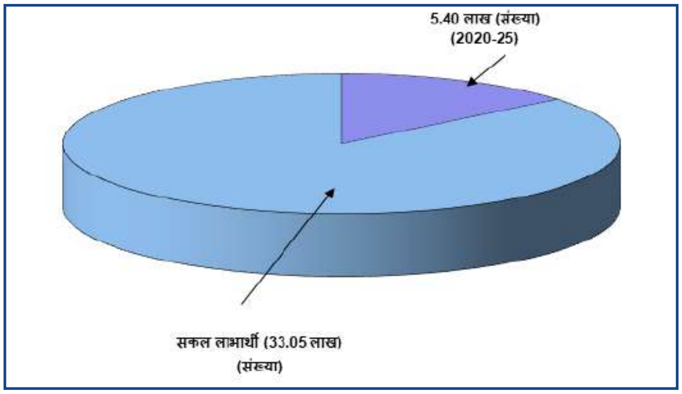

पिछले 5 वर्षों में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या 33 वर्षों में संचयी सहायता प्राप्त लाभार्थियों का 20.13% रहा है।

16.4 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइज़िंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइज़िंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ-साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करने और लाभार्थियों से समय पर वूसली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार रु. 6217.24 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रू 6078.56 करोड़ की राशि वसूली करने में समर्थ हुआ। इसमें लंबी अवधि का बकाया रु. 109.00 करोड़ सम्मिलित है। रु. 6078.56 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रू 5313.42 करोड़ तथा ब्याज के रूप में रु. 765.14 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 31.3.2024 की 98.06% वसूली के सापेक्ष 31.3.2025 को एस.सी.ए. से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली 97.77% है; जिसमें पुराने अतिदेय लगभग रू. 21.69 करोड़ की वसूली सम्मिलित है।

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली **अनुलग्नक-5** (पृष्ठ सं. 46-49) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह आशा है कि आने वाले वर्षों में वसूली बढ़ेगी जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

16.5 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की संचालन से राजस्व रु.61.34 करोड़ है।

16.6 ईबीडीटीए के प्रतिशत के रूप में आय

वर्ष के दौरान, आपके निगम की आय ईबीडीटीए के प्रतिशत के रूप में 64.59% रही है।

16.7 शुद्ध मूल्य पर वापसी

वर्ष के दौरान, आपके निगम का शुद्ध मूल्य पर लाभ 1.87% रहा है।

16.8 परिसंपत्तियों से टर्न ओवर का अनुपात

वर्ष के दौरान, आपके निगम का परिसंपत्तियों का टर्नओवर अनुपात. 2.81% रहा है।

16.9 वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि

वर्ष के दौरान, आपके निगम का वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि का 100% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

16.10 अतिदेय ऋण/कुल ऋण(शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध) का 4.38% है,जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

16.11 कुल ऋण का एन.पी.ए.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ऋण का एनपीए 0.00% रहा है।

16.12 निम्नलिखित राशि का विस्तृत विभाजन:

क) 31.03.2025 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान उधारी : शून्य
ख) वित्तीय वर्ष की अवधि में वितरित ऋण : ₹527.54 करोड़
ग) कुल ऋण (शुद्ध) : ₹2123.91 करोड़
घ) ऋण वितरण हेतु वर्ष में उपलब्ध कुल निधि : ₹527.54 करोड़
ङ) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋण : ₹93.11 करोड़
च) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति : ₹शून्य
छ) लाभार्थियों को वितरित सूक्ष्म-वित्त ऋण : ₹243.48 करोड़

16.13 भौगोलिक कवरेज(कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, निगम अंतिम लाभार्थियों को ऋण के वितरण/कौशल प्रदान करने/ विभिन्न मेलों में उनके उत्पादों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने में समर्थ हुआ है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-6** (पृ.स. 50) पर है।

16.14 पंक्ति में अंतिम छोर के लाभार्थी को वितरण

वर्ष के दौरान, निगम का अंतिम छोर के लाभार्थियों को वितरण के स्तर का प्रतिशत 96.16% रहा है।

16.15 समान रेटेड सीपीएसई से तुलना बांड के माध्यम से

to similarly rated CPSEsLast Mile Disbursement to ultimate beneficiary

NIL, No funds raised during the financial year 2024-25.

16.16 On-boarding on TReds platforms

NBCFDC has been onboarded on the following TReDS platform as per the details below:

Sl. No.	TReDS platform	Date of Onboarding
1	M1xchange	January 25, 2021
2	Invoicemart	March 28, 2025
3	RXIL	March 29, 2025

16.17 Integration of CPSE enterprise resource planning (ERP) or vendorinvoice management (VIM) system with GeM portals

At present, the Corporation does not have any module of the invoice management in the ERP or Vendor Invoice Management (VIM) system in place.

The annual transactions amount to only a few lakhs, and invoice management is currently handled through Tally. Integration of Tally & the invoice management module in the ERP and GeM is being explored.

16.18 Timely payments to MSE vendors, directly or through TReds, within the prescribed timelines (as per mandated BY msmed Act,2006)

All payment were made within stipulate time period i.e 45 days from the actual delivery of the goods/services.

i. Total amount involved: 0
ii. Number invoiced: 0
iii. Number of suppliers: 0

16.19 Procurement through GeM

Total Annual Procurement: 0.86 Crore

16.20 Loans Disbursed to Micro Finance beneficiaries

Loans Disbursed to Micro Finance beneficiaries stood at 46.15% as against the total loan disbursed during financial year 2024.-25

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of ₹ 39.70 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Dept. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus, if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

17. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

During the year 2024-25, the Corporation has disbursed Rs. 22.92 Cr. as part payment to 87 no. of Training Institutes for training programmes conducted under Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi Yojana.

18. NATIONAL FELLOWSHIP FOR OBC STUDENTS (NFOBC)

NBCFDC has been nominated as Nodal Agency for implementation of National Fellowship for OBC students (NFOBC) Scheme from October 2022, which is a Central Sector Scheme of Govt. of India. The scheme provides educational empowerment of 1000 OBC students per year by way of awarding fellowship (financial assistance) to undertake advanced studies and research leading to M.Phil./ Ph.D Degrees, who qualifies NET-JRF (for Humanities / Social Science) or UGC-CSIR-NET (for Science) exams. During the year 2024-25, the Corporation has disbursed Rs. 129.21 Crs to 2197 scholars under NFOBC Scheme.

19. SCHEME FOR ECONOMIC EMPOWERMENT OF DNT (SEED)

The Corporation is implementing the Livelihood and Health Components under the Scheme for Economic Empowerment of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (SEED). During FY 2024–25, the Corporation has successfully formed 1789 Women Self-Help Groups (SHGs) across the states of Gujarat, Haryana, Rajasthan, and Madhya Pradesh.

The primary objective of this initiative is to economically empower marginalized women belonging to DNT/NT/SNT communities by adopting the SHG model. Under this scheme, support is provided in the form of a Revolving Fund for SHG internal lending and Skill Training programs to equip members with livelihood-oriented skills.

As part of the Health Component, the Corporation has facilitated the issuance of 2,752 Ayushman Cards to members of DNT communities in the states of Gujarat and Maharashtra, ensuring access to essential healthcare services.

20. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2024-25, loan amounting to ₹ 3.10 Cr. for 201 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Assam (₹ 1.10 crore) Manipur (₹ 0.06

निधि जुटाने की लागत की अंतिम लाभार्थी तक ऋण वितरण

शून्य, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई निधि जुटाई नहीं गई।

16.16 ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनबीसीएफडीसी को निम्नलिखित ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्डेड किया गया है।

क्र.स.	ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफॉर्म	ऑनबोर्डिंग की तिथि
1	एम1एक्सचेंज	जनवरी 25, 2021
2	इनवॉइसमार्ट	मार्च 28, 2025
3	आरएक्सआईएल	मार्च 29, 2025

16.17 सीपीएसई के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) या वेंडर इनवॉइस मैनेजमेंट (वीआईएम) सिस्टम का जेम पोर्टल के साथ एकीकरण

वर्तमान में, निगम के पास ईआरपी या वेंडर इनवॉइस मैनेजमेंट (वीआईएम) सिस्टम में इनवॉइस प्रबंधन का कोई मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है।

वार्षिक लेन-देन मात्र कुछ लाख रुपये तक सीमित हैं, और वर्तमान में इनवॉइस प्रबंधन टैली के माध्यम से किया जा रहा है। ईआरपी और जैम के साथ टैली एवं इनवॉइस मैनेजमेंट मॉड्यूल के एकीकरण की संभावना का परीक्षण किया जा रहा है।

16.18 एमएसई विक्रेताओं को समय पर भुगतान, सीधे या ट्रेड्स (TReDS) के माध्यम से, निर्धारित समय-सीमा के भीतर (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार)

सभी भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर, अर्थात् वस्तुओं/सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति की तिथि से 45 दिनों के अंदर किए गए।

i. कुल संबंधित राशि: 0
ii. चालान की संख्या: 0
iii. आपूर्तिकर्ताओं की संख्या: 0

16.19 जैम के माध्यम से क्रय

कुल वार्षिक क्रय: ₹0.86 करोड़

16.20 सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को वितरित ऋण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित कुल ऋणों की तुलना में लाभार्थियों को सूक्ष्म वित्त ऋणों का वितरण 46.15% रहा।

आपके निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार व्यय से आय का आधिक्य रू. 39.70 करोड़ की पूरी राशि सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित कर दी गई है। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 8 (1) (ग) के प्रावधानों व कंपनी मामले विभाग, विधि और न्याय व कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निगम को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत निगम को किसी भी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और निगम अपने आधिक्य या अन्य आय यदि कोई हो, को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में प्रयोग कर सकता है। निगम के प्रशासनिक व्यय को अपने संसाधनो अर्थात् विनियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

17. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम द्वारा प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 87 प्रशिक्षण संस्थानों को आंशिक भुगतान के रूप में ₹22.92 करोड़ की राशि वितरित की है।

18. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शोधवृत्ति योजना (एनएफ-ओबीसी)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को अक्टूबर 2022 से ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शोधवृत्ति (एनएफ-ओबीसी) योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना प्रति वर्ष 1000 ओबीसी छात्रों को नेट-जेआरएफ (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए) या यूजीसी-सीएसआईआर-नेट (विज्ञान के लिए) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, एम.फिल./पीएचडी डिग्री के लिए उन्नत अध्ययन और शोध करने शोधवृत्ति (वित्तीय सहायता) प्रदान करके शैक्षिक सशक्तीकरण प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 की अवधि में, निगम ने एनएफओबीसी योजना के तहत 2197 विद्यार्थियों को रू. 129.21 करोड़ वितरित किए हैं।

19. डीएनटी के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना(सीड्स)

निगम द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण योजना के तहत आजीविका और स्वास्थ्य घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम ने गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में कुल 1,789 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन सफलतापूर्वक किया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्व-सहायता समूह मॉडल को अपनाकर विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों की हाशिए पर रह रही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत समूहों को आंतरिक ऋण के लिए चक्रण निधि (रिवॉल्विंग फंड) और आजीविका उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से युक्त कर सहायता प्रदान की जाती है।

निगम ने स्वास्थ्य घटक के अंतर्गत, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय के सदस्यों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हेतु 2,752 आयुष्मान कार्ड जारी कराने में सहयोग किया है।

20. उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के 201 लाभार्थियों हेतु रू. 3.10 करोड़ के ऋण उत्तर-पूर्वी राज्य असम को (रु. 1.10 करोड़), मणीपुर (रु. 0.06 करोड़), मेघालय (रु. 0.04 करोड़), मिजोरम (रु. 0.01 करोड़), नागालैण्ड (रु. 0.02 करोड़), सिक्किम (रु. 0.13 करोड़)

Crore), Meghalaya (₹ 0.04 crore), Mizoram (₹ 0.01 crore), Nagaland (₹ 0.02 crore), Sikkim (₹ 0.13 Crore) and Tripura (₹ 1.74 crore) Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2024-25 (₹ in Cr.)	Cumulative Loan Disbursed (₹ in Cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2024-25	Cumulative No. of Beneficiaries Assisted
Assam	1.10	79.24	72	50112
Manipur	0.06	26.90	4	19387
Meghalaya	0.04	0.092	6	9
Mizoram	0.01	0.012	1	3
Nagaland	0.02	0.10	1	7
Sikkim	0.13	32.72	9	5649
Tripura	1.74	198.25	108	53594
TOTAL	**3.10**	**337.314**	**201**	**128761**

21. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs & Exhibitions like India International Trade Fair at Pragati Maidan, New Delhi, Shilp Samagam Mela (Dilli Haat) at INA, New Delhi, Surajkund International Crafts Mela at Faridabad, Haryana, Shilp Samagam Mela, Thiruvanthapuram, Kerala, Shilp Samagam Mela, Nashik, Maharashtra and Maha Kumbh, Prayagraj (Uttar Pradesh) as well as in the exhibitions/fairs organized by Channel Partners in their respective States. These events not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity to market their products at good price and understand the prevailing market conditions as regard to the Quality & Finishing of goods, products produced, Packaging etc. which usually they find difficult in their own places. NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through Channel Partners. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro travel expenses, DA, etc. Detailed statement of the Fairs, Exhibitions organized/sponsored by NBCFDC during the year 2024-25 is available at **Annexure-7** (Page No. 51).

22. NEW INITIATIVES

22.1 Information Technology (IT)

Your Corporation has embarked upon improvement of its web-based software LEAP that provides easy access to Channel Partners for ease of doing business with NBCFDC. NBCFDC is also facilitating its Channel Partners for using PM SURAJ (Samajik Uthaan Evam Rojgar Aadharait Jankalyan) portal developed by BISAG (knowledge partner of NEGD), MeiTY on behalf of MoSJE. The software is aimed at helping target groups to apply on line to avail loan facilities of the Corporation.

22.2 Technology Upgradation of Cluster under NBCFDC Scheme

In order to facilitate technological upgradation & capacity augmentation to clusters of target groups, Corporation has introduced Technology Upgradation Scheme. During 2024-25, Corporation has released an amount of ₹ 12.32 Lakh to Indian Institute of Carpet Technology (IICT), and North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC). Cumulatively, the Corporation has sanctioned ₹ 4,67,82,074/- and released ₹ 3,59,01,914/- up to 31.03.2025 under this scheme.

22.3 Traditional Artisans' Upliftment Livelihood Programme (TULIP)

TULIP- Traditional Artisans Upliftment Livelihood Programme has been launched by Hon'ble Minister SJE on 05.11.2024. TULIP is a transformative initiative aimed at empowering marginalized artisans by integrating them into the global digital economy. The program enhances artisans' income potential through e-commerce integration, digital marketing, skill development, quality assurance, and participation in national and international fairs. By providing marketing support, logistical assistance, and global outreach opportunities, TULIP fosters sustainable livelihoods while promoting India's traditional crafts on both national and international platforms.

Common branding under TULIP for all product sold during Shilp Samagam Mela was ensured along with centralized billing system. Along with this, the products of artisans' are being onboarded on e-commerce platform.

23. MONITORING & EVALUATION:

The Lending Schemes of the Corporation are periodically reviewed through Independent Agencies. During the year 2024-25, the Corporation has got completed and accepted the Evaluation study reports for a sample size of 900 beneficiaries. These studies were conducted in the UT of J&K for 500 beneficiaries and Tripura State for 400 beneficiaries in Lending Schemes of NBCFDC through Dr Ambedkar Chair, Central University of Jammu and Indian Institute of Public Administration

एवं त्रिपुरा (रु. 1.74 करोड़) को वितरित किए गए हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों को किया गया संचयी विवरण इस प्रकार है:

राज्य	ऋण वितरण 2024-25 (रू.करोड़ में)	संचयी ऋण वितरण (रू.करोड़ में)	2024-25 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	1.10	79.24	72	50112
मणीपुर	0.06	26.90	4	19387
मेघालय	0.04	0.092	6	9
मिजोरम	0.01	0.012	1	3
नागालैण्ड	0.02	0.10	1	7
सिक्किम	0.13	32.72	9	5649
त्रिपुरा	1.74	198.25	108	53594
योग	**3.10**	**337.314**	**201**	**128761**

21. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त,लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों एवं प्रदर्शनियों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला,प्रगति मैदान, नई दिल्ली, शिल्प समागम मेला (दिल्ली हॉट),आई.एन.ए.,नई दिल्ली, सुरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणा, शिल्प समागम मेला,तिरुवनंतपुरम, केरल, शिल्प समागम मेला,नासिक, महाराष्ट्र एवं महाकुंभ, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) इत्यादि के साथ- साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन /प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बिक्री का अवसर मिलता है एवं बाजार की मौजूदा स्थितियों के संबंध में गुणवत्ता एवं तैयार सामान की फिनिशिंग, उत्पादित उत्पादों, पैकिंग इत्यादि को समझते हैं, जो सामान्यतः उन्हें अपने स्थानों पर मिलना कठिन होता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को भी निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाज़ारों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने-जाने का किराया, डी.ए. इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2024- 25 के दौरान आयोजित/ प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-7** (पृष्ठ सं. 51) पर उपलब्ध है।

22. नई पहल

22.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी .)

आपके निगम ने अपने वेब आधारित सॉफ्टवेयर लीप में सुधार किया है जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ व्यवसाय में सुगमता के लिए चैनल सहभागियों को आसान पहुँच प्रदान करता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से बी.आई.एस.ए.जी.(नॉलेज पार्टनर ऑफ एन.ई.जी.डी.), MeiTY द्वारा विकसित पीएम-सूरज (सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण) का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य लक्ष्य समूहों को निगम की ऋण सुविधाओं के लिए ऑन-लाइन आवेदन करने व ऋण सहायता का लाभ उठाने में मदद करना है।

21.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अंतर्गत समूहों का तकनीकी उन्नयन

लक्ष्य समूहों के लिए कलस्टरों को तकनीकी उन्नयन व क्षमता वृद्धि हेतु निगम ने प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है। वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.टी.), और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.) को रू. 12.32 लाख की राशि जारी की है। कुल मिलाकर, निगम ने रू. 4,67,82,074/- स्वीकृत किए हैं तथा इस योजना के तहत 31.03.2025 तक रू.3,59,01,914/- जारी किए गए हैं।

22.3 पारंपरिक दस्तकारों के उत्थान हेतु आजीविका कार्यक्रम (ट्यूलिप)

ट्यूलिप – पारंपरिक दस्तकारों के उत्थान हेतु आजीविका कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी द्वारा 05 नवंबर, 2024 को किया गया। यह एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य हाशिए पर रह रहे पारंपरिक दस्तकारी को सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दस्तकारी की आयवृद्धि हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एकीकरण, डिजिटल मार्केटिंग, कौशल विकास, गुणवत्ता आश्वासन तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। विपणन सहयोग, लॉजिस्टिक्स सहायता एवं वैश्विक पहुँच के अवसरों के माध्यम से ट्यूलिप न केवल दस्तकारों के लिए सतत् आजीविका सुनिश्चित करता है, बल्कि भारत की पारंपरिक हस्तकलाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बढ़ावा देता है।

ट्यूलिप के अंतर्गत 'शिल्प समागम मेला' के दौरान बिक्री किए गए सभी उत्पादों के लिए एक समान ब्रांडिंग तथा केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त, दस्तकारों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जा रहा है, जिससे उन्हें व्यापक बाजार तक पहुँच मिल सके।

23. निगरानी एवं मूल्यांकनः

निगम की योजनाओं की स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने 900 लाभार्थियों के नमूना आकार के लिए मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट पूरी कर ली है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। एनबीसीएफडीसी की ऋण योजनाओं के अंतर्गत ये अध्ययन जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 500 लाभार्थियों तथा त्रिपुरा राज्य में 400 लाभार्थियों के लिए क्रमशः डॉ. अंबेडकर चेयर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IIPA), नई दिल्ली के माध्यम से आयोजित

(IIPA), New Delhi respectively.

The Corporation floated a tender on the GeM Portal to identify and engage qualified agency to conduct Impact Study of its lending schemes on Pan India basis. Interested parties with proven expertise in impact analysis, scheme evaluation, and data collection submitted their proposals, highlighting their methodology, experience, and anticipated deliverables. Award Letter for the same has been issued to Arun Jaitley National Institute of Financial Management (an Autonomous Institution of Ministry of Finance, Government of India), Faridabad for a sample size of beneficiaries 1531 and 1531 for control group of non-beneficiaries. The study is expected to comprehensively assess the effectiveness, outreach, and socio-economic benefits of these schemes. The study in progress.

The major outcomes of the evaluation studies finalized during 2024-25 are enclosed at **Annexure-8** (Page No. 51).

24. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES:

The Corporation has taken effective steps for generating awareness amongst target group in various parts of the country. The Corporation along with its Channel Partners has sponsored/organized Awareness Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group to avail financial support in short time by registering their names at the Camps. During the year, NBCFDC and its Channel Partners have been able to organize 44 Awareness Camps & Publicity in the States/ UTs of Himachal Pradesh, Kerala, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and Jammu & Kashmir.

25. MAIN EVENTS DURING 2024-25

25.1 Exhibitions/Fairs/Melas

i. **Shilp Samagam Mela (Dilli Haat) – 2024:** The Corporation participated in Shilp Samagam Mela-Dilli Haat organized by Ministry of Social Justice and Empowerment at Dilli Haat, Opposite INA Market from 1st November, 2024 to 15th November, 2024. All the three Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event. 35 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes and nominated by 11 Channel Partners from 11 states exhibited and sold their products which include Handloom and Handicraft Garments, Readymade Garments, Stole, Embroidery Bag, Cane & Bamboo, Broom Products, Ceramic products, Quilts, Rugs, Bed Cover, Pickle, Honey, Assam Silk Saree & Suits, Wood Fabric Art, Kashmiri Handicrafts, Shawls, Wooden and Marble products, Banarasi Silk Saree & Suit, Chanderi Saree, Maheshwari products etc.

ii. **India International Trade Fair (IITF) – 2024:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment exhibition at India International Trade Fair, 2024 held from 14th November, 2024 to 27th November, 2024. All the three Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event. 34 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes and nominated by 13 Channel Partners from 13 States exhibited and sold their products which include Handloom and Handicraft Garments, Readymade Garments, Stole, Embroidery Bag, Cane & Bamboo, Broom Products, Ceramic products, Quilts, Rugs, Bed Cover, Pickle, Honey, Assam Silk Saree & Suits, Wood Fabric Art, Kashmiri Handicrafts, Shawls, Wooden and Marble products, Banarasi Silk Saree & Suit, Kantha Saree, Chanderi Saree, Maheshwari products etc.

iii. **Shilp Samagam Mela (Thiruvananthapuram) – 2024:** The Corporation participated in Shilp Samagam Mela-Thiruvananthapuram organized by Ministry of Social Justice and Empowerment at Thiruvananthapuram, Kerala from 24th December, 2024 to 31st December, 2024. All the three Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event. 25 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes and nominated by 09 Channel Partners from 09 States exhibited and sold their products which include Handloom and Handicraft Garments, Readymade Garments, Cane & Bamboo, Ceramic products, Carpet, Wooden and Marble products, Kanchipuram Saree, Honey, Dry Fruits, Maheshwari products etc.

iv. **Shilp Samagam Mela (Nashik)– 2024:** The Corporation participated in Shilp Samagam Mela-Nasik organized by Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at Nashik, Maharashtra from 24th December, 2024 to 31st December, 2024. All the three Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event. 33 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes and nominated by 10 Channel Partners from 10 States exhibited and sold their products which include Handloom and Handicraft Garments, Readymade Garments, Cane & Bamboo, Ceramic products, Carpet, Wooden and Marble products, Food Products, Banarasi Saree, Carpet, Embroidered Suits, Brass Meta, Gujarati Handicraft Products, and Processed Food etc.

v. **Surajkund International Craft Mela (Faridabad)-2025:** The Corporation participated in 38th Surajkund

किए गए हैं।

निगम द्वारा अपनी ऋण योजनाओं के प्रभाव का अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त एजेंसी की पहचान एवं नियुक्ति के लिए GeM पोर्टल पर एक निविदा जारी की गई। इस निविदा के अंतर्गत प्रभाव मूल्यांकन, योजना विश्लेषण एवं डेटा संकलन में सिद्ध विशेषज्ञता रखने वाली इच्छुक संस्थाओं ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली, अनुभव तथा अपेक्षित निष्कर्षों का विवरण दिया। इस संदर्भ में चयनित एजेंसी अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है), फरीदाबाद को 1,531 लाभार्थियों तथा 1,531 गैर-लाभार्थियों (नियंत्रण समूह) का सैंपल आकार हेतु कार्य आवंटन पत्र जारी किया गया है। यह अध्ययन इन योजनाओं की समग्र प्रभावशीलता, पहुंच तथा सामाजिक-आर्थिक लाभों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अध्ययन प्रगति पर है।

वर्ष 2024-2025 के दौरान अंतिम रूप दिए गए मूल्यांकन अध्ययनों के प्रमुख परिणाम **अनुलग्नक-8** (पृष्ठ सं. 51) पर उपलब्ध हैं।

24. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता

निगम ने देश के विभिन्न भागों में लक्षित वर्ग के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। निगम ने अपने चैनल सहभागियों के साथ निगम की योजनाओं के बारे मे जागरूकता फैलाने व अपना नाम दर्ज करवाकर संक्षिप्त अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों को प्रायोजित/आयोजित किया। वर्ष के दौरान, एन.बी.सी.एफ.डीसी. और उसके चैनल सहभागी हिमाचल प्रदेश,केरल, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्यों व जम्मू एवं कश्मीर में 44 प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने में सफल रहे हैं।

25. वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्य आयोजन

25.1 प्रदर्शनियां/उत्सव/मेले

i. **शिल्प समागम मेला (दिल्ली हाट) – 2024:** निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दिल्ली हाट, आईएनए मार्केट के सामने 1 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शिल्प समागम मेला-2024 में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों-एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के .एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. नामक निगमों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त 11 राज्यों के 11 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 35 लाभार्थियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की। जिसमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, स्टोल, एम्ब्रॉयडरी बैग, बेंत और बांस, झाड़ उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद, रजाई, गलीचे, बेड कवर, अचार, शहद, असम की सिल्क साड़ी और सूट, वुड फैब्रिक आर्ट, कश्मीरी हस्तशिल्प, शॉल, लकड़ी और संगमरमर उत्पाद, बनारसी सिल्क साड़ी और सूट, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी उत्पाद आदि सम्मिलित थे।

ii. **इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) – 2024:** निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर, 2024 से 27 नवंबर, 2024 तक आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2024 की प्रदर्शनी में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों-एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के .एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. नामक निगमों ने इस आयोजन में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 13 राज्यों के 13 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 34 लाभार्थियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की। जिनमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, स्टोल, एम्ब्रॉयडरी बैग, बेंत और बांस, झाड़ उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद, रजाई, गलीचे, बेड कवर, अचार, शहद, असम की सिल्क साड़ी और सूट, वुड फैब्रिक आर्ट, कश्मीरी हस्तशिल्प, शॉल, लकड़ी और संगमरमर उत्पाद, बनारसी सिल्क साड़ी और सूट, कांथा साड़ी, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी उत्पाद आदि सम्मिलित थे।

iii. **शिल्प समागम मेला (तिरुवनंतपुरम) – 2024:** निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तिरुवनंतपुरम, केरल में 24 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आयोजित शिल्प समागम मेला में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों-एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. नामक निगमों ने इस आयोजन में भाग लिया। 9 राज्यों के 9 चैनल सहभागियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त नामित 25 लाभार्थियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की। इन उत्पादों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, बेंत और बांस, सिरेमिक उत्पाद, कालीन, लकड़ी और संगमरमर उत्पाद, कांचीपुरम साड़ी, शहद, सूखे मेवे, महेश्वरी उत्पाद आदि सम्मिलित थे।

iv. **शिल्प समागम मेला (नासिक) – 2024:** निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में 24 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आयोजित शिल्प समागम मेला में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों-एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के .एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. नामक निगमों ने इस आयोजन में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 10 राज्यों के 10 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 33 लाभार्थियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की। जिनमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, बेंत और बांस, सिरेमिक उत्पाद, कालीन, लकड़ी और संगमरमर उत्पाद, खाद्य उत्पाद, बनारसी साड़ी, कढ़ाईदार सूट, पीतल की धातु, गुजराती हस्तशिल्प उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड आदि सम्मिलित थे।

v. **सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला (फरीदाबाद) – 2025:** निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

International Craft Mela organized by Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at Faridabad, Haryana from 07th February to 23rd February 2025. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event. 16 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes and nominated by 10 Channel Partners from 10 States exhibited and sold their products. Products include Wood Inlay, Gujarati Dress Material. Handloom Garments, Handicraft Items, Banarasi Saree Suits, Ceramic and Terracotta, Kashmiri Shawl, Assam Silk Saree and Suits, Readymade Garments, Mekhela Chadar, Metal Ware etc..

vi. **Maha Kumbh Mela (Prayagraj)-2025 :** The Ministry of Social Justice and Empowerment participated in Mahakumbh-2025 held at Prayagraj, Uttrar Pradesh from January 13 to February 26, 2025. NBCFDC was designated as the nodal agency for organising the exhibition wherein Ministry had set up a dedicated pavilion at the Maha Kumbh Mela to disseminate information about various government programs aimed at empowering Scheduled Castes, Backward Classes, Safai Karamcharis, Divyangjan, De-Notified Tribes, Senior Citizens, Transgender Community and individuals benefiting from the De-addiction Campaign. Further 12 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes and nominated by Channel Partners from 4 States making good quality products also participated in the exhibition and exhibited/sold their products during the Mahakumbh-2025.

26. PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSES:

The Public Procurement policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order dated 25 March, 2022 mandates that 25% target of annual procurement from MSEs, a sub-target of 4% of annual procurement from MSEs is earmarked for procurement from MSEs owned by Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) entrepreneurs and 3% of annual procurement from MSEs is earmarked for procurement from MSEs owned by women entrepreneur. In compliance of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2022, your Corporation has achieved the required target during the year 2024-25.

27. IMPLEMENTATION OF AADHAAR ACT, 2016 AND DIRECT BENEFIT TRANSFER

As per the Notification published by the MOSJ&E in the Gazette of India on 1st March, 2017 for use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies as per the Section-7 of the Aadhaar Act, 2016, your Corporation requested all its State Channelizing Agencies (SCAs), Channel Partners (CPs) and Training Institutions (Tis) to provide the scheme-wise monthly data/information in the prescribed format for compilation and uploading on to the DBT Bharat Portal. Every month, your Corporation has been providing the compiled information/data in the prescribed format to the MOSJ&E based on information/data received from SCAs/CPs/Tis.

28. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The functional divisions of the Corporation viz. Human Resource & Administration & IT, Project, Finance & Company Affairs, Grants, are operating with bare minimum staff of 52 (fifty two) employees as on 31.03.2025. Out of the 52 employees, 09 belongs to SC category, 12 belongs to OBC category (out of which one Ex- Serviceman) and one PWD person. There is no backlog vacancy exists. Corporation is following the reservation policy and guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Government of India.

The activities of the Corporation are increasing continuously Corporation is able to manage the increased volume of work with manpower of 52 employees. The Corporation strongly believes in development of human resources. During the year 2024-25, thirteen officers and staff were deputed for various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas.

28.1 PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules there under for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the Act. Competent Authority has constituted the committee consisting of -

(i)	Smt. Anupama Sood, CGM (Proj.)	-	Chairperson
(ii)	Shri Ajit Kumar Samal, CGM (Fin.) & C.S	-	Member
(iii)	Shri Suresh Kumar, GM (HR & Admn.)	-	Member
(iv)	Smt. (Dr.) Navdip Kaur, NGO Representative	-	Member
(v)	Smt. Neelam Mudgal, Chief Manager (Fin.)	-	Member
(vi)	Smt. Geeta Pandey, Manager(HR)	-	Member Secretary

The aggrieved employees may submit their complaints to the committee. During the financial year 2024-25, the Corporation has not received any complaint of sexual harassment from its employees.

29. NBCFDC IS AN IS/ISO 9001:2015 COMPANY

NBCFDC is an IS/ISO 9001:2015 certified by Bureau of Indian Standard since, 2009. The validity of Management Systems Certification has been renewed and valid up to 12th March 2027. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency

द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों-एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के .एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. नामक निगमों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त 10 राज्यों के 10 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 16 लाभार्थियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की। उत्पादों में वुड इनले, गुजराती ड्रेस मटेरियल, हथकरघा वस्त्र, हस्तशिल्प वस्तुएं, बनारसी साड़ी सूट, सिरेमिक और टेराकोटा, कश्मीरी शॉल, असम सिल्क साड़ी और सूट, रेडीमेड गारमेंट्स, मेखला चादर, मेटल वेयर आदि सम्मिलित थे।

vi. **महाकुंभ मेला (प्रयागराज) – 2025:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ – 2025 में भाग लिया। इस प्रदर्शनी के आयोजन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जिसमें मंत्रालय ने एक समर्पित पवेलियन स्थापित किया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन, विमुक्त जनजातियाँ, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर समुदाय और नशा मुक्ति अभियान हेतु व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी का प्रचार-प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त 4 राज्यों के चैनल सहभागियों द्वारा नामित 12 लाभार्थियों ने भी इसमें भाग लिया और अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की।

26. सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए दिनांक 25 मार्च, 2022 को जारी सार्वजनिक खरीद नीति आदेश के अनुसार, वार्षिक खरीद का 25% लक्ष्य एमएसई इकाइयों से किया जाना अनिवार्य है। इस कुल लक्ष्य में से 4% उप-लक्ष्य अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए तथा 3% उप-लक्ष्य महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के 2012 के आदेश के अनुपालन में आपके निगम ने वर्ष 2024-25 के दौरान आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किया है।

27. आधार अधिनियम, 2016 एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन

आधार अधिनियम, 2016 की धारा-7 के अनुसार सेवाओं या लाभ या सब्सिडी के वितरण के लिए दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के लिए 1 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आपके निगम ने सभी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), चैनल सहभागियों (सीपी.) और प्रशिक्षण संस्थानों (टी.ई.) से अनुरोध किया है कि निर्धारित प्रारूप पर योजनावार मासिक डेटा/जानकारी प्रदान कर डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर संकलन और अपलोड करें। आपका निगम एस.सी.ए./सी.पी./टी.ई. से प्राप्त जानकारी/डेटा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर संकलित जानकारी/डेटा प्रदान कर रहा है।

28. मानव संसाधन प्रबंधन

निगम के क्रियाशील विभाग जैसे- मानव संसाधन एवं प्रशासन एण्ड सूचना प्रोद्योगिकी,परियोजना, वित्त व कम्पनी कार्य, अनुदान विभाग 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम स्टाफ 52 (बावन) के साथ कार्य कर रहे हैं। निगम के कुल 52 कर्मचारियों में 09 अनुसूचित जाति वर्ग, 12 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी (जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक) एवं 01 (एक) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सम्मिलित है एवं कोई भी पद रिक्त नहीं है। निगम आरक्षण नीति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुसरण कर रहा है।

निगम के कार्यकलापों में लगातार वृद्धि हो रही है और 52 कार्मिकों के मानव श्रम से कार्य की बढ़ी मात्रा का प्रबंध करने में सक्षम है। निगम मानव संसाधन के विकास में दृढतापूर्वक विश्वास करता है, वर्ष 2024-25 के दौरान 13 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घटनाक्रम से बराबर अवगत कराने के लिए उन्हें संगत कार्यात्मक क्षेत्रों में अद्यतन करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

28.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतः असहिष्णु है एवं निगम ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़ न (रोकथाम, निषिद्ध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं शिकायतों के निवारण सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया हैः

(i)	श्रीमती अनुपमा सूद, मुख्य महाप्रबन्धक (परि.)	-	अध्यक्षा
(ii)	श्री अजित कुमार सामल, मुख्य महाप्रबन्धक(वि त्त.)/कम्पनी सचिव	-	सदस्य
(iii)	श्री सुरेश कुमार, महाप्रबन्धक (मा.स.-प्रशासन)	-	सदस्य
(iv)	श्रीमती (डा.) नवदीप कौर, एनजीओ प्रतिनिधि	-	सदस्य
(v)	श्रीमती नीलम मुदगल, मुख्य प्रबन्धक (वित्त)	-	सदस्य
(vi)	श्रीमती गीता पाण्डेय, प्रबन्धक(मा.स.)	-	सदस्य सचिव

पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायतें समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

29. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस./आई. एस. ओ. 900 1- 2015 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक आई.एस./ आई.एस.ओ. 9001-2015 है, जिसे 2009 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाण –पत्र प्राप्त है। प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन की वैधता का नवीनीकरण करा दिया गया है और यह 12 मार्च, 2027 तक वैध है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को

to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

30. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India & Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti, Delhi (Upkram-2) for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same from time to time.

The provisions of Section 3(3) of Official Language are being complied by the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) were conducted during the year. Quarterly/half yearly/Annual Reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of SJ&E through online portal or in prescribed format to M/o SJ&E and NARAKAS, Delhi (Upkram-2). Four Hindi workshops were conducted for the officials of the Corporation alongwith day to day help to the officials in working in Hindi during the reporting period. Corporation has published its Rajbhasha Grah Patrika 'Rajbhasha Subhasini' during the year.

During the reporting period, Corporation participated in 'Hindi Diwas' and Third All India Rajbhasha Sammelan on 14th & 15th September, 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi organized by Department of Official Language, MHA, Govt. of India. Corporation organized 'Hindi Pakhwada' from 16 September to 30 September. Incentives were given to employees to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Hindi software 'Saransh', 'Google Input Tool' has also already been installed in Computers to promote the use of Hindi typing in the Computers and continuously support has been provided to the official for performance in Hindi in efficient manner.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the 'Annual Programme' for the year 2024-25 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for transacting the official work of the Corporation in Hindi. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

31. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations / Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been made in compliance of the provisions of RTI Act, 2005 and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC). During the financial year 2024-25, all complaints/applications have been disposed-off within the specified time limits.

32. VIGILANCE CELL

Your Corporation observed Vigilance Awareness Week from 28th October, 2024 to 3rd November, 2024 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and notice displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time.

33. ACHIEVEMENT AGAINST MOU 2023-24

Your Corporation continues to contribute their best and the achievement of the Corporation based on self-evaluation as also review at Board and Ministry level was 'Very Good'. The performance of the Corporation has been rated as "Very Good" with a score of 76.28 for the financial year 2023-24 by DPE on its dashboard.

34. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

35. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s D.C. Garg & Company (DE1175), Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the

उपयुक्त बनाने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

तथापि, आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है और स्वंय में अंतिम नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढांचे के अधीन क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

30. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

निगम दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर राजभाषा कार्यक्रम समिति , दिल्ली (उपक्रम-2) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय-समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है।

निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं नगर राजभाषा कार्यक्रम समिति , दिल्ली (उपक्रम-2) को तिमाही/अर्द्ध वार्षिक /वार्षिक रिपोर्ट ऑन-लाइन पोर्टल अथवा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से भेजी गई। संदर्भित वर्ष के दौरान हिन्दी में कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए निगम के कार्मिकों हेतु चार हिन्दी कार्यशालाओं के साथ-साथ दैनिक आधार पर सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान निगम की राजभाषा गृह पत्रिका 'राजभाषा सुभाषिनी' का प्रकाशन किया गया।

संदर्भित अवधि के दौरान, निगम ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 और 15 सितंबर, 2024 को भारत मण्डपम, नई दिल्ली में आयोजित 'हिंदी दिवस' और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया गया। निगम द्वारा 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया गया। कंप्यूटरों में हिंदी टाइपिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर 'सारांश', ' गूगल इनपुट टूल' पहले से ही स्थापित किया गया है और कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए निरंतर सहायता प्रदान की गई।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, 2024-25 में कार्यालयी कार्य हिंदी में करने हेतु किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने के लगातार प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को अपने कार्यालयी कार्य में हिंदी राजभाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों/आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

32. सतर्कता प्रकोष्ठ

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवम्बर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई।

33. समझौता ज्ञापन 2023-24 के सापेक्ष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा है और स्व-मूल्यांकन के आधार पर निदेशक मण्डल और मंत्रालय स्तर पर समीक्षा में निगम की उपलब्धि 'बहुत अच्छा' श्रेणी में थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा इसके डैशबोर्ड पर निगम के कार्यनिष्पादन को 76.28 स्कोर के साथ "बहुत अच्छा" आँका गया है।

34. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गए कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

35. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मैसर्स डी.सी. गर्ग एण्ड कं . (डीई1175), चार्टर्ड एकाउन्टटेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

Company for the year 2024-25.

The Statutory Auditors have audited the financial statements of the Corporation for the financial year 2024-25 and submitted their report. Management's replies on the observations/qualifications on the report of Statutory Auditors is available as addendum to Directors Report at **Annexure-9** (Page No. 52).

36. C&AG COMMENTS

The accounts of the Corporation for the year 2024-25 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for providing their comments as per Companies Act, 2013.

37. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavor to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best-governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad are placed at **Annexure- 10** (Page No. 53-57).

38. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, the annual return of the Company is available on the Corporation's Website at the link http://www.nbcfdc.gov.in.

39. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2025, there are Four Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. The following changes took have place in the composition of the Board of Directors:

- Smt. Debolina Thakur, JS&FA, MOSJE was appointed as part time official Director w.e.f. 31.01.2025.

The Board welcomes Smt. Debolina Thakur, JS&FA, MOSJE as Director(s) on the Board of NBCFDC. The Board also places on record its appreciation for the valuable guidance given by Shri Rajnish Kumar Jenaw, CMD, NSFDC , Smt. Pinki Kumari, NOD & Shri Sanjay Kumar Singh, NOD to the management of your Corporation during their tenure as part-time Director(s). Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation are as under:-

Sl. No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Rajan Sehgal, MD, NBCFDC	Managing Director	02.01.2023	Till date
2.	Smt. Debolina Thakur, JS&FA,SJ&E	Director	31.01.2025	-do-
3.	Shri. S S Vaseeharan, GM, NABARD	Director	27.10.2023	-do-
4.	Shri Rajnish Kumar Jenaw, CMD, NSFDC	Director	24.03.2021	31.08.2024
5.	Smt. Pinki Kumari, NOD	Director	13.12.2021	09.11.2024
6.	Shri Sanjay Kumar Singh, NOD	Director	17.11.2021	09.11.2024
7.	Amit Kumar Ghosh, AS (BC), SJ&E	Director	28.03.2024	02.04.2025

40. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

i. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;

ii. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;

vi. That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखों की लेखापरीक्षा की एवं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियों/अर्हताएँ पर प्रबंधन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में **अनुलग्नक-9** (पृष्ठ सं. 52) पर उपलब्ध है।

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियां उपलब्ध कराने हेतु निगम के वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा की गई।

37. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों , यदि कोई हों, को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्चकोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वंय का बेंचमार्क स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद द्वारा कारपोरेट प्रशासन पर जारी किया गया प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-10** (पृष्ठ सं. 53-57) पर उपलब्ध है।

38. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) जो कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठनीय है, कंपनी के वार्षिक रिटर्न का लिंक निगम की वेबसाइट http://www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है।

39. निदेशक मण्डल

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार प्रबंध निदेशक सहित एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में चार निदेशक हैं। निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैः

- दिनांक 31.01.2025 से श्रीमती देबोलीना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

निदेशक मण्डल श्रीमती देबोलीना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में स्वागत करता है। श्री रजनीश कुमार जैनव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.,श्रीमती पिंकी कुमारी,एन.ओ.डी. एवं श्री संजय कुमार सिंह, एन.ओ.डी. केअंशकालिक निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक मण्डल उनकी प्रसंशा करता है एवं इसे अभिलेखित करता है। निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों के कार्यकाल का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	निदेशकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री राजन सहगल, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबंध निदेशक	02.01.2023	अबतक
2	श्रीमती देबोलीना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	31.01.2025	यथोक्त
3	श्री एस एस वसीहरन, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	27.10.2023	यथोक्त
4	श्री रजनीश कुमार जैनव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.,	निदेशक	24.03.2021	31.08.2024
5	श्रीमती पिंकी कुमारी,एन.ओ.डी.	निदेशक	13.12.2021	09.11.2024
6	श्री संजय कुमार सिंह,एन.ओ.डी.	निदेशक	17.11.2021	09.11.2024
7	श्री अमित कुमार घोष, अपर सचिव(बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	28.03.2024	02.04.2025

40. निदेशकों का दायित्व विवरणः

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं किः

i. वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;

ii. यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है,जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें ;

iii. निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा प्रर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

iv. निगम के वार्षिक लेखे निदेशकों द्वारा प्रचलित मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं;

v. निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;

vi. लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र पर्याप्त

applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

41. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

42. CONTRACT OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under reference, the Corporation did not enter into any related party transaction within the meaning of Section 188 of the Companies Act, 2013.

Attention of the members is also drawn to Note no.30 financial statements, which sets out related party disclosures as per Ind AS-24.

43. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

a. A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

b. In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;

c. Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.

d. The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;

e. No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

44. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/UT Administrations, State Channelizing Agencies, Regional Rural Banks (RRBs), Government Training Institutes, Sector Skill Councils (SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation.

Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-	**Sd/-**
(Rajan Sehgal)	**(Bindu V C)**
Managing Director	Director
(DIN- 03633935	(DIN No.07644408)

Place: New Delhi

Date: 01.09.2025

हैं व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

41. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) जो कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक का वेतन), नियम, 2014 के नियम 5 (2), 5 (3) के साथ पठित है, के अन्तर्गत निगम का कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

42. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थापन

वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अभिप्राय में संबंधित पार्टी से कोई भी लेनदेन नहीं किया गया। टिप्पणी सं. 30 वित्तीय विवरणों की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो भारतीय लेखाकरण मानक-24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटन को निर्धारित करता है।

43. सामान्यः

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं है

क धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य;

ख धारा 178 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आच्छादित कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड,सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप-धारा (3) में दिया गया है;

ग धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;

घ लाभांश के रूप में अनुशंसित राशि का भुगतान, यदि कोई हो,

ङ अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रैब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मूर्त आदेश पारित नहीं किए गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े ।

44. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढने और उत्कृष्टता हासिल करने के सुनिश्चियन हेतु कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनको अभिलेखित करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं।

हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0 /-	**ह0 /-**
(बिन्दु वी सी)	**(राजन सहगल)**
निदेशक	प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 07644408)	(डिन सं. - 03633935)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2025

Annexure - 1A

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

LIST OF SCAs

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,
4th Floor, Vishal Residency, Opp. Siddhartha Engineering College, Padmaja Nagar,NTR Road, Tadigadapa,Vijayawada-521 134

2. Stree Nidhi Credit Co-Operative Federation.
2nd Floor, NTR Administrative Block, RTC Complex, Vijaywada-520013, Andhra Pradesh

ASSAM

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. FederationLtd., 1st floor RHHMC. (Rehabari Complex of ARTFED) A.K. Azad Road, Rehabari, Guwahati,Assam-781 008.

4. Assam State Development Corporation for OtherBackward Classes Ltd.,
Dr. B.K. Kakoty Road,Gopinath Nagar,Guwahati, Assam-781 016.

5. North Eastern Development Finance Corporation Ltd., NEDFi House,G.S. Road, Dispur, Guwahati, Assam-781 006

BIHAR

6. Bihar State Backward Classes Finance &Development Corporation,
4th Floor, Sone Bhawan,Birchand Patel Marg, Patna, Bihar-800 001.

CHANDIGARH

7. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial &Development Corporation,
Addl. Town Hall Building,3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017

CHHATTISGARH

8. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,
T.R.I Bhawan, 2nd floor, Near Muktangan, Sec-24, New Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh-492018.

DELHI

9. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corpn.
Ambedkar Bhawan,Institutional Area,Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

10. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corpn. Ltd.,
4th Floor, Patto Centre,Near KTC Bus Stand, Panaji, Goa-403 001.

GUJARAT

11. Gujarat Backward Classes Development Corpn.,
Block NO.11, 2nd Floor,Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Sector-10, Gandhi Nagar, Gujarat-382 010.

12. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.,
Block No.7, Third Floor,Dr. Jivaraj Mehta Bhavan,Old Sachivalay, Sector-10, Gandhinagar, GUJARAT-382 010.

13. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam,
Block No.16, Ground Floor,Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar, Gujarat-382 010.

14. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation,
Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010, Gujarat.

HARYANA

15. Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam,
SCO No.813-14, Sector-22-A, Chandigarh, Haryana -160 022.

HIMACHAL

16. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation,
Old SDM Office Building, Kangra ,Himachal Pradesh-176 001

JAMMU & KASHMIR

17. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.
715-A, Last Morh, Gandhi Nagar, Jammu-180004

18. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation
SDA Colony, Bemina,Srinagar-190018.

JHARKHAND

19. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,
1st Floor, Kalyan Complex, Balihar Road, Morabadi, Ranchi, Jharkhand-834008.

अनुलग्नक-1क

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को-आपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.
चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, पद्मजा नगर, एन.टी.आर. रोड, टड़ीगड्डपा, विजयवाड़ा-521 134

2. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन
द्वितीय तल, एन.टी.आर. प्रशासनिक ब्लॉक, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा-520013, आंध्र प्रदेश

असम

3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आटीर्जन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0,
प्रथम तल, आर.एच.एच.एम.सी. (आर्टफेड रेहवरी कॉम्पलेक्स),ए. के. आजाद रोड़, रेहबरी, गुवाहाटी, असम-781008

4. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0,
डॉ0 बी.के. काकोटी रोड़, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी -781016,

5. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि0,
नेडफी हाउस, जी.एस. रोड़ , दिसपुर , गुवाहाटी-781006

बिहार

6. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001, बिहार

चंडीगढ़

7. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
एडिशलन टाउन हॉल बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर -17 सी, चंडीगढ़-160017

छत्तीसगढ

8. छत्तीसगढ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,
टी.आर.आई. भवन, द्वितीय तल, नियर मुक्तांगन, सेक्टर-24, न्यू रायपुर , अटल नगर, छत्तीसगढ-492101

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनॉरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉरपारेशन
अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड, पणजी-403001, गोवा

गुजरात

11. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपारेशन
ब्लॉक न. -11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सैक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात

12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपारेशन लि0,
ब्लॉक न.-7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय, सेक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात

13. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम,
ब्लॉक न. -16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382010, गुजरात

14. गुजरात नौमेडिक एण्ड डी-नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ब्लॉक न. -19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382010, गुजरात

हरियाणा

15. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम
एस.सी.ओ. सं. 813-14, सेक्टर-22-ए, चंडीगढ़ -160022, हरियाणा

हिमाचल

16. हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज् एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ओल्ड एस.डी.एम. कार्यालय बिल्डिंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176001

जम्मू एण्ड कश्मीर

17. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
715-ए, लास्ट मोड, गाँधी नगर, जम्मू-180004

18. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
एस.डी.ए. कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर, जम्मू-190018

झारखण्ड

19. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
प्रथम तल, कल्याण कॉम्पलैक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची, झारखण्ड-834008

KARNATAKA

20. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn.,
No.16-D, 4th Floor,Devaraj Urs Bhavan,Miller Tank Bund Area,Vasanthnagar, Bangalore,Karnataka-560 052.

21. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,
16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area,Vasanthnagar, Bangalore-560 052

KERALA

22. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd.,
'Swagath', T.C. 12/755, Govt. Law College Road, Vanchiyoor P.O.,Thiruvananthapuram, Kerala-695 035.

23. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd.,
Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram, Kerala-695 001.

24. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd.,
"SENTINEL", 2nd Floor,T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O.,Thiruvananthapuram,Kerala-695035.

25. Kerala State Co-operative Federation forFisheries Development Ltd. (MATSYAFED),
Kamaleswaram,Manacaud P.O.,Thiruvananthapuram, Kerala-695 009.

26. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.),
Near Railway Station, Nagampadom, Kottayam, Kerala-686002.

27. Kerala State Palmyrah Products Development andWorkers' Welfare Corporation Ltd.,
"Kelpalm", Kumbhumvila, Arayoor P.O., Kottamom, Kerala-695 122.

28. The Kerala State Women's Development Corporation Ltd.,
1st floor, Transport Bhavan Building, East Fort, Attakulangara P.O, Thiruvananthapuram- 695023

MADHYA PRADESH

29. Sant Ravidas Madhya Pradesh Hastshilp Evam HathaKargha Vikas Nigam,
Hastshilp Bhawan, Hamidia Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462001.

30. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam,
Rajiv Gandhi Bhawan, Parisar-2, Ist Floor, 35 shyamla Hills, Bhopal, Madhya Pradesh-462 002.

LADAKH

31. Sindhu Infrastructure Development Corporation (SIDCO)
Sidco Complex , Industrial Estate , leh, ladakh -194101

MAHARASHTRA

32. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd.,
Administrative Building, 4th Floor,Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai, Maharashtra - 400 071.

33. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,
25N,Juhu Supreme Shopping Centre, Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Vile-Parle (W),Mumbai, Maharashtra-400049.

ODISHA

34. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,
Qrs. No. A/6, Unit-5,Near Rajib Bhawan, Bhubaneswar, Odisha-751001.

PUDUCHERRY

35. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,
No.1, VIII Cross St.,Anna Nagar, Nellithope, Puducherry - 605 005.

PUNJAB

36. Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation,
SCO No. 60-61, Sector-17 A, Chandigarh, Punjab-160 017.

RAJASTHAN

37. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,
2nd Floor,Nehru Sahkar Bhawan,Nr. 22, Godaam, Jaipur, Rajasthan- 302 005.

SIKKIM

38. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd. (SABCCO),
Sonam Tshering Marg (Kazi Road),Gangtok-737 101, Sikkim

TAMIL NADU

39. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation,
1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East), Egmore, (Nr. Gengureddy Subway), Chennai-600 008.

कनार्टक

20. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स. 16-डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बंद एरिया, बसंतनगर, बैंग्लोर-560052, कर्नाटक

21. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनीटिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., सं. 16-डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर-560052, कर्नाटक

केरल

22. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, 'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड़, वंचीयूर पो.आ., तिरूअनंतपुरम-695035, केरल

23. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल, पो. बाक्स. स. 171, पुथेनचन्थाई, तिरूअनंतपुरम-695001, केरल

24. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, 'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्टूर , वंचीयूर पो.ओ., तिरूअनंतपुरम-695035, केरल

25. केरल स्टेट को-आपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलपमेंट लि0 (मत्स्यफैड), कमलेश्वरम्, मानाकोड पो.ओ., तिरूअनंतपुरम -695009,

26. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिक्मेंडेड कम्युनिटिज लि0, रेलवे स्टेशन के पास, नागमपदम, कोट्टायम -686002, केरल

27. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्टस डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि0 "केलपाम", 'कुम्भुमविला, अरायूर पो. ओ., कोट्टायम- 695122, केरल

28. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, प्रथम तल, ट्रास्पोर्ट भवन, ईस्ट फोर्ट, अट्टाकुलंगरा पो.ओ., तिरुअनंतपुरम- 695003

मध्य प्रदेश

29. संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम हस्तशिल्प भवन, हमिदिया रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001

30. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम राजीव गाँधी भवन, परिसर-2, प्रथम तल, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश-462 002

लद्दाख

31. सिंधु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सिडको) सिडको कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक एस्टेट, लेह, लद्दाख-194101

महाराष्ट्र

32. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामण्डल लि., एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चैम्बूरकर मार्ग,चैम्बूर(ई), मुम्बई-400071, महाराष्ट्र

33. वसन्तराव नाइक विमुक्त जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., 25-एन, जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रास रोड़ न.-9, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले-पारले स्कीम(वेस्ट), मुम्बई-400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

34. द ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-आपरेटिव कॉरपोरेशन लि., क्वाटर सं. ए/6, यूनिट-5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर -751001, ओड़ीसा

पुड्चेरी

35. पुड्चेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., क्वाटर सं. 1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेलीथोपे, पुड्चेरी-605005

पंजाब

36. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन, एस.सी.ओ. सं. 60-61, सैक्टर-17ए, चण्डीगढ़-160017, पंजाब

राजस्थान

37. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि0, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, नियर 22 गोदाम, जयपुर, राजस्थान-302005

सिक्किम

38. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सोनम शिरिंग मार्ग (काजी रोड), गंगटोक -737101, सिक्किम

तमिलनाडु

39. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1/1(1), म्योर रामानाथन सलाइ (ईस्ट), एग्मौर, (नियर गंगूरेड्डी सबवे), चेन्नई-600008, तमिलनाडु

TELANGANA

40. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd.
    Flat Nos, 401, 402, 5-9-22/B,My Home Sarovar Plaza, Secretariat Road, saifa bad, Hyderaba-500063 Telangana

TRIPURA

41. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.,
    Supari Bhawan, Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Tribal Research Building, Tripura (W),Agartala,Tripura-799001.

UTTAR PRADESH

42. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,
    4th Floor, (South Wing), PCF Building, 32, Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226 001.

43. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,
    10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.

UTTARAKHAND

44. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam, Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

WEST BENGAL

45. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation,
    H.O. Block CF, 217/A/1, Sector-1,Salt Lake,Kolkata, West Bengal-700 064.

46. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,
    'AMBER', DD-27/E, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal- 700 064.

तेलंगना

40. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
फ्लैट सं, 401, 402, 5-9-22 / बी, मेरा घर सरोवर प्लाजा, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500063 तेलंगना

त्रिपुरा

41. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राईबल रिसर्च बिल्डिंग, त्रिपुरा (वेस्ट), अगरतला, त्रिपुरा-799001

उत्तर प्रदेश

42. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि0.,
चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश

43. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0.,
10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226001

उत्तराखण्ड

44. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001

पश्चिम बंगाल

45. पश्चिम बंगाल एस.सी.,एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
मुख्यालयः ब्लॉक सी.एफ., 217/ए/1, सैक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल

46. पश्चिम बंगाल माइनोरिटिज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
'अम्बर', डी.डी 27/ई, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल

Annexure - 1B

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

List of Banks (RRBs/PSBs)

1. **Bank of Baroda**
Baroda Bhawan, 7th Floor, R.C. Dutt Road, Vadodara-390 007, Gujarat.

2. **Bank of Maharashtra**
Credit Priority-Agriculture, FI &SLBC, Head Office," Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411005.

3. **Canara Bank**
Agriculture Priority Section, Priority Credit Wing, H.O. 112 J.C. Road, Banglore-560002, Karnataka.

4. **Punjab National Bank**
Micro, Small & Medium Enterprises Division Plot No 4, Sector -10 Dwarka New Delhi -110075

5. **Union Bank of India**
Agriculture Business Department, 7th floor, Ernest House, NCPA Marg, Nariman Point, Mumbai- 400021

6. **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**
30-7-24, Income Tax Office Rd, Daba Gardens, Allipuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530020

7. **Andhra Pragathi Grameena Bank,**
Beside Mariyapuram Church, Mariyapuram,Kadapa - AP-516003,

8. **Saptagiri Grameena Bank**
Head Office, #4-2195/1-SG, 2nd Floor, SGB Towers, Vellore Road, Chittoor – 517002. A.P.

9. **Arunachal Pradesh Rural Bank**
HO. E Sector, Shiv Mandir Road, Naharlagun Dist: Papua Pare Arunachal Pradesh PIN-791110

10. **Assam Gramin Vikash Bank**
Head Office :: Guwahati G.S. Road, Bhangagarh Guwahati, Assam-781005

11. **Dakshin Bihar Gramin Bank**
Shri Vishnu Commercial Complex, NH-30, New Bypass, Near BP Highway Services Petrol Pump, Asochak, Patna-800016

12. **Chhattisgarh Rajya Gramin Bank,**
Corporate Office Sector-24, Plot No. 47Atal Nagar, Nava Raipur, Chhattisgarh Pin Code -492002

13. **Saurashtra Gramin Bank**
Head Office, Wing-2, 1st Floor, LIC Jeevan Prakash Building, Tagore Road, Rajkot-360001, Gujarat.

14. **Baroda Gujarat Gramin Bank,**
101 ABN Chamber, 1st floor opposite welcome hotel, RC dutta road Alkapuri Baroda-390005

15. **Sarva Haryana Gramin Bank**
H.O.SHGB House,Plot No.1, Sector-3, Rohtak -124001, Haryana

16. **Himachal Pradesh Gramin Bank**
Head Office, HPGB Jail Road, Mandi, Himachal Pradesh -175001

17. **J&K GRAMEEN BANK,**
Near Fruit Complex, Narwal, Jammu (J&K).-180006

18. **Jharkhand Rajya Gramin Bank**
H.O. Rajendra Place, 5 Main Road,Near Over Bridge Ranchi-834001,Jharkhand

19. **Karnataka Gramin Bank**
Head Office, No. 32, Sanganakal Road, Gandhinagar, Ballari -583103, Karnataka

20. **Karnataka Vikas Grameena Bank**
P.B.No. 111, Belgaum Road, Dharwad - 580 008 Karnataka

21. **Madhya Pradesh Gramin Bank**
C-21, Business Park, C21 Square, Opp. Hotel Radisson Blu, MR-10, Indore-452010, Madhya Pradesh.

22. **Madhyanchal Gramin Bank,**
H.O. Poddar Colony,Tili Road, Sagar-470001, Madhya Pradesh

23. **Maharashtra Gramin Bank**
Head Office, Plot No: 42, Gut No: 33,Golwadi Village, Tal-Dist- Aurangabad Near Disha Sankriti Society. 431010

अनुलग्नक-1ख

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

बैंकों की सूची (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र बैंक)

1. **बैंक ऑफ बड़ौदा**
बड़ौदा भवन, 7 वीं मंजिल, आरसी दत्त रोड,वडोदरा .390 007, गुजरात

2. **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**
क्रेडिट प्रायोरिटी- क्रेडिट, एफआई एवं एस.एल.बी.सी., मुख्य कार्यालय, लोकमंगल 1501ए शिवाजीनगर, पुणे-411005

3. **केनरा बैंक**
क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्सन, प्रायोरिटी क्रेडिट विंग, मुख्य कार्यालय 112 जे.सी. रोड़, बैंगलोर-560002, कर्नाटक

4. **पंजाब नेशनल बैंक**
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिवीजन,प्लॉट नंबर 4, सेक्टर -10, द्वारका नई दिल्ली -110075

5. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
एग्रीकल्चर बिजनेस डिपार्टमेंट, 7वां तल, अर्नेस्ट हॉउस, एन.पी. सी.ए. मार्ग, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021

6. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**
30-7-24, आयकर कार्यालय रोड, डाबा गार्डन, अलीपुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश 530020

7. **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक,**
मरियापुरम चर्च के पास,मरियापुरम, कडपा – आन्ध्र प्रदेश -516003

8. **सप्तगिरि ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालय: #2195/1-एस.जी.,द्वितीय तल, एस.जी.बी. टॉवर, वेल्लोर रोड, चित्तूर - 517 002. आंध्र प्रदेश

9. **अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालयः ई सेक्टर, शिव मंदिर रोड, जिला-नाहरलगुन, पापुआ पारे, अरुणाचल प्रदेश, पिन-791110

10. **असम ग्रामीण विकास बैंक**
प्रधान कार्यालय : गुवाहाटी जी.एस. रोड, भांगागढ़ गुवाहाटी, असम -781005

11. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**
श्री विष्णु कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एनएच -30, न्यू बाईपास, बीपी हाईवे सर्विसेज पेट्रोल पंप के पास, असोचक,पटना -800016

12. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर -24, प्लॉट नंबर 47, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड -492002

13. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, विंग -2, प्रथम तल, एलआईसी जीवन प्रकाश भवन, टैगोर रोड, राजकोट -360001, गुजरात।

14. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक,**
101 ए.बी.एन. चैंबर,वेलकम होटल के सामने, पहली मंजिल, आर.सी. दत्ता रोड, अलकापुरी बड़ौदा-390005

15. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय-एस.एच.जी.बी. हाउस,प्लॉट नंबर 1, सेक्टर-3, रोहतक-124001, हरियाणा

16. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालयः एच.पी.जी.बी. जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश -175001

17. **जम्मू एण्ड कश्मीर ग्रामीण बैंक**
फ्रूट कॉम्प्लेक्स के नजदीक,नरवाल, जम्मू, जम्मू-कश्मीर-180006

18. **झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालयः राजेन्द्र प्लेस,5, मेन रोड़, ओवर ब्रिज के पास, रांची-834001, झारखंड

19. **कर्नाटक ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, पोस्ट बॉक्स.नं.55,32, संगनक्कल रोड, गांधीनगर, बल्लारी-583103, कर्नाटक, भारत

20. **कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालय, पी.बी. नं.111, बेलगाम रोड, धारवाड़-580008

21. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**
सी-21, बिजनेस पार्क, सी21 स्कायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एम.आर.-10, इंदौर-452010, मध्य प्रदेश

22. **मध्यांचल ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालयः पोद्दार कॉलोनी, तिली रोड, सागर-470001, मध्य प्रदेश

23. **महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालयः, प्लॉट नंबरः 42, गुट नंबरः 33, गोलवाड़ी गांव, ताल-जिला- औरंगाबाद, दिशा प्रकृति सोसाइटी के पास- 431010

24. **Manipur Rural Bank**
Keisampat Wahengbam Leikai Rd, Sagolband, Imphal, Manipur 795004

25. **Meghalaya Rural Bank**
Head Office KJP Conference Centre, Barik Point, Lachumiere Shillong 793001, Meghalaya

26. **Mizoram Rural Bank**
Head Office: MINECO, Khatla Aizawl -796001, Mizoram

27. **Puduvai Bharathiar Grama Bank,**
No.415, Kamaraj Salai, Saram, Puducherry – 605 013.

28. **Punjab Gramin Bank,**
H.O. Jalandhar Road,Kapurthala-144601,Punjab.

29. **Rajasthan Marudhara Gramin Bank**
Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura, Jodhpur - 342003, Rajasthan

30. **Tamil Nadu Grama Bank**
Head Office, No. 6, Yercaud Road Hasthampatty, Salem 636 007.

31. **Telangana Grameena Bank,**
2-1-520, 2nd Floor,Vijaya Sri Sai Celestia,St.No.9, Nallakunta Shankermutt Road,Hyderabad-500044

32. **Tripura Gramin Bank**
Head Office: V.I.P Road Abhoynagar Agartala, West Tripura -799005

33. **Prathama UP Gramin Bank,**
Head Office, Ram Ganga Vihar Phase-II, Post Box NO. 446, Moradabad-244001,
Uttar Pradesh.

34. **Baroda UP Bank**
Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur – 273018,Uttar Pradesh

35. **Aryavart Bank**
H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010. Uttar Pradesh

36. **Uttarakhand Gramin Bank**
H.O.18,New Road,Dehradun-248001,Uttarakhand

24. मणिपुर ग्रामीण बैंक
कैसमपत वाहेंबम लेइकाई रोड, सगोलबंद, इम्फाल, मणिपुर 795004

25. मेघालय ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालयः के.जे.पी. सम्मेलन केंद्र, बारिक पॉइंट, लाखुमियर शिलांग 793001, मेघालय

26. मिजोरम ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालयः एम.आई.एन.ई.सी.ओ., खटला आइजोल -796001,मिजोरम

27. पुडुवाई भारतियार ग्राम बैंक
सं. 415, कामराज सलाई, सरम, पुडुचेरी – 605 013

28. पंजाब ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालयः जालंधर रोड, कपूरथला-144601, पंजाब।

29. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
तुलसी टॉवर, 9वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर - 342003, राजस्थान

30. तमिलनाडु ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालयः सं. 6, यरकौड रोड, हस्तमपट्टी, सेलम- 636 007

31. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
2-1-520, द्वितीय तल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सेंट नंबर 9, नल्लाकुंटा शंकरमठ रोड, हैदराबाद -500044

32. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालयः वी.आई.पी रोड, अभोयनगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा -799005

33. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक,
मुख्य कार्यालय, राम गंगा विहार फेस -2, पोस्ट बॉक्स नंबर 446, मुरादाबाद -244001, उत्तर प्रदेश

34. बड़ौदा यूपी बैंक
बुद्ध विहार कॉमर्सियल स्किम, तारामंडल, गोरखपुर – 273018, उत्तर प्रदेश

35. आर्यावर्त बैंक
मुख्य कार्यालयः ए -2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010, उत्तर प्रदेश

36. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालयः 18, न्यू रोड, देहरादून-248001, उत्तराखंड

Annexure - 2

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

List of Lending Institution

1. **State Bank of India**
Corporate Centre,State Bank Bhavan, Madame Cama Road,Nariman Point-400021

2. **Bank of Baroda**
Head Office Baroda Bhavan,RC Dutt Road, Alkapuri,Vadodara-390007

3. **Bank of India**
C-5 G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051, Maharashtra, India.

4. **Bank of Maharashtra,**
Lok Mangal,1501, Shivaji Nagar, Post Box No.919
Pune-411 005.

5. **Canara Bank,**
112, Jayachamarajendra Road Post Box No.6648,Bangalore-560 002.

6. **Central Bank of India,**
Central Office,Chander Mukhi, Nariman Point Mumbai-400 021

7. **Indian Overseas Bank, Central Office,**
762, Anna Salai, P.B.No.3765, Chennai-600 002.

8. **Indian Bank**
Building P.B.No.1384, 31, Rajaji Road Chennai-600 001.

9. **Punjab National Bank**
Plot No, 4, 205 Delhi Rd, Sector 10 Dwarka, Dwarka, New Delhi, Delhi, 110075

10. **Union Bank of India**
Head Office & Central Office Union Bank Bhavan,239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

11. **Punjab & Sind Bank**
Bank House, 4th floor, 21, Rajendra Place, New Delhi-110 008.

12. **UCO Bank,**
Head Office,10, Biplabi Trailokya Maharaj (BTM) Sarani, Kolkata – 700 001

13. **Andhra Pragathi Grameena Bank**
Head Office, Beside Mariyapuram Church, Mariyapuram, Kadapa – 516003 Andhra Pradesh

14. **Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**
Head Office, Door No.2-5-8/1, Near Ambedkar Statue, Ram Nagar, Hanmakonda – 506001, Warangal (City & Dist.),

15. **Telangana State.**
Chaitanya Godavari Grameena Bank, Head Office, D. No 5-37-234, 4th Floor, Raghu Mansion, Guntur - 522002 Andhra Pradesh

16. **Saptagiri Grameena Bank**
Head Office Door. No. 20-19, Hotel Ramakrishna Pvt. Ltd. Building, Naidu Building P. B. No. 17, Chittoor-517 001 Andhra Pradesh , India

17. **Arunachal Pradesh Rural Bank**
Head Office: E-Sector, Shiv Mandir Road, Naharlagun-791110 Arunachal Pradesh

18. **Assam Gramin Vikash Bank**
Head Office: G.S. Road, Bhangagarh, Guwahati -781005 Assam

19. **Dakshin Bihar Gramin Bank**
Shri Vishnu Commercial Complex, NH-30, Near BP Highway Services Petrol Pump,Asochak, Patna – 800016

20. **Uttar Bihar Gramin Bank**
Kalambagh Chowk, Muzaffarpur - 842001 Bihar

21. **Chhattisgarh Rajya Gramin Bank**
Mahadev Ghat Road, Sundar Nagar, Raipur - 492013 Chhattisgarh

22. **Baroda Gujarat Gramin Bank**
101/A, B N Chambers, First Floor,Opp. Welcome Hotel, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara Gujarat

23. **Saurashtra Gramin Bank**
Head Office,Wing-2, First Floor L.I.C.'s Jeevan Prakash Building,Tagore Marg, Rajkot-360001, Gujarat

24. **Sarva Haryana Gramin Bank**
Head Office,SHGB House,Plot No. 1, Sector – 3,
Rohtak - 124 001 Haryana

25. **Himachal Pradesh Gramin Bank**
Head Office, Jail Road,Mandi-175001 Himachal Pradesh

26. **Ellaquai Dehati Bank**
3rd Floor, Nirmaan Complex,IG Road, Barzulla, Srinagar – 190005 Jammu & Kashmir

27. **J&K Grameen Bank**
Near Fruit Complex, Narwal,Jammu - 180 006 Jammu & Kashmir

अनुलग्नक-2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
ऋण प्रदाता संस्थानों की सूची

1. **भारतीय स्टेट बैंक**
   कॉरपोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400021

2. **बैंक ऑफ बड़ौदा**
   मुख्य कार्यालय, बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा – 390007, गुजरात

3. **बैंक ऑफ इंडिया**
   सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051, महाराष्ट्र

4. **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**
   लोक मंगल, 1501, शिवाजी नगर, पोस्ट बॉक्स नं. 919, पुणे – 411005, महाराष्ट्र

5. **केनरा बैंक**
   112, जयचामराजेन्द्र रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 6648, बेंगलुरु – 560002, कर्नाटक

6. **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**
   सेंट्रल ऑफिस, चंदर मुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400021

7. **इंडियन ओवरसीज़ बैंक**
   सेंट्रल ऑफिस, 762, अन्ना सलाई, पोस्ट बॉक्स नं. 3765, चेन्नई – 600002

8. **इंडियन बैंक**
   31, राजाजी रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 1384, चेन्नई – 600001

9. **पंजाब नेशनल बैंक**
   प्लॉट नं. 4, 205 दिल्ली रोड, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

10. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
    हेड ऑफिस एवं सेंट्रल ऑफिस, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400021

11. **पंजाब एंड सिंध बैंक**
    बैंक हाउस, चौथी मंज़िल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

12. **यूको बैंक**
    मुख्य कार्यालय, 10, बिप्लबी त्रैलोक्य महाराज (BTM) सरणी, कोलकाता – 700001

13. **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय, मरियापुरम चर्च के पास,मरियापुरम, कडप्पा – 516003, आंध्र प्रदेश

14. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**
    मुख्य कार्यालय, दरवाज़ा नं. 2-5-8/1, डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास, राम नगर, हनमकोंडा – 506001, वारंगल, तेलंगाना

15. **चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय, दरवाज़ा नं. 5-37-234, चतुर्थ तल, रघु मैंशन, गुंटूर – 522002, आंध्र प्रदेश

16. **सप्तगिरी ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय, होटल रामकृष्ण प्रा. लि. भवन, नायडू बिल्डिंग, पोस्ट बॉक्स नं. 17, चित्तूर – 517001, आंध्र प्रदेश

17. **अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय, ई-सेक्टर, शिव मंदिर रोड, नाहरलागुन – 791110, अरुणाचल प्रदेश

18. **असम ग्रामीण विकास बैंक**
    मुख्य कार्यालय, जी.एस. रोड, भांगागढ़, गुवाहाटी – 781005, असम

19. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**
    श्री विष्णु कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एनएच-30,असोचक, पटना – 800016, बिहार

20. **उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक**
    कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर – 842001, बिहार

21. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
    महादेव घाट रोड, सुंदर नगर, रायपुर – 492013, छत्तीसगढ़

22. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक**
    101/A, बी एन चेंबर्स, प्रथम तल, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा, गुजरात

23. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय, विंग-2, प्रथम तल, एलआईसी जीवन प्रकाश भवन, टैगोर मार्ग, राजकोट – 360001, गुजरात

24. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय, एस.एच.जी.बी. हाउस, प्लॉट नं. 1, सेक्टर – 3, रोहतक – 124001, हरियाणा

25. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
    मुख्य कार्यालय, जेल रोड, मंडी – 175001, हिमाचल प्रदेश

26. **एल्लाक्वाई देहाती बैंक**
    तीसरी मंज़िल, निर्माण कॉम्प्लेक्स, आई.जी. रोड, बरजुल्ला, श्रीनगर – 190005, जम्मू एवं कश्मीर

27. **जे एंड के ग्रामीण बैंक**
    फ्रूट कॉम्प्लेक्स के पास, नरवाल, जम्मू – 180006, जम्मू एवं कश्मीर

28. **Jharkhand Rajya Gramin Bank**
Head Office, Rajendra Palace,Near Over Bridge, Road no. 05, Pin code -834001 Jharkhand

29. **Karnataka Gramin Bank**
Head Office, No. 32, Sanganakal Road, Gandhinagar, Ballari -583103 Karnataka

30. **Karnataka Vikas Grameena Bank**
P.B.No. 111, Belgaum Road Dharwad - 580 008 Karnataka

31. **Kerala Gramin Bank**
Head Office, AK Road, Up Hill Malappuram, Pin Code 676505 Kerala

32. **Madhya Pradesh Gramin Bank**
204, 2nd Floor,C 21 Business Park, C 21 Square, Opposite Hotel Radisson Blu, MR-10, Indore (M.P.) - 452 010

33. **Madhyanchal Gramin Bank**
Opposite Mahila Polytechnic College Poddar Colony, Tili Road Sagar - 470 001, Madhya Pradesh

34. **Maharashtra Gramin Bank**
Plot No. 42, Growth Centre, Waluj Mahanagar Project 4, Paithan road, CIDCO, Aurangabad, 431136.

35. **Vidharbha Konkan Gramin Bank**
2nd and 3rd Floor, Chandraprastha Plot No. 6,Deendayal Nagar, Ring Road Nagpur-440 022, Maharashtra

36. **Manipur Rural Bank**
Keishampat, Imphal West - 795 001, Manipur

37. **Meghalaya Rural Bank**
Head Office KJP Assembly Conference Building
Barik Point, Shillong - 793 001,Meghalaya

38. **Mizoram Rural Bank**
B-5, Babu Tilla, Zarkawt Aizawl - 796 007,Mizoram

39. **Nagaland Rural Bank**
Amk Shopping Complex, 2nd Floor, Near Congress Bhawan, D. Block, Kohima : 797 001,Nagaland

40. **Odisha Gramya Bank**
Gandamunda, PO Khandagiri Bhubaneshwar - 751030, Odisha

41. **Utkal Grameen Bank**
Club Para, Bolangir - 767 001 Odisha

42. **Puduvai Bharathiar Grama Bank**
441, M.G Road, Muthialpet Puducherry - 605 003

43. **Punjab Gramin Bank**
Jallandhar Road, Kapurthala - 144 601, Punjab

44. **Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank**
City Plaza, First Floor,Vaishali Nagar Ajmer - 305 004, Rajasthan

45. **Rajasthan Marudhara Gramin Bank**
Tulsi Tower,9th B Road, Sardarpura Jodhpur - 342 003, Rajasthan

46. **Tamil Nadu Grama Bank**
No 6, Yercaud Road,Hasthampatti Salem - 636 007, Tamil Nadu

47. **Telangana Grameena Bank**
Head Office,H.No. 2-1-520, 2nd floor,Vijaya Sri Sai Celestia,St. No. 9, Shankermuth Road, Hyderabad – 500 044, Telangana

48. **Tripura Gramin Bank**
Airport Road, Abhaynagar, Agartala – 799 005, Tripura

49. **Aryavart Bank**
A 2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar Lucknow - 226 010, Uttar Pradesh

50. **Baroda UP Bank**
Buddh Vihar Commercial Scheme,New Shivpuri Colony, Taramandal,Gorakhpur-273016

51. **Prathama UP Gramin Bank**
Prathama Bhavan, Ram Ganga Vihar Phase II PB No. 446,Moradabad - 244 001 Uttar Pradesh

52. **Uttarakhand Gramin Bank**
18, New Road,Dehradun - 248 001

53. **Bangiya Gramin Vikash Bank**
BMC House, Chuanpur NH 34, PO Chaltia,Berhampore - 742101, West Bengal

54. **Paschim Banga Gramin Bank**
Natabar Pal Road, Chatterjee Para More Tikiapara,Howarh - 711101,West Bengal.

55. **Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank**
Sunity Road,Cooch Behar - 736101 West Bengal

56. **Ujjivan Small Finance Bank Limited**
Grape Garden, No. 27, 3rd 'A' Cross, 18th Main, Koramangala, 6th Block, Bengaluru-560095 (Karnataka)

57. **ESAF Small Finance Bank Limited**
Hepzibah Complex Mannuthy P.O Thrissur – 680651 (Kerala)

28. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालय, राजेन्द्र पैलेस, ओवर ब्रिज के पास, रोड नं. 05, रांची – 834001, झारखंड

29. कर्नाटक ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालय, नं. 32, संगनाकल रोड, गांधीनगर, बल्लारी – 583103, कर्नाटक

30. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
पोस्ट बॉक्स नं. 111, बेलगाम रोड, धारवाड़ – 580008, कर्नाटक

31. केरल ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालय, ए.के. रोड, अप हिल, मलप्पुरम – 676505, केरल

32. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
204, दूसरी मंज़िल, सी-21 बिज़नेस पार्क, होटल रैड़िसन ब्लू के सामने, एम.आर.-10, इंदौर – 452010, मध्य प्रदेश

33. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने, पोद्दार कॉलोनी, तिली रोड, सागर – 470001, मध्य प्रदेश

34. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
प्लॉट नं. 42, ग्रोथ सेंटर, वालुज महानगर प्रोजेक्ट-4, पैठन रोड, औरंगाबाद – 431136, महाराष्ट्र

35. विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक
दूसरी व तीसरी मंज़िल, चंद्रप्रस्थ,प्लॉट नं. 6, दीनदयाल नगर, रिंग रोड, नागपुर – 440022, महाराष्ट्र

36. मणिपुर ग्रामीण बैंक
केइशामपट, इंफाल वेस्ट – 795001, मणिपुर

37. मेघालय ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालय, केजेपी असेंबली कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग, बारिक पॉइंट, शिलांग – 793001, मेघालय

38. मिजोरम ग्रामीण बैंक
बी-5, बाबू टिल्ला, ज़ारकाव्त,आइज़ोल – 796007, मिज़ोरम

39. नगालैंड ग्रामीण बैंक
ए.एम.के. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, कांग्रेस भवन के पास, डी. ब्लॉक, कोहिमा – 797001, नागालैंड

40. ओडिशा ग्राम्य बैंक
गांदमुंडा, पी.ओ. खंडगिरी, भुवनेश्वर – 751030, ओडिशा

41. उत्कल ग्रामीण बैंक
क्लब पारा, बलांगीर – 767001, ओडिशा

42. पुडुवै भारथियार ग्रामा बैंक
441, एम.जी. रोड, मुथियालपेट, पुडुचेरी – 605003

43. पंजाब ग्रामीण बैंक
जालंधर रोड, कपूरथला – 144601, पंजाब

44. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
सिटी प्लाज़ा, प्रथम तल, वैशाली नगर, अजमेर – 305004, राजस्थान

45. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
तुलसी टॉवर, 9वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर – 342003, राजस्थान

46. तमिलनाडु ग्रामा बैंक
नं. 6, येर्कौड रोड, हस्थमपट्टी, सलेम – 636007, तमिलनाडु

47. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
मुख्य कार्यालय, एच.नं. 2-1-520, द्वितीय तल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सड़क नं. 9, शंकरमठ रोड, हैदराबाद – 500044, तेलंगाना

48. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
एयरपोर्ट रोड, अभयनगर, अगरतला – 799005, त्रिपुरा

49. आर्यावर्त बैंक
ए-2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010, उत्तर प्रदेश

50. बड़ौदा यूपी बैंक
बुद्ध विहार कमर्शियल स्कीम, न्यू शिवपुरी कॉलोनी, तारामंडल, गोरखपुर – 273016, उत्तर प्रदेश

51. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक
प्रथमा भवन, राम गंगा विहार, फेज-II, पोस्ट बॉक्स नं. 446, मुरादाबाद – 244001, उत्तर प्रदेश

52. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
18, न्यू रोड, देहरादून – 248001, उत्तराखंड

53. बंगिया ग्रामीण विकास बैंक
बी.एम.सी. हाउस, चुआनपुर, एन.एच.-34, पी.ओ. चाल्टिया, बहरामपुर – 742101, पश्चिम बंगाल

54. पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक
नटबर पाल रोड, चटर्जी पारा मोड़, टिकियापाड़ा, हावड़ा – 711101, पश्चिम बंगाल

55. उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
सुनिति रोड, कूचबिहार – 736101, पश्चिम बंगाल

56. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
ग्रेप गार्डन, नं. 27, तीसरी 'ए' क्रॉस, 18वीं मेन, कोरमंगला, 6ठा ब्लॉक, बेंगलुरु – 560095, कर्नाटक

57. ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
हेपज़ीबा कॉम्प्लेक्स, मानुथी पी.ओ., त्रिशूर – 680651, केरल

Annexure - 3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
(Standalone) – MoU 2024-25

S.No.	Name of Parameter	Unit	Weightage	Target 2024-25
1	Revenue from Operations	Rs. Cr.	8	85.39
2	EBTDA as a percentage of Revenue	%	5	62.43
3	Return on Net Worth	%	7	1.91
4	Asset Turnover ratio	%	5	3.23
5	Loans Disbursed to Total Funds Available	%	15	100
6	Loans Disbursed to Micro Finance beneficiaries	%	10	68.00
7	Overdue loans to Total Loans	%	13	2.14
8	NPA to Total Loans	%	10	0.10
9	Geographical Coverage	%	10	100
10	Last mile Disbursement to ultimate beneficiaries	%	10	100
11	Acceptance/ Rejection of Invoices of Goods & Services through TReDS Portal within specified time	%	5	100
12	GeM Procurement as per approved procurement plan	%	2	100
		Total	**100**	

Notes:

- The targets are based on provisional data for the FY 2023-24 and the same shall be subject to revision on the basis of audited figures of Base Year.
- Vision provided by the administrative Ministry is also considered for Benchmarking.
- Proportionate marks for achievement of 50% to 100% Targets.
- No marks for achievement below 50.00% of Targets

अनुलग्नक-3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

समझौता-ज्ञापन 2024-25 (एकल)

क्र.स.	मापदण्ड का नाम	इकाई	भार	लक्ष्य 2024-25
1	संचालन से राजस्व	रू. करोड़ में	8	85.39
2	ई.बी.टी.डी.ए.-राजस्व के प्रतिशत के रूप में	%	5	62.43
3	निबल संपत्ति से वापसी	%	7	1.91
4	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.23
5	कुल उपलब्ध निधि का ऋण वितरण	%	15	100
6	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को ऋण वितरण	%	10	68.00
7	कुल ऋण का बकाया ऋण	%	13	2.14
8	कुल ऋणों का एन.पी.ए.	%	10	0.10
9	भौगोलिक आच्छादन	%	10	100
10	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि	%	10	100
11	टी.आर.ई.डी.एस. (TReDS) पोर्टल के माध्यम से निर्दिष्ट समय के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/ अस्वीकृति	%	5	100
12	कुल खरीद के % के रूप में जेम(GeM) के माध्यम से खरीद	%	2	100
		योग	**100**	

टिप्पणी:

- लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित हैं एवं आधार वर्ष के अंकेक्षित आंकड़ों के आधार पर संशोधन के अधीन है।
- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विजन पर विचार किया जाता है।
- 50% से 100% लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्यों के 50% से नीचे प्राप्ति हेतु कोई अंक नहीं।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

Compliance parameters for 2024-25

Sl. No.	Parameter	Marks	Source/ Verification
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs.	-1	Administrative Ministry
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as: (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency	-3	Administrative Ministry on the basis of CAG/ Statutory /Secretarial Audit Report(s)
3	Procurement of goods or services through MSEs as % of Total procurement of goods and services – 25 %	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
4	Procurement of goods or services through SC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services – 4%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
5	Procurement of goods or services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services – 3%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
6	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)	-1	Administrative Ministry

CMD / MD, National Backward Classes Finance & Devp.Corporation

Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment

Date -

Date -

System Generated - MoU Dashboard

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
2024-25 हेतु अनुपालन पैरामीटर

क्र. सं.	मानण्ड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2	कॉरपोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (LODAR) विनियमों) में प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) निदेशक मंडल की संरचना (II) बोर्ड समितियों (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित करना(iv) संबंधित पार्टी लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	-3	सी.ए.जी./सांविधिक/ सचिवालयी अंकेक्षण रिपोर्ट/ रिपोर्टों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद -25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4	एससी/एसटी एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में- 4%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 3%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक,
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

दिनांकः

सचिव,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिनांकः

सिस्टम जनरेटेड-एमओयू डैशबोर्ड

Annexure - 3.1

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
Ministry of Social Justice and Empowerment (M/O SJ & E) 2024-25 (31.03.2025)
PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

Sl. No.	Financial Performance criteria	Unit	Marks	Target 2024-25	Achievement 2024-25	Raw Score
1	Revenue from Operations	Rs. in Crore	8	85.39	61.34	5.75
2	EBDITA as a percentage of Revenue	%	5	62.43	64.59	5.00
3	Return on Net Worth	%	7	1.91	1.87	6.85
4	Asset Turnover Ratio	%	5	3.23	2.81	4.35
5	Loans disbursed to Total Funds Available	%	15	100	100	15.00
6	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries	%	10	68.00	46.15	6.79
7	Overdue loans to Total loans	%	13	2.14	4.38	0.00
8	NPA to Total Loans	%	10	0.10	0.00	10.00
9	Geographical coverage	%	10	100	86.11	8.61
10	Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries	%	10	100	96.16	9.62
11	Acceptance/rejection of Goods & Services through TReDs Portal	%	5	100	100	5.00
12	Procurement from GeM as% of total Procurement	%	2	100	98.50	1.97
	Total		**100**			**78.93**

अनुलग्नक - 3.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सा.न्या.और अधि. मंत्रालय) 2024-25 (31.03.2025)
कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन लक्ष्य एवं उनका निर्धारण

क्र.स.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मानदंड	इकाई	अंक	लक्ष्य 2024-25	उपलब्धि 2024-25 को	अपुष्ट स्कोर
1	संचालन से आय	रू. करोड़ में	8	85.39	61.34	5.75
2	ईबीआईटीए आय के प्रतिशत के रूप में	%	5	62.43	64.59	5.00
3	शुद्ध मूल्य पर वापसी	%	7	1.91	1.87	6.85
4	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.23	2.81	4.35
5	उपलब्ध कुल निधियों के अनुपात में वितरित ऋण	%	15	100	100	15.00
6	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	10	68.00	46.15	6.79
7	कुल ऋण का अतिदेय ऋण	%	13	2.14	4.38	0.00
8	कुल ऋण का गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	%	10	0.10	0.00	10.00
9	भौगोलिक कवरेज	%	10	100	86.11	8.61
10	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि	%	10	100	96.16	9.62
11	टीआरईडीएस (TReDS) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति	%	5	100	100	5.00
12	कुल खरीद में से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से की गई खरीद का प्रतिशत	%	2	100	98.50	1.97
	योग		**100**			**78.93**

Compliance Parameters for 2024-25

Sl.No.	Parameters	Marks	Status	Raw score	Sources/Verification
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs	-1	Complied	0	Compliance of guidelines issued from time to time on CSR expenditure by NBCFDC
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 for SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committ etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency.	-3	Complied	0	NBCFDC is incorporated under section 8 of Companies Act,2013 (Earlier section 25 of Co. Act,1955), not for profit and 100% owned by Govt. of India. NBCFDC is not a listed company. Hence the provision for SEBI (LODR) are not applicable to the Corporation. However, provision in the Company act, 2013 (i) composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit committee(etc.) (iii) holding Board meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency are compliance during the year 2024-25.
3	Procurement of Goods or Services through MSEs as % of Total procure-ment of goods and services -25%	-1	Complied	0	Procurement of Goods & Services through MSEs- Rs. 86 lakhs. Total Procurement during the year is Rs. 86 lakhs. Hence, % of total Procurement stand at 100%
4	Procurement of Goods or Services throughSC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services -4%	-1	Complied	0	Procurement of Goods & Services through SC/St MSEs- Rs. 6 lakh. Total Procurement during the year is Rs. 86 lakh. Hence, % of total Procurement stand at 6.98%.
5	Procurement of Goods or Services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services -3%	-1	Complied	0	Procurement of Goods & Services through Women MSEs- Rs.9 lakh. Total Procurement during the year is Rs. 86 lakh. Hence, % of total Procurement stand at 10.47%.
6	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (target to be prescribed by the Administrative Ministry.	-1	Complied	0	• Insurance policy has been taken for each employee's and their dependents of the Corporation. • Facilities of Pathology test is also provided to the employees and their dependents. • In order to stay fit Yoga Classes is also carried out. • Facility of Health checkup of self along with spouse is provided from prominent hospitals twice in a financial year.
	Sub Total			**0**	
	Net Total				**78.93**

2024-25 के लिए अनुपालन मापदंड

क्र.स.	मानदंड	अंक	स्थिति	अपुष्ट स्कोर	स्रोत/सत्यापन
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश।	-1	अनुपालन किया	0	एनबीसीएफडीसी द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन
2	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधानों का अनुपालन जैसे (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	-3	अनुपालन किया	0	एनबीसीएफडीसी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत एक लाभ मुक्त कंपनी के रूप में निगमित किया गया है एवं इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। एनबीसीएफडीसी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए सेबी (एलओडीआर) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान वर्ष 2024-25 के दौरान अनुपालन योग्य हैं, जैसे (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियाँ (लेखा परीक्षा समिति (आदि)) (iii) बोर्ड बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।,
3	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद -25%	-1	अनुपालन किया	0	एमएसई के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद – रू. 86 लाख। वर्ष के दौरान कुल खरीद रू. 86 लाख है। अतः, कुल खरीद का प्रतिशत 100% है
4	एससी/एसटी एमएसएमई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में- 4%	-1	अनुपालन किया	0	एससी/एसटी एमएसएमई के माध्यम से माल एवं सेवाओं की खरीद – रू. 6 लाख। वर्ष के दौरान कुल खरीद रू. 86 लाख है। अतः, कुल खरीद का प्रतिशत 6.98% है।
5	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसएमई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 3%	-1	अनुपालन किया	0	महिला एमएसएमई के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद – रू. 9 लाख। वर्ष के दौरान कुल खरीद रू. 86 लाख है। अतः, कुल खरीद का प्रतिशत 10.47% है। "
6	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)।	-1	अनुपालन किया	0	* निगम के प्रत्येक कर्मचारी एवं उनके आश्रितों के लिए बीमा पॉलिसी ली गई है। * कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पैथोलॉजीजाँच की सुविधा भी प्रदान की जाती है। * स्वस्थ रहने के लिए योग कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। * वित्तीय वर्ष में दो बार प्रमुख अस्पतालों में स्वयं एवं जीवनसाथी के स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।
	उप योग			**0**	
	कुल योग				**78.93**

Annexure - 4

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

STATEMENT SHOWING SCA/RRB/PSB WISE DISBURSEMENT AND NO. OF BENEFICIARIES ASSISTED DURING 2022-23 TO 2024-25

Financial : Rs. in Lakh
Physical: No. of Beneficiaries

Sl. N0		State Channellising Agencies (SCA)/ States/UT's/RRBs/PSBs	2022-23		2023-24		2024-25		Cumulative	
			Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		STATES								
1		**Andhra Pradesh**								
	1.1	Andhra Pradesh (BC)	-	-	-	-	-	-	20116.74	360543
	1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	-	-	-	-	-	-	1263.73	5546
	1.3	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	-	-	-	-	-		134.00	891
	1.4	Saptgiri Grameena Bank	-	-	2276.12	1364	3952.39	2220	6228.51	3584
	1.5	Andhra Pradesh (Others)	-	-	-	-	-	-	20.00	210
		Sub Total (1.1 to 1.5)	**-**	**-**	**2276.12**	**1364**	**3952.39**	**2220**	**27762.98**	**370774**
2		**Assam**								
	2.1	Assam (Artfed)	-	-	-	-	-	-	2410.00	7667
	2.2	Assam (BC)	-	-	-	-	-	-	556.78	876
	2.3	Assam (Electronics)	-	-	-	-	-	-	457.64	668
		Sub Total (2.1 to 2.3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3424.42**	**9211**
3		**Bihar**								
	3.1	Bihar (BC)	-	-	-	-	-	-	3910.54	8928
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	1078.81	1723
		Sub Total (3.1 to 3.2)	**-**	**-**					**4989.35**	**10651**
4		**Chhattishgarh**								
	4.1	Chhattishgarh (Bahudeshiya)	-	-	-	-	-	-	1918.26	3276
	4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	1199.93	622	1408.06	655	1,087.52	398	6316.24	3162
		Sub Total (4.1 to 4.2)	**1199.93**	**622**	**1408.06**	**655**	**1,087.52**	**398**	**8234.50**	**6438**
5		**Goa (SC/ST/BC)**	**135.00**	**144**	**159.61**	**25**	**127.55**	**21**	**2987.68**	**2857**
6		**Gujarat**								
	6.1	Gujarat (BC)	399.20	670	-	-	-	-	8818.97	17951
	6.2	Guajrat (Gopalak)	-	-	-	-	-	-	4221.61	10451
	6.3	Guajrat (Thakor)	500.00	1200	-	-	-	-	7085.01	20174
	6.4	Guajrat (Nomadic)	21.33	80	-	-	-	-	246.89	833
	6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	500.00	325
	6.6	Saurashtra Gramin Bank	1173.47	2103	150.60	118	179.20	157	8890.86	21758
	6.7	Gujarat (Others)	-	-	-	-	-	-	45.00	1200
		Sub Total (6.1 to 6.7)	**2094.00**	**4053**	**150.60**	**118**	**179.20**	**157**	**29808.34**	**72692**
7		**Haryana**								
	7.1	Haryana (BC)	500.00	2150	562.00	621	557.31	591	13721.73	49090
	7.2	Sarva Haryana Gramin bank	-	-	-	-	-	-	1100.00	2862
		Sub Total (7.1 to 7.2)	**500.00**	**2150**	**562.00**	**621**	**557.31**	**591**	**14821.73**	**51952**
8		**Himachal Pradesh**								
	8.1	Himachal Pradesh (BC)	500.00	1520	471.36	122	500.00	115	9699.23	14780
	8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	1351.00	3046
		Sub Total (8.1 to 8.2)	**500.00**	**1520**	**471.36**	**122**	**500.00**	**115**	**11050.23**	**17826**
9		**Jammu & Kashmir**								
	9.1	Jammu & Kashmir (SC)	250.00	510	-	-	149.90	57	1841.78	3675
	9.2	Jammu & Kashmir (Women)	350.00	1200	242.35	98	57.80	26	3520.75	10493
		Sub Total (9.1 to 9.2)	**600.00**	**1710**	**242.35**	**98**	**207.70**	**83**	**5362.53**	**14168**
10		**Jharkhand**								
	10.1	Jharkhand (Tribal)	-	-	-	-	-	-	945.30	1748

अनुलग्नक- 4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/आर.आर.बी./पी.एस.बी-वार संवितरण व सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वित्तीय: ₹ लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र. स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी(एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/आ.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	2022-23		2023-24		2024-25		संचयी	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.		राज्य								
1		**आंध्र प्रदेश**								
	1.1	आंध्र प्रदेश (बीसी)	-	-	-	-	-	-	20116.74	360543
	1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर)	-	-	-	-	-	-	1263.73	5546
	1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	-	-	-	-	-		134.00	891
	1.4	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	-	-	2276.12	1364	3952.39	2220	6228.51	3584
	1.5	आंध्र प्रदेश (अन्य)	-	-	-	-	-	-	20.00	210
		उप योग (1.1 से 1.5)	**-**	**-**	**2276.12**	**1364**	**3952.39**	**2220**	**27762.98**	**370774**
2		**असम**								
	2.1	असम (आर्टफेड)	-	-	-	-	-	-	2410.00	7667
	2.2	असम (बीसी)	-	-	-	-	-	-	556.78	876
	2.3	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	-	-	-	-	-	-	457.64	668
		उप योग (2.1 से 2.3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3424.42**	**9211**
3		**बिहार**								
	3.1	बिहार (बीसी)	-	-	-	-	-	-	3910.54	8928
	3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1078.81	1723
		उप योग (3.1 से 3.2)	**-**	**-**					**4989.35**	**10651**
4		**छत्तीसगढ़**								
	4.1	छत्तीसगढ़ (बहुद्देशीय)	-	-	-	-	-	-	1918.26	3276
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	1199.93	622	1408.06	655	1,087.52	398	6316.24	3162
		उप योग (4.1 से 4.2)	**1199.93**	**622**	**1408.06**	**655**	**1,087.52**	**398**	**8234.50**	**6438**
5		**गोवा (एससी/एसटी/बीसी)**	**135.00**	**144**	**159.61**	**25**	**127.55**	**21**	**2987.68**	**2857**
6		**गुजरात**								
	6.1	गुजरात (बीसी)	399.20	670	-	-	-	-	8818.97	17951
	6.2	गुजरात (गोपालक)	-	-	-	-	-	-	4221.61	10451
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	500.00	1200	-	-	-	-	7085.01	20174
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	21.33	80	-	-	-	-	246.89	833
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	500.00	325
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	1173.47	2103	150.60	118	179.20	157	8890.86	21758
	6.7	गुजरात (अन्य)	-	-	-	-	-	-	45.00	1200
		उप योग (6.1 से 6.7)	**2094.00**	**4053**	**150.60**	**118**	**179.20**	**157**	**29808.34**	**72692**
7		**हरियाणा**								
	7.1	हरियाणा (बीसी)	500.00	2150	562.00	621	557.31	591	13721.73	49090
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1100.00	2862
		उप योग (7.1 से 7.2)	**500.00**	**2150**	**562.00**	**621**	**557.31**	**591**	**14821.73**	**51952**
8		**हिमाचल प्रदेश**								
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	500.00	1520	471.36	122	500.00	115	9699.23	14780
	8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1351.00	3046
		उप योग (8.1 से 8.2)	**500.00**	**1520**	**471.36**	**122**	**500.00**	**115**	**11050.23**	**17826**
9		**जम्मू एवं कश्मीर**								
	9.1	जम्मू एवं कश्मीर (एस.सी.)	250.00	510	-	-	149.90	57	1841.78	3675
	9.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	350.00	1200	242.35	98	57.80	26	3520.75	10493
		उप योग (9.1 से 9.2)	**600.00**	**1710**	**242.35**	**98**	**207.70**	**83**	**5362.53**	**14168**
10		**झारखंड**								
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	-	-	-	-	-	-	945.30	1748

Sl. N0		State Channellising Agencies (SCA)/ States/UT's/RRBs/PSBs	2022-23		2023-24		2024-25		Cumulative	
			Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		**STATES**								
	10.2	Vananchal Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	600.00	1839
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	600.00	910
		Sub Total (10.1 to 10.3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2145.30**	**4497**
11		**Karnataka**								
	11.1	D. Devraj Urs (BC)	-	-			-	-	41399.19	243090
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	-	-			-	-	1500.00	3394
	11.3	Karnataka Grameena Bank	-	-	1065.34	1089	-	-	1065.34	1089
	11.4	Karnataka Vikas Bank	-	-	2000.00	2169	2,499.28	2,060	4499.28	4229
		Sub Total (11.1 to 11.2)	**-**	**-**	**3065.34**	**3258**	**2499.28**	**2060**	**48463.81**	**251802**
12		**Kerala**								
	12.1	Kerala (Artisan)	120.00	350	-	-	-	-	1250.29	3876
	12.2	Kerala (BC)	10000.00	42945	9883.48	11214	9,971.90	13,962	161237.65	610554
	12.3	Kerala (Christian Converts)	-	-	-	-	-	-	1106.53	3413
	12.4	Kerala (Fisheries)	3800.00	15200	2500.00	7058	2,499.89	7,264	51159.71	343457
	12.5	Kerala (Handicraft)	150.00	720	100.00	63	-	-	1491.50	4961
	12.6	Kerala (Polmarah)	-	-	-	-	-	-	140.00	521
	12.7	Kerala (Women)	3000.00	11000	3309.88	4136	3314.76	4021	34162.88	85294
		Sub Total (12.1 to 12.7)	**17070.00**	**70215**	**15793.36**	**22471**	**15786.55**	**25247**	**250548.56**	**1052076**
13		**Madhya Pradesh**								
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	-	-	-	-	-	-	1210.11	3516
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	-	-	-	-	-	-	3528.07	12895
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	-	-	-	-	-	-	546.25	2706
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	100.00	120
	13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	13848.17	12683
		Sub Total (13.1 to 13.5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19232.60**	**31920**
14		**Maharashtra**								
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	-	-	-	-	-	-	2077.99	3659
	14.2	Maharashtra (VJNT)	-	-	-	-	-	-	7172.83	23512
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	-	-	-	-	-	-	50.00	85
	14.4	Maharashtra (OBC)	-	-	-	-	-	-	14814.16	46760
	14.5	Maharashtra Gramin Bank	343.26	255	149.30	84	501.89	272	1103.63	692
	14.6	Maharashtra (Others)	-	-	-	-	-	-	25.00	330
		Sub Total (14.1 to 14.6)	**343.26**	**255**	**149.30**	**84**	**501.89**	**272.00**	**25243.61**	**75038**
15		**Manipur**								
	15.1	Manipur (Tribal)	-	-	-	-	-	-	407.37	561
	15.2	Manipur (Women)	-	-	-	-	-	-	75.67	500
		Sub Total (15.1 to 15.2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**483.04**	**1061**
16	**16**	**Meghalaya Rural Bank**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.28**	**6**	**4.28**	**6**
17	**17**	**North Eastern Dev. Fin. Corpn.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6300.00**	**58882**
18		**Orissa**								
	18.1	Orissa (BC)	-	-	-	-	-	-	1401.21	6039
	18.2	Orissa (Others)	-	-	-	-	-	-	34.40	708
		Sub Total (18.1 to 18.2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1435.61**	**6747**
19		**Punjab**								
	19.1	Punjab (BC)	400.00	880	242.10	134	-	-	8687.98	24688
	19.2	Punjab Gramin Bank	1800.00	3100	1500.00	1352	1,600.00	880	13394.87	21954
		Sub Total (19.1 to 19.2)	**2200.00**	**3980**	**1742.10**	**1486**	**1600.00**	**880**	**22082.85**	**46642**
20		**Rajasthan**								
	20.1	Rajasthan (SC)	-	-	-	-	-	-	676.35	1213
	20.2	Rajasthan (OBC)	500.00	2500					9366.88	26935
		Sub Total (20.1 to 20.2)	**500.00**	**2500**			**-**	**-**	**10043.23**	**28148**
21	**21**	**Sikkim (SC/ST)**	**50.00**	**100**	**200.00**	**48**	**-**	**-**	**3212.86**	**5610**

क्र. स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी(एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/आ.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	2022-23		2023-24		2024-25		संचयी	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.		राज्य								
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	600.00	1839
	10.3	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	600.00	910
		उप योग (10.1 से 10.3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2145.30**	**4497**
11		**कर्नाटक**								
	11.1	डी. देवराज उर्स (बी.सी.)	-	-			-	-	41399.19	243090
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	-	-			-	-	1500.00	3394
	11.3	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	-	-	1065.34	1089	-	-	1065.34	1089
	11.4	कर्नाटक विकास बैंक	-	-	2000.00	2169	2,499.28	2,060	4499.28	4229
		उप योग (11.1 से 11.4)	**-**	**-**	**3065.34**	**3258**	**2499.28**	**2060**	**48463.81**	**251802**
12		**केरल**								
	12.1	केरल (आर्टीसन)	120.00	350	-	-	-	-	1250.29	3876
	12.2	केरल (बी.सी.)	10000.00	42945	9883.48	11214	9,971.90	13,962	161237.65	610554
	12.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस्)	-	-	-	-	-	-	1106.53	3413
	12.4	केरल (फिशरीज)	3800.00	15200	2500.00	7058	2,499.89	7,264	51159.71	343457
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	150.00	720	100.00	63	-	-	1491.50	4961
	12.6	केरल (पल्मीराह)	-	-	-	-	-	-	140.00	521
	12.7	केरल (वीमेन)	3000.00	11000	3309.88	4136	3314.76	4021	34162.88	85294
		उप योग (12.1 से 12.7)	**17070.00**	**70215**	**15793.36**	**22471**	**15786.55**	**25247**	**250548.56**	**1052076**
13		**मध्य प्रदेश**								
	13.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	-	-	-	-	-	-	1210.11	3516
	13.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	3528.07	12895
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	-	-	-	-	-	-	546.25	2706
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	100.00	120
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	13848.17	12683
		उप योग (13.1 से 13.5)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19232.60**	**31920**
14		**महाराष्ट्र**								
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	-	-	-	-	-	-	2077.99	3659
	14.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	-	-	-	-	-	-	7172.83	23512
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	-	-	-	-	-	-	50.00	85
	14.4	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	14814.16	46760
	14.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	343.26	255	149.30	84	501.89	272	1103.63	692
	14.6	महाराष्ट्र (अन्य)	-	-	-	-	-	-	25.00	330
		उप योग (14.1 से 14.6)	**343.26**	**255**	**149.30**	**84**	**501.89**	**272.00**	**25243.61**	**75038**
15		**मणिपुर**								
	15.1	मणिपुर (ट्राईबल)	-	-	-	-	-	-	407.37	561
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	-	-	-	-	-	-	75.67	500
		उप-योग (15.1 से 15.2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**483.04**	**1061**
16	**16**	**मेघालय ग्रामीण बैंक**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.28**	**6**	**4.28**	**6**
17	**17**	**उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6300.00**	**58882**
18		**उड़ीसा**								
	18.1	उड़ीसा (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	1401.21	6039
	18.2	उड़ीसा (अन्य)	-	-	-	-	-	-	34.40	708
		उप-योग (18.1 से 18.2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1435.61**	**6747**
19		**पंजाब**								
	19.1	पंजाब (बी.सी.)	400.00	880	242.10	134	-	-	8687.98	24688
	19.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1800.00	3100	1500.00	1352	1,600.00	880	13394.87	21954
		उप-योग (19.1 से 19.2)	**2200.00**	**3980**	**1742.10**	**1486**	**1600.00**	**880**	**22082.85**	**46642**
20		**राजस्थान**								
	20.1	राजस्थान (एस.सी.)	-	-	-	-	-	-	676.35	1213
	20.2	राजस्थान (ओ.बी.सी.)	500.00	2500					9366.88	26935
		उप-योग (20.1 से 20.2)	**500.00**	**2500**			**-**	**-**	**10043.23**	**28148**
21	**21**	**सिक्किम (एस.सी./एस.टी.)**	**50.00**	**100**	**200.00**	**48**	**-**	**-**	**3212.86**	**5610**

Sl. NO		State Channellising Agencies (SCA)/ States/UT's/RRBs/PSBs	2022-23		2023-24		2024-25		Cumulative	
			Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Disbursement	No. of Beneficiaries
I.		STATES								
22		**Tamilnadu**								
	22.1	Tamilnadu (BC)	9399.64	28400	11000.00	20062	10,999.98	16,963	132111.56	916505
	22.2	Tamilnadu (Women)	-	-	-	-	-	-	50.00	500
	22.3	Tamilnadu Grama Bank	685.53	314	492.29	274	881.15	815	2058.97	1403
	22.4	Tamilnadu (Others)	-	-	-	-	-	-	6.00	60
		Sub Total (22.1 to 22.4)	**10085.17**	**28714**	**11492.29**	**20336**	**11,881.13**	**17,778**	**134226.53**	**918468**
23		**Telangana**								
	23.1	Telangana Grameena Bank	-	-	588.00	607	-	-	632.35	639
	23.2	Stree Nidhi Credit Coop. Federation Ltd.	-	-	-	-	-	-	2400.00	6000
		Sub Total (23.1 to 23.2)	**-**	**-**	**588.00**	**607**	**-**	**-**	**3032.35**	**6639**
24		**Tripura**								
	24.1	Tripura (OBC)	300.00	3000	150.00	60	-	-	17385.11	49802
	24.2	Tripura Gramin Bank	155.87	256	454.00	606	172.12	107	2379.93	3741
		Sub Total (24.1 to 24.2)	**455.87**	**3256**	**604.00**	**666**	**172.12**	**107**	**19765.04**	**53543**
25		**Uttar Pradesh**								
	25.1	Uttar Pradesh (BC)	-	-	-	-	-	-	7477.80	27849
	25.2	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	2300.00	4850	3140.60	1719	731.36	304	13246.96	25908
	25.3	Sarva U.P. Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	530.00	1025
	25.4	Purvanchal Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	500.00	1643
	25.5	Aryavart Gramin Bank	3000.00	3753	4946.60	3462	3,042.87	1,956	23489.47	23515
	25.6	Kashi Goumti Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	1035.00	1225
	25.7	Uttar Pradesh (Others)	-	-	-	-	-	-	5.00	50
		Sub Total (25.1 to 25.7)	**5300.00**	**8603**	**8087.20**	**5181**	**3774.23**	**2260**	**46284.23**	**81215**
26		**Uttarakhand**								
	26.1	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	-	-	-	-	-	-	555.81	989
	26.2	Uttrakhand Gramin Bank	21.26	3	32.75	11	34.92	8	115.26	27
		Sub Total (26.1 to 26.2)	**21.26**	**3**	**32.75**	**11**	**34.92**	**8.00**	**671.07**	**1016**
27		**West Bengal**								
	27.1	West Bengal (BC)	100.00	500	-	-	-	-	9779.02	40537
	27.2	West Bengal (Minorities)	-	-	-	-	-	-	1100.00	7564
	27.3	West Bengal (Others)	-	-	-	-	-	-	15.00	300
		Sub Total (27.1 to 27.3)	**100.00**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10894.02**	**48401**
		TOTAL - STATES (1 - 27)	**41154.49**	**128325**	**47024.44**	**57151**	**42866.07**	**52203**	**712510.75**	**3228280**
II.		**PSBs**								
28	28.1	Canara Bank	1099.87	1409	1000.00	1266	1,000.00	566	3099.87	3241
	28.2	Dena Bank	-	-	-	-	-	-	100.00	70
	28.3	Bank of Baroda	2852.49	2732	-	-	3,868.15	3,200	23069.13	25751
	28.4	Punjab National Bank	2785.00	2182	-	-	-	-	8127.56	6686
	28.5	Union Bank of India	1387.75	3226	981.41	1087	4107.49	3407	8976.02	10528
		Sub Total - PSBs (28.1 to - 28.5)	**8125.11**	**9549**	**1981.41**	**2353**	**8975.64**	**7173**	**43372.58**	**46276**
III.		**UT's**								
29	29	Chandigarh (SC/BC)	5.00	20	-	-	-	-	135.37	343
30	30	Delhi (SC/ST/OBC)	-	-	-	-	-	-	575.38	913
31		**Puducherry**								
	31.1	Puducherry (Adidravidar)	-	-	-	-	-	-	154.76	125
	31.2	Puducherry (BC)	-	-	-	-	-	-	4367.37	17134
	31.3	Puduval Bharathiar Grama Bank	1900.00	2449	3503.04	8868	912.07	1,144	6315.11	12461
		Sub Total (31.1 to 31.3)	**1900.00**	**2449**	**3503.04**	**8868**	**912.07**	**1144**	**10837.24**	**29720**
		TOTAL - UTs (29 - 31)	**1905.00**	**2469**	**3503.04**	**8868**	**912.07**	**1144**	**11547.99**	**30976**
IV.		**GRAND TOTAL (I + II+III)**	**51184.60**	**140343**	**52508.89**	**68372**	**52753.78**	**60520**	**767431.31**	**3305532**

क्र. स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी(एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/आ.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	2022-23		2023-24		2024-25		संचयी	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.		**राज्य**								
22		**तमिलनाडु**								
	22.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	9399.64	28400	11000.00	20062	10,999.98	16,963	132111.56	916505
	22.2	तमिलनाडु (वीमेन)	-	-	-	-	-	-	50.00	500
	22.3	तमिलनाडु ग्राम बैंक	685.53	314	492.29	274	881.15	815	2058.97	1403
	22.4	तमिलनाडु (अन्य)	-	-	-	-	-	-	6.00	60
		उप-योग (22.1 से 22.4)	**10085.17**	**28714**	**11492.29**	**20336**	**11,881.13**	**17,778**	**134226.53**	**918468**
23		**तेलंगाना**								
	23.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	-	-	588.00	607	-	-	632.35	639
	23.2	स्त्री निधि क्रेडिट कॉ-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	2400.00	6000
		उप योग (23.1 से 23.2)	**-**	**-**	**588.00**	**607**	**-**	**-**	**3032.35**	**6639**
24		**त्रिपुरा**								
	24.1	त्रिपुरा (ओ.बी.सी.)	300.00	3000	150.00	60	-	-	17385.11	49802
	24.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	155.87	256	454.00	606	172.12	107	2379.93	3741
		उप योग (24.1 से 24.2)	**455.87**	**3256**	**604.00**	**666**	**172.12**	**107**	**19765.04**	**53543**
25		**उत्तर प्रदेश**								
	25.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	7477.80	27849
	25.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	2300.00	4850	3140.60	1719	731.36	304	13246.96	25908
	25.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	530.00	1025
	25.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	500.00	1643
	25.5	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	3000.00	3753	4946.60	3462	3,042.87	1,956	23489.47	23515
	25.6	काशी गौमती ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1035.00	1225
	25.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	-	-	-	-	-	-	5.00	50
		उप योग (25.1 से 25.7)	**5300.00**	**8603**	**8087.20**	**5181**	**3774.23**	**2260**	**46284.23**	**81215**
26		**उत्तराखंड**								
	26.1	उत्तराखंड (बहुद्देशीय)	-	-	-	-	-	-	555.81	989
	26.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	21.26	3	32.75	11	34.92	8	115.26	27
		उप योग (26.1 से 26.2)	**21.26**	**3**	**32.75**	**11**	**34.92**	**8.00**	**671.07**	**1016**
27		**पश्चिम बंगाल**								
	27.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	100.00	500	-	-	-	-	9779.02	40537
	27.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	-	-	-	-	-	-	1100.00	7564
	27.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	-	-	-	-	-	-	15.00	300
		उप योग (27.1 से 27.3)	**100.00**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10894.02**	**48401**
		कुल - राज्य (1 - 27)	**41154.49**	**128325**	**47024.44**	**57151**	**42866.07**	**52203**	**712510.75**	**3228280**
II.		**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**								
28	28.1	केनरा बैंक	1099.87	1409	1000.00	1266	1,000.00	566	3099.87	3241
	28.2	देना बैंक	-	-	-	-	-	-	100.00	70
	28.3	बैंक ऑफ बड़ौदा	2852.49	2732	-	-	3,868.15	3,200	23069.13	25751
	28.4	पंजाब नेशनल बैंक	2785.00	2182	-	-	-	-	8127.56	6686
	28.5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1387.75	3226	981.41	1087	4107.49	3407	8976.02	10528
		उप योग - पीएसबी (28.1 से - 28.5)	**8125.11**	**9549**	**1981.41**	**2353**	**8975.64**	**7173**	**43372.58**	**46276**
III.		**संघ राज्य क्षेत्र**								
29	29	चंडीगढ़ (एस.सी./बी.सी.)	5.00	20	-	-	-	-	135.37	343
30	30	दिल्ली (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	575.38	913
31		**पुडुचेरी**								
	31.1	पुडुचेरी (आदिद्रविदार)	-	-	-	-	-	-	154.76	125
	31.2	पुडुचेरी (बीसी)	-	-	-	-	-	-	4367.37	17134
	31.3	पुडुवल भारतियर ग्राम बैंक	1900.00	2449	3503.04	8868	912.07	1,144	6315.11	12461
		उप-योग (31.1 से 31.3)	**1900.00**	**2449**	**3503.04**	**8868**	**912.07**	**1144**	**10837.24**	**29720**
		कुल - संघ राज्य क्षेत्र (29 - 31)	**1905.00**	**2469**	**3503.04**	**8868**	**912.07**	**1144**	**11547.99**	**30976**
IV.		**कुल योग (I + II + III)**	**51184.60**	**140343**	**52508.89**	**68372**	**52753.78**	**60520**	**767431.31**	**3305532**

Annexure - 4.1

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2024-25

S. No.	Name of State/UT	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2024-25	Reasons
1.	Andhra Pradesh	01	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency (SCA).SCA has to repay the overdues.
2.	Assam	01	1. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd. (ARTFED)	1. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd. (ARTFED)	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has to repay the overdues.
3.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has to repay the overdues.
4.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC, BC and Minorities Financial & Development Corporation	1. Chandigarh SC, BC and Minorities Financial & Development Corporation	SCA has not submitted demand.
5.	Chhattisgarh	01	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has to repay the overdues.
6.	Delhi	01	1. Delhi SC/ST/OBC Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation	1. Delhi SC/ST/OBC Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation	SCA has not submitted the Annual Action Plan (AAP).
7.	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has to repay the overdues SCAs have not submitted demand.
8.	Jharkhand	01	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has to submit the Utilization Certificate of earlier released funds.

अनुलग्नक- 4.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

उन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की स्थिति जिन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रा.चै.ए.की संख्या	नामित रा.चै.ए.का नाम	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं लेने वाली रा.चै.ए. का नाम	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	01	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
2.	असम	01	1. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आटीर्जन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि. (आर्टफेड)	1. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आटीर्जन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.(आर्टफेड)	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
3.	बिहार	01	1. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
4.	चंडीगढ़	01	1. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनॉरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई।
5.	छत्तीसगढ	01	1. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	1. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
6.	दिल्ली	01	1. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ. बी.सी. माइनॉ- रीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉरपारेशन	1. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ. बी.सी. माइनॉरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉरपारेशन	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
7.	गुजरात	04	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लिमिटेड, 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम। 4. गुजरात घुमंतू एवं विमुक्त जनजाति विकास निगम।	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लिमिटेड, 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम। 4. गुजरात घुमंतू एवं विमुक्त जनजाति विकास निगम।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई।
8.	झारखंड	01	1. झारखंड स्टेट ट्राईबल को-आपरें- टिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	1. झारखंड स्टेट ट्राईबल को-आपरें- टिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को पूर्व में जारी की गई निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

9.	Karnataka	02	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	As per the directions of SCA's Board of Directors, SCA is not drawing funds from NBCFDC since 2019-20 As per the directions of SCA's Board of Directors, SCA is not drawing funds from NBCFDC since 2020-21
10.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitter Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC since 2009-10 As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC since 2007-08
11.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd. 1. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC since 2015-16 As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC since 2016-17
12.	Odisha	01	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
13.	Sikkim	01	1. Sikkim Scheduled Castes Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.	1. Sikkim Scheduled Castes , Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP) SCA has to repay the overdues.
14.	Tripura	01	1. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.	1. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.	SCA has not submitted demand. SCA has to repay the overdues.
15.	Uttar Pradesh	01	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
16.	Uttarakhand	01	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
17.	West Bengal	02	1. West Bengal Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development & Finance Corporation 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
18.	Puducherry	01	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	Govt. Guarantee is not available & SCA has not submitted the Annual Action Plan (AAP)

9.	कर्नाटक	02	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम, 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम, 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के बोर्ड निदेशकों के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए. ने एन.बी.सी. एफ.डी.सी .से वर्ष 2019-20 से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के बोर्ड निदेशकों के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए. ने एन.बी.सी. एफ.डी.सी .से वर्ष 2020-21 से धनराशि आहरित नहीं की गई।
10.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से 2009-10 से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से 2009-10 से धनराशि आहरित नहीं की गई।
11.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वर्गीय वित्त अनी विकास महामंडल लिमिटेड, 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लिमिटेड,	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वर्गीय वित्त अनी विकास महामंडल लिमिटेड, 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लिमिटेड,	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफडीसी से 2015-16 से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफडीसी से 2016-17 से धनराशि आहरित नहीं की गई।
12.	ओडिशा	01	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	1 ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
13.	सिक्किम	01	1. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट	1. सिक्किम शेडयूल कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
14	त्रिपुरा		1. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,	1. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-आपरेटिव डेव-लपमेंट कॉरपोरेशन लि0,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा मांग प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
15.	उत्तर प्रदेश	01	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
16.	उत्तराखंड	01	1. उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	1.उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
17.	पश्चिम बंगाल	02	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी और ओबीसी विकास और वित्त निगम। 2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	 2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम।	 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
18.	पुडुचेरी	01	3. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।

Annexure - 4.2

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

State/UT SCHEME WISE DISBURSEMENT 2024-25

Amt in Lakh

		Individual Loan Scheme (Upto Rs.1.25 Lakh)								Individual Loan Scheme (Avobe Rs. 1.25 lakh and upto Rs. 15.00 lakh)										Group Loan Scheme (Max Rs 15.00 Lakh Per Group)				Total	
		Agriculture and Allied Activities		Service Sector		Small Business and Traditional Activities		Transport Sector		Agriculture and Allied Activities		Service Sector		Small Business and Traditional Activities		Transport Sector		Education Loan		Female SHG		Mixed SHG			
Sl. No	State Name	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb	Benf. Count	Amt Disb
1	Andaman And Nicobar Islands	1	0.23																					1	0.23
2	Andhra Pradesh	1560	1,265.22	1	1.13	146	100.34			2215	4,246.51	1	2.00	179	365.35									4102	5,980.54
3	Assam	6	5.48			7	2.66	2	2.03	44	69.28			13	30.67									72	110.12
4	Bihar	8	2.79			45	26.16	14	11.40	26	46.68			138	224.45	31	40.22							262	351.69
5	Chhattisgarh	5	4.26	9	7.23	90	46.58	22	19.61	11	18.10	44	114.95	155	293.97	270	832.69							606	1,337.40
6	Delhi					1	0.56																	1	0.56
7	Goa					1	0.66									12	101.65	9	25.89					22	128.20
8	Gujarat	87	58.17			108	58.42			400	603.02			401	858.70	2	7.16							998	1,585.47
9	Haryana	23	18.46	24	16.15	335	250.37			101	92.78	20	25.51	198	252.65			1	0.39					702	656.31
10	Himachal Pradesh									2	10.71	34	167.83	62	247.25	3	23.98	14	50.23					115	499.99
11	Jammu And Kashmir					5	4.25							79	204.63									84	208.88
12	Jharkhand	5	2.63			22	11.96	1	0.61	6	15.39			63	107.80	5	13.74							102	152.14
13	Karnataka	92	65.57			1245	831.16			193	276.06			1260	2,147.12	5	14.71							2795	3,334.62
14	Kerala	79	59.76	4	3.54	35	29.33			361	833.80	50	123.66	916	2,328.97	4	17.23	191	278.87	16722	9,807.24	6981	2,407.65	25343	15,890.04
15	Madhya Pradesh	23	12.19			47	19.12			55	163.94			68	148.77	19	30.04							212	374.07
16	Maharashtra	33	25.22			79	52.20			98	161.02			315	619.07	17	37.76							542	895.28
17	Manipur					2	0.31							2	5.84									4	6.15
18	Meghalaya					5	2.44							1	1.84									6	4.28
19	Mizoram	1	0.90																					1	0.90
20	Nagaland													1	1.66									1	1.66
21	Odisha	93	77.63			51	33.31			8	14.85			91	190.72	1	1.11							244	317.61
22	Puducherry					1146	913.59							6	9.73									1152	923.32
23	Punjab					345	314.22							543	1,291.05									888	1,605.26
24	Rajasthan	9	7.30			104	70.12			13	22.48			163	266.14	2	7.19							291	373.24
25	Sikkim	1	0.66			2	3.24			6	9.17													9	13.06
26	Tamil Nadu	1414	1,237.40			2225	1,144.73			399	754.95			321	923.51	3	6.77			10851	6,544.42	3164	1,984.73	18377	12,596.51
27	Telangana	170	137.92			20	12.14			108	170.33			69	135.22									367	455.61
28	Tripura					66	59.60			1	1.36			31	83.27	10	29.23							108	173.46
29	Uttar Pradesh	142	111.78	2	2.00	886	640.37	39	29.52	481	864.86	4	9.21	1485	3,002.64	5	8.53							3044	4,668.90
30	Uttarakhand	14	10.78			2	0.79			16	22.35	2	5.53	5	7.15	5	27.38							44	73.98
31	West Bengal	1	0.38			9	6.40			5	7.30			10	21.54									25	35.62
	Grand Total	**3767**	**3,104.72**	**40**	**30.04**	**7029**	**4,635.03**	**78**	**63.17**	**4549**	**8,404.95**	**155**	**448.68**	**6575**	**13,769.69**	**394**	**1,199.38**	**215**	**355.39**	**27573**	**16,351.67**	**10145**	**4,392.38**	**60520**	**52,755.08**

अनुलग्नक- 4.2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं योजनावार संवितरण

राशि लाख में

		व्यक्तिगत ऋण योजना (रू.1.25 लाख तक)								व्यक्तिगत ऋण योजना (रू.1.25 लाख से अधिक एवं रू.15.00 लाख तक)										समूह ऋण योजना (अधिकतम रू. 15.00 लाख प्रति समूह)				योग	
		कृषि एसं संबद्ध क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		लघु व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय		परिवहन क्षेत्र		कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		सेवा क्षेत्र		लघु व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय		परिवहन क्षेत्र		शिक्षा ऋण		महिला स्वयं सहायता समूह		मिश्रित स्वयं सहायता समूह			
क्र. स.	राज्य का नाम	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.23																					1	0.23
2	आंध्र प्रदेश	1560	1,265.22	1	1.13	146	100.34			2215	4,246.51	1	2.00	179	365.35									4102	5,980.54
3	असम	6	5.48			7	2.66	2	2.03	44	69.28			13	30.67									72	110.12
4	बिहार	8	2.79			45	26.16	14	11.40	26	46.68			138	224.45	31	40.22							262	351.69
5	छत्तीसगढ	5	4.26	9	7.23	90	46.58	22	19.61	11	18.10	44	114.95	155	293.97	270	832.69							606	1,337.40
6	दिल्ली					1	0.56																	1	0.56
7	गोवा					1	0.66									12	101.65	9	25.89					22	128.20
8	गुजरात	87	58.17			108	58.42			400	603.02			401	858.70	2	7.16							998	1,585.47
9	हरियाणा	23	18.46	24	16.15	335	250.37			101	92.78	20	25.51	198	252.65			1	0.39					702	656.31
10	हिमाचल प्रदेश									2	10.71	34	167.83	62	247.25	3	23.98	14	50.23					115	499.99
11	जम्मू एवं कश्मीर					5	4.25							79	204.63									84	208.88
12	झारखंड	5	2.63			22	11.96	1	0.61	6	15.39			63	107.80	5	13.74							102	152.14
13	कर्नाटक	92	65.57			1245	831.16			193	276.06			1260	2,147.12	5	14.71							2795	3,334.62
14	केरल	79	59.76	4	3.54	35	29.33			361	833.80	50	123.66	916	2,328.97	4	17.23	191	278.87	16722	9,807.24	6981	2,407.65	25343	15,890.04
15	मध्य प्रदेश	23	12.19			47	19.12			55	163.94			68	148.77	19	30.04							212	374.07
16	महाराष्ट्र	33	25.22			79	52.20			98	161.02			315	619.07	17	37.76							542	895.28
17	मणिपुर					2	0.31							2	5.84									4	6.15
18	मेघालय					5	2.44							1	1.84									6	4.28
19	मिजोरम	1	0.90																					1	0.90
20	नगालैंड													1	1.66									1	1.66
21	ओडिशा	93	77.63			51	33.31			8	14.85			91	190.72	1	1.11							244	317.61
22	पुदुचेरी					1146	913.59							6	9.73									1152	923.32
23	पंजाब					345	314.22							543	1,291.05									888	1,605.26
24	राजस्थान	9	7.30			104	70.12			13	22.48			163	266.14	2	7.19							291	373.24
25	सिक्किम	1	0.66			2	3.24			6	9.17													9	13.06
26	तमिलनाडु	1414	1,237.40			2225	1,144.73			399	754.95			321	923.51	3	6.77			10851	6,544.42	3164	1,984.73	18377	12,596.51
27	तेलंगाना	170	137.92			20	12.14			108	170.33			69	135.22									367	455.61
28	त्रिपुरा					66	59.60			1	1.36			31	83.27	10	29.23							108	173.46
29	उत्तर प्रदेश	142	111.78	2	2.00	886	640.37	39	29.52	481	864.86	4	9.21	1485	3,002.64	5	8.53							3044	4,668.90
30	उत्तराखंड	14	10.78			2	0.79			16	22.35	2	5.53	5	7.15	5	27.38							44	73.98
31	पश्चिम बंगाल	1	0.38			9	6.40			5	7.30			10	21.54									25	35.62
	कुल योग	**3767**	**3,104.72**	**40**	**30.04**	**7029**	**4,635.03**	**78**	**63.17**	**4549**	**8,404.95**	**155**	**448.68**	**6575**	**13,769.69**	**394**	**1,199.38**	**215**	**355.39**	**27573**	**16,351.67**	**10145**	**4,392.38**	**60520**	**52,755.08**

Annexure - 4.3

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

State/UT-wise Disbursement to Women Beneficiaries during 2024–25

S.No	Name	No. of Female Beneficiaries	Amount Disbursed (Rs.in Crore)
1	ANDHRA PRADESH	2497	34.19
2	ASSAM	23	0.33
3	BIHAR	60	0.80
4	CHHATTISGARH	198	3.16
5	GOA	6	0.12
6	GUJARAT	495	8.21
7	HARYANA	198	1.78
8	HIMACHAL PRADESH	23	0.89
9	JAMMU & KASHMIR	37	0.84
10	JHARKHAND	24	0.25
11	KARNATAKA	1156	12.84
12	KERALA	24127	141.88
13	MADHYA PRADESH	41	0.56
14	MAHARASHTRA	213	3.22
15	MANIPUR	2	0.02
16	MEGHALAYA	3	0.02
17	MIZORAM	1	0.01
18	ODISHA	121	1.26
19	PUDUCHERRY	731	5.81
20	PUNJAB	340	4.65
21	RAJASTHAN	49	0.59
22	SIKKIM	4	0.05
23	TAMIL NADU	16293	105.02
24	TELANGANA	244	2.53
25	TRIPURA	28	0.45
26	UTTARAKHAND	22	0.30
27	UTTAR PRADESH	708	10.03
28	WEST BENGAL	5	0.03
	Total	**47649**	**339.82**

अनुलग्नक- 4.3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महिला लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरण

क्र.स.	नाम	महिला लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रू.करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	2497	34.19
2	असम	23	0.33
3	बिहार	60	0.80
4	छत्तीसगढ	198	3.16
5	गोवा	6	0.12
6	गुजरात	495	8.21
7	हरियाणा	198	1.78
8	हिमाचल प्रदेश	23	0.89
9	जम्मू एवं कश्मीर	37	0.84
10	झारखंड	24	0.25
11	कर्नाटक	1156	12.84
12	केरल	24127	141.88
13	मध्य प्रदेश	41	0.56
14	महाराष्ट्र	213	3.22
15	मणिपुर	2	0.02
16	मेघालय	3	0.02
17	मिजोरम	1	0.01
18	ओडिशा	121	1.26
19	पुडुचेरी	731	5.81
20	पंजाब	340	4.65
21	राजस्थान	49	0.59
22	सिक्किम	4	0.05
23	तमिलनाडु	16293	105.02
24	तेलंगाना	244	2.53
25	त्रिपुरा	28	0.45
26	उत्तराखंड	22	0.30
27	उत्तर प्रदेश	708	10.03
28	पश्चिम बंगाल	5	0.03
	योग	**47649**	**339.82**

Annexure - 4.4

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

Daetail of Amount Disbursed ,Beneficiaries Assisted during FY'2024-25 & utilized theron

FIN: Rs. Lakhs
Phy: No. of Beneficiaries

Sl No.	NAME OF CHANNEL PARTNER	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount of utilisation Recd.
1.1	Andhra Pradesh (BC)-I NEW	0	0	0
1.2	Andhra Pradesh (BC)-II OLD	0	0	0
1.3	Andhra Pradesh Grameena vikas Bank	0	0	0
1.4	Sapatgiri Grameena Bank	3952.38	2220	3952.38
1.5	Andhra Pradesh Geeta Parsrimika	0	0	0.00
1	**Andhra Pradesh**	**3952.38**	**2220**	**3952.38**
2.1	Assam (BC)	0	0	0
2.2	Assam (Electronics)	0	0	0
2.3	Assam (Artfed)	0	0	0
2	**Assam**	**0**	**0**	**0**
3.1	Bihar (BC)	0	0	0
3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	0	0	0
3	**Bihar**	**0**	**0**	**0**
4	Chandigarh SC/ST/BC	0	0	0
5.1	Chattisgarh Bahudeshiya	0	0	0
5.2	Chattisgarh Gramin Bank	1087.53	398	1087.53
5	**Chhattisgarh**	**1087.53**	**398**	**1087.53**
6	**Delhi SC/ST/BC**	**0.00**	**0**	**0.00**
7	**Goa SC/ST/BC**	**127.55**	**21**	**69.62**
8.1	Gujrat (BC)	0	0	0
8.2	Gujrat (Gopalak)	0	0	0
8.3	Gujrat (D&NT)	0	0	0
8.4	Gujrat Takor Koli	0	0	0
8.5	Dena/ BOB Gujrat Gramin Bank	0	0	0
8.6	Saurashtra Gramin Bank	179.20	157	179.20
8	**Gujrat**	**179.20**	**157**	**179.20**
9.1	Haryana(BC)	557.31	591	176.97
9.2	Sarv Haryana Gramin Bank	0.00	0	0.00
9	**Haryana**	**557.31**	**591**	**176.97**
10.1	Himachal Pradesh (BC)	500.00	115	421.05
10.2	Himacahl Gramin Bank	0.00	0	0.00
10	**Himachal Pradesh**	**500.00**	**115**	**421.05**
11.1	Jammu & Kashmir SC/ST/BC	149.90	57	0
11.2	Jammu & Kashmir (WOMEN)	57.80	26	35.45
11	**Jammu & Kashmir**	**207.70**	**83**	**35.45**
12.1	Jharkhand (ST)	0	0	0
12.2	Jharkhand gramin Bank	0	0	0
12.3	Vananchal gramin Bank	0	0	0
12	**Jharkhand**	**0**	**0**	**0**
13.1	Karnatka (BC)	0	0	0
13.2	Karnatka (Vishkarma)	0	0	0

अनुलग्नक- 4.4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वितरित राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उपभोग की गई राशि का विवरण

वित्तीय: ₹ लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र.स.	चैनल सहभागियों का नाम	वर्ष के दौरान वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	अभिलेखित उपभोग राशि
1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-I नया	0	0	0
1.2	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-II पुराना	0	0	0
1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	0	0	0
1.4	सपतगिरि ग्रामीण बैंक	3952.38	2220	3952.38
1.5	आंध्र प्रदेश गीता पारश्रमिक	0	0	0.00
1	**आंध्र प्रदेश**	**3952.38**	**2220**	**3952.38**
2.1	असम (बी.सी.)	0	0	0
2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0	0	0
2.3	असम (आर्टफेड)	0	0	0
2	**असम**	**0**	**0**	**0**
3.1	बिहार (बीसी)	0	0	0
3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	0	0	0
3	**बिहार**	**0**	**0**	**0**
4	चंडीगढ़ एस.सी./एस.टी./बी.सी.	0	0	0
5.1	छत्तीसगढ़ बहुद्देशीय	0	0	0
5.2	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	1087.53	398	1087.53
5	**छत्तीसगढ**	**1087.53**	**398**	**1087.53**
6	**दिल्ली एस.सी./एस.टी./बी.सी.**	**0.00**	**0**	**0.00**
7	**गोवा एस.सी./एस.टी./बी.सी.**	**127.55**	**21**	**69.62**
8.1	गुजरात (बी.सी.)	0	0	0
8.2	गुजरात (गोपालक)	0	0	0
8.3	गुजरात (डी एंड एनटी)	0	0	0
8.4	गुजरात ठाकोर कोली	0	0	0
8.5	देना/बी.ओ.बी. गुजरात ग्रामीण बैंक	0	0	0
8.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	179.20	157	179.20
8	**गुजरात**	**179.20**	**157**	**179.20**
9.1	हरियाणा (बीसी)	557.31	591	176.97
9.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
9	**हरियाणा**	**557.31**	**591**	**176.97**
10.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	500.00	115	421.05
10.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
10	**हिमाचल प्रदेश**	**500.00**	**115**	**421.05**
11.1	जम्मू एवं कश्मीर एस.सी./एस.टी./बी.सी.	149.90	57	0
11.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	57.80	26	35.45
11	**जम्मू एवं कश्मीर**	**207.70**	**83**	**35.45**
12.1	झारखंड (एस.टी.)	0	0	0
12.2	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	0	0	0
12.3	वनांचल ग्रामीण बैंक	0	0	0
12	**झारखंड**	**0**	**0**	**0**
13.1	कर्नाटक (बी.सी.)	0	0	0
13.2	कर्नाटक (विश्कर्मा)	0	0	0

13.3	Karnatka Grameena Bank	0	0	0
13.4	Karnatka vikas Bank	2499.28	2060	2499.28
13	**Karnatka**	**2499.28**	**2060**	**2499.28**
14.1	Kerala (Artisan)	0	0	0
14.2	Kerala (BC)	9971.89	13962	9971.89
14.3	Kerala (CC)	0	0	0
14.4	Kerala (Fisheries)	2499.89	7264	2272.33
14.5	Kerala (Handicraft)	0	0	0
14.6	Kerala (Palmarah)	0	0	0
14.7	Kerala (Womens)	3314.76	4021	3314.76
14	**Kerala**	**15786.54**	**25247**	**15558.98**
15.1	Madhya Pradesh (sc)	0	0	0
15.2	Madhya Pradesh (BC)	0	0	0
15.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0	0	0
15.4	Madhya Pradesh Gramin Bank	0	0	0
15.5	MadhyanchaL Gramin Bank	0	0	0
15	**Madhya Pradesh**	**0**	**0**	**0**
16.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0	0	0
16.2	Maharashtra (VJNT)	0	0	0
16.3	Maharashtra (OBC)	0	0	0
16.4	Maharashtra (Anashaib)	0	0	0
16.5	Maharashtra Gramin bank	501.89	272	501.89
16	**Maharashtra**	**501.89**	**272**	**501.89**
17.1	Manipur (Tribal)	0.00	0	0.00
17.2	Manipur (Women)	0.00	0	0.00
17	**Manipur**	**0.00**	**0**	**0.00**
18	**Meghalaya Rural Bank**	**4.28**	**6**	**4.28**
19	**Odisha (BC)**	**0.00**	**0**	**0.00**
20.1	Puducherry (Adidridar)	0.00	0	0.00
20.2	Puducherry (BC)	0.00	0	0.00
20.3	Puduval Bharathiar Grama Bank	912.07	1144	912.07
20	**Puducherry**	**912.07**	**1144**	**912.07**
21.1	Punjab (BC)	0	0	0
21.2	Punjab Gramin Bank	1600.00	880	1600
21	**Punjab**	**1600.00**	**880**	**1600.00**
22.1	Rajasthan (SC)	0	0	0
22.2	Rajasthan (BC)	0	0	0
22	**Rajasthan**	**0**	**0**	**0**
23	Sikkim (Sc/ST/BC)	0	0	0
24.1	Tamilnadu (BC)	10999.98	16963	10999.91
24.2	Tamilnadu Grama Bank	881.15	815	881.15
24.3	Tamilnadu (womens)	0	0	0
24	**Tamilnadu**	**11881.13**	**17778**	**10999.91**
25.1	Talangna Gramin Bank	0	0	0
25.2	Stree Nidhi Credit coop. fed. Ltd	0	0	0
25	**Talangna**	**0**	**0**	**0**
26.1	Tripura (BC)	0	0	0
26.2	Tripura Gramin Bank	172.12	107	172.12

13.3	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	0	0	0
13.4	कर्नाटक विकास बैंक	2499.28	2060	2499.28
13	**कर्नाटक**	**2499.28**	**2060**	**2499.28**
14.1	केरल (आर्टीसन)	0	0	0
14.2	केरल (बी.सी.)	9971.89	13962	9971.89
14.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस्)	0	0	0
14.4	केरल (फिशरीज)	2499.89	7264	2272.33
14.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	0	0	0
14.6	केरल (पल्मीराह)	0	0	0
14.7	केरल (वीमेन)	3314.76	4021	3314.76
14	**केरल**	**15786.54**	**25247**	**15558.98**
15.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	0	0	0
15.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	0	0	0
15.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	0	0	0
15.4	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	0	0	0
15.5	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0	0	0
15	**मध्य प्रदेश**	**0**	**0**	**0**
16.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0	0	0
16.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	0	0	0
16.3	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	0	0	0
16.4	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0	0	0
16.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	501.89	272	501.89
16	**महाराष्ट्र**	**501.89**	**272**	**501.89**
17.1	मणिपुर (ट्राईबल)	0.00	0	0.00
17.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0	0.00
17	**मणिपुर**	**0.00**	**0**	**0.00**
18	**मेघालय ग्रामीण बैंक**	**4.28**	**6**	**4.28**
19	**ओडिशा (बी.सी.)**	**0.00**	**0**	**0.00**
20.1	पुडुचेरी (आदिद्रिदार)	0.00	0	0.00
20.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	0.00	0	0.00
20.3	पुडुवल भारतियर ग्राम बैंक	912.07	1144	912.07
20	**पुदुचेरी**	**912.07**	**1144**	**912.07**
21.1	पंजाब (बी.सी.)	0	0	0
21.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1600.00	880	1600
21	**पंजाब**	**1600.00**	**880**	**1600.00**
22.1	राजस्थान (एस.सी.)	0	0	0
22.2	राजस्थान (बी.सी.)	0	0	0
22	**राजस्थान**	**0**	**0**	**0**
23	सिक्किम (एस.सी./एस.टी./बी.सी.)	0	0	0
24.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	10999.98	16963	10999.91
24.2	तमिलनाडु ग्राम बैंक	881.15	815	881.15
24.3	तमिलनाडु (वीमेन)	0	0	0
24	**तमिलनाडु**	**11881.13**	**17778**	**10999.91**
25.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	0	0	0
25.2	स्त्री निधि क्रेडिट कॉ-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	0	0	0
25	**तेलंगाना**	**0**	**0**	**0**
26.1	त्रिपुरा (बी.सी.)	0	0	0
26.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	172.12	107	172.12

26	**Tripura**	**172.12**	**107**	**172.12**
27.1	Uttar Pradesh (BC)	0	0	0
27.2	Uttar Pradesh land Dev. & Sahkari Bank	731.36	304	502.51
27.3	Gramin Bank of Aryavart	3042.87	1956	3042.87
27.4	Kashi Gomti SamyuktA Gramin Bank	0	0	0
27.5	Sarv UP Gramin Bank	0	0	0
27.6	Purvanchal Gramin Bank	0	0	0
27	**Uttar Pradesh**	**3774.23**	**2260**	**3545.38**
28.1	Uttrakhand Bahudehiya	0	0	0
28.2	Uttrakhand Gramin Bank	34.92	8	34.92
28	**Uttrakhand**	**34.92**	**8**	**34.92**
29.1	West Bengal (BC)	0	0	0
29.2	West Bengal (Minorties)	0	0	0
29	**West Bengal**	**0**	**0**	**0**
	Sub Total	**43778.12**	**53347**	**41751.03**
	Public Sector Bank			
30	Canara bank	1000.00	566	1000.00
31	Dena Bank	0	0	0
32	Punjab National Bank	0	0	0
33	Vijaya /BOB Bank	3868.15	3200	3868.15
34	Union Bank Of India	4107.49	3407	4107.49
	Sub Total	**8975.64**	**7173**	**8975.64**
35	**NGOS**	**0**	**0**	**0**
	Grand Total	**52753.77**	**60520**	**50726.67**
	%age of utilisation			**96.16**

26	**त्रिपुरा**	**172.12**	**107**	**172.12**
27.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	0	0	0
27.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	731.36	304	502.51
27.3	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त	3042.87	1956	3042.87
27.4	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	0	0	0
27.5	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	0	0	0
27.6	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0	0	0
27	**उत्तर प्रदेश**	**3774.23**	**2260**	**3545.38**
28.1	उत्तराखंड बहुद्देशीय	0	0	0
28.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	34.92	8	34.92
28	**उत्तराखंड**	**34.92**	**8**	**34.92**
29.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	0	0	0
29.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	0	0	0
29	**पश्चिम बंगाल**	**0**	**0**	**0**
	उप योग	**43778.12**	**53347**	**41751.03**
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			
30	केनरा बैंक	1000.00	566	1000.00
31	देना बैंक	0	0	0
32	पंजाब नेशनल बैंक	0	0	0
33	विजया/बी.ओ.बी. बैंक	3868.15	3200	3868.15
34	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4107.49	3407	4107.49
	उप योग	**8975.64**	**7173**	**8975.64**
35	**गैर सरकारी संगठन**	**0**	**0**	**0**
	कुल योग	**52753.77**	**60520**	**50726.67**
	उपभोग का प्रतिशत			**96.16**

Annexure - 4.5

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2024-25

1. **BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY**

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under:

Approach: NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility: The Corporation shall ensure to carry out CSR projects/ programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013 as amendment from time to time.

Financial Component: In line with Section 135 (5) of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carried forward to the next financial year.

Institutional set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the entire activities. A CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation of Powers. The Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its approved CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

2. **COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:**

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

The Composition of the CSR Committee of Directors during the year under report:

Name of Director (S)	Designation/ Nature of Directorship
Additional Secretary (BC), MoSJ&E	Member
JS & FA ,MoSJ&E	Member
Managing Director, NBCFDC	Member
General Manager, NABARD	Member

3. The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: www.nbcfdc.gov.in. (https://nbcfdc.gov.in/csr-policy/en) & Annual Report at the link: (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en)

अनुलग्नक- 4.5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढा जाता है,निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व नीति' (सी.एस.आर. नीति) के तहत एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

पहुंच बनानाःएन.बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस-पास अथवा जहाँ पर ओ.बी.सी. के समूह रहते हैं, स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम-विशेषाधिकार प्राप्त और वचिंत वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलापः कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची-VII के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम समय-समय पर सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चयन करेगा।

वित्तीय अवयवःकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार निगम ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के व्यय से आय के आधिक्य के औसत का कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपभुक्त बजट समाप्त नहीं होगा तथा इसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेषित किया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापनाः संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगीः

निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी.एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व में अन्य सभी मामलों के साथ-साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना तथा सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी करना व अधिनियम की अनुसूची-VII में सम्मिलित सभी संबंधित कार्यकलाप सम्मिलित हों।

तथापि , निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी। सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एन.बी.सी.एफ. डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति की निगरानी करती है तथा निगम के निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के लिए मार्गदर्शन भी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों को चलाने का तंत्रःकंपनी द्वारा अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचनाः

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम	पदनाम/निदेशक की प्रकृति
अपर सचिव(बी.सी.), सा.न्या.और अधि.मंत्रालय	सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,सा.न्या. और अधि.मंत्रालय	सदस्य
प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	सदस्य
महाप्रबन्धक, नाबार्ड	सदस्य

3. निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन निगरानी करेगा। निगम की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट लिंकः www.nbcfdc.gov.in (https://nbcfdc.gov.in/cs-policy/en) एवं वार्षिक रिपोर्ट के लिए लिंक (https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en) पर अवलोकन किया जा सकता है।

4. PROVIDE THE DETAILS OF IMPACT ASSESSMENT OF CSR PROJECTS CARRIED OUT IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 8 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014, IF APPLICABLE (ATTACH THE REPORT).

NOT APPLICABLE

5. DETAILS OF THE AMOUNT AVAILABLE FOR SET OFF IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 7 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014 AND AMOUNT REQUIRED FOR SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

NOT APPLICABLE

6. AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS

The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was as under:

Financial Year 2021-22	₹3064.70 lakhs
Financial Year 2022-23	₹3037.79 lakhs
Financial Year 2023-24	₹3083.06 lakhs
Average Surplus	**₹3061.85 lakhs**

7. **(a) PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PERCENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE): ₹**61.237 Lakhs. The Board of Directors has approved CSR budget of **₹**61.237 Lakhs for financial year 2024-25 and also permitted to spend more than statutory requirements, within the revenue budget to reach out to the needy and marginalized.

(b) SURPLUS ARISING OUT OF THE CSR PROJECTS OR PROGRAMME OR ACTIVITIES OF THE PREVIOUS FINANCIAL YEAR

NOT APPLICABLE

(c) AMOUNT REQUIRED TO BE SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

NOT APPLICABLE

(d) TOTAL CSR OBLIGATION FOR THE FINANCIAL YEAR (7a+7b-7c): ₹61.237 lakhs

8. (a) CSR AMOUNT SPENT OR UNSPENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25:

Total Amount Spent for the Financial Year. (₹ in lakh)	Amount Unspent (₹ in lakh)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
30.32	31.78	29.04.2025	PMNRF	22.54	16.04.24
				0.07	07.08.24

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year 2024-25: Rs.4,83,600/- (Details at **Annexure – 4.6**)

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2024-25: Rs. 25,48,500/- (Details at **Annexure - 4.7**)

(d) Amount spent in Administrative Overheads: Rs.43,600/-

4. नियम 8 उप नियम (3) कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुपालन में सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें यदि लागू हो, (रिपोर्ट संलग्न करें):-

लागू नहीं

5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014, के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन (सैट ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि का विवरण एवं वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि लागू हो:-

लागू नहीं

6. गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का औसत आधिक्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष, 2021-22	₹ 3064.70 लाख
वित्तीय वर्ष, 2022-23	₹ 3037.79 लाख
वित्तीय वर्ष, 2023-24	₹ 3083.06 लाख
औसत आधिक्य	**₹ 3061.85 लाख**

7. (क) निर्धारित सी.एस.आर. व्यय(उपरोक्त मद 3 में दी गई औसत राशि का दो प्रतिशत): रू. 61.237 लाख निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रू. 61.237 लाख के सी.एस.आर. बजट अनुमोदित किया है एवं राजस्व बजट के अन्दर जरूरतमंदों और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने की अनुमति दी है।

(ख) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए वांछित समायोजन की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): रू. 61.237 लाख

8. क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रयुक्त/अप्रयुक्त सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रू. लाख में)	अप्रयुक्त राशि (रू. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में हस्तांतरित अव्यय कुल राशि		धारा (5)135 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
30.32	31.78	29.04.2025	पीएमएनआरएफ	22.54	16.04.24
				0.07	07.08.24

ख) **वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण:** रू.4,83,600/- (ब्यौरा **अनुलग्नक – 4.6** पर उपलब्ध है)।

ग) **वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण:** रू.25,48,500/- (ब्यौरा **अनुलग्नक – 4.7** पर है)

घ) **प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गई राशि:** रू. 43,600/-.

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NOT APPLICABLE

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Rs.30,75,700/-

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135 (5)	61.237
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	30.757
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)	--
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programme or activities of the previous financial year, if any	NA
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	NIL

9. (a) DETAILS OF UNSPENT CSR AMOUNT FOR THE PRECEDING THREE FINANCIAL YEARS:

(₹ In Lakhs)

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial year (in ₹)
				Name of the fund	Amount (in ₹)	Date of Transfer	
1.	2021-22	0.03	-	PMNRF	0.03	16.04.24	NIL
2.	2022-23	24.30	1.80	PMNRF	22.50	16.04.24	NIL
				PMNRF	0.07	07.08.24	
3.	2023-24	32.68	31.71				0.97
	Total	**57.01**	**33.51**				

(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR ONGOING PROJECTS OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):- (Details at **Annexure – 4.8**).

10. IN CASE OF CREATION OR ACQUISITION OF CAPITAL ASSET, FURNISH THE DETAILS RELATING TO THE ASSET SO CREATED OR ACQUIRED THROUGH CSR SPENT IN THE FINANCIAL YEAR (2024-25) (ASSET-WISE DETAILS).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).
(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.
(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.
(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. SPECIFY THE REASON(S), IF THE COMPANY HAS FAILED TO SPEND TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT AS PER SECTION 135(5).

The unspent amount is due to some ongoing projects for which payment will be released in the subsequent year, as the total sanctioned amount is released on milestone basis.

For & on behalf of Board of Directors,

(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935

(Bindu V C)
Director
(DIN No.07644408)

Place: New Delhi
Date: 01.09.2025

ङ) **प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो:** लागू नहीं

च) **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):** रू. 30,75,700/-

छ) समायोजन (सैट ऑफ) के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो

क्र.स.	विवरण	राशि (रू. में)
(i)	धारा (5)135 के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	61.237
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	30.757
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)-(i)	--
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सी.एस.आर. राशि का विवरणः

(रू. लाख में)

क्र.स.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा (6)135 के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा135(6) की अनुसूचि VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी धनराशि को विशिष्ट निधि में अंतरण, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रू. में)
				धनराशि का नाम	राशि (रू. में)	हस्तांतरण तिथि	
1.	2021-22	0.03	-	पीएमएनआरएफ	0.03	16.04.24	शून्य
2.	2022-23	24.30	1.80	पीएमएनआरएफ	22.50	16.04.24	शून्य
				पीएमएनआरएफ	0.07	07.08.24	
3.	2023-24	32.68	31.71				0.97
	योग	**57.01**	**33.51**				

ख) **पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरणः-** ब्यौरा **अनुलग्रक – 4.8** पर दिया गया है।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष (2024-25) में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति(यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।
(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।
(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण,उसका पता आदि जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है।
(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

11. कारण (कारणों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है

खर्च न की गई राशि कुछ चालू परियोजनाओं को देय है, जिनके लिए भुगतान अगले वर्ष में जारी किया जाएगा, क्योंकि कुल स्वीकृत राशि उपलब्धि की सूचना के आधार पर जारी की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2025

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

Annexure - 4.6

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

8(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST ONGOING PROJECTS FOR : THE FINANCIAL YEAR (2024-25)

Amt in Lakh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
S.No	Name of the Project.	Item form the list of activities in Schedule VII of the Act.	Local area (Yes/No)	Location of the project		Project duration.	Amount alloted for the project (in Rs.)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation- Direct (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State.	District.						Name	CSR Registra-tion number.
1	Employment enhancement and livelihood	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.	Yes	Rajasthan, Bihar & Uttrakhand	Dausa, Begusarai & Patnagar	10 Months	9,67,200.00	4,83,600.00	4,83,600.00	No	American Indian Foundation Trust (AIFT)	CSR00001977
2	Development of School playground at village Ulaheri,Rajasthan	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.	Yes	Rajasthan	Khairthal, Tijara	5 Months	18,99,623.00	---	18,99,623.00	No	Tara Greesh Mathur Charitable Trust	CSR00040511
3	Development of 2 units of Dairy Ciollection Centre	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.	Yes	Madhya Pradesh	Sehore	1 Month	1,87,000.00	--	1,87,000.00	No	Pradaan	CSR00000973
4	Health, Nutrition and Livelihood	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, [2]["promoting health care including preventive health care"] and sanitation [4][including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation] and making available safe drinking water.	Yes	Jharkhand	Khunti		6,07,500.00	--	6,07,500.00	No	Swawlamban, Khunti, Jharkhand	CSR00028240
						Total	**36,61,323.00**	**4,83,600.00**	**31,77,723.00**			

अनुलग्नक- 4.6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण 8(ख)

राशि ₹ में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन प्रणाली-सीधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन प्रणाली - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	रोज़गार संवर्धन और आजीविका	शिक्षा को प्रोत्साहित करना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार-वर्धक व्यावसायिक कौशल शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच, तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ।	हाँ	राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड	दौसा, बेगुसराय एवं पाटनगर	10 माह	9,67,200.00	4,83,600.00	4,83,600.00	नहीं	अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईएफटी)	**सीएसआर** 00001977
2	उलाहेरी गाँव, राजस्थान में स्कूल के खेल के मैदान का विकास	शिक्षा को प्रोत्साहित करना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार-परक व्यावसायिक कौशल शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच, तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ।	हाँ	राजस्थान	खैरथल, तिजारा	5 माह	18,99,623.00	---	18,99,623.00	नहीं	तारा ग्रीश माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट	**सीएसआर** 00040511
3	डेयरी संग्रह केंद्र की 2 इकाइयों का विकास	शिक्षा को प्रोत्साहित करना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार-वर्धक व्यावसायिक कौशल शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच, तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ।	हाँ	मध्य प्रदेश	सीहोर	1 माह	1,87,000.00	--	1,87,000.00	नहीं	प्रदान	**सीएसआर** 00000973
4	स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन; स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल शामिल है; और स्वच्छता जिसमें स्वच्छता के संवर्धन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है; तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	झारखंड	खूंटी		6,07,500.00	--	6,07,500.00	नहीं	स्वावलंबन, खूंटी, झारखंड	**सीएसआर** 00028240
						योग	**36,61,323.00**	**4,83,600.00**	**31,77,723.00**			

Annexure - 4.7

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

8(c) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST OTHER THAN ONGOING PROJECTS FOR : THE FINANCIAL YEAR (2024-25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
S.No	Name of the Project.	Item form the list of activities in Schedule VII of the Act.	Local area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation-Direct (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State.	District.			Name	CSR Registration number.
1	Health, Nutrition and Livelihood	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, ["promoting health care including preventinve health care"] and sanitation [including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation) and making available safe drinking water.	Yes	Odisha	Baleshwar	4,23,500.00	No	Pantiss Foundation, Odisha	CSR00022598
2	Health Camps	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, ["promoting health care including preventinve health care"] and sanitation [including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation) and making available safe drinking water.	Yes	NCR India	Gautam Budh Nagar	2,80,000.00	No	Banyan Roof Foundation, Ghaziabad, UP	CSR00073434
3	Health Awareness Camps & Distribution of First Aid Kits	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, ["promoting health care including preventinve health care"] and sanitation [including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation) and making available safe drinking water.	Yes	Bihar	Lakhisarai	4,50,000.00	No	Shambhu Shivani Foundation	CSR00049033
4	Cataract Free Delhi through pre and post operative care	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, ["promoting health care including preventinve health care"] and sanitation [including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation) and making available safe drinking water.	Yes	Delhi and Haryana	Delhi and Nuh	4,95,000.00	No	Mahavir International, Delhi	CSR00002906
5	Distribution of 40,000 Sanitary Pads to underprivileged women	Eradicating hunger, poverty and malnutrition, ["promoting health care including preventinve health care"] and sanitation [including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation) and making available safe drinking water.	Yes	Haryana and Delhi	Faridabad and Delhi	2,50,000.00	No	Sarv Samaj Foundation, Delhi	CSR00082332
6	Generating Awareness on Govt. Education schemes through performing Traditional Arts	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.	Yes	Uttar Pradesh	Prayagraj	6,50,000.00	No	Pantiss Foundation, Odisha	CSR00022598
					Total	**25,48,500.00**			

अनुलग्नक- 4.7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण 8(ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में से गतिविधियों की मद सूची	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु . में)	कार्यान्वयन प्रणाली-सीधे (हाँ/नहीं)।	कार्यान्वयन प्रणाली - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंएजीकरण संख्या
1.	स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, ["निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना"] और स्वच्छता [स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	ओडिशा	बालेश्वर	4,23,500.00	नहीं	पैंटिस फाउंडेशन, ओडिशा	सीए-सआर00022598
2.	स्वास्थ्य शिविर	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, ["निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना"] और स्वच्छता [स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	एनसीआर भारत	गौतम बुद्ध नगर	2,80,000.00	नहीं	बैनयन रूफ फाउंडेशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	सीए-सआर00073434
3.	स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और प्राथमिक चिकित्सा किट का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, ["निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना"] और स्वच्छता [स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित) और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	बिहार	लखीसराय	4,50,000.00	नहीं	शंभू शिवानी फाउंडेशन	सीए-सआर00049033
4.	शल्य चिकित्सा से पहले और बाद में देखभाल के माध्यम से मोतियाबिंद मुक्त दिल्ली	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, ["निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना"] और स्वच्छता [स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित] और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	दिल्ली और हरियाणा	दिल्ली और नूंह	4,95,000.00	नहीं	महावीर इंटरनेशनल, दिल्ली	सीए-सआर00002906
5.	वंचित महिलाओं को 40,000 सैनिटरी पैड का वितरण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, ["निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना"] और स्वच्छता [स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित] और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	हरियाणा और दिल्ली	फ़रीदाबाद और दिल्ली	2,50,000.00	नहीं	सर्व समाज फाउंडेशन, दिल्ली	सीए-सआर00082332
6.	पारंपरिक कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से सरकारी शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना	शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोज़गार सहित विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना और आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ शामिल हैं।	हाँ	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	6,50,000.00	नहीं	पैंटिस फाउंडेशन, ओडिशा	सीए-सआर00022598
					योग	**25,48,500.00**			

Annexure - 4.8

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

9. (b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR ONGOING PROJECTS OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):

(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
S.No	**Name of the Project.**	**Financial Year in which the project was commenced**	**Project Duration**	**Total amount allocated for the project (in Rs.)**	**Amount spent on the project in the reporting financial year (in Rs.)**	**Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)**	**Status of the project - Completed/Ongoing**
1	Water supply with Hydraulic Isolation (Shaft)	2022-23	12 Months	9,00,000.00	1,80,000.00	9,00,000.00	Completed
2	Construction of Sports Courts viz Volley Ball, Lawn Tennis and Basket Ball	2023-24	12 Months	54,46,638.00	31,71,202.00	54,46,638.00	Completed
	Total			**63,46,638.00**	**33,51,202.00**	**63,46,638.00**	

अनुलग्नक- 4.8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण 9. (बी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परि-योजना शुरु की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू
1	हाइड्रोलिक आइसोलेशन (शाफ्ट) सहित पानी की आपूर्ति प्रदान करना	2022-23	12 माह	9,00,000.00	1,80,000.00	9,00,000.00	पूर्ण
2	खेल मैदानों का निर्माण, जैसे वॉलीबॉल, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल	2023-24	12 माह	54,46,638.00	31,71,202.00	54,46,638.00	पूर्ण
	योग			**63,46,638.00**	**33,51,202.00**	**63,46,638.00**	

Annexure - 4.9

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

CSR ACTIVITIES/PROJECTS DURING THE YEAR 2024-25

The Corporation undertook various CSR initiatives during the year. Highlights of some of the projects are as follows:-

SCHEDULE VII ITEM:

Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health

a) Development of School playground at village Ulaheri ,Rajasthan

b) Health Awareness programmes, camps and distribution of First Aid Kits in Odisha, Uttar Pradesh and Bihar in Baleshwar, Gautam Buddha Nagar and in the Lakhisarai District respectively.

c) Cataract surgeries (66 no. of patients) in Delhi and Nuh District (Haryana).

d) Free distribution of 40000 sanitary pads to underprivileged women in Delhi and Faridabad (Haryana).

Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.

a) Skilling and livelihood enhancement through empowerment of underserved rural women in Dausa (Rajasthan).

b) Development of Dairy collection centres in Sehore District, Madhya Pradesh.

c) Creating awareness on Govt. Education schemes through performing traditional arts and Nukkad Natakas etc in Kumbh Mela.

*****

अनुलग्नक- 4.9

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2024-2025 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं

निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पहलें की। कुछ परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

<u>अनुसूची VII मदः</u>

भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना

क) राजस्थान के उलाहेरी गाँव में स्कूल में खेल के मैदान का विकास

ख) ओड़िशा के बालेश्वर, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर एवं बिहार के लखीसराय ज़िलों में क्रमशः स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, शिविर और प्राथमिक चिकित्सा किट का वितरण।

ग) दिल्ली और हरियाणा के नूंह ज़िले में मोतियाबिंद की सर्जरी (66 मरीज़)।

घ) दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद जिले में में वंचित महिलाओं को 40,000 सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण।

शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ शामिल हैं:

क) दौसा (राजस्थान) में वंचित ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से कौशल एवं आजीविका संवर्धन।

ख) मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में डेयरी कलेक्शन सेंटर का विकास।

ग) कुंभ मेले में पारंपरिक लोककला एवं नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से सरकारी शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार।

*****

Annexure - 5

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND RECOVERIES UPTO 31ST MARCH, 2025

Amount in ₹

	Sl. No.	NAME OF CHANNEL PARTNER	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	%age of Recoveries
	I	2	3	4	5=3-4	6=4/3%
1		**Andhra Pradesh**				
	1.1	Andhra Pradesh (BC)-I NEW	2990.45	2191.81	798.64	73.29
	1.2	Andhra Pradesh (BC)-II OLD	19230.76	19230.76	0.00	100.00
	1.3	Andhra Pradesh Grameena vikas Bank	26.59	26.59	0.00	100.00
	1.4	Sapatgiri Grameena Bank	551.76	551.76	0.00	100.00
	1.5	Andhra Pradesh Geeta Parsrimika	1571.49	1571.49	0.00	100.00
		Sub Total	**24371.04**	**23572.40**	**798.64**	**96.72**
2		**Assam**				
	2.1	Assam (BC)	768.12	768.12	0.00	100.00
	2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100.00
	2.3	Assam (Artfed)	2519.65	1100.87	1418.78	43.69
		Sub Total	**3654.84**	**2236.06**	**1418.78**	**61.18**
3		**Bihar**				
	3.1	Bihar (BC)	5806.15	3320.35	2485.80	57.19
	3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	681.36	681.36	0.00	100.00
		Sub Total	**6487.51**	**4001.71**	**2485.80**	**61.68**
4		**Chandigarh SC/ST/BC**	**128.56**	**128.56**	**0.00**	**100.00**
5		**Chhattisgarh**				
	5.1	Chattisgarh Bahudeshiya	2046.45	1630.67	415.78	79.68
	5.2	Chattisgarh Gramin Bank	1809.67	1809.67	0.00	100.00
		Sub Total	**3856.12**	**3440.34**	**415.78**	**89.22**
6		**Delhi SC/ST/BC**	**457.92**	**443.22**	**14.70**	**96.79**
7		**Goa SC/ST/BC**	**2811.71**	**2811.71**	**0.00**	**100.00**
8		**Gujrat**				
	8.1	Gujrat (BC)	10438.56	10438.56	0.00	100.00
	8.2	Gujrat (Gopalak)	4037.52	4037.52	0.00	100.00
	8.3	Gujrat (D&NT)	236.64	229.84	6.80	97.13
	8.4	Gujrat Takor Koli	6121.39	5450.05	671.34	89.03
	8.5	Dena/ BOB Gujrat Gramin Bank	43.10	43.10	0.00	100.00
	8.6	Saurashtra Gramin Bank	6244.96	6244.96	0.00	100.00
		Sub Total	**27122.17**	**26444.03**	**678.14**	**97.50**
9		**Haryana**				
	9.1	Haryana(BC)	10814.72	10814.72	0.00	100.00
	9.2	Sarv Haryana Gramin Bank	59.90	59.90	0.00	100.00
		Sub Total	**10874.62**	**10874.62**	**0.00**	**100.00**

अनुलग्नक- 5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

31 मार्च, 2025 तक राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसीवार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(₹/लाख)

	क्र.स.	चैनल सहभागियों का नाम	संचयी बकाया	संचयी वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
	I	2	3	4	5=3-4	6=4/3%
1		**आंध्र प्रदेश**				
	1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-I नया	2990.45	2191.81	798.64	73.29
	1.2	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-II पुराना	19230.76	19230.76	0.00	100.00
	1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	26.59	26.59	0.00	100.00
	1.4	सपतगिरि ग्रामीण बैंक	551.76	551.76	0.00	100.00
	1.5	आंध्र प्रदेश गीता पारश्रमिका	1571.49	1571.49	0.00	100.00
		उप योग	**24371.04**	**23572.40**	**798.64**	**96.72**
2		**असम**				
	2.1	असम (बीसी)	768.12	768.12	0.00	100.00
	2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	367.08	367.08	0.00	100.00
	2.3	असम (आर्टफेड)	2519.65	1100.87	1418.78	43.69
		उप योग	**3654.84**	**2236.06**	**1418.78**	**61.18**
3		**बिहार**				
	3.1	बिहार (बी.सी.)	5806.15	3320.35	2485.80	57.19
	3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	681.36	681.36	0.00	100.00
		उप योग	**6487.51**	**4001.71**	**2485.80**	**61.68**
4		**चंडीगढ़ एस.सी./एस.टी./बी.सी.**	**128.56**	**128.56**	**0.00**	**100.00**
5		**छत्तीसगढ**				
	5.1	छत्तीसगढ़ बहुद्देशीय	2046.45	1630.67	415.78	79.68
	5.2	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	1809.67	1809.67	0.00	100.00
		उप योग	**3856.12**	**3440.34**	**415.78**	**89.22**
6		**दिल्ली एस.सी./एस.टी./बी.सी.**	**457.92**	**443.22**	**14.70**	**96.79**
7		**गोवा एस.सी./एस.टी./बी.सी.**	**2811.71**	**2811.71**	**0.00**	**100.00**
8		**गुजरात**				
	8.1	गुजरात (बी.सी.)	10438.56	10438.56	0.00	100.00
	8.2	गुजरात (गोपालक)	4037.52	4037.52	0.00	100.00
	8.3	गुजरात (डी एंड एनटी)	236.64	229.84	6.80	97.13
	8.4	गुजरात ठाकोर कोली	6121.39	5450.05	671.34	89.03
	8.5	देना/बी.ओ.बी. गुजरात ग्रामीण बैंक	43.10	43.10	0.00	100.00
	8.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	6244.96	6244.96	0.00	100.00
		उप योग	**27122.17**	**26444.03**	**678.14**	**97.50**
9		**हरियाणा**				
	9.1	हरियाणा (बी.सी.)	10814.72	10814.72	0.00	100.00
	9.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	59.90	59.90	0.00	100.00
		उप योग	**10874.62**	**10874.62**	**0.00**	**100.00**

10		**Himachal Pradesh**				
	10.1	Himachal Pradesh (BC)	7996.15	7996.15	0.00	100.00
	10.2	Himacahl Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100.00
		Sub Total	**8051.82**	**8051.82**	**0.00**	**100.00**
11		**Jammu & Kashmir**				
	11.1	Jammu & Kashmir SC/ST/BC	1130.31	1074.90	55.41	95.10
	11.2	Jammu & Kashmir (WOMEN)	2829.35	2752.95	76.40	97.30
		Sub Total	**3959.66**	**3827.85**	**131.81**	**96.67**
12		**Jharkhand**				
	12.1	Jharkhand (ST)	667.97	639.31	28.66	95.71
	12.2	Jharkhand gramin Bank	337.85	337.85	0.00	100.00
	12.3	Vananchal gramin Bank	376.45	376.45	0.00	100.00
		Sub Total	**1382.27**	**1353.61**	**28.66**	**97.93**
13		**Karnatka**				
	13.1	Karnatka (BC)	43884.14	43884.14	0.00	100.00
	13.2	Karnatka (Vishkarma)	1130.67	1130.67	0.00	100.00
	13.3	Karnatka Grameena Bank	105.71	105.71	0.00	0.00
	13.4	Karnatka Vikas Bank	249.61	249.61	0.00	0.00
		Sub Total	**45370.13**	**45370.13**	**0.00**	**100.00**
14		**Kerala**				
	14.1	Kerala (Artisan)	1072.00	1072.00	0.00	100.00
	14.2	Kerala (BC)	132421.95	132421.95	0.00	100.00
	14.3	Kerala (CC)	1128.81	1128.81	0.00	100.00
	14.4	Kerala (Fisheries)	46422.46	46422.46	0.00	100.00
	14.5	Kerala (Handicraft)	1137.77	1103.90	33.87	97.02
	14.6	Kerala (Palmarah)	184.16	89.52	94.64	48.61
	14.7	Kerala (Womens)	23045.75	23045.75	0.00	100.00
		Sub Total	**205412.90**	**205284.39**	**128.51**	**99.94**
15		**Madhya Pradesh**				
	15.1	Madhya Pradesh (sc)	1566.33	1393.17	173.16	88.95
	15.2	Madhya Pradesh (BC)	4638.00	4398.23	239.77	94.83
	15.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.74	623.74	0.00	100.00
	15.4	Madhya Pradesh Gramin Bank	9554.39	9554.39	0.00	100.00
	15.5	MadhyanchaL Gramin Bank	24.47	24.47	0.00	100.00
		Sub Total	**16406.93**	**15994.00**	**412.93**	**97.48**
16		**Maharashtra**				
	16.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2286.86	2204.49	82.37	96.40
	16.2	Maharashtra (VJNT)	8580.68	8580.68	0.00	100.00
	16.3	Maharashtra (OBC)	17564.34	17564.34	0.00	100.00
	16.4	Maharashtra (Anashaib)	3.94	3.94	0.00	100.00
	16.5	Maharashtra Gramin Bank	168.35	168.35	0.00	100.00
		Sub Total	**28604.18**	**28521.81**	**82.37**	**99.71**

10		**हिमाचल प्रदेश**				
	10.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	7996.15	7996.15	0.00	100.00
	10.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100.00
		उप योग	**8051.82**	**8051.82**	**0.00**	**100.00**
11		**जम्मू एवं कश्मीर**				
	11.1	जम्मू एवं कश्मीर एस.सी./एस.टी./बी.सी.	1130.31	1074.90	55.41	95.10
	11.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	2829.35	2752.95	76.40	97.30
		उप योग	**3959.66**	**3827.85**	**131.81**	**96.67**
12		**झारखंड**				
	12.1	झारखंड (एस.टी.)	667.97	639.31	28.66	95.71
	12.2	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	337.85	337.85	0.00	100.00
	12.3	वनांचल ग्रामीण बैंक	376.45	376.45	0.00	100.00
		उप योग	**1382.27**	**1353.61**	**28.66**	**97.93**
13		**कर्नाटक**				
	13.1	कर्नाटक (बी.सी.)	43884.14	43884.14	0.00	100.00
	13.2	कर्नाटक (विश्कर्मा)	1130.67	1130.67	0.00	100.00
	13.3	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	105.71	105.71	0.00	0.00
	13.4	कर्नाटक विकास बैंक	249.61	249.61	0.00	0.00
		उप योग	**45370.13**	**45370.13**	**0.00**	**100.00**
14		**केरल**				
	14.1	केरल (आर्टीसन)	1072.00	1072.00	0.00	100.00
	14.2	केरल (बी.सी.)	132421.95	132421.95	0.00	100.00
	14.3	केरल (क्रिश्चयन कन्वर्टस्)	1128.81	1128.81	0.00	100.00
	14.4	केरल (फिशरीज)	46422.46	46422.46	0.00	100.00
	14.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	1137.77	1103.90	33.87	97.02
	14.6	केरल (पल्मीराह)	184.16	89.52	94.64	48.61
	14.7	केरल (वीमेन)	23045.75	23045.75	0.00	100.00
		उप योग	**205412.90**	**205284.39**	**128.51**	**99.94**
15		**मध्य प्रदेश**				
	15.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	1566.33	1393.17	173.16	88.95
	15.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	4638.00	4398.23	239.77	94.83
	15.3	मध्य प्रदेश (हस्टशिल्प)	623.74	623.74	0.00	100.00
	15.4	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	9554.39	9554.39	0.00	100.00
	15.5	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	24.47	24.47	0.00	100.00
		उप योग	**16406.93**	**15994.00**	**412.93**	**97.48**
16		**महाराष्ट्र**				
	16.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2286.86	2204.49	82.37	96.40
	16.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	8580.68	8580.68	0.00	100.00
	16.3	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	17564.34	17564.34	0.00	100.00
	16.4	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.94	3.94	0.00	100.00
	16.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	168.35	168.35	0.00	100.00
		उप योग	**28604.18**	**28521.81**	**82.37**	**99.71**

17		**Manipur**				
	17.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100.00
	17.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100.00
		Sub Total	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100.00**
18		**North Eastern Fin. & Dev. Corpo**	**6533.36**	**6533.36**	**0.00**	**100.00**
19		**Odisha (BC)**	**2287.73**	**2287.73**	**0.00**	**100.00**
20		**Puducherry**				
	20.1	Puducherry (Adidridar)	177.65	177.65	0.00	100.00
	20.2	Puducherry (BC)	4753.40	4290.32	463.08	90.26
	20.3	Puduval Bharathiar Grama Bank	1719.03	1719.03	0.00	100.00
		Sub Total	**6650.08**	**6187.00**	**463.08**	**93.04**
21		**Punjab**				
	21.1	Punjab (BC)	7446.15	7446.15	0.00	100.00
	21.2	Punjab Gramin Bank	7321.14	7321.14	0.00	100.00
		Sub Total	**14767.29**	**14767.29**	**0.00**	**100.00**
22		**Rajasthan**				
	22.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.81	0.00	100.00
	22.2	Rajasthan (BC)	7321.45	6651.55	669.90	90.85
		Sub Total	**7784.26**	**7114.36**	**669.90**	**91.39**
23		**Sikkim (Sc/ST/BC)**	**3548.53**	**3482.03**	**66.50**	**98.13**
24		**Tamilnadu**				
	24.1	Tamilnadu (BC)	108576.11	108576.11	0.00	100.00
	24.2	Tamilnadu Grama bank	242.69	242.69	0.00	100.00
	24.3	Tamilnadu (womens)	52.67	52.67	0.00	100.00
		Sub Total	**108871.47**	**108871.47**	**0.00**	**100.00**
25		**Talangna**				
	25.1	Talangna Gramin Bank	103.52	103.52	0.00	100.00
	25.2	Stree Nidhi Credit coop. fed. Ltd	2648.45	2648.45	0.00	100.00
		Sub Total	**2751.97**	**2751.97**	**0.00**	**100.00**
26		**Tripura**				
	26.1	Tripura (BC)	18207.10	13143.01	5064.09	72.19
	26.2	Tripura Gramin Bank	1201.92	1201.92	0.00	100.00
		Sub Total	**19409.02**	**14344.93**	**5064.09**	**73.91**
27		**Uttar Pradesh**				
	27.1	Uttar Pradesh (BC)	10845.53	10845.53	0.00	100.00
	27.2	Uttar Pradesh land Dev. & Sahkari Bank	6176.03	6176.03	0.00	100.00
	27.3	Gramin Bank of Aryavart	11024.53	11024.53	0.00	100.00
	27.4	Kashi Gomti SamyuktA Gramin Bank	950.53	950.53	0.00	100.00
	27.5	Sarv UP Gramin Bank	23.65	23.65	0.00	100.00
	27.6	Purvanchal Gramin Bank	8.39	8.39	0.00	100.00
		Sub Total	**29028.66**	**29028.66**	**0.00**	**100.00**
28		**UTTRAKHAND**				
	28.1	Uttrakhand Bahudehiya	410.13	402.01	8.12	98.02

17		**मणिपुर**				
	17.1	मणिपुर (ट्राईबल)	684.54	684.54	0.00	100.00
	17.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100.00
		उप योग	**775.98**	**775.98**	**0.00**	**100.00**
18		**उत्तर पूर्वी वित्त एवं विकास निगम**	**6533.36**	**6533.36**	**0.00**	**100.00**
19		**ओडिशा (बी.सी.)**	**2287.73**	**2287.73**	**0.00**	**100.00**
20		**पुडुचेरी**				
	20.1	पुडुचेरी (आदिद्रिदार)	177.65	177.65	0.00	100.00
	20.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	4753.40	4290.32	463.08	90.26
	20.3	पुडुवल भारतियर ग्राम बैंक	1719.03	1719.03	0.00	100.00
		उप योग	**6650.08**	**6187.00**	**463.08**	**93.04**
21		**पंजाब**				
	21.1	पंजाब (बी.सी.)	7446.15	7446.15	0.00	100.00
	21.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	7321.14	7321.14	0.00	100.00
		उप योग	**14767.29**	**14767.29**	**0.00**	**100.00**
22		**राजस्थान**				
	22.1	राजस्थान (एस.सी.)	462.81	462.81	0.00	100.00
	22.2	राजस्थान (बी.सी.)	7321.45	6651.55	669.90	90.85
		उप योग	**7784.26**	**7114.36**	**669.90**	**91.39**
23		**सिक्किम (एस.सी./एस.टी./बी.सी.)**	3548.53	3482.03	66.50	98.13
24		**तमिलनाडु**				
	24.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	108576.11	108576.11	0.00	100.00
	24.2	तमिलनाडु ग्राम बैंक	242.69	242.69	0.00	100.00
	24.3	तमिलनाडु (वीमेन)	52.67	52.67	0.00	100.00
		उप योग	**108871.47**	**108871.47**	**0.00**	**100.00**
25		**तेलंगाना**				
	25.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	103.52	103.52	0.00	100.00
	25.2	स्त्री निधि क्रेडिट कॉ-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	2648.45	2648.45	0.00	100.00
		उप योग	**2751.97**	**2751.97**	**0.00**	**100.00**
26		**त्रिपुरा**				
	26.1	त्रिपुरा (बी.सी.)	18207.10	13143.01	5064.09	72.19
	26.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	1201.92	1201.92	0.00	100.00
		उप योग	**19409.02**	**14344.93**	**5064.09**	**73.91**
27		**उतार प्रदेश।**				
	27.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	10845.53	10845.53	0.00	100.00
	27.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	6176.03	6176.03	0.00	100.00
	27.3	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त	11024.53	11024.53	0.00	100.00
	27.4	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	950.53	950.53	0.00	100.00
	27.5	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	23.65	23.65	0.00	100.00
	27.6	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	8.39	8.39	0.00	100.00
		उप योग	**29028.66**	**29028.66**	**0.00**	**100.00**
28		**उत्तराखंड**				
	28.1	उत्तराखंड बहुद्देशीय	410.13	402.01	8.12	98.02

	28.2	Uttrakhnad Gramin Bank	22.82	22.82	0.00	100.00
		Sub Total	**432.95**	**424.83**	**8.12**	**98.12**
29		**West Bengal**				
	29.1	West Bengal (BC)	8002.95	8002.95	0.00	100.00
	29.2	West Bengal (Minorties)	1017.17	1017.17	0.00	100.00
		Sub Total	**9020.12**	**9020.12**	**0.00**	**100.00**
30		**NGOS**	**158.32**	**146.11**	**12.22**	**92.28**
		Sub Total	**600972.12**	**588092.10**	**12880.02**	**97.86**
31		**Public Sector Banks**				
	31.1	Canara Bank	722.66	722.66	0.00	100.00
	31.2	Dena Bank	0.62	0.62	0.00	100.00
	31.3	Punjab National Bank	3666.23	3666.23	0.00	100.00
	31.4	Union Bank of India	2231.41	2231.41	0.00	100.00
	31.5	Vijaya /BOB Bank	14131.34	13143.02	988.32	93.01
		Sub Total	**20752.26**	**19763.94**	**988.32**	**95.24**
		Grand Total	**621724.38**	**607856.04**	**13868.34**	**97.77**

28.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	22.82	22.82	0.00	100.00
	उप योग	**432.95**	**424.83**	**8.12**	**98.12**
29	**पश्चिम बंगाल**				
29.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	8002.95	8002.95	0.00	100.00
29.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	1017.17	1017.17	0.00	100.00
	उप योग	**9020.12**	**9020.12**	**0.00**	**100.00**
30	**गैर सरकारी संगठन**	**158.32**	**146.11**	**12.22**	**92.28**
	उप योग	**600972.12**	**588092.10**	**12880.02**	**97.86**
31	**सार्वजनिक क्षेत्र बैंक**				
31.1	केनरा बैंक	722.66	722.66	0.00	100.00
31.2	देना बैंक	0.62	0.62	0.00	100.00
31.3	पंजाब नेशनल बैंक	3666.23	3666.23	0.00	100.00
31.4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2231.41	2231.41	0.00	100.00
31.5	विजया/बी.ओ.बी. बैंक	14131.34	13143.02	988.32	93.01
	उप योग	**20752.26**	**19763.94**	**988.32**	**95.24**
	कुल योग	**621724.38**	**607856.04**	**13868.34**	**97.77**

Annexure - 6

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

Details of Geographical Coverage for Disbursement of Loan

Fin Rs. Lakh
PHY: No. of bene.

Sl No.	NAME OF STATE	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted
1	ANDAMAN & NICOBAR	0.23	1
2	ANDHRA PRADESH	5980.54	4102
3	ASSAM	110.12	72
4	BIHAR	351.69	262
5	Chhattisgarh	1337.45	606
6	DELHI	0.55	1
7	GOA	128.21	22
8	GUJRAT	1585.49	998
9	HARYANA	656.29	702
10	HIMACHAL PRADESH	500.00	115
11	JAMMU & KASHMIR	208.88	84
12	JHARKHAND	152.13	102
13	KARNATAKA	3334.62	2795
14	KERALA	15888.43	25343
15	MADHYA PRADESH	374.07	212
16	MAHARASHTRA	895.28	542
17	MANIPUR	6.15	4
18	MEGHALYA	4.28	6
19	Mizoram	0.90	1
20	NAGALAND	1.66	1
21	ODISHA	317.61	244
22	PUDUCHERRY	923.32	1152
23	PUNJAB	1605.26	888
24	RAJASTHAN	373.24	291
25	SIKKIM	13.06	9
26	TAMIL NADU	12596.72	18377
27	TELANGANA	455.61	367
28	TRIPURA	173.48	108
29	UTTAR PRADESH	4668.91	3044
30	UTTRAKHAND	73.99	44
31	WEST BENGAL	35.62	25
	Grand Total	**52753.76**	**60520**
36	Total Nos. of State/ Uts		
	%AGE OF Geographical coverage		**86.11**

अनुलग्नक- 6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

ऋण वितरण के लिए भौगोलिक कवरेज का विवरण

वित्तीय: ₹ लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र.स.	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	0.23	1
2	आंध्र प्रदेश	5980.54	4102
3	असम	110.12	72
4	बिहार	351.69	262
5	छत्तीसगढ	1337.45	606
6	दिल्ली	0.55	1
7	गोवा	128.21	22
8	गुजरात	1585.49	998
9	हरियाणा	656.29	702
10	हिमाचल प्रदेश	500.00	115
11	जम्मू एवं कश्मीर	208.88	84
12	झारखंड	152.13	102
13	कर्नाटक	3334.62	2795
14	केरल	15888.43	25343
15	मध्य प्रदेश	374.07	212
16	महाराष्ट्र	895.28	542
17	मणिपुर	6.15	4
18	मेघालय	4.28	6
19	मिजोरम	0.90	1
20	नगालैंड	1.66	1
21	ओडिशा	317.61	244
22	पुडुचेरी	923.32	1152
23	पंजाब	1605.26	888
24	राजस्थान	373.24	291
25	सिक्किम	13.06	9
26	तमिलनाडु	12596.72	18377
27	तेलंगाना	455.61	367
28	त्रिपुरा	173.48	108
29	उत्तर प्रदेश	4668.91	3044
30	उत्तराखण्ड	73.99	44
31	पश्चिम बंगाल	35.62	25
	कुल योग	**52753.76**	**60520**
36	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या		
	भौगोलिक कवरेज का %		**86.11**

Annexure - 7

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

MARKETING LINKAGES (2024-2025)

Sl.No.	Name of Event/Exhibition	State	Date	No. of Beneficiaries
1.	India International Trade Fair	Delhi	14-27 Nov, 2024	34
2.	Shilp Samagam Mela (Dilli Hat)	Delhi	01-14 Nov, 2024	35
3.	Shilp Samagam Mela	Kerala	24-31, Dec, 2024	25
4.	Shilp Samagam Mela	Maharashtra	17-26, Jan, 2025	33
5.	Surajkund International Crafts Mela	Haryana	07-23 Feb.2025	16
6.	Maha Kumbh Mela	Uttar Pradesh	13 Jan. to 26 Feb. 25	12

Annexure -8

MAJOR OUTCOMES OF EVALUATION STUDIES FINALISED DURING FY 2024-25

UT – J&K		
1.	Percentage of Utilization for intended purpose	91%
2.	Percentage of Assets Creation after loan	77.4%
3.	Percentage of Income Enhancement after loan	89%

State : Tripura		
1.	Percentage of beneficiaries for overall satisfaction	95.25%
2.	Percentage of Utilization for intended purpose	89.75%
3.	Percentage of Assets Creation after loan	89.50%

अनुलग्नक- 7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

विपणन संयोजन (2024-25)

क्र.स.	प्रदर्शनी/कार्यक्रम का नाम	राज्य	तिथि	लाभार्थियों की संख्या
1.	अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला	दिल्ली	14-27 नवंबर, 2024	34
2.	शिल्प समागम मेला (दिल्ली हॉट)	दिल्ली	01-14 नवंबर, 2024	35
3.	शिल्प समागम मेला	केरल	24-31 दिसम्बर, 2024	25
4.	शिल्प समागम मेला	महाराष्ट्र	17-26 जनवरी, 2025	33
5.	अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला	हरियाणा	07-23 फरवरी, 2025	16
6.	महाकुंभ मेला	उत्तर प्रदेश	13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025	12

अनुलग्नक- 8

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख परिणाम

संघ राज्य क्षेत्र- जम्मू एवं कश्मीर		
1.	इच्छित उद्देश्य हेतु उपभोग का प्रतिशत	91%
2.	ऋण प्राप्ति के पश्चात परिसंपत्ति सृजन का प्रतिशत	77.4%
3.	ऋण प्राप्ति के पश्चात आय वृद्धि का प्रतिशत	89%

राज्य : त्रिपुरा		
1.	समग्र संतुष्टि हेतु लाभार्थियों का प्रतिशत	95.25%
2.	इच्छित उद्देश्य हेतु उपभोग का प्रतिशत	89.75%
3.	ऋण प्राप्ति के पश्चात परिसंपत्ति सृजन का प्रतिशत	89.50%

Annexure - 9

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

ADDENDUM TO THE DIRECTOR'S REPORT (2024-25)

Replies of Management of NBCFDC on the observation of Statutory Auditors given in their Report for the year 2024-25

Observations of Statutory Auditors	Replies of the Management
No Provision has been made for the liability on account of interest subvention @ 5% payable beyond the amount allocated by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, under VISVAS scheme. The amount of such liability is estimated to be Rs. 130 crores approximately. The net income has been overstated and the current liability has been understated to that extent (Refer note no. 15.3).	The VISVAS Scheme is a Centrally Sponsored Scheme (CSS) of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, implemented through CPSEs. The National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) functions solely as an implementing agency for the benefit of OBCs. The interest subvention is disbursed to the beneficiaries strictly from the funds released by the Ministry under the Scheme. NBCFDC does not bear any financial liability towards the interest subvention from its own corpus or internal resources. The Administrative Ministry has allocated fund of Rs. 49.80 Crs. (including committed liability) towards interest subvention for the FY 2024-25 against proposed loan to the tune of Rs. 996.01 Crs. The outlay is for a period of 5 years only. It is to appraise you that the Corporation had considered and disbursed interest subsidy claim for an amount of Rs. 9.33 Crs. against Quarter-1 FY 2024-25 with committed liability (maximum 5 years) which is within overall fund allocated of Rs.49.80 Crs. only. In addition to above, the Corporation also address to the ministry regarding the excess claim received from LIs beyond the SFC commitments w.r.t FY 2024-25. As such, the Corporation cannot assume or create any financial obligation beyond the amount received under the grant-in-aid. Hence, there is no requirement to create a provision in the books of accounts for the remaining interest subvention liability for the balance three quarters of FY 2024–25. Should there be any anticipated shortfall in the future, the same shall be communicated to the Ministry with a request for additional fund allocation under the scheme in consultation with the stakeholders and approval of GoI.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Bindu V C)
Director
(DIN No.07644408)

Place: New Delhi
Date: 01.09..2023

अनुलग्नक- 9

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

निदेशकों की रिपोर्ट पर परिशिष्ट (2024-25)

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर एनबीसीएफडीसी के प्रबंधन के उत्तर वर्ष 2024-25 के लिए उनकी रिपोर्ट में दिए गए हैं

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विस्वास योजना के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक देय 5% ब्याज अनुदान की देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार की देयता का अनुमानित राशि लगभग ₹130 करोड़ है। इस कारण शुद्ध आय को अधिक दर्शाया गया है तथा वर्तमान देयताओं को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है (संदर्भ टिप्पणी संख्या 15.3)।	विश्वास योजना" सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) है,जिसका क्रियान्वयन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थ पूर्णतः एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय से योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों मात्र से ही लाभार्थियों को ब्याज अनुदान वितरित किए जाते हैं। एनबीसीएफडीसी अपनी निधि या आंतरिक संसाधनों से ब्याज अनुदान के लिए कोई वित्तीय दायित्व वहन नहीं करता है। प्रशासनिक मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित ₹996.01 करोड़ के ऋण के सापेक्ष रू.49.80 करोड़ (प्रतिबद्ध देनदारी सहित) ब्याज अनुदान हेतु आवंटित किए हैं। यह परिव्यय केवल 5 वर्षों की अवधि के लिए है। निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही हेतु रू.9.33 करोड़ की ब्याज सब्सिडी द्वावा राशि (अधिकतम 5 वर्ष) पर विचार कर उसका वितरण किया है, जो कि कुल आवंटित निधि रू. 49.80 करोड़ माना की सामा के अन्दर है। इसके अतिरिक्त, निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के संबंध में एस.एफ.सी. की प्रतिबद्धताओं से अधिक ऋण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त प्राप्त दावों के विषय में मंत्रालय को अवगत कराया है। निगम द्वारा अपनी निधि से अनुदान सहायता के अंतर्गत राशि का भुगतान नहीं किया है; सभी भुगतान मंत्रालय से प्राप्त निधियों से ही किए गए हैं। तदनुसार, निगम का अनुदान राशि में अधिक कोई वित्तीय दायित्व नहीं हो सकता है। अतः वित्त वर्ष 2024-25 के बही-खाते में शेष 3 तिमाहियों के लिए शेष ब्याज सहायता का प्रावधान वांछित नहीं है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की निधि की कमी की संभावना उत्पन्न होती है, तो इसके संबंध में मंत्रालय को अवगत कराया जाएगा तथा हितधारकों से परामर्श के बाद और भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर योजना के तहत अतिरिक्त निधि आवंटन का अनुरोध किया जाएगा।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2025

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

Annexure - 10

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a framework of systems and practices designed to ensure that a company's affairs are managed with accountability, transparency, and fairness in all its transactions, while meeting stakeholder aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy on Corporate Governance rests on the principles of transparency, strict compliance with laws and procedures, and adherence to ethical standards to safeguard the interests of all stakeholders.

NBCFDC believes that good governance embodies trusteeship, empowerment, and accountability of the management, while remaining responsive to Government policies. The Corporation's primary objective is to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes, primarily through State Channelizing Agencies nominated by the respective State Governments and Union Territories, and additionally through Public Sector Banks and Regional Rural Banks that have entered into a Memorandum of Agreement with the Corporation. NBCFDC consistently strives to adopt and implement best practices in corporate governance, with the aim of enhancing stakeholder value and contributing to the well-being of society at large.

1. Board of Directors: Composition

NBCFDC is a Government of India company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. The President of India through the Ministry of Social Justice & Empowerment carries out the appointment or nomination of all Directors. As per the Corporation's Articles of Association, the Board shall consist of not less than four and not more than thirteen Directors.

The Board comprises a Whole-Time Director, i.e., the Managing Director, along with part-time, non-executive, and Government Directors who bring a diverse range of skills, expertise, and extensive experience in their respective fields. Representing varied professional backgrounds, the Board members contribute valuable perspectives to the Corporation's governance.

The Board is committed to optimizing value for all stakeholders, including shareholders, employees, channel partners, and society at large. It is responsible for defining the Corporation's policies and programmes and for overseeing their effective implementation.

None of the Directors or Key Managerial Personnel (KMP) of the Company are related to each other, and there are no inter-se relationships among them. As on March 31, 2025, none of the Non-Executive Directors holds equity shares in the Company, except Shri Amit Kumar Ghosh, Official Director, who holds one (1) equity share on behalf of the President of India

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships other than NBCFDC
Shri Rajan Sehgal (DIN 03633935)	Executive	2/2	Yes	-
Shri Amit Kumar Ghosh (DIN 01092172)	Non-Executive	2/2	Yes	-
Smt. Debolina Thakur * (DIN 10781506)	Non-Executive	1/2	No	3
Shri S S Vaseeharan (DIN 09662775)	Non-Executive	2/2	No	1
Shri Sanjay Pandey$ (DIN 08453230)	Non-Executive	0/2	No	3
Shri Rajnish Kumar Jenaw $$ (DIN 09056584)	Non-Executive	1/2	No	2
Dr. Subhransu Sekhar Acharya (DIN 06727939) $$$	Non-Executive	1/2	No	2
Shri Sanjay Kumar Singh $$$$ (DIN 09403132)	Non-Executive	1/2	No	-
Smt. Pinki Kumari $$$$ (DIN 09433819)	Non-Executive	1/2	No	-

Note:
* Appointed as Director w.e.f. 31.01.2025
$ Ceased to be Director w.e.f. 01.04.2024
$$ Ceased to be Director w.e.f. 31.08.2024
$$$ Ceased to be Director w.e.f. 08.07.2024
$$$$ Ceased to be Directors w.e.f. 09.11.2024

अनुलग्नक- 10

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन एक ऐसा ढांचा है जिसमें प्रणालियों और प्रक्रियाओं का समावेश होता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के सभी लेन-देन में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्यों का प्रबंधन किया जाए, साथ ही हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जाए। निगम का कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी दृष्टिकोण पारदर्शिता, कानूनों एवं प्रक्रियाओं के कड़ाई से पालन, और नैतिक मानकों का अनुपालन करने के सिद्धांतों पर आधारित है, ताकि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा से आबद्ध रहना।"

एनबीसीएफडीसी का मानना है कि सुशासन में प्रबंधन की न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व , साथ ही सरकारी नीतियों के प्रति उत्तरदायी रहना भी सम्मिलित है। निगम का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लाभ हेतु आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जो मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जाता है, जिन्होंने निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनबीसीएफडीसी लगातार कॉरपोरेट गवर्नेंस में सर्वोत्तम प्रथाओ को अपनाने और लागू करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना और संपूर्ण समाज के कल्याण में योगदान देना है।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्नियमों के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से, सभी निदेशकों की नियुक्ति या नामित करते हैं। निगम के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम चार और अधिकतम तेरह निदेशक होंगे।

निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक, अर्थात प्रबंध निदेशक, के साथ-साथ अंशकालिक, गैर-कार्यकारी और सरकारी निदेशक सम्मिलित होते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में विविध प्रकार के कौशल, विशेषज्ञता और व्यापक अनुभव लेकर आते हैं। विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, निदेशक मण्डल के सदस्य निगम के प्रशासन में बहुमूल्य योगदान करते हैं।

निदेशक मंडल सभी शेयरधारकों, कर्मचारियों, चैनल सहभागियों और समग्र समाज सहित सभी हितधारकों के लिए अधिकतम अहमियत अनुकूलन हेतु प्रतिबद्ध है। यह निगम की नीतियों और कार्यक्रमों को परिभाषित करने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।"

कंपनी का कोई भी निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, और उनके बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार श्री अमित कुमार घोष, गैर कार्यकारी निदेशक, जिनके पास भारत के राष्ट्रपति की ओर से कंपनी का एक (01) इक्विटी शेयर हैं, को छोड़कर किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी का इक्विटी शेयर नहीं हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती/डा.)	श्रेणी	निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति/ निदेशक के रुप में नियुक्ति के बाद कुल बैठकें	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया(हॉं/नहीं)	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अलावा निदेशक पद पर नियुक्ति की सं.
श्री राजन सहगल (डिन 3633935)	कार्यकारी	2/2	हाँ	-
श्री अमित कुमार घोष (डिन 01092172)	गैर- कार्यकारी	2/2	हाँ	-
श्रीमती देबोलिना ठाकुर * (डिन 10781506)	गैर- कार्यकारी	1/2	नहीं	3
श्री एस एस वसीहरन (डिन 09662775)	गैर- कार्यकारी	2/2	नहीं	1
श्री संजय पाण्डेय $ (डिन 08453230)	गैर- कार्यकारी	0/2	नहीं	3
श्री रजनीश कुमार जैनव $$ (डिन 09056584)	गैर- कार्यकारी	1/2	नहीं	2
डा0 सुभ्रांशू शेखर आचार्य $$$ (डिन 06727939)	गैर- कार्यकारी	1/2	नहीं	2
श्री संजय कुमार सिंह $$$$ (डिन 09403132)	गैर- कार्यकारी	1/2	नहीं	-
श्रीमती पिंकी कुमारी $$$$ (डिन 09433819)	गैर- कार्यकारी	1/2	नहीं	-

नोटः * दिनांक 31.01.2025 से निदेशक के रूप में नियुक्ति
$ दिनांक 01.04.2024 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त
$ $दिनांक 31.08.2024 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त
$ $ $ दिनांक 08.07.2024 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त
$ $ $ $ दिनांक 09.11.2024 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

2. Responsibilities

The Board follows a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision, which includes reviewing the Corporation's performance, ensuring appropriate accountability in the management of financial resources, and reporting to the shareholders.

Further, at the beginning of each financial year, the Corporation enters into an annual Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, outlining targets in both financial and non-financial areas, with weightages determined in consultation with the Government. The Company's performance is assessed at the end of the year against these agreed targets. Progress under the MoU is reviewed regularly on a quarterly basis both within the Company and by the administrative Ministry. Any slippages identified during these reviews are discussed, and appropriate remedial actions are recommended in these forums.

At the end of each financial year, the Corporation furnishes its MoU achievements report to the Ministry of Social Justice & Empowerment. The Ministry of Social Justice & Empowerment then evaluates the performance of the Company jointly and the Department of Public Enterprises, based on the actual achievements against the targets set out in the signed MoU.

3. Board Meetings

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

Meetings of the Board of Directors are generally held at the Corporation's Registered Office in New Delhi and are scheduled well in advance. In case of exigencies or urgent matters, resolutions may be passed by circulation. The Board meets at least once every quarter to review the quarterly performance and financial results, and it plays a primary role in ensuring good governance and effective functioning of the Company.

Board meetings are conducted in accordance with a structured agenda, supported by comprehensive agenda notes containing all relevant information to facilitate focused discussions and informed decision-making. The agenda and agenda notes are circulated to all Directors in advance of each meeting. Where it is not practical to include certain information in the agenda papers, the same is tabled during the meeting. The Board takes all decisions after thorough deliberations. During the financial year 2024–25, two meetings of the Board were held. The attendance of Directors at these meetings is as follows:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
135	11.07.2024	SHRI RAJAN SEHGAL,MD,NBCFDC SHRI AMIT KUMAR GHOSH,AS(BC), M/O SJ&E SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,CMD, NSFDC SHRI S S VASEEHARAN,GM, NABARD(Through VC) SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI,NOD	CGM,SIDBI MD,TRIFED
136	31.01.2025	SHRI RAJAN SEHGAL,MD,NBCFDC SHRI AMIT KUMAR GHOSH,AS(BC), M/O SJ&E SHRI DEBOLINA THAKUR, JS&FA, M/O SJ&E SHRI S S VASEEHARAN,GM, NABARD	--

3.3. Code of Conduct

NBCFDC adheres to a well-defined Code of Conduct that addresses matters of integrity, conflict of interest, and confidentiality, and underscores the importance of ethical conduct as the foundation of good governance. The Code of Conduct is applicable to both Board-level functionaries and officers below the Board level, i.e., from one grade below the Board up to the General Manager cadre. A copy of the Code is available on the Corporation's website at www.nbcfdc.gov.in. All Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed their compliance with the Code of Conduct.

4. Sub-Committees of the Board

The Board of Directors of the Corporation has constituted various sub-committees of Directors to look

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक सूची जो इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु आरक्षित होती है जिसमें कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की समीक्षा, वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में उचित जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, के साथ एक वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों क्षेत्रों में लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, और इन लक्ष्यों के भारांक सरकार के साथ परामर्श कर तय किए जाते हैं। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन वर्ष के अंत में इन सहमत लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है। एमओयू के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर कंपनी के भीतर और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इन समीक्षाओं के दौरान चिन्हित किसी भी कमी पर चर्चा की जाती है और इन मंचों पर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।

निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अपना एमओयू उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके उपरान्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के साथ मिलकर, हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूँकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं और इनका समय निर्धारण पर्याप्त समय पहले किया जाता है। आवश्यकता या तात्कालिकता की स्थिति संकलन द्वारा प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है, ताकि तिमाही कार्यनिष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा की जा सके। यह कंपनी के अच्छे प्रशासन और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है।

निदेशक मण्डल की बैठकें एक संरचित एजेंडा के अनुसार संचालित की जाती है, जिसमें सभी प्रासंगिक सूचना वाली विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है, ताकि बैठक में केन्द्रित विचार-विमर्श हो और संसूचित निर्णयन हो सके। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया जाता है। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मण्डल की 2 बैठकें आयोजित की गई। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

बैठक सं	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
135	11.07.2024	श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री अमित कुमार घोष, अपर सचिव(बी.सी), सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री रजनीश कुमार जैनव, अ. एवं प्र.नि., एन..एस.एफ.डी.सी श्री वसीहरन एस एस, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक श्रीमती पिंकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	मुख्य महाप्रबन्धक, सिडबी प्र.नि.,ट्राईफेड
136	31.01.2025	श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री अमित कुमार घोष, अपर सचिव(बी.सी), सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्रीमती देबोलिना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री वसीहरन एस एस, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	--

3.3 आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। आचार संहिता की प्रति निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. निदेशक मण्डल की उप-समितियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के

into different areas of strategic impotence in terms of Companies Act 2013 as well as Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE.

4.1 Audit Committee

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act, 2013 (earlier Section 25 of the Companies Act, 1956) as a not-for-profit company. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company; rather, it is a Private Government Company and is not listed on any Stock Exchange. Since the Company does not fall within the definition of a listed Public Company, the statutory requirement for constitution of an Audit Committee was not applicable.

However, in alignment with the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by the Department of Public Enterprises (DPE) from time to time. During the financial year, two meetings of the Audit Committee were held on 11.07.2024 and 31.01.2025. The attendance of the Members at these meetings is as follows:

AUDIT COMMITTEE MEETING NO.	HELD ON	MEMBERS PRESENT	MEMBERS ABSENT
27	11.07.2024	Shri Rajan Sehgal,MD, NBCFDC Shri S.S. Vaseeharan, GM,NABARD Shri Sanjay Kumar Singh,NOD	--
28	31.01.2025	Ms. Debolina Thakur, JS&FA,MOS&JE Shri Rajan Sehgal,MD, NBCFDC Shri S.S. Vaseeharan, GM,NABARD	--

The Audit Committee serves as a vital link between the Management, the Auditors, and the Board of Directors, overseeing the financial reporting process. During the year under review, the Committee met with the Auditors to obtain their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The composition of the Audit Committee as on 31.03.2025 is as follows:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Ms. Debolina Thakur, JS&FA,MOS&JE, Chairperson	Official Director
Shri Rajan Sehgal,MD, NBCFDC, Member	Functional Director
Shri S.S. Vaseeharan, GM,NABARD, Member	Non-Executive Director

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

4.2 CSR Committee

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014. The role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The composition of CSR committee as on 31.03.2025 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Shri Amit Kumar Ghosh,AS(BC), M/O SJ&E, Chairman	Official Director
Ms. Debolina Thakur, JS&FA,MOS&JE,Member	Official Director
Shri Rajan Sehgal,MD, NBCFDC,Member	Functional Director
Shri S.S. Vaseeharan, GM,NABARD, Member	Non-Executive Director

4.3 Remuneration Committee

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/variable pay pool for employees of the Corporation. During the financial year, only one meeting of the Remuneration Committee held on 31.01.2025. Attendance of the Members at the above Remuneration Committee meetings has been as under:

REMUNERATION COMMITTEE MEETING NO.	HELD ON	MEMBERS PRESENT	MEMBERS ABSENT
15	31.01.2025	Ms.Debolina Thakur,JS&FA, M/o SJ&E Shri Rajan Sehgal,MD, NBCFDC Shri S S Vaseeharan,,GM,NABARD	--

The composition of Remuneration committee as on 31.03.2025 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Ms. Debolina Thakur, JS&FA,MOS&JE, Chairman	Official Director
Shri Rajan Sehgal,MD, NBCFDC, Member	Functional Director
Shri S.S. Vaseeharan, GM,NABARD, Member	Non-Executive Director

5. Remuneration to Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of

अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि रखने हेतु निगम के निदेशक मण्डल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

4.1 लेखा-परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है; बल्कि, यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन की वैधानिक आवश्यकता लागू नहीं होते हैं।

तथापि, समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप। वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की मात्र दो बैठकें दिनांक 11.07.2024 और 31.01.2025 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

लेखा-परीक्षा समिति बैठक सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अनुपस्थित सदस्य
27	11.07.2024	श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री वसीहरन एस एस, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक	--
28	31.01.2025	श्रीमती देबोलिना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री वसीहरन एस एस, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	--

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए लेखापरीक्षा समिति एक महत्वपूर्ण संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार हैः

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्रीमती देबोलिना ठाकुर,संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. , सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री एस. एस. वसीहरन,महाप्रबन्धक, नाबार्ड, सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से को-टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

4.2 सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची-VII तथा कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार है। अन्य विषयों के साथ-साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित है

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख-रेख एवं क्रियान्वयन।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री अमित कुमार घोष, अपर सचिव(बी.सी), सा.न्या. और अधि. मंत्रालय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्रीमती देबोलिना ठाकुर,संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. , सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री एस.एस. वसीहरन,महाप्रबन्धक, नाबार्ड, सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक

4.3. पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर-यूनियनकृत पर्यवक्षकों के लिए 01.01.2017 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक केंन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर- यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया गया। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र एक बैठक दिनांक 31.01.2025 को हुई थी। उपरोक्त पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही:

पारिश्रमिक समिति बैठक सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अनुपस्थित सदस्य
15	31.01.2025	श्रीमती देबोलिना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी श्री वसीहरन एस एस, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	--

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्रीमती देबोलिना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहीकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय,अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्री राजन सहगल,प्र.नि.,एन.बी.सी.एफ.डी.सी. , सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री एस.एस.वसीहरन, नाबार्ड, सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक

5 निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित

Managing Director is decided by the Government of India. The Government's letter of appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

5.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

5.2 Independent Directors

Independent Directors are currently paid sitting fee of ₹ 5000/- per meeting of Board/Committee of Board attended which is within the overall limit prescribed under the Companies Act 2013.

5.3. Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in.

6. Risk Management

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

7. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

Sl. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2021-2022	28.09.2022 1130 hours	New Conference Room No. 627, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
2	2022-2023	18.09.2023 1230 hours	New Conference Room No. 627, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3	2023-2024	25.09.2024 1100 hours	Old Conference Room No. 603, A-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

8. Disclosures

a. There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.

b. The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.

c. There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.

d. The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act.

9. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.03.2025 is ₹ 1514.40 Crore. The Corporation received no budgetary support from the Govt. of India during the year under report. Against the paid up capital received from Govt. of India 1,51,43,999 shares of ₹ 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. 01 share of ₹ 1000/- only has been allotted and registered in the name of Additional Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India on behalf of President of India.

10. Means of Communication

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/ performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee and other such committees, from time to time.

For & on behalf of Board of Directors,

Place: New Delhi
Date: 01.09..2023

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Bindu V C)
Director
(DIN No.07644408)

किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा-शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगें।

5.1 सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन-देन नहीं किया गया।

5.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में निदेशक मण्डल/निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक रु. 5000/- का भुगतान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित सम्पूर्ण सीमा के अन्दर है।

5.3 वार्षिक रिर्टन का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिर्टन का अंश फार्म एमजीटी-9 कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड किया गया है।

6. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में, उचित जोखिम मूल्यांकन, प्रबंधन और न्यूनतम ढांचे के साथ-साथ आंतरिक मूल्यांकन ढांचे, एकीकृत और कॉरपोरेट के साथ एकरूप करने हेतु एक जोखिम प्रबंधन नीति को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2021-2022	28.09.2022 1130 बजे	न्यू कांफ्रेस कक्ष सं. 627, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2	2022-2023	18.09.2023 1230 बजे	न्यू कांफ्रेस कक्ष सं. 627, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
3	2023-2024	25.09.2024 1100 बजे	पुराना कांफ्रेस कक्ष सं. 603, ए- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

8. प्रकटन

क) निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा हुआ हो।

ख) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार किया है।

ग) प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।

घ) वित्तीय विवरण लागू आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम के संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

9. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2025 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1514.40 करोड़ है। निगम को संदर्भाधीन अवधि में वर्ष के दौरान भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं प्राप्त हुई है। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रु. 1000/- प्रत्येक के 1,51,43,999 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमित्त रु. 1000/- मात्र का 01 शेयर सरकारी हैसियत से अपर सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

10. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य-निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय-समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/स्थायी समिति एवं इस प्रकार की अन्य समितियों द्वारा भी समय-समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2025

VAP & Associates
Company Secretaries

Head Office:
105, Charms Solitaire, Ahinsa Khand -2,
Indirapuram, Ghaziabad-201014, U.P.
Tel:+91-0120-4272409 M:+91-9910091070
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To

The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
5th Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area,
Khelgaon Marg, New Delhi - 110016.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company'), having CIN: U74899DL1992NPL047146, for the financial year ended 31st March, 2025, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the abovementioned DPE Guidelines, except the following observations:

1. The composition of the Board and its Committees was not in compliance with the DPE Guidelines. One-third of the Board was not comprised of Independent Directors. Further, as per the Guidelines, two-thirds of the Audit Committee members are required to be Independent Directors and its Chairperson must be an Independent Director. Similarly, all members of the Remuneration Committee are required to be part-time Directors, i.e., Nominee Directors or Independent Directors, and the Committee must be chaired by an Independent Director.

2. The Board shall convene at least once every three months, ensuring that the interval between any two Board Meetings does not exceed three months. However, upon examination of the Company's records, it was observed that has met only three times during the year and the intervals between the Board Meetings held on 11.07.2024 and 31.01.2025 exceeded the stipulated three-month period.

3. The Audit Committee should meet at least four times in a year and not more than four months shall elapse between two meetings. However, upon reviewing the Company's records, we observed that the interval between the meetings held on 11.07.2024 and 31.01.2025 exceeded this four-month limit.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Sd/-
Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323G001122458

Place: Ghaziabad
Date: 30.08.2025

VAP & Associates
Company Secretaries

Head Office:
105, Charms Solitaire, Ahinsa Khand -2,
Indirapuram, Ghaziabad-201014, U.P.
Tel:+91-0120-4272409 M:+91-9910091070
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्यगण
नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ('द कंपनी')
5वाँ तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली - 110016

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी), जिसका सीआईएन: U74899DL1992NPL047146 है, के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, हमने संगत बहियों, रिकार्ड और विवणियों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा-निर्देशों एवं संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005-जीएम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में ग्राह्य उक्त कथित दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित समस्त दशाओं का निगम द्वारा अनुपालन किया गया है; निम्नलिखित प्रेक्षणों के अतिरिक्तः

1. निदेशक मण्डल और इसकी समितियों की संरचना डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। निदेशक मण्डल का एक तिहाई भाग स्वतंत्र निदेशकक्रों से गठित नहीं था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होना वांछनीय है तथा इसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। इसी प्रकार, पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक (अर्थात नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक) होना वांछनीय हैं तथा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।

2. निदेशक मण्डल प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि किन्हीं दो निदेशक मण्डल बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से अधिक न हो। तथापि, कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने पर, पर यह पाया गया कि निदेशक मण्डल की बैठकें वर्ष के दौरान केवल तीन बार आयोजित की गई और 11.07.2024 तथा 31.01.2025 को आयोजित बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल निर्धारित तीन माह की अवधि से अधिक था।

3. लेखा परीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों की समीक्षा करने पर हमने पाया कि 11.07.2024 और 31.01.2025 को आयोजित बैठकों के बीच का अंतराल निर्धारित चार माह की सीमा से अधिक था।

हम आगे यह व्यक्त करते है कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए ना तो भविष्य की व्यवहारिकता के रूप मे आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्
कम्पनी सचिव
फर्म पंजीकरण सं. P2023UP098500
पीर रिवियू सं. 1083/2021

ह0/-
पारूल जैन
प्रबंध भागीदार
सदस्य सं. एफ. 8323
सी.पी.न. 13901
यूडीआईएनः F008323G001122458

स्थानः गाज़ियाबाद
दिनांकः 30.08.2025

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

No. CW/1-17/NBCFDC/2025-26/900 **Date: 26.09.2025**

To,

The Managing Director,
National Backward Classes Finance Development Corporation,
5th Floor, NCUI Building,
3, Siri Industrial Area, August Kranti Marg,
New Delhi-110016

Subject: Comment Certificate on the Financial Statements of National Backward Classes Finance Development Corporation for the year ended 31" March 2025.

Sir,

Please find attached along with this letter Comment certificate of the Comptroller & Auditor General of India on the Financial Statements of National Backward Classes Finance Development Corporation for the year ended 31 March 2025. Management Letter, if any, on the financial statements will follow the issue of this communication.

You are requested to acknowledge the receipt of this communication.

Yours faithfully

एकता सिंह

(Ekta Singh)
Dy. Director (CAW)

Encl.: As above.

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI-110002

सं. CW/1-17/NBCFDC/2025-26/900 **दिनांक: 26.09.2025**

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,
5वीं मंज़िल, एन.सी.यू.आई. भवन,
3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली – 110016

विषय: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी प्रमाणपत्र।

महोदय,

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी प्रमाणपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन पत्र, यदि कोई हो, इस पत्राचार के जारी होने के उपरांत जारी किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

एकता सिंह

(एकता सिंह)
उप निदेशक (सीएडब्ल्यू)

संलग्नक.: उपरोक्त।

OMMENT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION, NEW DELHI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of National Backward Classes Finance & Development Corporation, New Delhi in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under section 143(2) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 03.09.2025 which supersedes their earlier report dated 25.07.2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Backward Classes Finance & Development Corporation, New Delhi for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. COMMENT ON AUDITOR'S REPORT:

A.1 Basis for Qualified Opinion:

The Independent Auditor has included a Qualified Opinion paragraph in his audit report following the "Basis for Opinion" section reporting that No Provision has been made for the liability on account of interest subvention @ 5% payable beyond the amount allocated by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, under VISVAS scheme. The amount of such liability is estimated to be Rs. 130 crores approximately. The net income (excess of income over expenditure) has been overstated and the current liability has been understated to that extent (Refer note no. 15.3).

In this regard, the following was observed:

i. VISVAS is a Central Sector Scheme of the Ministry of Social Justice & Empowerment that delivers 5% interest subvention through Direct Benefit Transfer to eligible Backward Classes, Safai Karamcharis, and Scheduled Castes. The Corporation was appointed as one of three agencies by MoSJ&E to implement the scheme with banks, receiving an annual interest subvention fund Rs.9.96 crore in 2024-25-for this purpose.

ii. Lending Institutions are required to collect, validate, and upload eligible beneficiary data on the VISVAS portal as per scheme guidelines, after which the Corporation reviews and confirms the details. Funds are disbursed directly to beneficiaries via PFMS, strictly according to available funds with the Corporation. The Corporation holds no liability for any beneficiary claims to banks beyond actual funds released.

The auditor erroneously assessed interest subvention liability at Rs.130 crore by extrapolating a Rs. 35 crore quarterly claim and subtracting the prior allotted interest subvention fund (Rs. 9.96 crore), which is conjectural. The liability cannot exceed the Rs.9.96 crore granted, nor be recognized without documentary evidence or corporation obligation.

Therefore, reporting by the Independent Auditor was incorrect to this extent.

For & on behalf of
The Comptroller & Auditor General of India

(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi

Date: 26.09.2025
Place: New Delhi

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2025 को समाप्त खाते पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन को तैयार करने का दायित्व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(2) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह व्यक्त किया जाता है कि यह उनके द्वारा किया गया, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट दिनाँक 03.09.2025 का अवलोकन करें जो उनके पूर्व प्रतिवेदन दिनाँक 25.07.2025 का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत वित्तीय लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांवधिक लेखापरीक्षकों के आधार पत्रों की पहुंच के बिना की गई है एवं सांवधिक लेखापरीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है।

पूरक लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित करना चाहता हूँ, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरी दृष्टि में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है:

क. लेखापरीक्षक प्रतितवेदन पर टिप्पणी:

क.1 अभिप्रमाणित अभिमत का आधार:

स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा उनकी अपनी रिपोर्ट में मान्य अभिमत पैरा सम्मिलित किया गया है, जिसमें ''अभिमत के आधार'' खण्ड में रिपोर्टिंग की गई है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की 'विश्वास योजना' के तहत आबंटित धनराशि से अधिक देय 5% ब्याज सहायता मद के खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे दायित्व की राशि लगभग रू. 130 करोड़ अनुमानित है। शुद्ध आय (व्यय से आय का आधिक्य) को अधिक दिखाया गया है और वर्तमान दायित्व को उसी सीमा तक कम दिखाया गया है (टिप्पणी सं. 15.3 का संदर्भ लें)।

इस संबंध में, निम्न प्रेक्षण किए गए:

i. विस्वास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो पात्र पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मियों और अनुसूचित जातियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 5% ब्याज सहायता प्रदान करती है। इस योजना को लागू करने के लिए निगम को तीन एजेंसियों में से एक के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बैंकों के साथ कार्यान्वयन हेतु नियुक्त किया गया था, और इसके लिए वर्ष 2024-25 में ₹9.96 करोड़ वार्षिक ब्याज सहायता निधि प्राप्त हुई है।

ii. ऋण संस्थाओं को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थी का डेटा संग्रहण, सत्यापन और विस्वास पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है, जिसके बाद निगम विवरणों की समीक्षा कर पुष्टि करता है। निगम के पास उपलब्ध राशि के अनुसार, पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को वितरित की जाती हैं। निगम का किसी भी लाभार्थी के बैंक से किए गए दावों के लिए, वास्तविक रूप से जारी की गई निधियों से अधिक कोई दायित्व नहीं है।

लेखापरीक्षक ने त्रुटिवश ₹ 35 करोड़ की त्रैमासिक दावा राशि को आधार बनाकर और पूर्व में आवंटित ₹ 9.96 करोड़ की ब्याज अनुदान निधि को घटाकर, ब्याज अनुदान देनदारी को ₹130 करोड़ के रूप में अनुमानित किया जो केवल कल्पनात्मक है

अतः स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई रिपोर्टिंग इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से एवं उनके निमित्त

(सौरव कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली

दिनांक: 26.09.2025
स्थान: नई दिल्ली

D.C. GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No. 500035N

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members

National Backward Classes Finance and Development Corporation

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statement of National Backward Classes Finance and Development Corporation ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Statement of Income & Expenditure (including Comprehensive Income), Statement of changes in Equity, Statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the Qualified Opinion, paragraph below, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ('Act') in the manner so required and give true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, ("Ind AS")and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2025, its Surplus, changes in equity and its statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Qualified Opinion

No Provision has been made for the liability on account of interest subvention @ 5% payable beyond the amount allocated by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, under VISVAS scheme. The amount of such liability is estimated to be Rs. 130 crores approximately. The net income has been overstated and the current liability has been understated to that extent (Refer note no. 15.3).

Emphasis of Matter

We draw attention to the fact that the Corporation had formulated a Risk Management Policy in the year 2019, however the said policy has not been fully implemented. Further, the policy require substantial improvement to align with Global Best Practices and ensure a robust risk management framework.

डी.सी.गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं. 500035एन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

अभिमत

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ("एक निगम") के अंकेक्षित एकल वित्तीय वक्तव्यों जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य(व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं एकल वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, "नीचे दिए गए परिसीमित अभिमत अनुच्छेद में वर्णित विषय के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखाकरण मानक(भा.ले.मा.), लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की 31 मार्च, 2025 को स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस ए एस) के अनुसार प्रथक भारतीय लेखाकरण मानकों के रूप एकल वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं वह हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

परिसीमित अभिमत

विस्वास योजना के अंतर्गत 5% की ब्याज सबवेंशन देयता, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि से अधिक है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस देयता का अनुमानित मूल्य लगभग ₹130 करोड़ है। इस कारण से, शुद्ध आय अधिक दिखायी गई है, और वर्तमान देयताएँ कम दर्शाई गई हैं (वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 15.3 को देखें)।

महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यानाकर्षण

हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि निगम ने वर्ष 2019 में एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की थी, किंतु यह नीति पूर्ण रूप से नहीं की गई है।इसके अतिरिक्त, वर्तमान नीति को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मेल बढ़ाने और एक मजबूत और प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।

Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment were of most significant in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters rare not applicable to the company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that ate reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concrn and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements

Our objective are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free form material misstatement, whether due to fraud or error, and issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान एकल वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कपंनी पर लागू नहीं हैं क्योकि यह एक असूचीबद्ध कपंनी है।

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

एकल वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते है, जो उस पर परिणामतः हो।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

एकल वित्तीय खातों के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रभारी लोगों का दायित

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व-इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन सम्मिलित है एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलत है।

कंपनी की योग्यता का आकलन करने हेतु वित्तीय लेखों को दैनिक आधार पर तैयार करना एवं लेखाकरण का दैनिक आधार पर प्रयोग करना जब तक कि कंपनी को बंद करने की अथवा संचालन को रोकने की इच्छा प्रबंधन की न हो अथवा उचित विकल्प न हो, फिर भी ऐसा करें, कि प्रकटन का दायित्व प्रबंधन का है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

एकल वि त्तीय खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वः

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके । गलत बयानबाज धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद

throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for on resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls systems in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained upto the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and were applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in or report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

1. The provisions of the Companies (Audit Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भी

- वित्तीय विवरणों के संबंध में भौतिक गलत बयानबाजी की पहचान की और मूल्यांकन चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि से, अंकेक्षण प्रक्रिया का उन जोखिमों हेतु जिम्मेदार है; अंकेक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए उपयुक्त एवं समुचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी से भौतिक गलत बयानबाजी का पता न लगाने के खतरे का परिणाम त्रुटि से होने वाले खतरे से अधिक से होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण को नजरअंदाज करना सम्मिलित होते हैं।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टी प्रकटन का मूल्यांकन किया।

- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को बदलना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सतत्ता समाप्त हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार है जो उचित प्रस्तुीकरण करते हैं।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानबाजी की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि समुचित जानकार व्यक्ति के आर्थिक निर्णय एकल वित्तीय विवरण को प्रभावित कर सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं: (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में अधिकार दिए गए है आयोजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं अंकेक्षण का समय, महत्वपूर्ण अंकेक्षण परिणाम जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ सम्मिलित हैं; जिन्हें हमने अंकेक्षण अवधि में चिन्हित किया है, को संसूचित करते हैं।

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा व अन्य मामलों को संसूचित करना है। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे; अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश 2020 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं किः

क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears form our examination of those books;

c. The balance sheet, the statement of income and expenditure including other comprehensive income, statement of changes in equity and the statement of cash flow dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under section 133 of the Act.

e. Being a Government Company, pursuant to the Notification no. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of the section 164 of the Act, is not applicable to the company.

f. With respect to the adequacy of internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements.

g. As per Notification no. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, section 197 of the Act is not applicable to the Government companies. Accordingly, reporting in accordance with the requirement of the provisions of section 197(16) of the Act is not applicable to the company.

h. With respect to the other matters to be included in the Auditors Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

   i. The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position in its standalone financial statement.

   ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

   iii. Regarding this clause which deals with the delay, if any, in transferring amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable being section 8 of the Companies Act, 2013 company.

   iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, to the Standalone Financial Statements, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entity ("intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediary shall, whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate beneficiaries;

   (b) The management has represented that to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been received by the company form any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties") with the understanding, whether, directly or indirectly, lend, or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding party ("Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

   (c) Based on audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

   v. The company has neither declared nor paid any dividend during the year.

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और अन्य व्यापक आय सहित नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. GSR 463(E) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्ययाप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, नए "अनुलग्नक ए" पर दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

छ) भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. GSR 463(E) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

ज) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः –

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके एकल वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया होगा।

ii. कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।

iii. विलंब से संबंधित उप-नियम के संबंध में यदि कोई हो, धनराशि अंतरित करने में, जिसे कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्सन फंड में अंतरित करना अपेक्षित हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 की कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं है।

iv. (क) प्रबंधन ने वर्णन किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकल वित्तीय विवरणों में, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ ") भी शामिल है, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्ररूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश (न तो उधार ली गई धनराशि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा निधियों के प्रकार से) वचन-बंध से नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रबंधन ने वर्णन किया है, कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहींकिया गया है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से किसी भी तरह से उधार या निवेश या अंतिम लाभार्थियों के निमित्त कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा इस जैसे अन्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत व उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहींआया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) व (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण सम्मिलि त हो।

v. वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही दिया है।

vi. Based on our examination, which includes test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended 31st March, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software's. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tempered with and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention.

3. As required under section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose herewith as per "Annexure B" our report for the company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For D.C Garg & Company
Chartered Accountants
Firm Registration no. 500035N

Sd/-
(Sandeep Garg)
Partner
Membership no. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Date: 25.07.2025
Place: Delhi

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच सम्मिलित है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की बहियों को बनाए रखने के लिए एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे अंकेक्षण के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला और कंपनी द्वारा अभिलेख संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षण ट्रेल को सुरक्षित रखा गया है।।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

कृते डी.सी. गर्ग एंड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन. 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. 075312
यू.डी.आई.एन.: 25075312BMJKMJ1405

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 25.07.2025

ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Backward Classes Finance and Development Corporation ("the Corporation") as of 31st March, 2025 in conjunction with our audit of standalone financial statement of the company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The company's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). These responsibilities include design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of it's assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls systems over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my/ our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तिथि पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम') की धारा-143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय लेखों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडेंस टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना जिसमें भौतिक कमजोरी मौजूद हो, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु प्रर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन-देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन-देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has, in all material respects has an adequate internal financial control system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For D.C Garg & Company
Chartered Accountants
Firm Registration no. 500035N

Sd/-
(Sandeep Garg)
Partner
Membership no. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Date: 25.07.2025
Place: Delhi

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ-गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर, दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया का क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे प्रेक्षण के अधीन मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त आंतरिक वित्तीय तंत्र है और इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते डी.सी. गर्ग एंड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन. 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. 075312
यू.डी.आई.एन.: 25075312BMJKMJ1405

स्थानः दिल्ली
दिनांक: 25.07.2025

ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India

S.no	Directions	Reply
1	Assess the fair valuation of all investments, both quoted or unquoted, made directly by the company or through Trusts, for post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with IND-AS and reviewing supporting documentations. The auditor shall provide a brief note on valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatement.	Not Applicable
2.	Whether the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transaction outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.	Yes, the corporation has system in place to process all accounting transactions through IT system. The Corporation is using Tally Prime for accounting. No accounting transactions have been processed/ carried outside IT system.
3.	Whether funds (Grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilized as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grant received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	No cases of deviation were observed.
4.	Whether the company has identified the key Risk areas? If yes, whether the company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best Practices? (b) Whether the Company has identified its data assets and whether it has valued appropriately?	The Board had formulated Risk Management Policy in the year 2019, however the same has not been fully implemented by the corporation. The Policy need further improvement in line with Global best practices. The valuation of data assets have been done as per applicable law.
5	Whether the company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payment Corporation of India wherever applicable? If no, cases of deviation may be highlighted.	The corporation is not listed under any stock exchange. The other applicable rules and regulations are been complied by the corporation.

For D.C Garg & Company
Chartered Accountants
Firm Registration no. 500035N

Sd/-
(Sandeep Garg)
Partner
Membership no. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Date:25.07.2025
Place: Delhi

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र.स.	निर्देश	उत्तर
1.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, चाहे वे उद्त हों या उद्त न हों, का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, IND-AS के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयानी की रिपोर्ट करेगा।	लागू नहीं
2.	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत् करने के लिए तंत्र है ? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं ।	जी हां, निगम के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत करने की प्रणाली है। निगम लेखांकन के लिए टैली प्राइम का उपयोग कर रहा है। कोई भी लेखांकन लेनदेन आई.टी. तंत्र के बाहर संसाधित/नहीं किया नहीं गया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	विचलन का कोई मामला नहीं है।
4	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया है?	निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष 2019 में जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की थी, हालाँकि निगम द्वारा इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नीति में और सुधार की आवश्यकता है। डेटा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागू कानून के अनुसार किया गया है।
5	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को का उल्लेख किया जाए।	निगम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन निगम द्वारा किया गया है।

कृते डी.सी. गर्ग एंड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन. 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. 075312
यू.डी.आई.एन.: 25075312BMJKMJ1405

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 25.07.2025

D.C. GARG & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No. 500035N

REVISED INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members

National Backward Classes Finance and Development Corporation

With reference to our statutory audit report dated 25.07.2025 on the financial accounts of the corporation for the year ended 31.03.2025. We are issuing this revised audit report in view of certain facts which came to our knowledge after issuing the earlier report. There is no amendment required in the financial statements audited by us.

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statement of National Backward Classes Finance and Development Corporation ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Statement of Income & Expenditure (including Comprehensive Income), Statement of changes in Equity, Statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the Qualified Opinion, paragraph below, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ('Act') in the manner so required and give true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, ("Ind AS")and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2025, its Surplus, changes in equity and its statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

No Provision has been made for the liability on account of interest subvention @ 5% payable beyond the amount allocated by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, under VISVAS scheme. The amount of such liability is estimated to be Rs. 130 crores approximately. The net income (excess of income over expenditure) has been overstated and the current liability has been understated to that extent (Refer note no. 15.3).

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment were of most significant in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

डी.सी.गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं. 500035एन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संशोधित

सेवा में

सदस्य

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

दिनाँक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय खातों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25.07.2025 के संदर्भ में, कुछ तथ्यों के मद्देनजर हम यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी कर रहे हैं जो तथ्य पूर्व रिपोर्ट जारी करने के पश्चात हमारे संज्ञान में आए थे। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

सीमित अभिमत

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ("एक निगम") के अंकेक्षित एकल वित्तीय वक्तव्यों जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य(व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं एकल वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, "नीचे दिए गए सीमित अभिमत का आधार, अनुच्छेद में वर्णित विषय के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखाकरण मानक(भा. ले.मा.), लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की 31 मार्च, 2025 को स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

सीमित अभिमत का आधार

विस्वास योजना के अंतर्गत 5% की ब्याज सबवेंशन देयता, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि से अधिक है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस देयता का अनुमानित मूल्य लगभग ₹130 करोड़ है। शुद्ध आय (व्यय पर आय का आधिक्य) को अधिक दर्शाया गया है तथा वर्तमान देयता को उसी अनुपात में कम दर्शाया गया है (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 15.3 देखें)।

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस ए एस) के अनुसार प्रथक भारतीय लेखाकरण मानकों के रूप एकल वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं वह हमारे सीमित मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान एकल वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters rare not applicable to the company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that ate reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concrn and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements

Our objective are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free form material misstatement, whether due to fraud or error, and issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कपंनी पर लागू नहीं हैं क्योकि यह एक असूचीबद्ध कपंनी है।

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

एकल वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते है, जो उस पर परिणामतः हो।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

एकल वित्तीय खातों के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रभारी लोगों का दायित

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व-इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन सम्मिलित है एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलत है।

कंपनी की योग्यता का आकलन करने हेतु वित्तीय लेखों को दैनिक आधार पर तैयार करना एवं लेखाकरण का दैनिक आधार पर प्रयोग करना जब तक कि कंपनी को बंद करने की अथवा संचालन को रोकने की इच्छा प्रबंधन की न हो अथवा उचित विकल्प न हो, फिर भी ऐसा करें, कि प्रकटन का दायित्व प्रबंधन का है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

एकल वि त्तीय खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वः

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके । गलत बयानबाज धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भी

- वित्तीय विवरणों के संबंध में भौतिक गलत बयानबाजी की पहचान की और मूल्यांकन चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि से, अंकेक्षण प्रक्रिया का उन जोखिमों हेतु जिम्मेदार है; अंकेक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए उपयुक्त एवं समुचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी से भौतिक गलत बयानबाजी का पता न लगाने के खतरे का परिणाम त्रुटि से होने वाले खतरे

fraud is higher than for on resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls systems in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained upto the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and were applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in or report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

We draw attention to the fact that the Corporation had formulated a Risk Management Policy in the year 2019, however the said policy has not been fully implemented and no reporting system as per Risk Management Policy on possible risks was observed during the audit. Further, the policy require substantial improvement to align with Global Best Practices and ensure a robust risk management framework.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on other legal and regulatory requirements

1. The provisions of the Companies (Audit Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

से अधिक से होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण को नजरअंदाज करना सम्मिलित होते हैं।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टी प्रकटन का मूल्यांकन किया।

- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को बदलना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सतत्ता समाप्त हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार है जो उचित प्रस्तुीकरण करते हैं।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानबाजी की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि समुचित जानकार व्यक्ति के आर्थिक निर्णय एकल वित्तीय विवरण को प्रभावित कर सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं: (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में अधिकार दिए गए है आयोजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं अंकेक्षण का समय, महत्वपूर्ण अंकेक्षण परिणाम जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ सम्मिलित हैं; जिन्हें हमने अंकेक्षण अवधि में चिन्हित किया है, को संसूचित करते हैं।

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा व अन्य मामलों को संसूचित करना है। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे; अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य मामले

हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि निगम ने वर्ष 2019 में एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की थी, किंतु रिपोर्टिंग तिथि तक यह नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई तथा संभावित जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार कोई जोखिम प्रणाली लेखा-परीक्षण के दौरान दृष्टिगोचर नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान नीति हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है ताकि एक मजबूत और प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।

इस विषय पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश 2020 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears form our examination of those books;

c. The balance sheet, the statement of income and expenditure including other comprehensive income, statement of changes in equity and the statement of cash flow dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under section 133 of the Act.

e. Being a Government Company, pursuant to the Notification no. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of the section 164 of the Act, is not applicable to the company.

f. With respect to the adequacy of internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements.

g. As per Notification no. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, section 197 of the Act is not applicable to the Government companies. Accordingly, reporting in accordance with the requirement of the provisions of section 197(16) of the Act is not applicable to the company.

h. With respect to the other matters to be included in the Auditors Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

   i. The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position in its standalone financial statement.

   ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

   iii. Regarding this clause which deals with the delay, if any, in transferring amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable being section 8 of the Companies Act, 2013 company.

   iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, to the Standalone Financial Statements, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entity ("intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediary shall, whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate beneficiaries;

   (b) The management has represented that to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been received by the company form any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties") with the understanding, whether, directly or indirectly, lend, or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding party ("Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

   (c) Based on audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं किः

क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।

ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और अन्य व्यापक आय सहित नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।

घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. GSR 463(E) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्ययाप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, नए "अनुलग्नक ए" पर दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

छ) भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. GSR 463(E) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

ज) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः –

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके एकल वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया होगा।

ii. कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।

iii. विलंब से संबंधित उप-नियम के संबंध में यदि कोई हो, धनराशि अंतरित करने में, जिसे कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्सन फंड में अंतरित करना अपेक्षित हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 की कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं है।

iv. (क) प्रबंधन ने वर्णन किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकल वित्तीय विवरणों में, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ ") भी शामिल है, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्ररूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश (न तो उधार ली गई धनराशि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा निधियों के प्रकार से) वचन-बंध से नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रबंधन ने वर्णन किया है, कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहींकिया गया है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से किसी भी तरह से उधार या निवेश या अंतिम लाभार्थियों के निमित्त कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा इस जैसे अन्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत व उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहींआया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) व (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण सम्मिलि त हो।

v. The company has neither declared nor paid any dividend during the year.

vi. Based on our examination, which includes test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended 31st March, 2025 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software's. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tempered with and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention.

3. As required under section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose herewith as per "Annexure B" our report for the company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For D.C Garg & Company
Chartered Accountants
Firm Registration no. 500035N

Sd/-
(Sandeep Garg)
Partner
Membership no. 075312
UDIN: 25075312BMJKMK8909

Date: 03.09.2025
Place: Delhi

v. वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही दिया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच सम्मिलित है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की बहियों को बनाए रखने के लिए एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे अंकेक्षण के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला और कंपनी द्वारा अभिलेख संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षण ट्रेल को सुरक्षित रखा गया है।।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

कृते डी.सी. गर्ग एंड क.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. 075312
यू.डी.आई.एन.: 25075312BMJKMK8909

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 03.09.2025

ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Backward Classes Finance and Development Corporation ("the Corporation") as of 31st March, 2025 in conjunction with our audit of standalone financial statement of the company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The company's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). These responsibilities include design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of it's assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls systems over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my/ our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तिथि पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम') की धारा-143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय लेखों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडेंस टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना जिसमें भौतिक कमजोरी मौजूद हो, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु प्रर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन-देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन-देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has, in all material respects has an adequate internal financial control system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For D.C Garg & Company
Chartered Accountants
Firm Registration no. 500035N

Sd/-
(Sandeep Garg)
Partner
Membership no. 075312
UDIN: 25075312BMJKMK8909

Date: 03.09.2025
Place: Delhi

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ-गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर, दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया का क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे प्रेक्षण के अधीन मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त आंतरिक वित्तीय तंत्र है और इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते डी.सी. गर्ग एंड क.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. 075312
यू.डी.आई.एन.: 25075312BMJKMK8909

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 03.09.2025

ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India

S.no	Directions	Reply
1	Assess the fair valuation of all investments, both quoted or unquoted, made directly by the company or through Trusts, for post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with IND-AS and reviewing supporting documentations. The auditor shall provide a brief note on valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatement.	Not Applicable
2.	Whether the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transaction outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.	Yes, the corporation has system in place to process all accounting transactions through IT system. The Corporation is using Tally Prime for accounting. No accounting transactions have been processed/ carried outside IT system.
3.	Whether funds (Grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilized as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grant received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	No cases of deviation were observed.
4.	Whether the company has identified the key Risk areas? If yes, whether the company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best Practices? (b) Whether the Company has identified its data assets and whether it has valued appropriately?	The Board had formulated Risk Management Policy in the year 2019, however the same has not been fully implemented by the corporation. The Policy need further improvement in line with Global best practices. The valuation of data assets have been done as per applicable law.
5	Whether the company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payment Corporation of India wherever applicable? If no, cases of deviation may be highlighted.	The corporation is not listed under any stock exchange. The other applicable rules and regulations are been complied by the corporation.

For D.C Garg & Company
Chartered Accountants
Firm Registration no. 500035N

Sd/-
(Sandeep Garg)
Partner
Membership no. 075312
UDIN: 25075312BMJKMK8909

Date: 03.09.2025
Place: Delhi

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र.स.	निर्देश	उत्तर
1.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, चाहे वे उद्‌त हों या उद्‌त न हों, का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, IND-AS के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयानी की रिपोर्ट करेगा।	लागू नहीं
2.	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत् करने के लिए तंत्र है ? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं ।	जी हां, निगम के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत करने की प्रणाली है। निगम लेखांकन के लिए टैली प्राइम का उपयोग कर रहा है। कोई भी लेखांकन लेनदेन आई.टी. तंत्र के बाहर संसाधित/नहीं किया नहीं गया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	विचलन का कोई मामला नहीं है।
4	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया है?	निदेशक मण्डल द्वारा वर्ष **2019** में जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की थी, हालाँकि निगम द्वारा इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नीति में और सुधार की आवश्यकता है। डेटा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागू कानून के अनुसार किया गया है।
5	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों का उल्लेख किया जाए।	निगम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन निगम द्वारा किया गया है।

कृते डी.सी. गर्ग एंड क.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
सदस्य सं. 075312
यू.डी.आई.एन.: 25075312BMJKMK8909

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 03.09.2025

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

BALANCE SHEET as at 31st March, 2025

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
I.	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Property, plant and equipment	3	90.63	112.78
	(b) Capital Work in Progress		3.57	
	(c) Other intangible assets	4	1.42	4.29
	(i) Intangible asset under development		24.92	4.72
	(d) Right of Use Assets	3.1	37.03	37.61
	(e) Financial assets			
	(i) Loans	6	1,45,073.12	1,50,978.78
	(ii) Others	7	358.08	495.22
	(f) Other non-current assets	8	110.63	98.51
			1,45,699.40	**1,51,731.91**
2	**Current assets**			
	(a) Financial assets			
	(i) Trade Receivable/Debtors	5	1.27	-
	(ii) Cash and cash equivalents	9	3,642.00	1,097.78
	(iii) Other Bank Balances	10	7,983.58	3,481.83
	(iv) Loans	6	67,758.87	60,328.66
	(v) Others	7	2,145.13	1,517.27
	(b) Current tax asset (Net)	11	5.79	1.21
	(c) Other current assets	8	32.60	17.15
			81,569.24	**66,443.89**
	Total Assets		**2,27,268.64**	**2,18,175.80**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Equity**			
	(a) Equity share capital	12	1,51,440.00	1,51,440.00
	(b) Other equity	13	67,214.24	63,091.39
			2,18,654.24	**2,14,531.39**
2	**Liabilities**			
(i)	**Non-current liabilities**			
	(a) Borrowings	13.9	-	-
	(b) Provisions	14	82.29	50.91
			82.29	**50.91**
(ii)	**Current liabilities**			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Others			
	- Total outstanding dues of Grants & Creditors other than micro enterprises and small enterprises	15	7,936.39	3,398.83
	- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	-
	(b) Other Current Liabilities	16	248.90	81.78
	(c) Provisions	14	346.82	112.89
			8,532.11	**3,593.51**
	Total Equity and Liabilities		**2,27,268.64**	**2,18,175.80**
III.	**See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements**	**1 - 51**		

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Sandeep Garg
Partner
M.No. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Place: New Delhi
Date: July 25, 2025

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(Bindu V C)
Director
(DIN No.07644408)

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
C.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी नं.	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
I.	**परिसंपत्तियाँ**			
1	**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ**			
	(क) सुम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	3	90.63	112.78
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		3.57	
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	1.42	4.29
	(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		24.92	4.72
	(घ) संपत्ति उपयोग का अधिकार	3.1	37.03	37.61
	(ङ.) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) ऋण	6	1,45,073.12	1,50,978.78
	(ii) अन्य	7	358.08	495.22
	(च) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	110.63	98.51
			1,45,699.40	**1,51,731.91**
2	**वर्तमान संपत्ति**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) प्राप्य व्यवसाय/देनदार	5	1.27	-
	(ii) नकदी एवं नकदी समकक्ष	9	3,642.00	1,097.78
	(iii) अन्य बैंक अवशेष	10	7,983.58	3,481.83
	(iv) ऋण	6	67,758.87	60,328.66
	(v) अन्य	7	2,145.13	1,517.27
	(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11	5.79	1.21
	(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	32.60	17.15
			81,569.24	**66,443.89**
	कुल परसंपत्तियाँ		**2,27,268.64**	**2,18,175.80**
II.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	1,51,440.00	1,51,440.00
	(ख) अन्य इक्विटी	13	67,214.24	63,091.39
			2,18,654.24	**2,14,531.39**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर वर्तमान देयताएं**			
	(क) उधारी	13.9	-	-
	(ख) प्रावधान	14	82.29	50.91
			82.29	**50.91**
(ii)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य			
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अनुदानों एवं उधारदाताओं के देय कुल बकाया	15	7,936.39	3,398.83
	- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल देय बकाया		-	-
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	16	248.90	81.78
	(ग) प्रावधान	14	346.82	112.89
			8,532.11	**3,593.51**
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**2,27,268.64**	**2,18,175.80**
III.	**वित्तीय विवरण के लिए लेखांकन नीतियाँ एवं संगत टिप्पणियाँ देखें**	**1 - 51**		

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
एम.नं. 075312
यूडीआईएन: 25075312BMJKMJ1405

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 25, 2025

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके निमित्त

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. - 03633935)

ह0 /-
अजीत कुमार सामल
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Income & Expenditure Statement for year ended 31st March, 2025

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the Year ended 31st March 2025	For the Year ended 31st March 2024
I.	Revenue from operations	17	6,133.72	5,491.03
II	Other Income	18	249.18	286.08
III	**Total Revenue (I+II)**		**6,382.89**	**5,777.11**
IV	**Expenses**			
	Allowance/Reversal for Loans & advances	19	(163.64)	460.91
	Penal Interest waived off and others	20	-	-
	Employee Benefit Expense	21	1,499.48	1,360.73
	Finance Cost	21.1	0.05	25.07
	Depreciation and Amortization Expense	22	35.95	38.48
	Training & Development Expenses	23	258.14	143.80
	Rebate on Interest on Loans & Advances	24	26.35	33.50
	Other Expenses	25	558.12	590.94
	Corporate Social Responsibility Expenses	28	85.48	65.04
	Total Expenses (IV)		**2,299.92**	**2,718.45**
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		**4,082.97**	**3,058.66**
VI	Exceptional Items	27	(2.46)	(11.52)
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		4,085.43	3,070.18
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		**4,085.43**	**3,070.18**
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-
XI	Tax expense of discontinued operations		-	-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		**4,085.43**	**3,070.18**
XIV	**Other Comprehensive Income / (Expenses)**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	26	5.54	1.27
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		**4,090.97**	**3,071.45**
XVI	**Earning Per Equity share:**			
	(1) Basic (₹)	(b)	26.98	20.46
	(2) Diluted (₹)		26.98	20.46
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (₹)		-	-
	(2) Diluted (₹)		-	-
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (₹)	29	**26.98**	**20.46**
	(2) Diluted (₹)		**26.98**	**20.46**
XIX	See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements	1 - 51		

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Sandeep Garg
Partner
M.No. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Place: New Delhi
Date: July 25, 2025

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(Bindu V C)
Director
(DIN No.07644408)

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
C.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय	17	6,133.72	5,491.03
II	अन्य आय	18	249.18	286.08
III	**योग आय (I+II)**		**6,382.89**	**5,777.11**
IV	**व्यय**			
	ऋणों एवं अग्रिमों की अनुमति/परिवर्तन	19	(163.64)	460.91
	माफ किया दंड ब्याज एवं अन्य	20	-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,499.48	1,360.73
	वित्तीय लागत	21.1	0.05	25.07
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	22	35.95	38.48
	प्रशिक्षण एवं विकास व्यय	23	258.14	143.80
	ऋणों पर ब्याज एवं अग्रिमों पर छूट	24	26.35	33.50
	अन्य व्यय	25	558.12	590.94
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	28	85.48	65.04
	योग व्यय (IV)		**2,299.92**	**2,718.45**
V	**असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (III - IV)**		**4,082.97**	**3,058.66**
VI	असाधारण मदें	27	(2.46)	(11.52)
VII	**कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (V - VI)**		4,085.43	3,070.18
VIII	कर व्ययः			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**सतत् संचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)**		**4,085.43**	**3,070.18**
X	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य		-	-
XI	बंद संचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	संचालन बंद करने से व्यय आय का आधिक्य (X - XI)		-	-
XIII	**अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)**		**4,085.43**	**3,070.18**
XIV	**अन्य व्यापक आय / (व्यय)**			
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी	26	5.54	1.27
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जो आय एवं व्यय लेखे के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी		-	-
	ख.(i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनर्वर्गीकृत की जाएगी		-	-
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय एवं व्यय लेखे के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	**अवधि में समग्र कुल आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य की तुलना एवं अवधि में अन्य समग्र आय)**		**4,090.97**	**3,071.45**
XVI	**प्रति साम्य अंश अर्जनः**			
	(1) मूलभूत (₹)	(b)	26.98	20.46
	(2) तनुकृत (₹)		26.98	20.46
XVII	**प्रति साम्य अंश अर्जनः**			
	(बंद परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)		-	-
	(2) तनुकृत (₹)		-	-
XVIII	**प्रति साम्य अंश अर्जनः**			
	(बंद एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)	29	**26.98**	**20.46**
	(2) तनुकृत (₹)		**26.98**	**20.46**
XIX	वित्तीय विवरण के लिए लेखांकन नीतियाँ एवं संगत टिप्पणियाँ देखें	1 - 51		

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदारः संदीप गर्ग
एम.नं. 075312
यूडीआईएनः 25075312BMJKMJ1405

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 25, 2025

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके निमित्त

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. - 03633935)

ह0 /-
अजीत कुमार सामल
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

National Backward Classes Finance and Development Corporation

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Statement of Cash Flow for the Year Ended March 31, 2025

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025		For the Year ended March 31, 2024	
A. Cash flow from Operating Activities				
Net Profit before Extraordinary Items and Tax		4,082.97		3,058.66
Adjustments for:				
Exceptional Items	2.46		11.52	
Depreciation & Amortization	35.95		38.48	
Other Comprehensive Income/(Expense)	5.54		1.27	
Adjustment for General Reserve	(1.59)		(0.01)	
Interest- Other Income	(249.18)		(286.08)	
		(206.82)		(234.83)
Operating Profit Before Working Capital Changes		**3,876.15**		**2,823.84**
Changes in working capital:				
Decrease / (Increase) in Current Trade receivable	(1.27)		-	
Decrease / (Increase) in Non-Current loans	5,905.67		(337.23)	
Decrease / (Increase) in Other Non-Current financial assets	137.14		2.60	
Decrease / (Increase) in Current loans	(7,430.21)		(6,582.36)	
Decrease / (Increase) in other current financial assets-others	(627.86)		(19.25)	
Decrease / (Increase) in other non current assets	(12.12)		(33.00)	
Decrease / (Increase) in current tax assets	(4.58)		(0.61)	
Decrease / (Increase) in other current assets	(15.45)		(6.19)	
(Decrease) / Increase in other current financial liability	4,537.56		2,132.17	
(Decrease) / Increase in other current liability	167.12		75.73	
(Decrease)/ Increase in non current Financial Liability	31.37		11.92	
Changes in Other Bank Balances			-	
(Decrease)/ Increase in Current provisions	233.92	2,921.29	(12.69)	(4,768.91)
Cash generated from operations		**6,797.44**		**(1,945.06)**
Net Income Tax (Paid) net of Refunds		-		-
Net Cash Flow from / (used in) Operating Activities (A)		**6,797.44**		**(1,945.06)**
B. Cash Flow from Investing Activities				
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's	0.34		0.03	
Purchase of Property, Plant and Equipment's	(34.46)		(79.38)	-
Interest Income	249.18		286.08	
	-	215.06	-	-
Net Cash Flow from/(used in) Investing Activities (B)		**215.06**		**206.73**
C. Cash Flow from Financing Activities				
Issue of Share Capital	-		1,500.00	
Adjustment in Other Equity	33.47		32.80	
Increase in share application money pending allotment	-			
Net Cash Flow from/(used in) Financing Activities (C)		**33.47**		**1,532.80**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		**7,045.96**		**(205.54)**
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 9&9.1)		4,579.61		4,785.15
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year		**11,625.58**		**4,579.61**

Components of Cash & Cash Equivalents as at the end of the year:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Cash - in - hand	-	-
Saving Bank Accounts	3,642.00	1,097.78
Other Bank Balance (Grant Funds)-Saving Bank	7,983.58	3,481.83
Share Application Money Pending allotment	-	-
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months		
Cash & Bank Balances	**11,625.58**	**4,579.61**
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months		
Cash & Cash Equivalent at the end of the year	**11,625.58**	**4,579.61**

Notes:

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2 Amendment to Ind-As 7

Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

3. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Sandeep Garg
Partner
M.No. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Place: New Delhi
Date: July 25, 2025

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(Bindu V C)
Director
(DIN No.07644408)

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
C.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
A क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह				
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ		4,082.97		3,058.66
समायोजन हेतु:				
असाधारण मदें	2.46		11.52	
अवमूल्यन एवं परिशोधन	35.95		38.48	
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	5.54		1.27	
सामान्य आरक्षित के लिए समायोजन	(1.59)		(0.01)	
ब्याज- अन्य आय	(249.18)		(286.08)	
		(206.82)		(234.83)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**3,876.15**		**2,823.84**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:				
वर्तमान व्यवसायिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	(1.27)		-	
गैर-वर्तमान ऋण में कमी / (वृद्धि)	5,905.67		(337.23)	
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	137.14		2.60	
वर्तमान ऋण में कमी / (वृद्धि)	(7,430.21)		(6,582.36)	
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)-अन्य	(627.86)		(19.25)	
गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(12.12)		(33.00)	
वर्तमान कर परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(4.58)		(0.61)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(15.45)		(6.19)	
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं में (कमी) / वृद्धि	4,537.56		2,132.17	
अन्य वर्तमान देयता में (कमी) / वृद्धि	167.12		75.73	
गैर वर्तमान वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि	31.37		11.92	
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन			-	
वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि	233.92	2,921.29	(12.69)	(4,768.91)
संचालन से सृजित नकदी		**6,797.44**		**(1,945.06)**
शुद्ध आयकर (भुगतान) शुद्ध वापसी		-		-
परिचालन गतिविधियों (क) से शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त)		**6,797.44**		**(1,945.06)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान	0.34		0.03	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(34.46)		(79.38)	-
ब्याज आय	249.18		286.08	
	-	215.06	-	-
निवेश कार्यकलापों (ख) से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह		**215.06**		**206.73**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
जारी अंश पूंजी	-		1,500.00	
अन्य इक्विटी में समायोजन	33.47		32.80	
लंबित आवंटन अंश अनुप्रयोग राशि में वृद्धि	-			
वित्तीय कार्यकलापों (ग)से शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त)		**33.47**		**1,532.80**
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**7,045.96**		**(205.54)**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 9 एवं 9.1 देखें)		4,579.61		4,785.15
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समकक्ष		**11,625.58**		**4,579.61**

वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समकक्ष के घटक:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पास में नकदी	-	-
बचत बैंक खातों में	3,642.00	1,097.78
अन्य बैंक अवशेष (अनुदान निधि)-बचत खाता	7,983.58	3,481.83
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियाँ		
नकद एवं बैंक अवशेष	**11,625.58**	**4,579.61**
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियाँ		
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष	**11,625.58**	**4,579.61**

टिप्पणियाँ:

1. **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक -7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।**
2. **भारतीय लेखा मानक-7 में संशोधन**
   1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी है, भारतीय लेखाकरण मानक-7 संशोधन को कंपनी ने अंगीकार किया है जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण करना वांछित है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन-पत्र के आरंभिक शेष और अंतःशेष में मिलान को शामिल करने का सुझाव देता हैं। संशोधन की ग्राह्यता का कोई भौतिक प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है।
3. गत् वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके निमित्त

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
एम.नं. 075312
यूडीआईएन: 25075312BMJKMJ1405

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: जुलाई 25, 2025

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. - 03633935)

ह0 /-
अजीत कुमार सामल
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the Year ended 31st March, 2025

A. Equity share capital
Current Financial Year (FY 2024-25)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at the beginning of the year	1,51,44,000.00	1,51,440.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Balance at the end of the year	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**

Previous Financial Year (FY 2023-24)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at the beginning of the year	1,49,94,000.00	1,49,940.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year	1,50,000.00	1,500.00
Balance at the end of the year	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	Post Retirement Medical Fund	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	1,000.00	223.55	61,867.84	-	63,091.39
Prior period Adjustments/Change in Accounting Policy (Refer note no. 36).	-	-			-	-
- Adjustment of depreciation	-	-			-	-
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**1,000.00**	**223.55**	**61,867.84**	**-**	**63,091.40**
Profit for the year	-	-		-	4,083.84	**4,083.84**
Other Comprehensive Income for the year	-	-		-	5.54	5.54
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**		**-**	**4,089.38**	**4,089.38**
Transfer to general reserve	-			4,089.38	(4,089.38)	-
Others					-	-
- Adjustment of depreciation	-	-		-	-	-
- Addition During The Year (See Note 13.5)			33.47			33.47
- Share Capital issued during the year						
Balance at the end of the year	**-**	**1,000.00**	**257.01**	**65,957.22**	**-**	**67,214.24**

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2023

B. Other EquityParticulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	Post Retirement Medical Fund	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.15
Prior period Adjustments (Refer Note :- 36)	-	-		-	-	-
Adjustment of Depreciation						-
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**1,000.00**	**190.75**	**58,796.40**	**-**	**59,987.15**
Profit for the year restated	-	-		-	3,070.17	**3,070.17**
Other Comprehensive Income for the year	-	-		-	1.27	1.27
Total Comprehensive Income for the year	**-**	**-**		**-**	**3,071.44**	**3,071.44**
Others						-
- Adjustment of depreciation	-					-
Transfer to General Reserve	-	-		3,071.44	(3,071.44)	-
Addition During The Year	-					-
- Addition During The Year (See Note 13.5)	1,500.00		32.80	-		32.80
Share Capital issued during the year	1,500.00					
Balance at the end of the year	**-**	**1,000.00**	**223.55**	**61,867.84**	**-**	**63,091.39**

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Sandeep Garg
Partner
M.No. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Place: New Delhi
Date: July 25, 2025

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(Bindu B C)
Director
(DIN No.07644408)

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
Ajit Kumar Samal
C.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी
वर्तमान वित्तीय वर्ष (वि.व.2024-25)

(₹ लाख में)

विवरण	शेयर की संख्या	मात्रा
वर्ष के आरंभ में अवशेष	1,51,44,000.00	1,51,440.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनः निर्धारित अवशेष राशि		
वर्तमान वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में अवशेष	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**

गत वित्तीय वर्ष (वि.व.2023-24)

(₹ लाख में)

विवरण	शेयर की संख्या	मात्रा
वर्ष के आरंभ में अवशेष	1,49,94,000.00	1,49,940.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनः निर्धारित अवशेष राशि		
वर्तमान वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन	1,50,000.00	1,500.00
वर्ष के अंत में अवशेष	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**

ख. अन्य साम्य

(₹ लाख में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेषआरक्षित	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा निधि	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	1,000.00	223.55	61,867.84	-	63,091.39
पूर्वावधि समायोजन/लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी 36 देखें)	-	-			-	-
- मूल्यहास का समायोजन	-	-			-	-
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**-**	**1,000.00**	**223.55**	**61,867.84**	**-**	**63,091.40**
वर्ष के लिए लाभ	-	-		-	4,083.84	**4,083.84**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-		-	5.54	5.54
वर्ष के लिए व्यापक आय का योग	**-**	**-**		**-**	**4,089.38**	**4,089.38**
सामान्य आरक्षित में अंतरित	-			4,089.38	(4,089.38)	-
अन्य					-	-
- मूल्यहास का समायोजन	-	-		-	-	-
- वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 13.5 देखें)			33.47			33.47
- वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी						-
वर्ष के अंत में अवशेष	**-**	**1,000.00**	**257.01**	**65,957.22**	**-**	**67,214.24**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

ख. अन्य साम्य

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेषआरक्षित	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा निधि	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.15
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी 36 देखें)	-	-		-	-	-
मूल्यहास का समायोजन						-
वर्ष के आरंभ में पुर्नवर्णित अवशेष	**-**	**1,000.00**	**190.75**	**58,796.40**	**-**	**59,987.15**
वर्ष के लिए लाभ पुर्नवर्णित	-	-		-	3,070.17	**3,070.17**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-		-	1.27	1.27
वर्ष के लिए योग व्यापक आय	**-**	**-**		**-**	**3,071.44**	**3,071.44**
अन्य						-
- मूल्यहास का समायोजन	-					-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	-		3,071.44	(3,071.44)	-
वर्ष के दौरान जोड़े	-					-
- वर्ष के दौरान जोड़े (टिप्पणी 13.5 देखें)	1,500.00		32.80	-		32.80
वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	1,500.00					
वर्ष के अंत में अवशेष	**-**	**1,000.00**	**223.55**	**61,867.84**	**-**	**63,091.39**

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
एम.नं. 075312
यूडीआईएन: 25075312BMJKMJ1405

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 25, 2025

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके निमित्त

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. - 03633935)

ह0 /-
अजीत कुमार सामल
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Notes to Accounts

Note :- 1 Corporate Information

National Backward Classes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

The Corporation is also in the up-gradation of technical artisanal, entrepreneurial and managerial skills of products / services including all forms of skill development and up gradation,primarily to the Socially and Educationally Backward Classes as defined at Clause III (A)(ii) and additionally to De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) irrespective of caste, category and income limits and Economically Backward Classes (EBCs) within the prescribed income ceiling, as defined by the Government from time to time.

Note :- 2 Accounting Policies

a. Statement of Compliance

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2025 have been prepared on going concern basis in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017 & 2018.

b. Basis of preparation

The financial statements have been prepared on going concern under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits
(b) Certain financial assets and liabilities

c. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

d. All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e. Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby "excess of income over expenditures before exceptional items and tax" is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी: 1 निगमित सूचना

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) के अंतर्गत की गई थी। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं समूहों अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्यमीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3,सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में स्थित है।

निगम और इसके अतिरिक्त जाति, श्रेणी और आय सीमा को ध्यान में रखे बिना गैर-अधिसूचित, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियों (डीएनटी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) निर्धारित आय सीमा के भीतर के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया है। सभी प्रकार के कौशल विकास और उन्नयन सहित उत्पादों/सेवाओं के तकनीकी कारीगरी, उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल के उन्नयन में भी लगा हुआ है, मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जैसा कि खंड III (ए) (ii) में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी: 2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 व 2018 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि की स्थिति के अनुसार सतत संचालन के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) तैयार करने का आधार

संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार जैसा कि अपेक्षित है, निम्न मदों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधार पर किया गया है, निम्न के अतिरिक्त वित्तीय विवरण को व्यावहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति के आधार पर तैयार किया गया है;

(क) परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ
(ख) विनिश्चित वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम संज्ञान में आए/प्रकट हुए हैं, माना गया है।

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूपये में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ङ) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन-देन की नकदी रहित प्रवृति और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों के प्रभाव से हुआ है। नकदी प्रवाह कंपनी के परिचालन विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना

past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

The Corporation has adopted the amendment to Ind- As 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities , including both changes arising from cash flow and non-cash changes, suggesting inclusion of reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

f. Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.

- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g. Revenue recognition

a. **Corporation** recognizes revenue from contracts with customers based on a five -steps as set out in Ind As-115 :-.

i. **Identify contracts with a customer :-** A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.

ii. **Identify performance obligations in the contract :** A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or service to the customer.

iii. **Determine the transaction price:** The transaction price is the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.

iv. **Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract :** For a contract that has more than one performance obligation , the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.

v. **Recognise revenue** when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of the asset.

II Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

b) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.

के आधार पर प्रथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉफ्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, के उद्देश्य से कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

निगम ने भारतीय लेखा मानक-7 के रूप में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, नकदी प्रवाह और गैर-नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों को तुलन-पत्र में प्रारंभिक जमा एवं अंतः शेष के मध्य मिलान को सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय वक्तव्यों पर कोई वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ा।

च) **क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा**

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन (अर्थात् कार्यशील मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ-साथ प्रयोजन मूलक है।

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्ययविवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया गया है।

- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन-पत्र की तिथि में लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है एवं विनिमय अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) **राजस्व मान्यता**

क. ग्राहकों से ठेके पर राजस्व के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 पर आधारित पाँच चरणों को निगम मान्यता देता है

i. **(एक ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचानः**एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और हर अनुबंध के मानदंडों को निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

ii. **अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों को पहचानः** अनुबंध में ग्राहक से कार्यनिष्पादन की बाध्यता सामग्री अथवा सेवाओं के हस्तानांतरण का एक वादा है।

iii. **लेन-देन की कीमत का निर्धारणः**लेन-देन का मूल्य उस विचार की राशि है, जिसके बारे में निगम को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

iv. **अनुबंध में प्रदर्शित दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करनाः**एक अनुबंध जिसमें एक से अधिक दायित्व हैं, निगम प्रत्येक दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य को आवंटित करता है, जिसमें निगम को उम्मीद है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करने के बदले में हकदारी राशि की मात्रा को दर्शाया गया है।

v. **मान्य राजस्वः**निगम जब या जैसा कि एक ग्राहक से वादा किया सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। जब ग्राहक परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है।

II राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर-वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

ख उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।

c) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.

d) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.

e) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-115 as its collectability is uncertain.

f) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for, on receipt of entire amount due on time.

g) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

h) Other Revenue Recognition :

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method

i. Revenue Grant from Government

- Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.

- Unspent grants & interest accrued in respect of Government grant are deferred & taken to current liabilities. Upon fully utilization and after audit of annual accounts of grant earning of interest shall be deposited in consolidated account of Government.

- Interest accrued from other i.e CPSE etc , if any are recognised and taken in to as other income to meet out administrative /evaluation expenses.

- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received

j. Corporate Social Responsibility (CSR) expenses , as per company act,2013 and any other grant are recognized on disbursal basis for reporting in Statement of Income and Expenditure

k. Income taxes

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26B) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

l. Impact on any change/modification in accounting policy shall be recognised in the year of its occurrence. In terms of Ind- AS 8

m. Property, plant and equipment

a. Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any Cost of asset includes the following:

i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets
ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

ग) अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज को योजना-वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।

घ) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ऋणा उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।

ङ) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानकरण मानक-115 के अनुसार वसूली होने पर माना गया है क्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित है।

च) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान पर खाते में छूट का आगणन समग्र देय धनराशि प्राप्ति के आधार पर कियागया है।

छ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यकलापों के व्यय के लिए अनुदान का आगणन वितरण पर किया गया है।

ज) **अन्य राजस्व मान्यता**

बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर पर सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं।

झ) **सरकार से राजस्व अनुदान**

- वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को आय-व्यय विवरणी से संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।
- सरकारी अनुदान के संबंध में अर्जित अनुपभुक्त अनुदान और ब्याज वर्तमान देनदारियों के लिए आस्थगित हैं एवं वर्तमान दायित्वों में लिया गया है। पूरी तरह से उपभोग करने पर एवं अनुदान उपार्जन के वार्षिक खातों के अंकेक्षण के बाद सरकार के संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- अन्य अर्थात् केन्द्रीय लोक उद्यमों इत्यादि से उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मान्यता दी गई है तथा इसे अन्य आय के रूप में प्रशासनिक/मूल्यांकन व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया है।
- गत लेखाकरण अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए सरकार से प्राप्य अनुदानों को उस अवधि जिसमें अनुदान राशि प्राप्त हुई है, को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व(सीएसआर) व्यय एवं अन्य अनुदान को आय एवं व्यय के विवरण में रिपोर्टिंग के लिए वितरण के आधार पर माना गया है।

ट) **आय कर**

निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

ठ) **भारतीय लेखाकरण मानक-8 के अनुसार लेखाकरण नीति में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का प्रभाव उसके होने के वर्ष में माना जाता है।**

ड) **संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर**

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित हास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है। संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते है

i. परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।
ii. यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मदों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुनःसंग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

b. Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

c. An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	**Useful Life (years)**
Building	60
Furniture & Fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles (Car/Scooter)	8/10
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

Residual values and useful lives are reviewed , and adjusted , if appropriate, for each reporting period

On tangible fixed assets added/disposed of during the year, depreciation is charged on pro-rata basis from the date of addition /till the date of disposal.

n. Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

o. Impairment

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/ expense in Statement of

ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल-पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्य ह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर कियागया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में वर्णित है।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण की एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्य हास किया जाता है, यदि मद की योग लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मदों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार हैः

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
विवरण	**उपयोगी जीवन (वर्ष)**
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन (कार/स्कूटर)	8/10
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ई.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

हास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

अवशेष मूल्य एवं उपयोगी जीवन अवधि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षित एवं समायोजित की जाती है।

यदि उपयुक्त हो, वर्ष के दौरान जुड़ी/निस्तारण की गई, मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की प्रो-रेटा आधार पर ली गई/निस्तारण तिथि पर प्रभारित किया जाता है।

ढ) **अमूर्त परिसंपत्तियां**

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए उपयोग होंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है।

पांचों वर्ष की अवधि में समानरूप से अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तब, परिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

ण़) **क्षति**

i वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक-109 अपेक्षा करता है।

अनुबंधित परिसंपत्तियों/व्यावसायिक प्राप्य के अतिरिक्त समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह की समान धनराशि के आधार पर अथवा जीवन समयावधि ई.सी.एल. के बराबर धनराशि किया जाना होता है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर महत्वपूर्ण रूप से खर्च किया गया हो।

ई.सी.एल. के क्षति अंश (अथवा वयुक्रमण) को आय एवं व्यय विवरणी में अवधि के दौरान के आय/व्यय के रूप में माना गया है।

Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

p. Employee Benefits

a. The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.

b. Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.

c. The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.

d. Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income

e. Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.

f. The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE) The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.

g. The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

q. Earnings per Share

The basic earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

r. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a. Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

i. The Company has a present obligation as a result of a past event.

ii. Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

iii. The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

ii गैर-वित्तीय परसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय खाते में लिया जाता है।

त) **कर्मचारी लाभ**

क सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।

ख वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और परिवर्तित अवकाश) खाते मे प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है

ग वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाशन के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है तथा आय एवं व्यय विवरणी में प्रभार किया गया है।

घ परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।

ङ भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।

च निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम /पेंशन फंड रेगूलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी(पी.एफ.आर.डी.ए.)के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।

छ निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

थ) **प्रति अंश आय**

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके प्रति शेयर आय की गणना की गई है। गैर-मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

द) **प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां**

क दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है, जबः

i. अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व हो।

ii. आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं

iii. दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जब धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

b. Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

c. Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

r. Financial instruments:-

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

Financial Asset at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

i. the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

ii. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest ear ned is recognized using the EIR method.

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता हैः

i. वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बहिर्गमन से दायित्व का निस्तारणअपेक्षित होगा, अथवा

ii. वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा

iii. एक संभव दायित्व, जब-तक कि संसाधन का बहिगर्मन की संभाव्यता सुदूर हो

ग आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती है जब आर्थिक लाभों का अन्तःगमन संभाव्य हो।

ध) **वित्तीय उपकरण/साधन**

क आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन-देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगाः

i. वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं

ii. वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

आय एवं व्यय विवरणी में वित्तीय आय में ई.आई.आर. परिशोधन सम्मिलित होता है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

निम्नलिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते होः

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों-संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना जाता है। तथापि, आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उत्क्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि कंपनी मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

s. Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड के रूप में अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.मापदण्ड आदि को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नामित नहीं किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है।

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने किसी भी वित्तीय दायित्व को एफ.वी.टी.पी.एल. का नाम नहीं दिया है।

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणादाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरहके विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणी में लिया गया है।

न) **उचित मूल्य का मापन**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन-देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तो:

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाज़ार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है

स्तर 1- समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्त (असमायोजित) बाजार मूल्य।
स्तर 2- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।

is directly or indirectly observable.

– Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

t. Current and Non- Current classification

The Corporation presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current /non-current classification.

Cash or cash equivalent treated as current, unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. In respect of other assets, it is treated as current when it is:

* expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle.
* expected to be realised with in twelve months after the reporting period.
* held primarily for the purpose of trading/business

All other assets are classified as non -current.

.A Liability is treated as current when :

* it is expected to be settled in normal operating cycle.
* it is held for the purpose of trading/business.
* it is due to be settled within twelve months after the reporting period .or
* there is no unconditional right to defer the settlement of liability for at least twelve months after the reporting period.

all other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The corporation has identified twelve months as its operating cycle.

u. LEASE :

The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset or the end of the lease term. In addition, Policy has been drafted as per Ind AS 116. the right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value

स्तर 3- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है और जो अ-प्रेक्षणीय होते हैं।

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुनःनिर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के अनुसार पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण प्रड्डति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

प) **वर्तमान एवं गैर वर्तमान वर्गीकरण**

निगम परिसपत्तियों एवं दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

नकद या नकद समकक्ष को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब तक कि उन्हें छूट नहीं दी जाती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए उ उपयोग किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में, इसे वर्तमान के रूप में माना जाता है

* सामान्य परिचालन चक्र में बेचे या उपभोग किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।
* समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों में प्राप्त होने की उम्मीद है।
* प्रमुखतः व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया।

अन्य सभी परसिंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व को वर्तमान के रूप में माना जाता है जबः

* इसका सामान्य परिचालन चक्र में निस्तारण होने की प्रत्याशा हो,
* इसे व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया हो,
* इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद देय से बारह महीने के भीतर निस्तारण हो अथवा
* रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है!

अन्य सभी दायित्वों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऑपरेटिंग चक्र प्रक्रियागत और नकदी व नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। निगम ने बारह महीनों की पहचान अपने परिचालन चक्र के रूप में की है।

फ) **पट्टा**

कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख से संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देनदारी को मान्यता देती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोज़ित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और निकालने के लिए लागत का अनुमान सम्मिलित है या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान को पुर्नस्थापित करने के लिए जिसपर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहित राशि को घटाया जाता है।

संपत्ति के उपयोग के अधिकार को स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके आरंभ की तिथि से संपत्ति के उपयोग अधिकार के अथवा पट्टा की सीमा समाप्ति के तत्पश्चात् मूल्यह्यस किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार नीति को तैयार किया गया है। संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार, विविक्षित हानि, यदि कोई हो, के कारण आवधिक तौर पर घट जाता है, और पट्टे की देयता के कुछ विशेष उपायों के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा दायित्व का आरंभिक मापन पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य से किया जाता है जिसका आरंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, यदि वह दर कंपनी की वृद्धिशील उधारी दर

of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero. The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Right of Use Assets" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet. Short term Lease and Leases of low value assets.

The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. A lease is no longer enforceable when the lessee and the lessor each have the right to terminate the lease without permission from the other party with no more than an insignificant penalty.

ii. As A Lessor When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset. If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract.

Further, the Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसका पुनःमापन किया जाता है जब भविष्य में पट्टा भुगतान में परिवर्तन इन्डेक्स अथवा दर में परिवर्तन से होता है। जब पट्टा देयता इस तरह से पुनः मापन की जाती है, तो परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग संपत्ति के अधिकार को शून्य तक कम कर दिया गया हो। कंपनी संपत्ति उपयोग अधिकार को दर्शाती है जो "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" में संपत्ति निवेश की परिभाषा को पूरा नहीं करती है एवं तुलन-पत्र में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टा देनदारियों को पूरा करती है। अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे।

कंपनी ने उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों के अधिकार को एवं संक्षिप्त अवधि के पट्टों के लिए दायित्व जिसकी समयावधि 12 महीने अथवा उससे कम से एवं व्यय मूल्य को परिसंपत्तियों की मान्यता को नहीं चुना है। जब पट्टाधारी एवं पट्टादाता प्रत्येक पट्टे को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना और कम से कम दण्ड के साथ समाप्त करने का अधिकार रखता है, तब पट्टा को आगे लागू नहीं किया जाता है।

ii. एक पट्टेदार के रूप में, जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह कम से कम आरंभ में पट्टे को निर्धारित करती है चाहे प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा हो या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा प्रर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी विशिष्ठ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टे परिसंपत्ति के आर्थिक जीवनके प्रमुख हिस्से के लिए है। यदि एक व्यवस्था में पट्टे और गैर-लीज़ घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार को आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परिचालन लीज के तहत समग्र लीज अवधि के लिए स्ट्रेट लाइन के आधार पर प्राप्त आय को "अन्य आय" के रूप में मानती है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note :- 3

Property, Plant & Equipment's

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total
Cost or Deemed Cost								
At 1 April 2023	47.94	103.46	68.42	8.60	39.70	3.81	99.49	371.42
Additions during the year	-	51.64	2.85	-	11.88	-	8.24	74.61
Disposals/Adjustments	-	0.02	-	-	0.01	-	-	0.03
At 31 March 2024	**47.94**	**155.08**	**71.27**	**8.60**	**51.57**	**3.81**	**107.73**	**446.00**
At 1 April 2024	47.94	155.08	71.27	8.60	51.57	3.81	107.73	446.00
Additions during the year		0.28	1.63				8.78	10.68
Disposals/Adjustments			0.09				0.26	0.34
At 31st March 2025	**47.94**	**155.35**	**72.81**	**8.60**	**51.57**	**3.81**	**116.25**	**456.34**
Depreciation and Impairment								
At 1 April 2023	36.15	74.14	61.17	7.72	30.04	3.55	86.11	298.87
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.59	16.69	2.86	0.27	4.34	0.01	9.59	34.34
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-
At 31 March 2024	**36.74**	**90.83**	**64.03**	**7.99**	**34.38**	**3.56**	**95.69**	**333.21**
At 1 April 2024	36.74	90.83	64.03	7.99	34.38	3.56	95.69	333.21
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.56	16.58	2.95	0.19	4.39	0.00	7.82	32.49
Impairment								-
Disposals/Adjustments								-
At 31st March 2025	**37.30**	**107.41**	**66.98**	**8.18**	**38.76**	**3.56**	**103.52**	**365.70**
Net book value								
At 31st March 2025	**10.64**	**47.95**	**5.84**	**0.42**	**12.81**	**0.25**	**12.73**	**90.63**
At 31 March 2024	**11.20**	**64.25**	**7.24**	**0.61**	**17.20**	**0.25**	**12.04**	**112.78**

Note :-3(a) Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 3

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (फ्रीहोल्ड)	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर कंडीशनर एवं कूलर	ई.पी.ए.बी. एक्स	आकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	कुल
लागत या मानी गई लागत								
1 अप्रैल 2023 को	47.94	103.46	68.42	8.60	39.70	3.81	99.49	371.42
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	51.64	2.85	-	11.88	-	8.24	74.61
निपटान/समायोजन	-	0.02	-	-	0.01	-	-	0.03
31 मार्च 2024 को	**47.94**	**155.08**	**71.27**	**8.60**	**51.57**	**3.81**	**107.73**	**446.00**
1 अप्रैल 2024 को	47.94	155.08	71.27	8.60	51.57	3.81	107.73	446.00
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		0.28	1.63				8.78	10.68
निपटान/समायोजन			0.09				0.26	0.34
31 मार्च 2025 को	**47.94**	**155.35**	**72.81**	**8.60**	**51.57**	**3.81**	**116.25**	**456.34**
मूल्यह्रास एवं क्षति								
1 अप्रैल 2023 को	36.15	74.14	61.17	7.72	30.04	3.55	86.11	298.87
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार (टिप्पणी-22 देखें)	0.59	16.69	2.86	0.27	4.34	0.01	9.59	34.34
क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	**36.74**	**90.83**	**64.03**	**7.99**	**34.38**	**3.56**	**95.69**	**333.21**
1 अप्रैल 2024 को	36.74	90.83	64.03	7.99	34.38	3.56	95.69	333.21
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार (टिप्पणी-22 देखें)	0.56	16.58	2.95	0.19	4.39	0.00	7.82	32.49
क्षति								-
निपटान/समायोजन								-
31 मार्च 2025 को	**37.30**	**107.41**	**66.98**	**8.18**	**38.76**	**3.56**	**103.52**	**365.70**
शुद्ध अंकित मूल्य								
31 मार्च 2025 को	**10.64**	**47.95**	**5.84**	**0.42**	**12.81**	**0.25**	**12.73**	**90.63**
31 मार्च 2024 को	**11.20**	**64.25**	**7.24**	**0.61**	**17.20**	**0.25**	**12.04**	**112.78**

टिप्पणी: -3(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान अपलेखित मूल्य पद्धति से किया जाता है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note :- 3 (1)

RIGHT OF USE ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Mumbai Flat)	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1 April 2023	52.66	52.66
Adjustment of Transition of IND AS 116		-
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2024	**52.66**	**52.66**
At 1 April 2024	52.66	52.66
Additions during the year		-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31st March 2025	**52.66**	**52.66**
Depreciation and Impairment		
At 1 April 2023	14.46	14.46
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.59	0.59
Impairment		
Disposals/Adjustments		
At 31 March 2024	**15.05**	**15.05**
Depreciation charge for the year	0.59	0.59
Impairment (Refer Note-22)		-
Disposals/Adjustments		-
At 31st March 2025	**15.63**	**15.63**
Net book value		
At 31st March 2025	**37.03**	**37.03**
At 31 March 2024	**37.61**	**37.61**

Note: Flat No. 002 Plot 51, Building No. 16 & Flat No. 001 Plot No. 53, Building No. 18 respectively use as Staff Quarter w.e.f 01/07/1998 at Oshiwara, Andheri West Mumbai 400053

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 3(1)

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (मुंबई फ्लैट)	योग
लागत या मानी गई लागत		
1 अप्रैल 2023 को	52.66	52.66
भारतीय लेखाकरण मानक 116 के पारगमन का समायोजन		-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 को	**52.66**	**52.66**
1 अप्रैल 2024 को	52.66	52.66
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2025 को	**52.66**	**52.66**
<u>मूल्यह्रास एवं क्षति</u>		
1 अप्रैल 2023 को	14.46	14.46
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार (टिप्पणी-22 देखें)	0.59	0.59
क्षति		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2024 को	**15.05**	**15.05**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.59	0.59
क्षति (टिप्पणी-22 देखें)		-
निपटान/समायोजन		-
31 मार्च 2025 को	**15.63**	**15.63**
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च 2025 को	**37.03**	**37.03**
31 मार्च 2024 को	**37.61**	**37.61**

टिप्पणी: फ्लैट सं. 002 प्लॉट 51, बिल्डिंग सं. 16 एवं फ्लैट सं. 001, प्लॉट सं. 53, बिल्डिंग सं. 18 क्रमशः ओशिवारा , अंधेरी पश्चिम मुंबई 400053 को 01.07.1998 से स्टाफ क्वार्टर के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note :- 4 Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2023	**66.48**	**-**	**66.48**
Addition during the year	0.05	4.72	4.77
Adjustment/deletions during the year	-		-
Closing balance at 31st March 2024	**66.53**	**4.72**	**71.25**
Addition during the year		20.20	20.20
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2025	**66.53**	**24.92**	**91.45**
Amortization and Impairment			
Opening balance at 1st April 2023	**58.69**	**-**	**58.69**
Amortization during the year (Refer Note-22)	3.55	-	3.55
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2024	**62.24**	**-**	**62.24**
Amortization during the year (Refer Note-22)	2.87	-	2.87
Impairment during the year		-	-
Closing balance at 31st March 2025	**65.11**	**-**	**65.11**
Net book value			
As at 31 March 2025	**1.42**	**24.92**	**26.34**
As at 31 March 2024	**4.29**	**4.72**	**9.01**

Note 4(a) Ageing Intangible Assets under Development

Intangible assets under development ageing schedule FY 2025 (₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	20.20	4.72	-	-	24.92
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Intangible assets under development ageing schedule FY 2024 (₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	4.72	-	-	-	4.72
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 4 अमूर्त संपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	योग
1 अप्रैल 2023 को लागत अथवा मानी गई लागत	**66.48**	**-**	**66.48**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	0.05	4.72	4.77
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-		-
31 मार्च 2024 को अंतशेष	**66.53**	**4.72**	**71.25**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		20.20	20.20
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च 2025 को अंतशेष	**66.53**	**24.92**	**91.45**
<u>परिशोधन एवं क्षति</u>			
1 अप्रैल 2023 को आरंभिक शेष	**58.69**	**-**	**58.69**
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी-22 देखें)	3.55	-	3.55
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च 2024 को अंतशेष	**62.24**	**-**	**62.24**
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी-22 देखें)	2.87	-	2.87
वर्ष के दौरान क्षति		-	-
31 मार्च 2025 को अंतशेष	**65.11**	**-**	**65.11**
शुद्ध अंकित मूल्य			
31 मार्च 2025 को	**1.42**	**24.92**	**26.34**
31 मार्च 2024 को	**4.29**	**4.72**	**9.01**

टिप्पणी 4(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु

वित्तीय वर्ष 2025 में अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु के तहत समय सारणी

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूत परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि अवधि के लिए				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	20.20	4.72	-	-	24.92
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2024 में अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु के तहत समय सारणी

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूत परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि अवधि के लिए				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	4.72	-	-	-	4.72
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note No: 5

Non-current portion of the Trade Receivable/Debtors have been classified under 'non-current financial assets and current portion of the Trade Receivable/Debtors has been classified under 'current financial assets - loans'.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025			As at March 31,2024		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Considered Good-Secured						
Considered Good-UnSecured		1.27	1.27		-	-
Significant Increase in Credit Risk						
Less : Allowance for loans & advances						
Total	**-**	**1.27**	**1.27**	**-**	**-**	**-**

Trade Receivables Ageing FY 2024-25

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	1.27	-	-	-	-	1.27
(ii)Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii)Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv)Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	**1.27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.27**

Trade Receivables Ageing FY 2023-24

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(ii)Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii)Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv)Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 5

प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के गैर-वर्तमान अंश को 'गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, एवं प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के वर्तमान अंश को 'वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग
अच्छे माने गए- सुरक्षित						
अच्छे माने गए - असुरक्षित		1.27	1.27		-	-
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
घटाएँ : ऋण एवं अग्रिम के लिए भत्ता						
योग	**-**	**1.27**	**1.27**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यवसाय में प्राप्य अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय- अच्छे माने गए	1.27	-	-	-	-	1.27
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय – उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय-अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय –उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	**1.27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.27**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यवसाय में प्राप्य अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय- अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय – उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय-अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय –उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-

Note :- 6 Financial assets – loans (b)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025			As at March 31,2024		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1) General Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a)'General loans	50,118.41	27,707.31	77,825.72	59,892.91	25,756.56	85,649.47
'(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)			-			
(b)'General loans	-	-	-	-	-	-
'(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
	50,118.41	**27,707.31**	**77,825.72**	**59,892.91**	**25,756.56**	**85,649.47**
Considered Good-UnSecured						
General loans	51,245.59	15,422.62	66,668.21	43,854.68	12,066.36	55,921.04
Significant Increase in Credit Risk						
General loans		1,003.59	1,003.59	-	201.14	201.14
Less : Allowance for loans & advances #		(327.83)	(327.83)		(196.13)	(196.13)
	-	675.76	675.76	-	5.01	5.01
Loans Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
Sub Total (1)	**1,01,364.00**	**43,805.69**	**1,45,169.69**	**1,03,747.59**	**37,827.93**	**1,41,575.52**
(2) Micro Finance Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a) 'Micro Finance Loan	31,019.24	21,066.48	52,085.73	31,006.58	19,210.37	50,216.94
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b) 'Micro Finance Loan	-	-	-	-	685.71	685.71
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)	**31,019.24**	**21,066.48**	**52,085.73**	**31,006.58**	**19,896.08**	**50,902.66**
Considered Good-UnSecured						
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	12,314.90	2,737.38	15,052.28	15,891.36	2,544.72	18,436.08
Significant Increase in Credit Risk						
Micro Finance Loan		1,389.71	1,389.71	-	1,235.38	1,235.38
Less : Allowance for loans & advances #		(1,305.89)	(1,305.89)	-	(1,235.38)	(1,235.38)
		83.82	**83.82**	**-**	**-**	**-**
Loans Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
Sub Total (2)	**43,334.14**	**23,887.68**	**67,221.83**	**46,897.93**	**22,440.81**	**69,338.74**
(3) Loans to Managing Director			-			
Sub Total (3)	**1,44,698.15**	**67,693.37**	**2,12,391.52**	**1,50,645.53**	**60,268.73**	**2,10,914.26**
(4)Loans to Employees						
Loans & Interest accrued						
Considered Good-Secured	324.55	40.88	365.43	247.52	30.04	277.56
Considered Good-Unsecured	50.42	24.62	75.04	85.74	29.88	115.62
Sub Total (4)	**374.97**	**65.50**	**440.47**	**333.26**	**59.93**	**393.18**
Grand Total (1+2+3+4)	**1,45,073.12**	**67,758.87**	**2,12,831.99**	**1,50,978.78**	**60,328.66**	**2,11,307.44**

Allowance for Loan & Advances to respective State Channel Agencies (SCAs)/ Channel Partners (CPs) is made as per the Corporation's policy.

टिप्पणी 6 वित्तीय एवं परिसंपत्तियाँ-ऋण (ख)

(₹ लाख में)

विवरण	1 मार्च 2025 को			1 मार्च 2024 को		
	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग
(1) एससीए/अन्य संस्थाओं को सामान्य ऋण						
अच्छे माने गए- सुरक्षित						
(क) सामान्य ऋण	50,118.41	27,707.31	77,825.72	59,892.91	25,756.56	85,649.47
(सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)			-			
(ख) सामान्य ऋण	-	-	-	-	-	-
(सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)						
	50,118.41	**27,707.31**	**77,825.72**	**59,892.91**	**25,756.56**	**85,649.47**
अच्छे माने गए- असुरक्षित						
सामान्य ऋण	51,245.59	15,422.62	66,668.21	43,854.68	12,066.36	55,921.04
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
सामान्य ऋण		1,003.59	1,003.59	-	201.14	201.14
घटाएँ : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस #		(327.83)	(327.83)		(196.13)	(196.13)
	-	675.76	675.76	-	5.01	5.01
ऋण प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-
उप योग (1)	**1,01,364.00**	**43,805.69**	**1,45,169.69**	**1,03,747.59**	**37,827.93**	**1,41,575.52**
(2) एससीए/अन्य संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त ऋण						
अच्छे माने गए- असुरक्षित						
(क) सूक्ष्म वित्त ऋण	31,019.24	21,066.48	52,085.73	31,006.58	19,210.37	50,216.94
(सरकारी आदेश/ब्लॉक सरकारी गारंटी के माध्यम से प्राप्त)						
(ख) 'माइक्रो फाइनेंस लोन	-	-	-	-	685.71	685.71
(सावधि जमा रसीदों के ग्रहणाधिकार के विरुद्ध)	**31,019.24**	**21,066.48**	**52,085.73**	**31,006.58**	**19,896.08**	**50,902.66**
अच्छे माने गए- असुरक्षित						
सूक्ष्म वित्त ऋण (अच्छे माने गए- असुरक्षित)	12,314.90	2,737.38	15,052.28	15,891.36	2,544.72	18,436.08
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
सूक्ष्म वित्त ऋण		1,389.71	1,389.71	-	1,235.38	1,235.38
घटाएँ : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस#		(1,305.89)	(1,305.89)	-	(1,235.38)	(1,235.38)
		83.82	**83.82**	**-**	**-**	**-**
ऋण प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-
उप योग (2)	**43,334.14**	**23,887.68**	**67,221.83**	**46,897.93**	**22,440.81**	**69,338.74**
(3) प्रबंध निदेशक को ऋण			-			
उप योग (3)	**1,44,698.15**	**67,693.37**	**2,12,391.52**	**1,50,645.53**	**60,268.73**	**2,10,914.26**
(4)कर्मचारियों को ऋण						
उपार्जित ऋण एवं ब्याज						
अच्छे माने गए- सुरक्षित	324.55	40.88	365.43	247.52	30.04	277.56
अच्छे माने गए - असुरक्षित	50.42	24.62	75.04	85.74	29.88	115.62
उप योग (4)	**374.97**	**65.50**	**440.47**	**333.26**	**59.93**	**393.18**
कुल योग (1+2+3+4)	**1,45,073.12**	**67,758.87**	**2,12,831.99**	**1,50,978.78**	**60,328.66**	**2,11,307.44**

संबंधित राज्य चैनल एजेंसियों (रा.चै.ए.)/ चैनल सहभागियों(सीपी) के लिए ऋण और अग्रिम का प्रबन्ध निगम की नीति के अनुसार किया जाता है।

Note 6.1 Current Loans are loan amount which are receivable during the next 12 months after end of the financial year.

Note 6.2 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/interest thereon.

Note 6.3 Out of the total Loans of Rs. 2,16,948.82 Lakhs (as at 31.03.2024, Rs.2,14,898.11 Lakhs) out of which Rs.1,84,793.57 lakh (as at 31.03.2024 Rs.1,94,450.27 Lakhs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.

Note 6.4 The utilization amount of loan beyond 180 days under the prevalent lending policy is eligible for refund. Hence, the same stand in current.

Note 6.5 The disbursement , accumulated over the years with channel Partners for which utilization certificates of Rs.1,413.33 lakhs (Rs. 2,761.59 Lakhs as at 31.03.2024) are pending to be received from borrowing institutions, out of which Rs. 267.38 Lakhs (Rs. 2492.02 lakhs as at 31.03.2024) are more than six months old as at year end.

Note 6.6 In respect of Loans given, Corporation has obtained Government Assurance from channel partners and signed MOU with RRBs/PSB'sand others amounting to Rs. 82,461.80 Lakh (Previous year Rs. 70,933.49 Lakh). As per legal opinion , Government assurance and signed MOU do not tantamount to Government Order/ Block Government Gaurantee or other financial instrument. However, same can be enforced in disputed cases by way of arbitration. In view of the above, Corpration is adequantely covered in cases where the outstanding loan amount is backed by Govt. assurance and signed MOUand disclosed as " Unsecured and considered good" as the repayment is regular.

Note 6.6.1 In the Loans and Interest thereon which are backed by Block government gaurantee/ Sanction orders, no provision is recognized since there is no doubt about their recoverability, however in some cases it take substantial time. The Gaurantee Deed include the principal amount and all type of interest thereon are covered by Guaranttor(State Government). The above amounts outstanding since substantial period of time are elegible for revoking Guarantee.

Note 6.7 As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undiscounted Loans to Employees as given below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025			As at March 31,2024		
	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
House Building Advance	369.12	48.09	417.21	271.89	56.32	328.20
Vehicle Loan	35.12	5.19	40.31	44.55	5.40	49.94
General Purpose Advance	36.08		36.08	70.48	-	70.48
Grand Total (1+2+3+4)	**440.32**	**53.28**	**493.60**	**386.91**	**61.71**	**448.63**

'As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

Note 6.8 Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

टिप्पणी 6.1 वर्तमान ऋण वे ऋण राशि हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले 12 माह की अवधि में प्राप्त होने योग्य हैं।

टिप्पणी 6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और प्रावधान को तैयार करने, आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसाकि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम पर लागू नहीं हैं, इनसे विनिश्चित बकाया ऋण/उस पर ब्याज प्रावधान हेतु निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रावधान किए गए हैं।

टिप्पणी 6.3 कुल बकाया रु. 2,16,948.82 लाख (31.03.2024 को, रु. 2,14,898.11 लाख) जिसमें से रु. 1,84,793.57 लाख (31.03.2024 को रु. 1,94,450.27 लाख) संबंधित पार्टियों द्वारा पुष्टि की गई है। शेष ऋण राशि ऋण लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 6.4 लागू ऋण नीति के तहत 180 दिनों के बाद उपभुक्त ऋण राशि वापस की जानी है । यथापि, इसे वर्तमान में माना गया।

टिप्पणी 6.5 चैनल सहभागियों के पास वर्षों से संचित, संवितरण, जिसके लिए रु. 1,413.33 लाख (31.03.2024 को रु . 2,761.59 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र उधार लेने वाले संस्थानों से प्राप्त होने हैं, जिसमें से वर्ष की समाप्ति पर रू.267.38 लाख (31.03.2024 तक रू. 2,492.02 लाख) छह महीने से अधिक पुराने हैं।

टिप्पणी 6.6 प्रदत्त ऋणों के संबंध मे,रु. 82,461.80 लाख (गत् वर्ष रू. 70,933.49 लाख) की राशि निगम ने चैनल सहभागियों से सरकारी आश्वासन प्राप्त किया है एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको/सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों एवं अन्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। विधिक राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन एवं हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारण्टी अथवा अन्य वित्तीय प्रपत्र के बराबर नहीं होते है। तथापि, इसे विवादित मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उन मामलों में निगम में पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है जहां बकाया ऋण राशि सरकारी आश्वासन द्वारा समर्थित है और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित है और पुनर्भुगतान नियमित होने के कारण "असुरक्षित और अच्छे माने गए है" के रूप में प्रकट किया गया है।

टिप्पणी 6.6.1 जो ब्लॉक शासकीय गारंटी/स्वीकृति आदेशों द्वारा समर्थित है, ऋण और उस पर ब्याज में किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उनकी वसूली के बारे में कोई संदेह नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में इसमें काफी समय लगता है। गारंटी डीड में मूल राशि शामिल होती है और उस पर सभी प्रकार का ब्याज गारंटर (राज्य सरकार) द्वारा कवर किया जाता है। पर्याप्त अवधि से बकाया उपरोक्त राशियाँ गारंटी को प्रतिसंहरण करने के योग्य हैं।

टिप्पणी 6.7 भारतीय लेखाकरण मानक -109 के अनुसार कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर-रियायती ऋण विवरण में मूल एवं ब्याज घटक दोनों शामिल हैं, जैसाकि नीचे दिया गया है'-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	मूल	ब्याज	योग	मूल	ब्याज	योग
गृह निर्माण अग्रिम	369.12	48.09	417.21	271.89	56.32	328.20
वाहन ऋण	35.12	5.19	40.31	44.55	5.40	49.94
सामान्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम	36.08		36.08	70.48	-	70.48
उप योग (1+2+3)	**440.32**	**53.28**	**493.60**	**386.91**	**61.71**	**448.63**

'दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार, गृह निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरू की जाती है।

टिप्पणी 6.8 वर्ष के अंत में बकाया ऋण एवं अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया ब्याज सम्मिलित है,'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैं।

Note 6.9 Details of Loan and Advances as on 31.03.2025

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Opening Adjustment	Addition	Refunds	Reappropri-ation	Adjustment	Recovered	Closing Balance
General Loan	1,41,575.51	196.13	28,405.51	58.28	(5,895.45)	327.83	30,516.81	1,45,169.68
Micro Finance	69,338.75	1,235.38	24,348.26	325.00	5,895.45	1,305.89	20,174.22	67,221.83
Total	**2,10,914.26**	**1,431.51**	**52,753.77**	**383.28**	**-**	**1,633.72**	**50,691.03**	**2,12,391.52**
Previous Year	**2,04,185.13**	**1,065.87**	**52,508.90**	**140.54**	**-**	**1,431.51**	**45,273.59**	**2,10,914.26**
Particulars	**Opening Balance**		**Addition**		**Adjustment**			**Closing Balance**
Loan Due	8,347.64	-	963.29		1,633.72			9,310.93
Loan Not due(31.03.2023)	2,03,998.13	-	(917.57)					2,03,080.56
Total	**2,12,345.77**	**-**	**45.73**		**1,633.72**			**2,12,391.52**
Previous year	**2,05,251.00**	**-**	**7,094.78**		**-**			**2,12,345.78**

Note 6.9.1 Details of Loan and Advances as on 31.03.2024

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Opening Adjustment	Addition	Refunds	Reappropri-ation	Adjustment	Recovered	Closing Balance
General Loan	1,39,974.48	181.92	26,614.88	20.57	(1,872.69)	196.13	26,851.76	1,41,575.51
Micro Finance	64,210.65	883.95	25,894.02	119.97	1,872.69	1,235.38	18,421.83	69,338.75
Total	**2,04,185.13**	**1,065.87**	**52,508.90**	**140.54**	**-**	**1,431.51**	**45,273.59**	**2,10,914.26**
Previous year	2,01,233.92	649.11	51,184.60	2,670.94	-	416.76	44,496.58	2,04,185.13
Loan Due	5,294.54		3,053.10					8,347.64
Loan Not due (31.03.2023)	1,99,956.46		4,041.67					2,03,998.13
Total	**2,05,251.00**	-	**7,094.77**	-	-	-	-	**2,12,345.78**
Previous year	**2,01,233.92**	-	**4,017.08**	-	-	-	-	**2,05,251.00**

टिप्पणी 6.9 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	आरंभिक समायोजन	अतिरिक्त	वापसी	पुनगृहित	समायोजन	वसूले गए	अंतशेष
सामान्य ऋण	1,41,575.51	196.13	28,405.51		(5,895.45)	327.83	30,516.81	1,45,169.68
सूक्ष्म वित्त	69,338.75	1,235.38	24,348.26	325.00	5,895.45	1,305.89	20,174.22	67,221.83
योग	**2,10,914.26**	**1,431.51**	**52,753.77**	**383.28**	**-**	**1,633.72**	**50,691.03**	**2,12,391.52**
गत् वर्ष	**2,04,185.13**	**1,065.87**	**52,508.90**	**140.54**	**-**	**1,431.51**	**45,273.59**	**2,10,914.26**
विवरण	**Opening Balance**		**Addition**		**Adjustment**			**Closing Balance**
ऋण देय	8,347.64	-	963.29		1,633.72			9,310.93
ऋण अदेय(31.03.2025)	2,03,998.13	-	(917.57)					2,03,080.56
योग	**2,12,345.77**	**-**	**45.73**		**1,633.72**			**2,12,391.52**
गत् वर्ष	**2,05,251.00**	**-**	**7,094.78**		**-**			**2,12,345.78**

टिप्पणी 6.9.1 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	आरंभिक समायोजन	अतिरिक्त	वापसी	पुनगृहित	समायोजन	वसूले गए	अंतशेष
सामान्य ऋण	1,39,974.48	181.92	26,614.88	20.57	(1,872.69)	196.13	26,851.76	1,41,575.51
सूक्ष्म वित्त	64,210.65	883.95	25,894.02	119.97	1,872.69	1,235.38	18,421.83	69,338.75
योग	**2,04,185.13**	**1,065.87**	**52,508.90**	**140.54**	**-**	**1,431.51**	**45,273.59**	**2,10,914.26**
गत् वर्ष	2,01,233.92	649.11	51,184.60	2,670.94	-	416.76	44,496.58	2,04,185.13
ऋण देय	5,294.54	-	3,053.10	-	-	-	-	8,347.64
ऋण अदेय (31.03.2024)	1,99,956.46	-	4,041.67	-	-	-	-	2,03,998.13
योग	**2,05,251.00**	**-**	**7,094.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,12,345.78**
गत् वर्ष	**2,01,233.92**	**-**	**4,017.08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,05,251.00**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note :- 7 Other financial assets

Particulars	As at March 31, 2025			As at March 31,2024		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1) Interest Receivable:						
Secured, considered good						
- Interest on General Loan (By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	-	1,648.46	1,648.46	-	1,079.98	1,079.98
- Interest on Micro Finance		14.67	14.67	-	42.34	42.34
	-	**1,663.13**	**1,663.13**	-	**1,122.33**	**1,122.33**
Unsecured, considered good						
Interest on General Loan		88.25	88.25	-	0.20	0.20
Interest on Micro Finance		**4.68**	**4.68**	**-**	**2.14**	**2.14**
	-	**92.93**	**92.93**	-	**2.35**	**2.35**
Doubtful						
Interest on General Loan	-	235.69	235.69	-	593.34	593.34
Interest on Micro Finance	-	42.49	42.49	-	50.34	50.34
Penal Interest on General Loan		241.74	241.74	-	241.74	241.74
Penal Interest on Micro Finance		3.52	3.52	-	3.52	3.52
		523.44	**523.44**	**-**	**888.93**	**888.93**
Less : Allowance for loans & advances		(523.44)	(523.44)		(889.28)	(889.28)
Sub Total (1)	**-**	**1,756.07**	**1,756.07**	**-**	**1,124.32**	**1,124.32**
(2) Interest accrued but not due						
General Loan	358.08	196.44	554.51	495.22	226.17	721.40
Micro Finance		44.51	44.51		45.87	45.87
Sub Total (2)	**358.08**	**240.95**	**599.02**	**495.22**	**272.04**	**767.26**
Others						
(i) Interest accrued but not due - Saving Bank		0.08	0.08		0.66	0.66
(ii) Security Deposits - Unsecured Considered Good	-	0.25	0.25		0.30	0.30
(iii) Other Receivables						
(iii)(a)Amount recoverable/adjustable from employees	-	0.13	0.13	-	0.34	0.34
(iii)(b)Amount recoverable from parties -considered good - Secured						
(iii)(c)Amount recoverable from parties -considered good - Unsecured	-	147.66	147.66	-	119.61	119.61
(iii)(d)Amount recoverable from parties -significant increase in Credit Risk						-
(iii)(e)Amount recoverable from parties - Credit impaired						-
(iii)(f)Form banks (others)					-	-
Sub Total (3)	**-**	**148.12**	**148.12**	**-**	**120.91**	**120.91**
Grand Total (1+2+3)	**358.08**	**2,145.13**	**2,503.21**	**495.22**	**1,517.27**	**2,012.50**

Note 7.1 During the year, additional demand notice for the period 16.02.2025 to 31.03.2025 have not been raised upto 31.03.2025. However, interest for that period amounting to ₹ 90.32 Lakhs (₹ 105.78 Lakhs as at 31.03.2024) has been included in interest accrued but not due.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग
(1) प्राप्य ब्याज:						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
- सामान्य ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)	-	1,648.46	1,648.46	-	1,079.98	1,079.98
- सूक्ष्म ऋण पर ब्याज		14.67	14.67	-	42.34	42.34
	-	**1,663.13**	**1,663.13**	-	**1,122.33**	**1,122.33**
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
सामान्य ऋण पर ब्याज		88.25	88.25	-	0.20	0.20
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज		**4.68**	**4.68**	-	**2.14**	**2.14**
	-	**92.93**	**92.93**	-	**2.35**	**2.35**
संदेहपूर्ण						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	235.69	235.69	-	593.34	593.34
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	42.49	42.49	-	50.34	50.34
सामान्य ऋण पर दंड ब्याज		241.74	241.74	-	241.74	241.74
सूक्ष्म ऋण पर दंड ब्याज		3.52	3.52	-	3.52	3.52
		523.44	**523.44**	-	**888.93**	**888.93**
घटाएँ : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस		(523.44)	(523.44)		(889.28)	(889.28)
उप योग (1)	**-**	**1,756.07**	**1,756.07**	**-**	**1,124.32**	**1,124.32**
(2) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं						
सामान्य ऋण	358.08	196.44	554.51	495.22	226.17	721.40
सूक्ष्म वित्त		44.51	44.51		45.87	45.87
उप योग (2)	**358.08**	**240.95**	**599.02**	**495.22**	**272.04**	**767.26**
अन्य						
(i) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं - बचत बैंक		0.08	0.08		0.66	0.66
(ii) सुरक्षा जमा - असुरक्षित अच्छे माने गए	-	0.25	0.25		0.30	0.30
(iii) अन्य प्राप्य						
(iii)(क)वसूली योग्य राशि/कर्मचारियों से समायोजित	-	0.13	0.13	-	0.34	0.34
(iii)(ख)पार्टियों से प्राप्य धनराशि –अच्छे माने गए - सुरक्षित						
(iii)(ग) पार्टियों से प्राप्य धनराशि –अच्छे माने गए - असुरक्षित	-	147.66	147.66	-	119.61	119.61
(iii)(घ) पार्टियों से प्राप्य धनराशि -क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						-
(iii)(ड) पार्टियों से प्राप्य धनराशि – उधारी क्षति						-
(iii)(च) बैंकों से (अन्य)					-	-
उप योग (3)	**-**	**148.12**	**148.12**	**-**	**120.91**	**120.91**
योग योग (1+2+3)	**358.08**	**2,145.13**	**2,503.21**	**495.22**	**1,517.27**	**2,012.50**

टिप्पणी 7.1 वर्ष के दौरान, 16.02.2025 से 31.03.2025 की अवधि की अतिरिक्त मांग नोटिसें 31.03.2025 तक नहीं भेजी गई है। तथापि, उस अवधि की ₹ 90.32 लाख (31.03.2024 को ₹ 105.78 लाख की ब्याज धनराशि उपार्जित ब्याज में सम्मिलित की गई, किन्तु देय नहीं।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note :- 8 Other current & non current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025			As at March 31,2024		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Samples		-	-		-	-
Net planned Assets for gratuity or leave encashment(Refer Note:14.1)	33.99	-	33.99	43.06	-	43.06
Prepaid Expenses (refer note: 8.1)	76.64	16.11	92.75	55.44	17.05	72.49
Stamps in hand	-	0.17	0.17		0.10	0.10
Advance Receivable		16.31	16.31		-	-
Grand Total	**110.63**	**32.60**	**143.22**	**98.51**	**17.15**	**115.65**

'Note 8.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

Note: - 9 Cash and cash equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
(a) Cash and other Bank Balances		
- Cash in hand	-	
(b) Balance with Banks		
- In Saving Accounts	3,642.00	1,097.78
Total	**3,642.00**	**1,097.78**

'Note 9.1 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

Note: - 10 Other Bank Balances

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Other Bank Balance (Grant Funds & Others)		
- Saving Account	7725.21	3,233.95
Post Retirement Medical Fund for Superannuated Employees	257.01	223.55
Unspent CSR-Fund	1.36	24.34
Total	**7,983.58**	**3,481.83**

Note 10.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group only as per the terms of the grant (Interest Subvention Scheme VISVAS, PM Daksh & other CSR Funds) along with Separate Saving Account for Post Retirement-Medical Expenses.

Note: - 11 Current Tax Asset (Net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Income Tax/TDS Receivable	5.79	1.21
Total	**5.79**	**1.21**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 8 अन्य वर्तमान एवं गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग
नमूने		-	-		-	-
उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियां (टिप्पणी: 14.1 देखें)	33.99	-	33.99	43.06	-	43.06
पूर्वदत्त व्यय (टिप्पणी देखें: 8.1)	76.64	16.11	92.75	55.44	17.05	72.49
उपलब्णध स्टैम्प	-	0.17	0.17		0.10	0.10
अग्रिम प्राप्य		16.31	16.31		-	-
उप योग	**110.63**	**32.60**	**143.22**	**98.51**	**17.15**	**115.65**

टिप्पणी 8.1 पूर्व में भुगतान किए गए कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम या वित्तीय संमत्तियों के अपरिशोधित अंश को उचित मूल्य के बीच अंतर प्रारंभिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर प्रदर्शित करता है।

टिप्पणी: - 9 नकद एवं नकदी समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा		
- पास में नकद	-	
(ख) बैंकों के पास अवशेष		
- बचत खाते में	3,642.00	1,097.78
योग	**3,642.00**	**1,097.78**

टिप्पणी 9.1 सामान्यतः उधार लेने वाले अभिकरणों से वसूली/वापसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्राप्त हुई है। अतः इसे इच्छित उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया जा सकता था।

टिप्पणी:-10 अन्य बैंक अवशेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अन्य बैंकअवशेष (अनुदान निधि एवं अन्य)		
- बचत खाता	7725.21	3,233.95
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त के पश्चात चिकित्सा कोष	257.01	223.55
अव्ययित सी.एस.आर.-निधि	1.36	24.34
योग	**7,983.58**	**3,481.83**

टिप्पणी 10.1 अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि को प्रदर्शित करता है(विश्वास ब्याज सबवेंशन योजना, पी.एम. दक्ष एवं अन्य सी.एस.आर. राशि), साथ ही सेवानिवृत्ति के पश्चात्- चिकित्सा व्यय के लिए अलग बचत खाता को भी दर्शाते हैं।

टिप्पणी:- 11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आयकर/प्राप्य टी.डी.एस.	5.79	1.21
योग	**5.79**	**1.21**

Note: - 12 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Authorized share capital (1,72,50,000 Equity shares of ₹1,000/- each) (As at 31st March 2024, 1,72,50,000 Equity shares of ₹1,000/- each)	1,72,500.00	1,72,500.00
Issued/Subscribed and Paid up Capital (1,49,94,000 Equity shares of ₹1,000/- each) (As at 31st March 2024, 1,51,44,000 Equity shares of ₹1,000/- each,)	1,51,440.00	1,51,440.00
Total	**1,51,440.00**	**1,51,440.00**

Note :- 12.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	1,51,44,000.00	1,51,440.00	1,49,94,000.00	1,49,940.00
Add: Shares Issued during the year		-	1,50,000.00	1,500.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**

Shares held by promoters at the end of the year	Shares held by Promoters at the end of the Year			% Change during the year***
	Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	
Equity Shares	President of India	1,51,43,999	100.00	Nil
	Joint Secretary Backward Classes	1	0.00	Nil
Total		**1,51,44,000**	**100.00**	

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of ₹1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

During the FY 2023-24, the Corporation had revived Equity Share Capital of Rs.15.00 Crs dated on 05.03.2024 having par value of Rs. 1,000 per share. Further, the Corporation had allotted 1,50,000 equity shares having par value Rs. 1,000 per share vide 134th Meeting of the Board of Directors dated on 28.03.2024 in favour of the President of India, totaling to 1,51,44,000 Nos. of equity shares with par value 1,000 each as on March 31, 2024.

Note: - 13 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Special Reserve	1,000.00	1,000.00
General Reserve	65,957.22	61,867.84
Retained Earnings	-	-
Share Application Money pending allotment	-	-
Post Retirement Medical Fund	257.01	223.55
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	**67,214.24**	**63,091.39**

टिप्पणी:- 12 शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,72,50,000 साम्य अंश) (31 मार्च 2025 को ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,72,50,000 साम्य अंश)	1,72,500.00	1,72,500.00
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,49,94,000 साम्य अंश) (31 मार्च 2025 को ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,51,44,000 साम्य अंश)	1,51,440.00	1,51,440.00
योग	**1,51,440.00**	**1,51,440.00**

टिप्पणी:- 12.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(शेयरों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अभिदत्त एवं बकाया प्रदत्त अंश पूंजी	1,51,44,000.00	1,51,440.00	1,49,94,000.00	1,49,940.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान निर्गत अंश		-	1,50,000.00	1,500.00
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं बकाया प्रदत्त अंश पूंजी	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**	**1,51,44,000.00**	**1,51,440.00**

वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के शेयर	वर्ष के अंत में प्रोमोटर्स के शेयर			% वर्ष के दौरान परिवर्तन***
	प्रमोटर का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का %	
साम्य अंश	भारत के राष्ट्रपति	1,51,43,999	100.00	Nil
	संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग	1	0.00	Nil
योग		**1,51,44,000**	**100.00**	

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य ₹1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1)(सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम को साम्य अंश पूंजी ₹ 15.00 करोड़ दिनांक 5.03.2024 को प्राप्त हुई, जिसका मूल्य ₹ 1,000 प्रति अंश है। इसके अलावा, 28.03.2024 को निदेशक मण्डल की 134वीं बैठक के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 1,50,000 इक्विटी अंश आवंटित किए गए, जिनका सममूल्य रू. 1,000 प्रति शेयर है, जो 31 मार्च, 2024 तक कुल 1,51,44,000 इक्विटी शेयरों की संख्या है, जिनका सममूल्य रू 1,000 प्रति शेयर है।

टिप्पणी:-13 अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
विशेष आरक्षित	1,000.00	1,000.00
सामान्य आरक्षित	65,957.22	61,867.84
प्रतिधारित आय	-	-
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा कोष	257.01	223.55
वर्ष के अंत में अवशेष निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	**67,214.24**	**63,091.39**

Note 13.1 Special Reserve
Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Balance as at the beginning of the year	1,000.00	1,000.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Less: Transferred to General Reserve	-	-
Closing Balance	**1,000.00**	**1,000.00**

Note 13.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Balance as at the beginning of the year	61,867.84	58,796.40
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	4,089.38	3,071.44
Closing Balance	**65,957.22**	**61,867.84**

Note 13.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.1)	-	-
Add/Less: Other Adjustment(refer Note No. 7.2 & Note 3	-	
Add/Less: Other adjustment	(1.59)	(0.01)
Add: Profit during the period transferred from Statement of Income & Expenditure	4,085.43	3,070.18
Add: Special Reserve	-	
	4,083.84	**3,070.17**
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	5.54	1.27
Less : Transferred to General Reserve	4,089.38	3,071.44
Closing Balance	**-**	**-**

Note 13.4 Share application money pending allotment
Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Balance as at the beginning of the year		-
Add: Received during the year		1,500.00
Less: Shares allotted during the year		1,500.00
Closing Balance	**-**	**-**

Note 13.5 Post Retirement Medical Fund
Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Balance as at the beginning of the year	223.55	190.75
Add: Received during the year	33.47	32.80
Closing Balance	**257.01**	**223.55**

Note 13.6 Special Reserve of Rs 1000 lakhs kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry.

Note 13.7 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve.

Note 13.8 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities

टिप्पणी 13.1 विशेष आरक्षित
अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	1,000.00	1,000.00
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	-	-
घटाएँ: सामान्य आरक्षित से अंतरण	-	-
अंतः शेष	**1,000.00**	**1,000.00**

टिप्पणी 13.2 सामान्य आरक्षित

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	61,867.84	58,796.40
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	4,089.38	3,071.44
अंतः शेष	**65,957.22**	**61,867.84**

टिप्पणी 13.3 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ें/घटाएँ: मूल्यह्रास समायोजन (टिप्पणी 3.1 देखें)	-	-
जोड़ें/घटाएं: अन्य समायोजन (टिप्पणी संख्या 7.2 एवं टिप्पणी 3 देखें)	-	
जोड़ें/घटाएँ: अन्य समायोजन	(1.59)	(0.01)
जोड़ें: आय एवं व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	4,085.43	3,070.18
जोड़ें: सामान्य आरक्षित	-	
	4,083.84	**3,070.17**
जोड़ें: परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य समग्र आय	5.54	1.27
घटाएँ : सामान्य आरक्षित को अंतरित	4,089.38	3,071.44
अंतः शेष	-	-

टिप्पणी 13.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि
अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष		-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		1,500.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आवंटित अंश		1,500.00
अंतः शेष	-	-

टिप्पणी 13.5 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि
अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	223.55	190.75
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	33.47	32.80
अंतः शेष	**257.01**	**223.55**

टिप्पणी 13.6 ₹1000 लाख के सामान्य आरक्षित को भूमि/भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी भी निश्चत विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। सामान्य आरक्षित का कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा।

टिप्पणी 13.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अनुसार, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों के वितरण एवं भविष्य के खर्चों जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं, करने में करता है। इस प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

टिप्पणी 13.8 निगम लाभ के लिए नहीं है एवं इनके प्रशिक्षण और बाजार एक्सपोजर कार्यक्रमों के माध्यम से लक्ष्य समूह के विकास के लिए इसकी गतिविधियां कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों की प्रकृति में हैं

Note 13.9 Borrowings

Secured Loans

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Balance as at the beginning of the year	-	-
Closing Balance	**-**	**-**

The Corporation had avialed Overdraft facility from Canara Bank to the tune of Rs. 100 Crores having Inventory/Account Receivables as charge against the same. During the Financial Year 2024-25, the Corporation had utilised an amount of Rs.53.50 Crores for disbursement during PM-SURAJ scheme. Further, the same fund had been repaid within the same FY 2023-24 and therfore outstanding balance stands to nil.

Note: - 14 Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025			As at March 31,2024		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Provision for Retirement Benefits to Employees						
-Gratuity						
-Leave Benefits	64.35		64.35	32.98		32.98
-Medical Scheme						
Sub Total (a)	**64.35**	**-**	**64.35**	**32.98**	**-**	**32.98**
Provision for Performance Related Pay :						
- Managing Director		30.73	30.73	-	16.36	16.36
- Other Employees		151.36	151.36	-	83.08	83.08
Sub Total (b)	**-**	**182.10**	**182.10**	**-**	**99.44**	**99.44**
Leave Travel Concession	17.94	14.72	32.66	17.94	13.45	31.39
Performance Linked Incentive Grant to Channel Partners	-	-	-	-	-	-
House Tax		-	-			
Provision for Expenses		150.00	150.00		-	-
Total	**82.29**	**346.82**	**429.11**	**50.91**	**112.89**	**163.81**

Note 14.1 Details of provisions(FY 2024-25)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2024	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2024-25	Written back during 2024-25	As at 31st March 2025
Gratuity (refer note no. 8)	(43.06)	23.80	14.72		(33.99)
Leave Benefits (refer note no. 8)	32.98	66.80	35.43		64.35
House tax	-	-			-
Performance linked incentive Grant to Channel Partners	-	-			-
Leave Travel Concession	31.39	3.45	2.19	-	32.66
Performance Related Pay	99.44	182.10	98.05	1.39	182.10
Provision for Expenses	-	150.00	-		150.00
Total	**120.74**	**426.15**	**150.39**	**1.39**	**395.12**

Note 14.1(a) Details of provisions(FY 2023-24)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2023	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2023-24	Written back during 2023-24	As at 31st March 2024
Gratuity (refer note no. 8)	(33.48)	-		9.58	(43.06)
Leave Benefits (refer note no. 8)	17.68	64.11	48.81		32.98
House tax					-
Performance linked incentive Grant to Channel Partners	-	-			-
Leave Travel Concession	33.49	2.36	4.45		31.39
Performance Related Pay	113.40	99.44	113.40		99.44
Provision for Expenses	-	-	-		-
Total	**131.09**	**165.91**	**166.67**	**9.58**	**120.74**

टिप्पणी 13.9 उधारी
सुरक्षित ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
अंतः शेष	**-**	**-**

निगम ने केनरा बैंक से ₹100 करोड़ की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की गई है, जिसके लिए इन्वेंट्री/खाता प्राप्य राशि को चार्ज के रूप में लिया गया है। वर्ष 2025-25 के दौरान , निगम ने पीएम-सूरज योजना के तहत संवितरण के लिए ₹53.50 करोड़ की राशि का उपभोग किया है। इसके अलावा, इस फंड को उसी वित्त वर्ष 2023-24 के भीतर ही चुकौती कर दी गई है एवं इसलिए बकाया राशि शून्य हो गई है।

टिप्पणी: - 14 प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर - वर्तमान	वर्तमान	योग
कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधानः						
- उपदान						
-अवकाश लाभ	64.35		64.35	32.98		32.98
-चिकित्सा योजना						
उप योग (क)	**64.35**	**-**	**64.35**	**32.98**	**-**	**32.98**
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान :						
- प्रबंध निदेशक		30.73	30.73	-	16.36	16.36
- अन्य कर्मचारी		151.36	151.36	-	83.08	83.08
उप योग (ख)	**-**	**182.10**	**182.10**	**-**	**99.44**	**99.44**
यात्रा अवकाश रियायत	17.94	14.72	32.66	17.94	13.45	31.39
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से सबंद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	-	-	-	-	-
गृह कर		-	-			
व्यय के लिए प्रावधान		150.00	150.00		-	-
योग	**82.29**	**346.82**	**429.11**	**50.91**	**112.89**	**163.81**

टिप्पणी 14.1 प्रावधानों का विवरण (वित्त वर्ष 2024-25)

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2024-25 के दौरान उपभोग/भुगतान	2024-25 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च 2025 को
उपदान (टिप्पणी 8 देखें)	(43.06)	23.80	14.72		(33.99)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 8 देखें)	32.98	66.80	35.43		64.35
गृह कर	-	-			-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से सबंद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	-			-
यात्रा अवकाश रियायत	31.39	3.45	2.19	-	32.66
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	99.44	182.10	98.05	1.39	182.10
व्यय के लिए प्रावधान	-	150.00	-		150.00
योग	**120.74**	**426.15**	**150.39**	**1.39**	**395.12**

टिप्पणी 14.1(क) प्रावधानों का विवरण (वित्त वर्ष 2023-24)

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2023-24 के दौरान उपभोग/भुगतान	2023-24 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च 2024 को
उपदान (टिप्पणी 8 देखें)	(33.48)	-		9.58	(43.06)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 8 देखें)	17.68	64.11	48.81		32.98
गृह कर					-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से सबंद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	-			-
यात्रा अवकाश रियायत	33.49	2.36	4.45		31.39
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	113.40	99.44	113.40		99.44
व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-		-
योग	**131.09**	**165.91**	**166.67**	**9.58**	**120.74**

Note 14.2 Provision for liability towards leave travel concession of ₹ 32.66 Lakhs (₹31.39 Lakhs as at 31.03.2024) is made, as per actuarial assessment.

Note 14.3 Provision for performance related pay of ₹ 182.10 Lakh (₹ 99.44 Lakhs as at 31.03.2024) has been made on the basis of 'Very Good rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU,which was signed by "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 14.4 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) -GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service, while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 14.5 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.'Liability for long term employee benefits has been determined by an actuary , appointed for the purpose , in conformity with the principles set out in the Ind AS -19 as prescribed by Companies (Ind As)Rule ,2015.

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status (net basis) is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	**As at March 31, 2025**		**As at 31st March 2024**	
	Gratuity (Funded)	**Leave encashment (Funded)**	**Gratuity (Funded)**	**Leave encashment (Funded)**
(I) Key Assumption of actuarial				
Economic Assumptions	**PUC Method**		**PUC Method**	
Discount Rate	6.51%	6.51%	7.09%	7.29%
Salary rise (p.a) *	6%	6.00%	6%	6.00%
Expected rate of return on assets	6.51%	6.51%	7.09%	7.09%
Demographic Assumptions	2%	2%	2%	2%
Employee Turnover				
Retirement Age	60 Years		60 Years	
* first 5 year 6% & for 1 Year after 5 year 12% & for 10 years after that 6%				
(II) Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End				
Defined Benefit Obligation	595.19	443.96	546.57	389.99
Fair Value of Plan Assets	629.18	379.61	589.63	357.02
	(33.99)	64.35	(43.06)	32.98
Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation				
Unrecognised Asset due to Asset Ceiling				
Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	**(33.99)**	**64.35**	**(43.06)**	**32.98**
(III) Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End				
Service Cost	21.87	30.81	22.14	26.38
Net Interest Cost	**(3.61)**	**2.48**	**(2.44)**	**1.81**

टिप्पणी 14.2 वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर यात्रा रियायत अवकाश ₹ 32.66 लाख (31.03.2024 को ₹ 31.39 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 14.3 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन ₹ 182.10 लाख (31.03.2024 को ₹ 99.44 लाख) का प्रावधान समस्त कर्मचारियों की बहुत अच्छी रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा-स्कोर के आगणन पर आधारित है, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं "निगम के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात-खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी 14.4 लोक उद्यम विभाग से का.ज्ञा. से 2114)12-DPE & GL&IV/14 दिनांक 07.02.2014 के अनुसार प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध-वेतन अवकाश सेवा की अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध-अर्जित अवकाश को साथ-साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी 14.5 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान, अवकाश भुगतान) का भारतीय लेखाकरण मानक-19 के अनुसार प्रकटन

निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित ताभ योजना है. है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे निगम छोड़ने पर सेवा के प्रत्येकपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन के अनुसार) उपदान (ग्रेज्यूटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व की वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके वास्तविक किया जाता है। जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 द्वारा वर्णित किया गया है भार्तीय लेखाकरण मानक-19 में विनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों का दायित्व वास्तविक, उद्देश्य हेतु नियत किया गया है।

उपदान के परिभाषित ताभों की संक्षिप्त स्थिति एवं दीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन-पत्र के साथ-साथ निधित स्थिति (शुद्ध) निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(I) वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान				
आर्थिक पूर्वानुमान	PUC Method		PUC Method	
छूट दर	6.51%	6.51%	7.09%	7.29%
वेतन वृद्धि (वार्षिक) *	6%	6.00%	6%	6.00%
परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	6.51%	6.51%	7.09%	7.09%
	2%	2%	2%	2%
जनांकिकी पूर्वानुमान				
कर्मचारी कारोबार	60 Years		60 Years	
सेवानिवृत्ति की आयु				
(II) अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि				
परिभाषित लाभ बाध्यता	595.19	443.96	546.57	389.99
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	629.18	379.61	589.63	357.02
	(33.99)	64.35	(43.06)	32.98
अनिधित परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य				
परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर-मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति				
शुद्ध परिभाषित लाभ(परिसंपत्ति)/वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	**(33.99)**	**64.35**	**(43.06)**	**32.98**
(III) अवधि की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाभ लागत /(आय)				
सेवा लागत	21.87	30.81	22.14	26.38
शुद्ध ब्याज लागत	**(3.61)**	**2.48**	**(2.44)**	**1.81**

Past Service Cost Remeasurements Administration Expenses (Gain)/Loss due to Settlements /Curtailments		33.51		35.92
Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	**18.26**	**66.80**	**19.70**	**64.11**
(IV) Current /Non Current Bifurcation				
Current Benefit Obligation	114.40	73.21	37.69	26.69
Non- Current Benefit Obligation	480.79	370.75	508.88	363.31
(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	**595.19**	**443.96**	**546.57**	**389.99**
(V) Actual return on Plan assets				
Interest Income on Plan Assets	41.80		37.77	
Expected Return on Plan Assets		25.31		23.72
Remeasurements of Plan assets	3.02	2.05	3.21	1.71
Actual Return on Plan Assets	**44.83**	**27.36**	**40.98**	**25.43**
(VI) Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End				
Amount Recognised in OCI Beginning of Period	(5.74)		(7.01)	
Remeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions	13.34		4.82	
Effect of Change in demographic assumptions				
Effect of experience adjustments	(4.78)		(0.34)	
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)	(3.02)		(3.21)	
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized in OCI	**5.54**		**1.27**	
Amount Recognized in OCI	**(0.20)**		**(5.74)**	
(VII) Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period				
Premeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions		10.92		3.72
Effect of Change in demographic assumptions				
Effect of experience adjustments		24.65		33.91
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)		(2.05)		(1.71)
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized (gains)/losses		**33.51**		**35.92**
(VIII) Changes in defined Benefit Obligation during the Period				
Defined Benefit Obligations Beginning of period	546.57	389.99	484.61	343.06
Interest cost on DBO	38.19	30.81	35.33	26.38
Current service cost	21.87	27.80	22.14	25.53
Benefit paid (if any)				
Benefit paid by the Insurer (if any)	(20.00)	(40.20)	0.00	(42.61)
Past Service cost				
Actuarial (gain)/loss	8.56	37.63	4.48	37.63
Defined Benefit Obligation at the end of the period	**595.19**	**446.03**	**546.57**	**389.99**
(IX) Change in Fair Value of Plan Assets during the Period				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	589.63	357.02	518.10	325.38
Interest Income on Plan assets	41.80	25.31	37.77	23.72
Contributions	14.72	8.73	30.55	6.90
Benefits paid	(20.00)	(13.49)		(0.70)
Actuarial gain/(loss) on plan assets	3.02	2.05	3.21	1.71

पिछली सेवा लागत				
पुनःमापन		33.51		35.92
प्रशासनिक व्यय				
निपटान/कांट-छाट के कारण (प्राप्ति)/हानि				
लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषित लाभ लागत / (आय)	**18.26**	**66.80**	**19.70**	**64.11**
(IV) वर्तमान / गैर-वर्तमान विभाजन				
वर्तमान लाभ बाध्यता	114.40	73.21	37.69	26.69
गैर-वर्तमान लाभ बाध्यता	480.79	370.75	508.88	363.31
तुलन-पत्र में लिए गए(परिसंपत्तियाँ)/दायित्व	**595.19**	**443.96**	**546.57**	**389.99**
(V) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी				
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	41.80		37.77	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी		25.31		23.72
योजना परिसंपत्तियों का पुनःमापन	3.02	2.05	3.21	1.71
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	**44.83**	**27.36**	**40.98**	**25.43**
(VI) अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक (आय)/हानि व मान्यता प्राप्त धनराशि का विश्लेषण				
अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में मानी गई धनराशि	(5.74)		(7.01)	
पुनःमापन के कारण:-				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	13.34		4.82	
जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
समायोजन अनुभव का प्रभाव	(4.78)		(0.34)	
निपटान/कटौती के कारण(प्राप्ति)/हानि				
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)	(3.02)		(3.21)	
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त कुल पुनःमापन	**5.54**		**1.27**	
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	**(0.20)**		**(5.74)**	
(VII)अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व/(परिसंपत्तियों) के पुनःमापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण				
पूर्व मापन के कारण:-				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव		10.92		3.72
जनांकिकी पुर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
समायोजन अनुभव का प्रभाव		24.65		33.91
निपटान/कटौती पर (प्राप्ति)/हानि				
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		(2.05)		(1.71)
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
कुल पुनःमापन में (प्राप्ति)/हानि		**33.51**		**35.92**
(VIII) अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	546.57	389.99	484.61	343.06
डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	38.19	30.81	35.33	26.38
वर्तमान सेवा लागत	21.87	27.80	22.14	25.53
भुगतान किया गया लाभ (यदि कोई हो)				
बीमाकर्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्रदत्त लाभ	(20.00)	(40.20)	0.00	(42.61)
पूर्व सेवा लागत				
वास्तविक(प्राप्ति)/हानि	8.56	37.63	4.48	37.63
अवधि के समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	**595.19**	**446.03**	**546.57**	**389.99**
(IX) अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	589.63	357.02	518.10	325.38
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	41.80	25.31	37.77	23.72
अंशदान	14.72	8.73	30.55	6.90
भुगतान किये गए लाभ	(20.00)	(13.49)		(0.70)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	3.02	2.05	3.21	1.71

Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	**629.18**	**379.61**	**589.63**	**357.02**
(X) Reconciliation of Balance Sheet Amount				
Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	(43.06)	32.98	(33.48)	17.68
Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	18.26	66.80	19.70	64.11
Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/ Loss	5.54		1.27	
Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(14.72)	(35.43)	(30.55)	(48.81)
Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	**(33.99)**	**64.35**	**(43.06)**	**32.98**
(XI) Sensitivity Analysis				
Defined Benefit Obligation - Discount Rate + 100 base points	(22.65)	(18.48)	(23.38)	(17.97)
Defined Benefit Obligation - Discount Rate - 100 base points	24.47	20.22	25.27	19.62
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate + 100 base points	3.61	20.57	5.35	19.97
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(4.47)	(19.17)	(5.63)	(18.63)
(XI) Expected Cash flows for the Next Ten Years				
Year - 2021				
Year - 2022				
Year - 2023				
Year - 2024				
Year - 2025			39.00	
Year - 2026	118.07		77.65	
Year - 2027	51.90		48.97	
Year - 2028	33.97		31.53	
Year - 2029	168.92		159.51	
Year - 2030	95.78			
Year 2030-2034			329.60	
Year - 2031- to 2035	299.76		417.05	

Note: - 14.6 Estimates of future salary increase considered in actuarial valuation taken in to account inflation, seniority, promotion and other relevant factor

Note: - 15 Other financial liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Amount payable/adjustable to SCA & Others	65.77	-
Security deposit & retention money (Unsecured Considered Good)	50.68	3.67
Grant from government/Financial Institutions-15.1	7,702.32	3,192.31
Interest on Grant Fund	11.25	10.79
Lease Obligation Adjustable-15.2	-	7.44
Sub Total (1)	**7,830.02**	**3,214.21**
Other payables :		
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	106.37	184.63
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note - 41)	-	
Sub Total (2)	**106.37**	**184.63**
Total	**7,936.39**	**3,398.83**

अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**629.18**	**379.61**	**589.63**	**357.02**
(X) तुलन-पत्र की धनराशि का मिलान				
अवधि के आरंभ में तुलन-पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	(43.06)	32.98	(33.48)	17.68
लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार/(क्रेडिट)	18.26	66.80	19.70	64.11
ओ.सी. (आय)/हानि में माने गए कुल पुनःमापन	5.54		1.27	
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए वास्तविक नियोक्ता अंशदान लाभ	(14.72)	(35.43)	(30.55)	(48.81)
अवधि के अंत में तुलन-पत्र (परिसंपत्ति)/ दायित्व	**(33.99)**	**64.35**	**(43.06)**	**32.98**
(XI) संवेदनशीलता विश्लेषण				
परिभाषित लाभ दायित्व - बट्टा दर + 100 आधार अंक	(22.65)	(18.48)	(23.38)	(17.97)
परिभाषित लाभ दायित्व - बट्टा दर - 100 आधार अंक	24.47	20.22	25.27	19.62
परिभाषित लाभ दायित्व - वेतन वृद्धि + 100 आधार अंक	3.61	20.57	5.35	19.97
परिभाषित लाभ दायित्व - वेतन वृद्धि - 100 आधार अंक	(4.47)	(19.17)	(5.63)	(18.63)
(XI) अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह				
वर्ष – 2021				
वर्ष – 2022				
वर्ष – 2023				
वर्ष – 2024				
वर्ष – 2025			39.00	
वर्ष – 2026	118.07		77.65	
वर्ष – 2027	51.90		48.97	
वर्ष – 2028	33.97		31.53	
वर्ष – 2029	168.92		159.51	
वर्ष - 2030	95.78			
वर्ष 2030-2034			329.60	
वर्ष - 2031- to 2035	299.76		417.05	

टिप्पणी: - 14.6 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

टिप्पणी:- 15 अन्य वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
एस.सी.ए. को देय/समायोजन योग्य धनराशि	65.77	-
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारित राशि (असुरक्षित अच्छे माने गए)	50.68	3.67
सरकार/वित्तीय संस्थाओं से अनुदान-15.1	7,702.32	3,192.31
अनुदान निधि पर ब्याज	11.25	10.79
पट्टा दायित्व समायोजन योग्य-15.2	-	7.44
उप योग (1)	**7,830.02**	**3,214.21**
अन्य देन :		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा उधारदाताओं का कुल देय बकाया	106.37	184.63
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (टिप्पणी-41 देखें)	-	
उप योग (2)	**106.37**	**184.63**
योग	**7,936.39**	**3,398.83**

Note 15.1 The Corporation has earned the interest on unutilized fund of Rs. 68.79 Lakh FY 2024-25 (previous year FY 2023-24-Rs. 41.15 Lakh) and an amount of Rs. 68.78 Lakh FY 2024-25 (previous year Rs.61.71 Lakh FY 2023-24) has duly been deposited with consolidated fund of Govt. of India. (refer note no. 15.3)

Note 15.2 The Corporation had leased out its two flats to IREL for 3 Years at Rs. 0.40 Lakh per flat. Further, the IREL had incurred direct cost of Rs.8.87 Lakh and as per lease agreement the same has been adjusted from the lease rental.(Refer Note No. 18)

Note 15.3 During the year an amount of Rs.22285.30 lakhs (previous year Rs.12,285.05 lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, Rs..17,844.07 lakhs (Previous year Rs.10290.59 lakhs) was released/refunds including interest to the training institutions/ administrative ministry and recognised during the financial year as revenue grant.The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.2025 are as under :

टिप्पणी 15.1 निगम ने अप्रयुक्त निधि पर ₹68.79 लाख वित्तीय वर्ष 2024-25 (गत् वर्ष 2023-24 ₹ 41.15 लाख) का ब्याज अर्जित किया है एवं राशि ₹ 68.78 लाख वित्तीय वर्ष 2024-25(गत् वर्ष 2023-24 ₹ 61.71 लाख) भारत सरकार के समेकित निधि में विधिवत जमा किए है।

टिप्पणी 15.2 निगम ने अपने दो फ्लैट आई.आर.ई.एल. को ₹ 0.40 लाख प्रति फ्लैट की दर से तीन साल के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, इसके अलावा, आई.आर.ई.एल. को ₹ 8.87 लाख की प्रत्यक्ष लागत वहन की है और पट्टा समझौते के अनुसार इसे पट्टा किराये से समायोजित करने की आवश्यकता है। (टिप्पणी संख्या 18 देखें)

टिप्पणी 15.3 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में ₹ 22285.30 लाख की धनराशि (गत वर्ष ₹ 12285.05 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि ₹ 17,844.07 लाख (गत् वर्ष ₹ 10,290.59 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों/ प्रशासनिक मंत्रालय अवमुक्ति/वापसी गई एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार वर्ष के आरंभ में, प्राप्त, वापस, अवमुक्त प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार है:

During the F.Y 2024-25

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisa-tion of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Amoured Vehicles Nigam Limit-ed-CSR Fund				15.00		15.00	15.00	0.00	15.00			0.00	15.00	0.00	15.00
Central Warehouse Corporation CSR Fund				18.30		18.30	18.30	0.00	18.30			0.00	18.30	0.25	18.55
EDCIL CSR Fund				60.48		60.48	60.48	0.00	60.48	30.00		30.00	30.48	0.19	30.67
NABARD CSR Fund				5.64	0.00	5.64	5.64	0.00	5.64			0.00	5.64	0.00	5.64
Concor corporation of India Ltd.	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Development Commisioner (Hnadicraft)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Indian Railway Finance Corpora-tion ltd.	0.00	0.00	0.00	240.88	0.34	241.22	240.88	0.34	241.22	240.88	0.34	241.22	0.00	0.00	0.00
Engineers India Ltd.	0.00	0.83	0.83			0.00	0.00	0.83	0.83		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
MSJ& E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
MSJ&E GRANT RECEIPPT ON INTT-SUBSIDY -SHREYAS A/C	46.40	2.80	49.20		1.23	1.23	46.40	4.03	50.43	46.40	4.03	50.43	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 23-24(P.M. Daksh)	745.88	7.16	753.04		34.58	34.58	745.88	41.74	787.62	745.88	37.73	783.61	0.00	4.01	4.01
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 23-24(P.M. Daksh)	750.00	0.00	750.00			0.00	750.00	0.00	750.00	750.00		750.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 23-24(P.M. Daksh)	750.00	0.00	750.00	3750.00		3750.00	4500.00	0.00	4500.00	799.71		799.71	3700.29	0.00	3700.29
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 23-24(D&NT)	900.00	0.00	900.00	2185.00	18.05	2203.05	3085.00	18.05	3103.05	1005.56	13.16	1018.72	2079.44	4.89	2084.33
MSJ& E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT 2023-24	0.04	0.00	0.04	14815.00	14.59	14829.59	14815.04	14.59	14829.63	13001.90	12.68	13014.59	1813.14	1.90	1815.04
NBCFDC-MSJ&E(VISVAS) YOJANA -2020 ACCOUNT				1,195.00		1195.00	1195.00	0.00	1195.00	1,154.97		1154.97	40.03	0.00	40.03
Total	**3192.32**	**10.80**	**3203.11**	**22285.30**	**68.79**	**22354.09**	**25477.61**	**79.59**	**25557.20**	**17775.29**	**68.78**	**17844.07**	**7702.32**	**11.25**	**7713.57**

Note The Ministry of Social Justice and Empowerment [MOSJ&E] has allocated funds to corporation to provide interest subvention @ 5% to the beneficiaries availing loans qualifying under VISVAS scheme "Vanchit Ikai Samooh aur Vargon ki Aarthik Sahayta Yojna". The Corporation was allocated Rs. 9.96 cr as interest subvention amount for the Financial Year 2024-25. The corporation executed agreements with 23 lending institutions for the implementation of this scheme. So far, The Corporation has received claims from the lending Institutions for Q1 (01.04.2024 to 30.06.2024) amounting to Rs. 35 cr."

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड – सीएसआर निधि				15.00		15.00	15.00	0.00	15.00			0.00	15.00	0.00	15.00
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन – सीएसआर निधि				18.30		18.30	18.30	0.00	18.30			0.00	18.30	0.25	18.55
एडसिल (इंडिया) लिमिटेड – सीएसआर निधि				60.48		60.48	60.48	0.00	60.48	30.00		30.00	30.48	0.19	30.67
नाबार्ड – सीएसआर निधि				5.64	0.00	5.64	5.64	0.00	5.64			0.00	5.64	0.00	5.64
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
डेवलपमेंट कमिश्नर (हैंडिक्राफ्ट)	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0.00	0.00	0.00	240.88	0.34	241.22	240.88	0.34	241.22	240.88	0.34	241.22	0.00	0.00	0.00
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)	0.00	0.83	0.83			0.00	0.00	0.83	0.83		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुदान प्राप्ति एनएफ-ओबीसी [श्रेयस] खाता	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुदान प्राप्ति ब्याज सब्सिडी – श्रेयस खाता	46.40	2.80	49.20		1.23	1.23	46.40	4.03	50.43	46.40	4.03	50.43	0.00	0.00	0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-I) 23-24(पीएम दक्ष)	745.88	7.16	753.04		34.58	34.58	745.88	41.74	787.62	745.88	37.73	783.61	0.00	4.01	4.01
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-II) 23-24(पीएम दक्ष)	750.00	0.00	750.00			0.00	750.00	0.00	750.00	750.00		750.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-III) 23-24(पीएम दक्ष)	750.00	0.00	750.00	3750.00		3750.00	4500.00	0.00	4500.00	799.71		799.71	3700.29	0.00	3700.29
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-IV) 23-24 (डी एंड एनटी)	900.00	0.00	900.00	2185.00	18.05	2203.05	3085.00	18.05	3103.05	1005.56	13.16	1018.72	2079.44	4.89	2084.33
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुदान प्राप्ति एनएफ-ओबीसी [श्रेयस] खाता (2023-24)	0.04	0.00	0.04	14815.00	14.59	14829.59	14815.04	14.59	14829.63	13001.90	12.68	13014.59	1813.14	1.90	1815.04
एनबीसीएफडीसी- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (विश्वास) योजना -2020 खाता				1,195.00		1195.00	1195.00	0.00	1195.00	1,154.97		1154.97	40.03	0.00	40.03
योग	**3192.32**	**10.80**	**3203.11**	**22285.30**	**68.79**	**22354.09**	**25477.61**	**79.59**	**25557.20**	**17775.29**	**68.78**	**17844.07**	**7702.32**	**11.25**	**7713.57**

टिप्पणी: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निगम को विस्वास योजना – "वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना" के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को 5% की दर से ब्याज अनुदान प्रदान करने हेतु धन आवंटित किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निगम को ₹9.96 करोड़ ब्याज अनुदान राशि के रूप में आवंटित की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निगम ने 23 ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं। अब तक निगम को इन ऋण संस्थाओं से पहली तिमाही (01.04.2024 से 30.06.2024) हेतु ₹35 करोड़ के दावे प्राप्त हुए हैं।

During the F.Y 2023-24

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Inter-est In-come	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisa-tion of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I)of 17-18 (for Beggers)	0.00	0.00	-0.00	-		-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III)of 18-19 (Transgender)	0.00	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	0.00			-	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III)of 19-20	0.00	0.00	-	-		-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-IV)of 19-20 (NER)	0.00	0.00	-0.00	-		-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-V)of 19-20 (NER)	0.00	0.00	-0.00	-		-	-	-0.00	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VI)of 19-20 (Transgender)HEALTH	0.00	0.00	-0.00	-		-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VII)of 20-21(P.M. Daksh) -1	0.00	0.00	-			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-VIII)of 20-21(P.M. Daksh)-2	0.00	0.00	-			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 21-22(P.M. Daksh)-1	0.00	0.00	-0.00			-	-	-0.00	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 21-22(P.M. Daksh)-2	0.00	0.00	-			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-X1) of 20-21(P.M. Daksh)-CAN	614.61	0.00	614.61			-	614.61	-	614.61	614.61		614.61	0.00	0.00	-
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 21-22(P.M. Daksh)-CAN	445.01	27.18	472.19		26.39	26.39	445.01	53.57	498.58	445.01	53.57	498.58	0.00	0.00	-
Concor corporation of India Ltd.	0.00	0.00	-0.00			-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
Development Commisioner (Hnadicraft)	0.00	1.55	1.55		0.05	0.05	-0.00	1.59	1.59	-	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00
Indian Railway Finance Corporation ltd.	0.00	0.00	0.00	60.27		60.27	60.28	-	60.28	60.27		60.27	0.00	0.00	0.00
Engineers India Ltd.	28.36	0.02	28.38		0.98	0.98	28.36	1.00	29.36	28.36	0.17	28.52	0.00	0.83	0.83
MSJ& E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT	4.09	3.53	7.61	-4.09	-3.53	-7.61	-	-	-			-	0.00	0.00	-
MSJ&E GRANT RECEIPPT ON INTT-SUBSIDY -SHREYAS A/C	46.40	0.34	46.74		2.46	2.46	46.40	2.80	49.20			-	46.40	2.80	49.20
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 23-24(P.M. Daksh)-CAN				850.00	7.16	857.16	850.00	7.16	857.16	104.12		104.12	745.88	7.16	753.04
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 23-24(P.M. Daksh)-CAN				750.00		750.00	750.00	-	750.00			-	750.00	0.00	750.00
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 23-24(P.M. Daksh)-CAN				750.00		750.00	750.00	-	750.00			-	750.00	0.00	750.00
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 23-24(D&NT)				900.00		900.00	900.00	-	900.00			-	900.00	0.00	900.00
MSJ& E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT 2023-24				8,974.78	8.14	8,982.92	8,974.78	8.14	8,982.92	8,974.74	8.14	8,982.88	0.04	0.00	0.04
Total	**1,138.46**	**32.61**	**1,171.07**	**12,280.96**	**41.65**	**12,322.61**	**13,419.42**	**74.27**	**13,493.69**	**10,227.11**	**63.47**	**10,290.59**	**3,192.31**	**10.79**	**3,203.10**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक अवशेष			वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	वापसी/ ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-I) 17-18 (भिखारियों के लिए)	0.00	0.00	-0.00	-		-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-III) 18-19 (ट्रांसजेंडर)	0.00	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	0.00			-	0.00	0.00	0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-III) 19-20	0.00	0.00	-	-		-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-IV) 19-20 (एनईआर)	0.00	0.00	-0.00	-		-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-V) 19-20 (एनईआर)	0.00	0.00	-0.00	-		-	-	-0.00	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-VI) 19-20 (ट्रांसजेंडर) स्वास्थ्य	0.00	0.00	-0.00	-		-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-VII) 20-21(पीएम दक्ष) -1	0.00	0.00	-			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-VIII) 20-21 (पीएम दक्ष)-2	0.00	0.00	-			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-IX) 21-22(पीएम दक्ष)-1	0.00	0.00	-0.00			-	-	-0.00	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-X) 21-22(पीएम दक्ष)-2	0.00	0.00	-			-	-	-	-			-	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-X1) 20-21(पीएम दक्ष)-सीएएन	614.61	0.00	614.61			-	614.61	-	614.61	614.61		614.61	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-XII) 21-22(पीएम दक्ष)-सीएएन	445.01	27.18	472.19		26.39	26.39	445.01	53.57	498.58	445.01	53.57	498.58	0.00	0.00	-
कॉनकॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	0.00	0.00	-0.00			-	-0.00	-	-0.00			-	0.00	0.00	-0.00
विकास आयुक्त (हनाडीक्राफ्ट)	0.00	1.55	1.55		0.05	0.05	-0.00	1.59	1.59	-	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00
भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.	0.00	0.00	0.00	60.27		60.27	60.28	-	60.28	60.27		60.27	0.00	0.00	0.00
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड.	28.36	0.02	28.38		0.98	0.98	28.36	1.00	29.36	28.36	0.17	28.52	0.00	0.83	0.83
एनएफ-ओबीसी [श्रेयस] खाते पर एमएसजे एंड ई अनुदान रसीद	4.09	3.53	7.61	-4.09	-3.53	-7.61	-	-	-			-	0.00	0.00	-
एमएसजेएंडई आईएनटीटी-सब्सिडी पर अनुदान प्राप्ति - श्रेयस खाता	46.40	0.34	46.74		2.46	2.46	46.40	2.80	49.20			-	46.40	2.80	49.20
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-I) 23-24(पीएम दक्ष)-सीएएन				850.00	7.16	857.16	850.00	7.16	857.16	104.12		104.12	745.88	7.16	753.04
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-II) 23-24(पीएम दक्ष)-सीएएन				750.00		750.00	750.00	-	750.00			-	750.00	0.00	750.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-III) 23-24(पीएम दक्ष)-सीएएन				750.00		750.00	750.00	-	750.00			-	750.00	0.00	750.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-IV) 23-24 (डी एंड एनटी)				900.00		900.00	900.00	-	900.00			-	900.00	0.00	900.00
एनएफ-ओबीसी [श्रेयस] खाते पर एमएसजे एंड ई अनुदान प्राप्ति 2023-24				8,974.78	8.14	8,982.92	8,974.78	8.14	8,982.92	8,974.74	8.14	8,982.88	0.04	0.00	0.04
योग	**1,138.46**	**32.61**	**1,171.07**	**12,280.96**	**41.65**	**12,322.61**	**13,419.42**	**74.27**	**13,493.69**	**10,227.11**	**63.47**	**10,290.59**	**3,192.31**	**10.79**	**3,203.10**

Trade Payables Ageing FY 2024-25 (₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i)MSME	-					-
(iiOthers	106.37			-		106.37
(iii)Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	**106.37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106.37**

Trade Payables Ageing FY 2023-24 (₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i)MSME	-					-
(iiOthers	165.87		18.76			184.63
(iii)Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	**165.87**	**-**	**18.76**	**-**	**-**	**184.63**

Note: - 16 Other Current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
TDS payable	54.95	54.75
GST payable	38.69	3.01
Provident fund payable	15.84	15.29
Pension & Post retirement medical fund	132.11	1.74
Employee Reimbursement & Others Payables	6.91	6.10
Unspent CSR Fund -Interest	0.39	0.89
Total	**248.90**	**81.78**

Note: - 17 Revenue From Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
a) RENDERING OF SERVICES:		
Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances (General Loan)	4,716.39	4,403.50
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	1,074.36	1,074.43
Penal Interest (General Loan)	0.90	0.80
Penal Interest (Micro Finance)	0.36	0.08
Donation Received		-
	5,792.02	**5,478.81**
b) Other Operating Income		
Provision /Allowances on Loans & Advances written back	-	-
Monitoring Cost on CSR Activities	36.54	12.22
Management Fee-DNT Scheme	117.50	-
Management Fee-Visvas Scheme	187.28	-
Management-Tulip Scheme	0.38	
	341.70	**12.22**
Total	**6,133.72**	**5,491.03**

वित्तीय वर्ष 2024-25 व्यावसायिक देय अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i)एम.एस.एम.ई.	-					-
(iiअन्य	106.37			-		106.37
(iii) विवादित बकाया – एम.एस.एम.ई.						-
(v) विवादित अन्य बकाया						-
योग	**106.37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106.37**

वित्तीय वर्ष 2023-24 व्यावसायिक देय अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i)एम.एस.एम.ई.	-					-
(iiअन्य	165.87		18.76			184.63
(iii) विवादित बकाया – एम.एस.एम.ई.						-
(v) विवादित अन्य बकाया						-
योग	**165.87**	**-**	**18.76**	**-**	**-**	**184.63**

टिप्पणी:- 16 अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
टी.डी.एस. देय	54.95	54.75
जी.एस.टी देय	38.69	3.01
भविष्य निधि देय	15.84	15.29
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि	132.11	1.74
कर्मचारी भुगतान एवं अन्य देय	6.91	6.10
अव्ययित सी.एस.आर निधि - ब्याज	0.39	0.89
योग	**248.90**	**81.78**

टिप्पणी:- 17 परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
क) सेवाओं का प्रतिपादन:		
एस.सी.ए. से ऋण पर ब्याज/अन्य		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सामान्य ऋण)	4,716.39	4,403.50
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	1,074.36	1,074.43
दंड ब्याज (सामान्य ऋण)	0.90	0.80
दंड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	0.36	0.08
प्राप्त दान		-
	5,792.02	**5,478.81**
ख) संचालन से अन्य आय		
पीछे से लाए गए ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान/अनुमति	-	-
सी.एस.आर. गतिविधियों पर निगरानी लागत	36.54	12.22
प्रबंधन शुल्क- डीएनटी योजना	117.50	-
प्रबंधन शुल्क- विश्वास योजना	187.28	-
प्रबंधन शुल्क- ट्यूलिप योजना	0.38	
	341.70	**12.22**
योग	**6,133.72**	**5,491.03**

Note 17.1 The Corporation has adopted Ind AS -115 (revenue from contract with customers) in accordance with requirement ofapplicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statement of NBCFDC

Note 17.2 On the basis of annual sanction, Channel Partners can draw required amount of funds as advance which is converted into loan , in full or in part, on the basis of utilization details submitted by the Channel Partner₹ The advance is required to be converted into loan by the Channel Partners by way of loaning to the eligible beneficiaries under various scheme of the Corporation, the advance is provided to the Channel Partners at applicable interest rate on advances and from the date of its utilization , the interest rate of respective scheme in which funds have been utilized become applicable.

Note 17.3 Interest income on loan advanced/given is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

Note 17.4 Interest income on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilisation of funds by the borrowing agencies

Note 17.5 Interest Income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable , using effective interest Rate method.

Note 17.6 Interest income on overdue of Loans is recognised as per prevailing rate of interest from the date of overdue to a day before receipt of repayment.

Note 17.7 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised an income of Rs. Nil FY 2023-24,Rs. 0.11 Lakh FY 2022-23, Rs. 1.23 Lakh (FY 21-22) & 28.37 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

17.8 Accrual of Revenue & Terms of references are as under: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025		As at 31st March 2024	
	Term Loan	Micro Finance	Term Loan	Micro Finance
Interest accrued & due as at beginning of the year	1,673.52	94.82	1,597.52	99.02
Add: Interest accrued & due during the year	4,716.39	1,074.36	4,403.50	1,074.43
Less: Interest Received during the year	4,417.52	1,107.34	4,327.49	1,078.63
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Interest accrued & due as at Balance Sheet Date	1,972.40	61.85	1,673.52	94.82
Penal Interest receivable as at beginning of the year	241.74	3.52	241.74	3.52
Add. Recognized during the year	0.90	0.36	0.80	0.08
Less : Received during the year	0.90	0.36	0.80	0.08
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Penal Interest receivable as at Balance Sheet Date	241.74	3.52	241.74	3.52

‘Terms of references:

Particulars	Individual Loan Scheme			Group Loan Scheme	
Loan Limit	**For Income generating activities (Max Loan limit 15 lakh)**		**For Education (Max Loan limit 15 lakh)**	**To SCA or Banks**	**To NBFC-MFI**
Rate of Interest *	upto 1.25 lakh	above 1.25 lakh	upto 15 lakh	up to 15 lakh	up to 15 lakh
Rate of Interest *	4.00%	5%	5%	3%	6%
Repayment Period	4	7	10	3	3
Moratorium Period	1 quarter in r/o Principal	1 quarter in r/o Principal	5 years inclusive of study period of 4 years	1 quarter in r/o Prin-cipal	1 quarter in r/o Principal
Penal Interest shall attract @ 1% on default amount.					

टिप्पणी 17.1 निगम ने भारतीय लेखाकरण मानक-115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) के अनुपालन की आवश्यकतानुसार लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे को अपनाया है, इसके अपनाने के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी 17.2 वार्षिक स्वीकृति के आधार पर, चैनल सहभागी आवश्यक राशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर सकते हैं जो चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग विवरण के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण में परिवर्तित हो जाता है। निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देकर चैनल सहभागियों द्वारा अग्रिम को ऋण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित योजना जिसके लिए धन का उपभोग किया गया है पर लागू ब्याज दर पर चैनल सहभागियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एवं उसके उपभोग की तिथि से संबंधित योजना जिसमें धनराशि का उपभोग किया गया है, ब्याज दर प्रभावी होती है।

टिप्पणी 17.3 प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के उस हिस्से में ऋण/ब्याज पर ब्याज आय को माना गया है।

टिप्पणी 17.4 उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा उपभोग करने की तिथि के पत्र से एक दिन पूर्व उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को अग्रिम लेने की तिथि पर लागू ब्याज आय के रुप में माना गया है।

टिप्पणी 17.5 दिए गए ऋणों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

टिप्पणी 17.6 ऋण के अतिदेय पर ब्याज पुनर्भुगतान की प्राप्ति से एक दिन पहले अतिदेय की तारीख से ब्याज को मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

टिप्पणी 17.7 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, नि गम ने 01.04.2021 से क्रम शः ₹ शून्य, वित्तीय वर्ष 2023-24 ₹ 0.11 लाख, वित्तीय वर्ष 2022-23, ₹ 1.23लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22) एवं ₹ 28.37 लाख (वित्त वर्ष 2020-21) की आय को मान्यता दी है।

टिप्पणी 17.8 राजस्व का संचय एवं कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त
वर्ष के आरंभ में संचित एवं देय ब्याज	1,673.52	94.82	1,597.52	99.02
जोड़ें: वर्ष के दौरान संचित ब्याज एवं देय	4,716.39	1,074.36	4,403.50	1,074.43
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्राप्य ब्याज	4,417.52	1,107.34	4,327.49	1,078.63
घटाएँ: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
तुलन-पत्र की तिथि को संचित एवं देय ब्याज	1,972.40	61.85	1,673.52	94.82
वर्ष के आरंभ में प्राप्य दंड ब्याज	241.74	3.52	241.74	3.52
जोड़ें. वर्ष के दौरान माना गया	0.90	0.36	0.80	0.08
कम : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.90	0.36	0.80	0.08
घटाएँ: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
तुलन-पत्र की तिथि को प्राप्य दंड ब्याज	241.74	3.52	241.74	3.52

संदर्भ की शर्तें:

विवरण	व्यक्तिगत ऋण योजना			समूह ऋण योजना	
ऋण सीमा	**आय-सृजन गतिविधियों के लिए (अधिकतम ऋण सीमा ₹15 लाख)**		**शिक्षा के लिए(अधिकतम ऋण सीमा ₹15 लाख)**	**रा.चै.ए. और बैंकों के लिए**	**एन.बी.एफ.सी.-एम. एफ.आई. के लिए**
ब्याज दर *	रू. 1.25 लाख तक	रू. 1.25 लाख तक	रू. 15 लाख तक	रू. 15 लाख तक	रू. 15 लाख तक
ब्याज दर *	4.00%	5%	5%	3%	6%
पुनर्भुगतान की अवधि	4	7	10	3	3
मोरेटोरियम अवधि	मूलधन के संबंध में 1 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 1 तिमाहियां	5 वर्ष जिसमे 4 वर्षों का अध्ययन समय सम्मिलित है	मूलधन के संबंध में 1 तिमाहियां	मूलधन के संबंध में 1 तिमाहियां
चूक की गई धनराशि पर दण्ड ब्याज @ 1% की दर पर होगा।					

B.Interest on Advance Fund : Funds are to be utilized within 90 days by SCAs. Banks may claim refinance of outstanding balance under Education loan irrespective of year of loan disbursement. For other schemes refinance can be claimed during current year only. The amount of refinance should be appropriated with in 10 working days of drawl from NBCFDC.

Period	ROI
1-90 days	3%
91-180 days	6%
Above 181 days	8%

Note 18 Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
a) Interest Income		
Interest on advances to employees	32.37	30.94
Interest subsidy on Education Loan	-	-
Sub Total (a)	**32.37**	**30.94**
b) Interest from Banks		**-**
Interest on savings bank	204.98	252.67
Interest on fixed deposits	-	-
Sub Total (b)	**204.98**	**252.67**
c) Other Non-Operating Income		**-**
Miscellaneous income	2.14	1.04
Sub Total (c)	**2.14**	**1.04**
d) Other Non-Operating Income		
Lease Rental	9.68	1.43
Sub Total (d)	**9.68**	**1.43**
Total (a+b+c+d)	**249.18**	**286.08**

Note 18.1 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis as per prevailing rate.

Note 18.2 Interest on loan to employees includes fair value adjustment of ₹ 2.63 Lakhs (₹ 3.69 Lakhs as at 31.03.2023)

Note 18.3 The Corporation has obtained 12A exemption certificate from Income tax authority for accepting donation for intend purpose to conduct skill development programme for target group of OBC in the month of July' 2017 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised an income of Rs. Nil FY 2023-24,Rs. 0.11 Lakh FY 2022-23, Rs. 1.23 Lakh (FY 21-22) & 28.37 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 18.4 The Corporation had leased out two flats held as ROU(Note-No.3) to IREL for a period of three years at monthly rental income of Rs. 0.40 Lakh per flat with an annual increment of 5%.

Note :- 19 Allowance/Reversal for Loans & advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Allowance for Loans & advances(refer note no. 33)	202.21	365.65
Uncollectable Interest	-	95.26
Interest written back	(365.85)	-
Total	**(163.64)**	**460.91**

ख. अग्रिम धनराशि पर ब्याजःएस.सी.ए. द्वारा 90 दिनों के भीतर निधियों का उपभोग किया जाना है। बैंक ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना शिक्षा ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्वित्तीयन का दावा कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए पुनर्वित्तीयन का दावा मात्र चालू वर्ष के दौरान ही किया जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित पुनर्वित्तीयन धनराशि का समायोजन 10 कार्य दिवसों में किया जाना चाहिए।

अवधि	ब्याज की दर
1-90 दिन	3%
91-180 दिन	6%
181 दिनों से अधिक	8%

टिप्पणी 18 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	32.37	30.94
शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी	-	-
उप योग (क)	**32.37**	**30.94**
ख) बैंकों से ब्याज		-
बचत खाते पर ब्याज	204.98	252.67
सावधि जमाओं पर ब्याज	-	-
उप योग (ख)	**204.98**	**252.67**
ग) अन्य गैर-परिचालन आय		-
विविध आय	2.14	1.04
उप योग (ग)	**2.14**	**1.04**
घ) अन्य गैर-परिचालन आय		
पट्टा किराया	9.68	1.43
उप योग (घ)	**9.68**	**1.43**
योग (क+ख+ग+घ)	**249.18**	**286.08**

टिप्पणी 18.1 मौजूदा दरों के अनुसार बैंकों से संक्षिप्त जमाओं पर ब्याज संक्षिप्त अवधि की जमा की तिथि से परिपक्कता की तिथि तक माना गया है।

टिप्पणी 18.2 कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज में ₹ 2.63 लाख (31.03.2023 को ₹ 3.69 लाख) के उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

टिप्पणी 18.3 निगम ने जुलाई 2017 के महीने में ओ.बी.सी. के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से दान स्वीकार करने के लिए आयकर प्राधिकरण से 12-ए छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीज़न II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹ शून्य वित्तीय वर्ष 2023-24, ₹ 0.11 लाख वित्तीय वर्ष 2022-23) और ₹ 1.23 लाख (वित्त वर्ष 2021-22) एवं ₹ 28.37 लाख (वित्त वर्ष 2020-21) की आय को मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 18.4 निगम ने आर.ओ.यू. (टिप्पणी सं. 3) के दो फ्लैट्स आई.आर.ई.एल. को तीन वर्ष की अवधि के लिए मासिक किराया ₹ 0.40 लाख पर प्रति फ्लैट की आय पर 5% की वार्षिक वृद्धि के साथ पट्टे पर दिया है।

टिप्पणी:- 19 ऋण एवं अग्रिम के लिए स्वीकारोक्ति/व्युत्क्रमण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण एवं अग्रिमों के लिए स्वीकारोक्ति	202.21	365.65
गैर-संग्रहरणीयोग्य ब्याज	-	95.26
ब्याज पिछे से लाए गए	(365.85)	-
योग	**(163.64)**	**460.91**

Note :- 20 Penal Interest waived off and others

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Penal Interest waived off	-	-
Interest Incentive under One time Settlement (OTS)	-	-
Total	**-**	**-**

Note :- 21 Employee Benefits Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
a) Salary, Wages & Benefits		
- Salary and Allowances	1,222.19	1,095.27
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds	-	
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	212.01	197.38
c) Staff welfare expenses	-	
- Leave Travel Concession	3.45	2.36
- Medical Reimbursements /Policies	48.52	46.27
- Others	13.30	19.44
Total	**1,499.48**	**1,360.73**

Note 21.a 'Others includes Interest on loan to employees fair value adjustment of ₹ 2.02 Lakhs (₹ 2.63 Lakhs as at 31.03.2024)

Note :- 21.1 Finance Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
a) Interest	0.05	25.07
Total	**0.05**	**25.07**

Note :- 22 Depreciation & Amortization Costs

(Lakhhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	32.49	34.34
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	2.87	3.55
Depreciation Charge for Right of Use Assets (refer note no. 3.1)	0.59	0.59
Total	**35.95**	**38.48**

Note :- 23 Training and Other Developmental Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Training Expenditure on Beneficiaries & other developmental expenses	17,844.07	10,290.59
Less- Recognised/released during the year (Refer Note. No. 15.3)	17,844.07	10,290.59
Sub Total (a)	**-**	**-**
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	73.29	113.18
Performance linked Grant in aid (SCAs)	-	-
Interest Incentive to SCA & Beneficiaries	150.00	
Cluster Development Expenses	12.32	22.48
Publicity Grant to SCAs	22.53	8.14
Other Development Expenses		
Sub Total (b)	**258.14**	**143.80**
Total	**258.14**	**143.80**

टिप्पणी:- 20 माफ किया दण्ड ब्याज एवं अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
माफ किया गया दण्ड ब्याज	-	-
एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के अंतर्गत ब्याज प्रोत्साहन	-	-
योग	**-**	**-**

टिप्पणी:- 21 कर्मचारी लाभ लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक लाभ लागत		
- वेतन एवं भत्ते	1,222.19	1,095.27
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	-	
- भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	212.01	197.38
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	
- यात्रा रियायत व्यय	3.45	2.36
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति / नीतियां	48.52	46.27
- अन्य	13.30	19.44
योग	**1,499.48**	**1,360.73**

टिप्पणी 21.क अन्य में कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का वास्तविक मूल्य समायोजन ₹ 2.02 लाख (31.03.2024 को ₹ 2.63 लाख) सम्मिलित है

टिप्पणी:- 21.1 वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज	0.05	25.07
योग	**0.05**	**25.07**

टिप्पणी:- 22 मूल्यह्रास और परिशोधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी 3 देखें)	32.49	34.34
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	2.87	3.55
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास शुल्क (टिप्पणी 3.1 देखें)	0.59	0.59
योग	**35.95**	**38.48**

टिप्पणी:- 23 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय	17,844.07	10,290.59
घटाएँ- वर्ष के दौरान माने गए /अवमुक्त (टिप्पणी सं. 15.3 देखें)	17,844.07	10,290.59
उप योग (क)	-	-
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर	73.29	113.18
प्रदर्शन से जुड़ी अनुदान सहायता (रा.चै.ए.)	-	-
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं लाभार्थियों को ब्याज प्रोत्साहन	150.00	
क्लस्टर विकास व्यय	12.32	22.48
एस.सी.ए. को प्रचार-प्रसार अनुदान	22.53	8.14
अन्य विकास व्यय		
उप योग (ख)	**258.14**	**143.80**
योग	**258.14**	**143.80**

Note 23.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹ 50,986.28 lakhs (Previous year ₹33,142.21 lakhs) including share of administrative ministry to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 1919.00 lakhs (Previous year ₹542.65 lakhs) are awaited as at year end.

Note 23.2 Since there is uncertainty of the amount and time lag in submission of training expenses claims by SSC/Training Institutions and multiple training programmes monitored by them , payments on account of grant from training programmes are charged to expenses in the year of acceptance of claim /year of disbursement.

Note 23.3 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹878.63 lakhs (Previous year ₹ 878.63 lakh) to incentivizing the State Channelising Agencies/ other institutions in better delivery mechanism, recoveries of loans and purchase of data processing units etc., which is charged to revenue on disbursement as per policy.

Note 23.4 The Corporation is providing Interest incentive @.5% to SCA & Beneficiariers for timely repayment of Loan due.

Note :- 24 Rebate on Interest on Loans & Advances (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Rebate	26.35	33.50
Total	**26.35**	**33.50**

Note 24.1 **Incentive for Channel Partners as "Rebate on Interest":** In order to encourage to channel partners for timely repayment of due, The Corporation has a scheme for them as " Rebate on interest . As per norms, rebate of 0.5% on Education Loan is provided.

Note :- 25 Other Expenses (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration (Refer Note No-25.1)	2.07	2.07
Repair & Maintenance (Equipment & others)	8.04	50.22
Electricity & Water charges	14.26	14.65
Rent	242.26	227.85
Rates & Taxes	0.60	0.38
Insurance	1.22	1.30
Telephone	10.02	8.53
Travelling Expenses -Directors	1.84	1.37
Travelling Expenses -Staffs & others	9.17	31.54
Conveyance	46.52	28.73
Vehicle Running & Maintenance	2.94	2.96
Office Expenses & Maintenance	47.06	45.57
Legal & Professional charges	15.17	21.42
Printing & stationery	8.41	8.63
Advertisement	0.20	1.31
Conference and Meetings	9.32	14.25
Recruitment & Training	2.32	1.36
Monitoring & Evaluation	32.72	20.69
Security & Other Services Charges	64.81	70.01
Other Expenditure	39.18	38.11
Total	**558.12**	**590.94**

टिप्पणी 23.1 निगम ने अब तक ₹ 50,986.28 लाख (गत् वर्ष 33,142.21लाख) के संचयी अनुदान को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को वितरित किया है जिसमें एस.सी.ए.के लक्षित समूह और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अंश शामिल है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित समग्र अनुदान में से ₹ 1919.00 लाख (गत् वर्ष ₹ 542.65 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 23.2 चूंकि एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण व्यय के प्रस्तुत दावों में राशि और समय की अनिश्चितता है, एवं उनके द्वारा बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुदान के भुगतान को दावों की स्वीकृति के वर्ष/वितरण के वर्ष में व्यय को लिया जाता है।

टिप्पणी 23.3 निगम ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों के बेहतर वितरण तंत्र, ऋण की वसूली और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों इत्यादि की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए ₹878.63 लाख (गत् वर्ष ₹ 878.63 लाख) के संचयी अनुदान को वितरित किया है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

टिप्पणी 23.4 निगम द्वारा समय पर ऋण अदायगी के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं लाभार्थियों को 0.5% की दर से ब्याज प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

टिप्पणी:- 24 ऋण एवं अग्रिमों के ब्याज पर छूट

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट	26.35	33.50
योग	**26.35**	**33.50**

टिप्पणी 24.1 **"ब्याज में छूट के रूप में चैनल सहभागियों के लिए प्रोत्साहन":** चैनल सहभागियों को देय पुनर्भुगतान को समय पर करने को प्रोत्साहित करने के क्रम में निगम के पास उनके लिए "ब्याज में छूट" योजना है। मानकों के अनुसार, शैक्षिक ऋण पर 0.5% छूट प्रदान की जाती है।

टिप्पणी:- 25 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. प्रशासनिक व्यय		
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी 25.1 देखें)	2.07	2.07
मरम्मत एवं रखरखाव (उपकरण एवं अन्य)	8.04	50.22
विदृत एवं पानी का प्रभार	14.26	14.65
किराया	242.26	227.85
दरें एवं कर	0.60	0.38
बीमा	1.22	1.30
टेलीफ़ोन	10.02	8.53
यात्रा व्यय – निदेशक	1.84	1.37
यात्रा व्यय -कर्मचारी एवं अन्य	9.17	31.54
कनवेंश	46.52	28.73
वाहन चालन एवं रखरखाव	2.94	2.96
कार्यालय व्यय एवं रखरखाव	47.06	45.57
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	15.17	21.42
मुद्रण एवं स्टेशनरी	8.41	8.63
विज्ञापन	0.20	1.31
सम्मेलन एवं बैठकें	9.32	14.25
भर्ती एवं प्रशिक्षण	2.32	1.36
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	32.72	20.69
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	64.81	70.01
अन्य व्यय	39.18	38.11
योग	**558.12**	**590.94**

Note 25.1 Payment to the Auditor (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Statutory Auditor Remuneration	2.07	2.07
For taxation matters (Tax Audit)	0.22	0.22
for company law matters		
for other services (GST & Others) (see note 25.1.1)	-	0.41
for reimbursement of expenses		
Total	**2.29**	**2.70**

Note 25.1.1 The Corporation had incurred GST & 80G fee of Rs.Nil & Rs. 0.30 Lakh and Rs. 0.12 Lakh for FY 2024-25 & FY 2023-24 respectively.

Note: - 26 Components of Other Comprehensive Income (OCI)/ (Expenses)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Remeasurement of Defined Benefit plans		
- Gratuity	5.54	1.27
Total	**5.54**	**1.27**

Note :- 27 Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Excess Provision of Performance Incentive written back & other	(1.39)	-
Interest on Income Tax Refund	(0.02)	(0.03)
Loss /(Profit) on sale of assets	(0.04)	(0.07)
Excess Provision/Expenses written back (Note-27.1)	-	(9.58)
Expenses/Liability written off	(0.12)	-
Other Exceptional Income (See Note No. 27.2)	(0.90)	(1.85)
Assets Written off	-	-
Total	**(2.46)**	**(11.52)**

Note 27.1 a sum of Rs. 9.58 Lakh on account of Acturial Valuation for Gratuity FY 2023-24 has been provided as exceptional items.

Note 27.2 a sum of Rs. 1.85 Lakh (Rs.1.35 Lakh for Cluster Dev. Handicraft and Rs. 0.50 Lakh for refund from X-29, association for FY 2008-09) for FY 2023-24 & Rs. 0.03 Lakh FY 2022-23 has been considered as exceptional income.

The Corporation had received an amount of Rs. 0.02 Lakh & Rs. 0.03 Lakh on account of Interest on Income Tax Refund for the FY 2023-24 & FY 2023-24 respectively.

All the provisions written back are considered as Exceptional Items except Provision Written back on Loan & Advances.

Note :- 28 Corporate Social Responsibilities (CSR) Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Direct Expenses	85.48	65.04
Overheads	-	-
Total	**85.48**	**65.04**

Note 28.1 Disclosure in respect of CSR Expenses :

Expenditure related to Corporate Social Responsibility (CSR) as per Section 135 of The Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

टिप्पणी 25.1 अंकेक्षक को भुगतान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक अंकेक्षक पारिश्रमिक	2.07	2.07
कराधान मामलों के लिए (टैक्स आडिट)	0.22	0.22
कंपनी विधिक मामलों के लिए		
अन्य सेवाओं के लिए (जी.एस.टी. एवं अन्य) (टिप्पणी 25.1.1 देखें)	-	0.41
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		
योग	**2.29**	**2.70**

टिप्पणी 25.1.1 निगम ने जी.एस.टी. एवं 80जी शुल्क क्रमशः ₹ शून्य लाख एवं ₹ 0.30 लाख एवं ₹ 0.12 लाख वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2023-24 व्यय किए हैं।

टिप्पणी 26 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)/(व्यय)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का अ-एककीरण नीचे दिखाया गया है-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		
- उपदान	5.54	1.27
योग	**5.54**	**1.27**

टिप्पणी:- 27 असाधारण वस्तुएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पीछे से लाए गए कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन के आधिक्य का प्रावधान एवं अन्य	(1.39)	-
आयकर वापसी पर ब्याज	(0.02)	(0.03)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.04)	(0.07)
पीछे से लाए गए आधिक्य प्रावधान/व्यय (टिप्पणी-27.1)	-	(9.58)
बट्टे खाते में डाला गया व्यय/दायित्व	(0.12)	-
अन्य असाधारण आय(टिप्पणी 27.2 देखें)	(0.90)	(1.85)
पीछे से लाए गए परिसंपत्तियाँ	-	-
योग	**(2.46)**	**(11.52)**

टिप्पणी 27.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपदान को वास्तविक मूल्यांकन खाते में कुल ₹ 9.58 असाधारण मद के रूप में प्रावधानित किया गया है।

टिप्पणी 27.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल ₹ 1.85 लाख (₹ 1.35 लाख हस्तशिल्प विकास समूह हेतु ₹0.50 लाख एवं एक्स-29 एसोसिएशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए वापसी) व वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 0.03 लाख को असाधारण मद के रूप में माना गया है।

निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर वापसी पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 0.02 लाख एवं ₹ 0.03 लाख धनराशि प्राप्त हुई है।

पीछे से लाए गए सभी प्रावधानों को असाधारण मदों के रूप में माना जाता है सिवाय ऋण एवं अग्रिमों पर पीछे से लाए गए प्रावधानों के।

टिप्पणी:- 28 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष व्यय	85.48	65.04
ओवरहेड्स	-	-
योग	**85.48**	**65.04**

टिप्पणी 28.1 निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रकटन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) से संबंधित व्यय, जो उसकी अनुसूची VII के साथ पठनीय है, के अनुसार हैं:

a. Detail of amount required to be spent (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Average surplus/profit of the last three years	3,061.85	3,174.58
Un-spent amount as at Beginning of the Year	(73.78)	(72.23)
Gross Amount required to be spent during the year (2% of above 1)	61.24	63.49
Amount Spent during the year	85.48	65.04
Amount considered during the year		
Un-spent amount as at Year End	(98.02)	(73.78)
Total	**(98.02)**	**(73.78)**

b. No provision has been made for CSR Expenses during the year . The income earned ,if any incidentally to the CSR projects have been netted off from the CSR expenses.

(b) Details of Average of Surplus/Profit of the last three Financial Years as follows:

Financial Years	Net Profit	Average Net Profit	Amount to be Spent for CSR Expenditure
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59
2022-23	3037.79	3020.02	60.40
2023-24	3083.06	3174.58	63.49
2024-25	4090.97	3061.85	61.24

(c) CSR Disclousre as per Section 135 of the Companies Act, 2013 (₹ in Lakhs)

Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	Deficiency, if any
FY 2021-22	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
FY 2022-23	24.30	24.30	1.80	22.50	0.00	
FY 2023-24	32.68	32.68	31.71	0.00	0.97	
FY 2024-25	31.78	31.78	0.00	0.00	31.78	

Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any

Total Amount Spent for the Financial Year	Unspent Amount(in Lakh)				
	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)		Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII subsection (5) of section 135		
	Amount	Date of Transfer	Name of the Fund	Amount (In Lakh)	Date of Transfer
85.48	31.78	30-Apr-25	PMNRF	22.54	16-Apr-24

क. व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
गत् तीन वर्षों का औसत आधिक्य/लाभ	3,061.85	3,174.58
वर्ष के आरंभ में अव्ययित धनराशि	(73.78)	(72.23)
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल धनराशि (उपर्युक्त 1 का 2%)	61.24	63.49
वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि	85.48	65.04
वर्ष के दौरान विचारार्थ धनराशि		
वर्ष की समाप्ति पर व्यय न की गई धनराशि	(98.02)	(73.78)
योग	**(98.02)**	**(73.78)**

ख. वर्ष के दौरान सी.एस.आर. व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। सी.एस.आर. परियोजनाओं से अकस्मात आय, यदि कोई हो को सी.एस. आर. खर्चों से घटाया गया है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अधिशेष/लाभ के औसत का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ	औसत शुद्ध लाभ	Amount to be Spent for CSR Expenditure
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59
2022-23	3037.79	3020.02	60.40
2023-24	3083.06	3174.58	63.49
2024-25	4090.97	3061.85	61.24

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सी.एस.आर. खाते में अव्ययित हस्तांतरित राशि (रु.में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सी.एस.आर. खाते में अव्ययित शेष राशि (रु.में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु.में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे नियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली अवशेष राशि (रु.में)	कमी, यदि कोई हो
वित्तीय वर्ष 2021-22	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
वित्तीय वर्ष 2022-23	24.30	24.30	1.80	22.50	0.00	
वित्तीय वर्ष 2023-24	32.68	32.68	31.71	0.00	0.97	
वित्तीय वर्ष 2024-25	31.78	31.78	0.00	0.00	31.78	

धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित धनराशि, यदि कोई हो

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि	अव्ययित राशि (लाख में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खातें में अंतरित राशि (₹ में)		धारा 135 की अनुसूची VII की उपधारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि		
	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि	राशि का नाम	राशि (लाख में)	स्थानांतरण की तिथि
85.48	31.78	30-Apr-25	PMNRF	22.54	16-Apr-24

(c) CSR Disclousre as per Section 135 of the Companies Act, 2013

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24	FY 2022-23
amount required to be spent by the company during the year	61.24	32.68	24.30
amount of expenditure incurred,	30.32	31.71	1.80
Amount Transfer to PMNRF	0.00	0.00	22.50
shortfall at the end of the year, total of previous years shortfall	30.92	0.97	0.00
reason for shortfall	Delay in submitting the proposal by channel partners.		
nature of CSR activities,	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventing health care and making avialable safe drinking water.		

Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014, the Corporation had transferred an unspent balance of Rs. 31.78 Lakh to Specially designated Unspent CSR Fund for the FY 2024-25 with in 30 days from the end of the Financial Year.

Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014, the Corporation had transferred an unspent balance of Rs. 22.54 Lakh to Prime Minsiter National Relief Fund (PMNRF) during FY 2024-25 against unspent fund of previous years.

Note: - 29 Earnings per share (EPS)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Basic EPS From continuing operation **Diluted EPS**	26.98	20.46
From continuing operation	26.98	20.46

29.1 Basic Earning per Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	4085.43	3070.18
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	4085.43	3070.18
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	**151.44**	**150.04**

29.2 Diluted Earning per Share

(₹ in Lakhs)

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	4085.43	3070.18
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	**4085.43**	**3070.18**

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity share used in calculation of basic earning per share as follows

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	151.44	149.96
Effect of Dilution :	-	
Share Application money pending allotment	-	0.08
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**151.44**	**150.04**

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. प्रकटीकरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	61.24	32.68	24.30
व्यय की गई राशि,	30.32	31.71	1.80
पीएमएनआरएफ को राशि हस्तांतरण	0.00	0.00	22.50
वर्ष के अंत में कमी, गत् वर्षों में कमी का योग	30.92	0.97	0.00
कमी के कारण	चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी।		
सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रकृति,	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें स्वास्थ्य देखभाल एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सम्मिलित है।		

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित सीएसआर नियम, 2014 के अनुसार, निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर व्यय न की गई वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष राशि ₹31.78 लाख को व्यय न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ सी.एस.आर. नियम, 2014 के अनुसार, निगम ने पिछले वर्षो के अनप्रयुक्त राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में ₹ 22.54 का अप्रयुक्त शेष स्थानांतरित किया है।

टिप्पणी 29 प्रति शेयर आय (ई. पी. एस.)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल्य आय सतत् संचालन से **तनुकृत प्रति अंश अर्जन**	26.98	20.46
सतत् संचालन से	26.98	20.46

29.1 प्रति शेयर मूल आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभ:		
सतत् संचालन	4085.43	3070.18
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	4085.43	3070.18
प्रति अंश मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**151.44**	**150.04**

29.2 प्रति शेयर तनु आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय: -

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभ:		
सतत् संचालन	4085.43	3070.18
सतत् संचालन से प्रति अंश तनुकृत आय में प्रयुक्त आगणन	**4085.43**	**3070.18**

प्रति अंश तनुकृत आय अर्जित करने के उद्देश्य से साम्य अंशों की भारित संख्या, प्रति अंश मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली साम्य अंश की भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का प्रति अंश औसत भार	151.44	149.96
तनुकृत का प्रभाव :	-	
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	0.08
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	**151.44**	**150.04**

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)
CIN NO. U74899DL1992NPLO47146

Notes :- 30

30.1 Related Party Disclosures (Key managerial personnel)

(a) Mr. Rajan Sehgal, Managing Director
(b) Mr. Ajit Kumar Samal, C.G.M. (Finance) & Company Secretary
(c) Mr. V. R. Chary C.G.M. (HR & Personal)
(c) Ms. Anupama Sood C.G.M(Project)
(e) Mr. Suresh Kumar G.M. (Skill & Training)

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

30.2 Compensation of Key Management Personnel (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Short Term Benefits (Salaries/PRPetc.)	242.25	252.49
Sitting Fees to Independent Directors		
Post Employment Benefits	41.36	42.08
Other Long Term Benefits		
Termination Benefits		
Share Based Payment		
Medical	2.13	2.43
Others (Reimb.)	14.06	16.54
Sub Total (1)	**299.79**	**313.55**
Loan to related party:		
Loan given during /at the end of the year	66.76	20.50
Interest	10.86	13.83
Repayment during the year	18.36	15.40
Sub Total (2)	**95.98**	**49.73**
Amount owned by related parties at end of the year (1+2)	**395.77**	**363.28**

FY 2024-25 (₹ in Lakhs)

Particulars	Mr. Rajan Sehgal Managing Director	Mr. Ajit Kumar Samal	Mr. V.R.Chary	Ms. Anupama Sood	Mr. Suresh Kumar
Short Term Benefits	80.21	43.06	22.51	53.67	42.80
Post Employment Benefits	13.65	7.52	3.00	9.21	7.98
Medical	0.50	0.50	0.17	0.46	0.50
Others (Reimb.)	12.68	0.56	0.08	0.45	0.28

FY 2023-24 (₹ in Lakhs)

Particulars	Mr. Rajan Sehgal (Managing Director)	Mr. Ajit Kumar Samal	Mr. V.R.Chary	Ms. Anupama Sood	Mr. Suresh Kumar
Short Term Benefits	63.07	41.40	53.37	52.46	42.19
Post Employment Benefits	10.43	7.03	8.62	8.63	7.37
Medical	0.50	0.43	0.50	0.50	0.50
Others (Reimb.)	13.73	1.50	0.54	0.49	0.29

Loans or Advances granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (₹ in Lakhs)

Type of Borrowers	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters		
Directors		
KMPs	66.76	0.03%
Related Parties		

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
(सीआईएन नंबर U74899DL1992NPL047146)

टिप्पणियाँ 30

टिप्पणी 30.1 संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

(क) श्री राजन सहगल, प्रबंध निदेशक
(ख) श्री अजीत कुमार सामल , मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त) एवं कंपनी सचिव
(ग) श्री वी.आर. चारी, मुख्य महाप्रबन्धक (मा.स. एवं कार्मिक)
(घ) सुश्री अनुपमा सूद , मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
(ड.) श्री सुरेश कुमार, महाप्रबंधक (कौशल एवं प्रशिक्षण)

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन की प्रकृति एवं मात्रा

टिप्पणी 30.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारितोषिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ (वेतन/कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन इत्यादि)	242.25	252.49
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु शुल्क		
सेवायोजन के पश्चात लाभ	41.36	42.08
अन्य दीर्घावधि लाभ		
समाप्ति लाभ		
अंश आधारित भुगतान		
चिकित्सा	2.13	2.43
अन्य (प्रतिपूर्ति)	14.06	16.54
उप योग (1)	**299.79**	**313.55**
संबद्ध पार्टी को ऋणः		
वर्ष के दौरान/ अंत तक दिए गए ऋण	66.76	20.50
ब्याज	10.86	13.83
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	18.36	15.40
उप योग (2)	**95.98**	**49.73**
समाप्त वर्ष पर संबंधित पार्टी द्वारा स्वामित्व में धनराशि(1+2))	**395.77**	**363.28**

वित्तीय वर्ष 2024-25

(₹ लाख में)

विवरण	श्री राजन सहगल (प्रबंध निदेशक)	श्री अजीत कुमार सामल	श्री वी.आर.चारी	श्रीमती अनुपमा सूद	श्री सुरेश कुमार
अल्पावधि लाभ	80.21	43.06	22.51	53.67	42.80
नियाजनोपरांत लाभ	13.65	7.52	3.00	9.21	7.98
चिकित्सा	0.50	0.50	0.17	0.46	0.50
अन्य (प्रतिपूर्ति)	12.68	0.56	0.08	0.45	0.28

वित्तीय वर्ष 2023-24

(₹ लाख में)

विवरण	श्री राजन सहगल (प्रबंध निदेशक)	श्री अजीत कुमार सामल	श्री वी.आर. चारी	श्रीमती अनुपमा सूद	श्री सुरेश कुमार
अल्पावधि लाभ	63.07	41.40	53.37	52.46	42.19
नियाजनोपरांत लाभ	10.43	7.03	8.62	8.63	7.37
चिकित्सा	0.50	0.43	0.50	0.50	0.50
अन्य (प्रतिपूर्ति)	13.73	1.50	0.54	0.49	0.29

प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण या अग्रिम

(₹ लाख में)

उधारकर्ता की श्रेणी	अवशेष ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों एवं अग्रिमों का प्रतिशत
प्रमोटरर्स		
निदेशक		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	66.76	0.03%
संबंधित पार्टियाँ		

Total Compensation paid as per the guidelines of Deptt. Of Public Enterprises (DPE)

TA/DA is paid /payable in normal course of business and paid on same terms which are applicable to other employees.

30.3 Transaction with the Government Related Entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following :-

Name of Government : Government of India through Ministry of Social Justice and Empowerment (Significant influence over Corporation).

Certain Significant Transactions (₹ in Lakhs)

Party	Nature of Transaction	For the Year Ended March 31, 2025	For the Year ended March 31, 2024
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt towards Equity Share Capital during the year	-	1,500.00
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt of Grant in Aid towards implementation of Skill Development Programme during the year	21,090.30	12,285.05
Ministry of Social Justice and Empowerment	Reimbursement of expenses of organizing events	455.28	2.73
Total		**21,545.57**	**13,787.78**

30.4 Related Parties held equity of the Corporation

Name of Party	Relationship	For the Year Ended March 31, 2025		For the Year ended March 31, 2024	
		Number of share held	% holding in that class of shares	Number of share held	% holding in that class of shares
President of India	Shareholder	15144000	99.9%	15144000	99.9%

Notes :- 31 Capital management

31.1 The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on 31st March 2025 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

31.2 Following changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2025 :

i. Recognition of Corporate Social Responsibilities (CSR) expenses from utilization to disbursement.
ii. Some other category of target group has been added in objective clause.

कुल प्रतिपूर्ति का भुगतान लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान सामान्य व्यावसायिक अवधि में उन्हीं शर्तों के अनुसार किया गया/देय है जो अन्य कर्मचारियों पर लागू है।

टिप्पणी 30.3 सरकार से संबंधित कंपनियों के साथ लेन-देन

ऊपर बताए गए लेनदेन के अतिरिक्त, निगम ने सरकार से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है, जो सम्मिलित है, किन्तु निम्नलिखित के लिए सीमित नहीं है-

सरकार का नामः भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय माध्यम से

निश्चित महत्वपूर्ण लेन-देन

(₹ लाख में)

दल	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी के रूप में प्राप्त	-	1,500.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान कौशल विकास योजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान सहायता	21,090.30	12,285.05
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कार्यक्रमों के आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति	455.28	2.73
योग		**21,545.57**	**13,787.78**

टिप्पणी 30.4 निगम के साम्य अंश धारित संबद्ध पार्टी

पक्ष का नाम	संबंध	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
		धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %
भारत के राष्ट्रपति	शेयरहोल्डर	15144000	99.9%	15144000	99.9%

टिप्पणी: 31 पूंजी प्रबंधन

टिप्पणी: 31.1 कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी के अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन परिवर्तनों के दृष्टिगत् करती है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारी की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी: 31.2 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबंध के लिए उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन किए गए है:

I) वितरण के उपभोग के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की मान्यता।
II) उद्देश्य के परिच्छेय में कुछ अन्य श्रेणियों के लक्षित वर्ग सम्मिलित किए गए हैं।

Note :- 32 Fair Value measurements

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025			As at March 31,2024		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	3,642.00	-	-	1,097.78
(ii) Other Bank balances	-	-	-	-	-	-
(iii) Security Deposits	-	-	0.25	-	-	0.30
(iv) Other Financial Assets	-	-	2,502.96	-	-	2,012.20
(vi) Loans	-	-	2,12,391.52	-	-	2,10,914.26
(vi) Staff Loans & advances			440.47			393.18
(vii) Cash & Cash Equivalents-Grant Fund			7,983.58			3,481.83
Total Financial Assets	**-**	**-**	**2,26,960.78**	**-**	**-**	**2,17,899.55**
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities			7,936.39	-	-	3,398.83
(ii) Security deposit & retention money			50.68			3.67
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**7,987.08**	**-**	**-**	**3,402.50**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)
(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	Carrying Value	Fair value	Carrying Value	Fair value
Financial Assets				
(i) Loans	2,12,391.52	2,12,391.52	2,10,914.26	2,10,914.26
(ii) Staff Loans & advances	440.47	493.60	393.18	448.63
Total Financial Assets	**2,12,831.99**	**2,12,885.12**	**2,11,307.44**	**2,11,362.88**

i. The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii. The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii. For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

Fair Value hierarchy as on 31-03-2025 (₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2025	-	-	2,12,391.52	2,12,391.52
Loans to employees	31st March 2025	-	-	440.47	440.47
		-	-	**2,12,831.99**	**2,12,831.99**

टिप्पणी:-32 उचित मूल्य माप

i) श्रेणियों में वित्तीय साधनों का धारित मूल्य निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत	एफ.वी.टी.पी. एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) नकद एवं नकदी समकक्ष	-	-	3,642.00	-	-	1,097.78
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	-	-	-	-
(iii) सुरक्षित जमा	-	-	0.25	-	-	0.30
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	2,502.96	-	-	2,012.20
(vi) ऋण	-	-	2,12,391.52	-	-	2,10,914.26
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम			440.47			393.18
(vii) नकद एवं नकदी समकक्ष-अनुदान राशि			7,983.58			3,481.83
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**2,26,960.78**	-	-	**2,17,899.55**
वित्तीय देयताएँ						
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ			7,936.39	-	-	3,398.83
(ii) सुरक्षित जमा एवं प्रतिधारित धनराशि			50.68			3.67
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	**7,987.08**	-	-	**3,402.50**

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ऋण	2,12,391.52	2,12,391.52	2,10,914.26	2,10,914.26
(ii) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	440.47	493.60	393.18	448.63
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**2,12,831.99**	**2,12,885.12**	**2,11,307.44**	**2,11,362.88**

i. अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों का धारित मूल्य, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।

ii. 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, धारित धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समरूप परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (अ-समायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों एव दायित्वों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को परिशोधन लागत पर मापा गया है व प्रस्तुत किया गया है:-

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31st March 2025	-	-	2,12,391.52	2,12,391.52
कर्मचारियों को ऋण	31st March 2025	-	-	440.47	440.47
		-	-	**2,12,831.99**	**2,12,831.99**

Fair Value hierarchy as on 31-03-2024 (₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2024			2,10,914.26	2,10,914.26
Loans to employees	31st March 2024	-	-	393.18	393.18
		-	-	**2,11,307.44**	**2,11,307.44**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances , deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's /RRBs/PSBs and Ohers. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's /RRBs/PSBs and Ohers.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years.

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31st March 2024			2,10,914.26	2,10,914.26
कर्मचारियों को ऋण	31st March 2024	-	-	393.18	393.18
		-	-	**2,11,307.44**	**2,11,307.44**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/ अन्य संस्थाओं के लिए सावधि/माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति व्यक्त करता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के कारण कम-ज्यादा होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम सम्मिलित है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत नहीं है।

ग) उधार जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान है, यदि कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य से कंपनी के प्राप्य ऋणों से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए./आरआरबी/पीएसबी और अन्य को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभाविता पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतत् आधार क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्ति पर होने वाली चूक जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषित जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं।

- दायित्व का समर्थन करने वाले या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

- उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सम्मिलित हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय से देय होता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि मानी जाती है।

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

Note :- 33

Allowances on Loan and advances to respective chennal partners is made as per the Corporation policy. Provision is recognised when:

i. The Corporation has a present obligation as a result of past event
ii. A probable outflow of resources is expected to settle the obligation and
iii. A reliable estimate of amount of obligation can be made

Provision recognized above which are expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability and the increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

In respect to Loans/ dues payable by Channel Partners(CP'S) which are adequantely covered by State Government Gaurantees/other Fianancial Instruments, no provision is made.

Provision are reviewd at each Balance Sheet Date.

The Corporation as per the policy approved for "reschedulement of overdue loans and advances" had rescheduled the loans in very exceptional cases. Further,the Board of the Directors vide 126th meeting of the board had considered the reschdulement/deferment of overdue of channel partners and approved the policy of expected credit loss on overdue based on unsecured and as per probability of default.

Details of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2025 (₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 23-24	Closing Balance
Loans & Advances -General loan	196.13	131.70	0.00	327.83
Loans & Advances -Micro finance	1235.38	70.51	0.00	1305.89
Total	**1431.52**	**202.21**	**0.00**	**1633.72**
Previous year	**1065.87**	**365.65**	**0.00**	**1431.52**

Detail of allowance for interest on Loans & Advances (current/non current) as on 31.03.2025 (₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back	Closing Balance
Penal Interest	245.26	(0.00)		245.26
Interest on loan - General Loan	593.37		357.68	235.69
Interest on loan - Micro Finance	50.66		8.17	42.49
Total	**889.29**	**(0.00)**	**365.85**	**523.44**
Previous Year	**794.03**	**95.26**	**-**	**889.28**

वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ अवशेष राशि को कंपनी की नीति के अनुसार क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा अनुमोदन मात्र से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होती है, कंपनी वास्तविक नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान की सतत् निगरानी और वास्तविक नकदी प्रवाह व वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी: 33

संबंधित चैनल भागीदारों को ऋण और अग्रिमों पर प्रावधान निगम की नीति के अनुसार किए गए हैं। प्रावधान तब मान्य होता है जब:

i. किसी पूर्व घटना के कारण निगम की वर्तमान बाध्यता होती है;
ii. उस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना होती है; और
iii. बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

वे प्रावधान जो 12 माह से अधिक समय में निपटान के लिए अपेक्षित हैं, उन्हें संबंधित जोखिमों को दर्शाने वाले पूर्व-कर छूट दर का उपयोग कर वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। प्रावधान में वृद्धि को समय के साथ ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ऐसे ऋणों या देयों के संबंध में, जो चैनल पार्टनर्स (सी.पी) द्वारा देय हैं और राज्य सरकार की गारंटी या अन्य वित्तीय साधनों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं, उन पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

“अतिदेय ऋणों और अग्रिमों के पुनर्निर्धारण” हेतु निगम की स्वीकृत नीति के अनुसार, केवल अत्यंत विशिष्ट मामलों में ऋणों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल की 126वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, चैनल पार्टनर्स द्वारा अतिदेय राशि के पुनर्निर्धारण/स्थगन को ध्यान में रखते हुए, निगम ने प्रत्याशित ऋण हानि की नीति को अपनाया है, जो कि असुरक्षित प्रकृति और डिफॉल्ट की संभावना पर आधारित है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (वर्तमान/ गैर-वर्तमान) के लिए प्रबंध का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	23-24 की अवधि में पीछे से लाए गए/ वसूले गए प्रावधान	अंत शेष
ऋण और अग्रिम – सामान्य ऋण	196.13	131.70	0.00	327.83
ऋण और अग्रिम – माइक्रो फाइनेंस	1235.38	70.51	0.00	1305.89
योग	**1431.52**	**202.21**	**0.00**	**1633.72**
गत् वर्ष	**1065.87**	**365.65**	**0.00**	**1431.52**

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज (वर्तमान/ गैर-वर्तमान) के लिए प्रबंध का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	पीछे से लाए गएवसूले गए/ प्रावधान	अंत शेष
दंडात्मक ब्याज	245.26	(0.00)		245.26
ऋण पर ब्याज- सामान्य ऋण	593.37		357.68	235.69
ऋण पर ब्याज – सूक्ष्म ऋण	50.66		8.17	42.49
योग	**889.29**	**(0.00)**	**365.85**	**523.44**
गत् वर्ष	**794.03**	**95.26**	**-**	**889.28**

Details of Rescheduled Loan & Advances

No Rescheduledment of Loan and Advances during the FY 2024-25

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2025 (₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expeced Credit Loses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expecX Ced credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	2,11,631.93	0%	-	2,11,631.93
		Interest on Loans	1,663.13	0%	-	1,663.13
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not credibly impaired	Loans	893.62	15%	134.04	759.58
			-	25%	-	-
			1,499.68	100%	1,499.68	-
		Interest on Loans	109.33	15%	16.40	92.93
			-	25%	-	-
			261.78	100%	261.78	-
			245.26	100%	245.26	-
			2,16,304.75		**2,157.16**	**2,14,147.58**

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2024 (₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expeced Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Prvision
Loss Allowance measured at life-time ex-peced credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	2,10,909.25	0%	-	2,10,909.25
		Interest on Loans	1,122.33	0%	-	1,122.33
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not credibly impaired	Loans	5.89	15%	0.88	5.01
			-	25%	-	-
			1,430.63	100%	1,430.63	-
		Interest on Loans	2.35	15%	0.35	2.00
			-	25%	-	-
			643.67	100%	643.67	-
			245.26	100%	245.26	-
			2,14,359.38	**3.80**	**2,320.80**	**2,12,038.58**

a. Provisions for Expected Credit Losses of loans and interest thereon, where the amounts are overdue and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security “shall be made as per the Probability of default.

b. Unrealized ‘Penal Interest’ upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when received due to its uncertainty factor.

c. Overdue interest on Unsecured loans disbursed directly to NGO/Students at the end of financial year provided for.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

पुनर्निर्धारित ऋण और अग्रिमों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कोई ऋण और अग्रिम का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	2,11,631.93	0%	-	2,11,631.93
		ऋण पर ब्याज	1,663.13	0%	-	1,663.13
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	893.62	15%	134.04	759.58
			-	25%	-	-
			1,499.68	100%	1,499.68	-
		ऋण पर ब्याज	109.33	15%	16.40	92.93
			-	25%	-	-
			261.78	100%	261.78	-
			245.26	100%	245.26	-
			2,16,304.75		**2,157.16**	**2,14,147.58**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	2,10,909.25	0%	-	2,10,909.25
		ऋण पर ब्याज	1,122.33	0%	-	1,122.33
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोख़िम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	5.89	15%	0.88	5.01
			-	25%	-	-
			1,430.63	100%	1,430.63	-
		ऋण पर ब्याज	2.35	15%	0.35	2.00
			-	25%	-	-
			643.67	100%	643.67	-
			245.26	100%	245.26	-
			2,14,359.38	**3.80**	**2,320.80**	**2,12,038.58**

क) जहां पर धनराशि बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश / गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी में कवर नहीं है, ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक संभाव्यता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख) दिनांक 31.03.2007 तक वसूले नहीं गए 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है जबकि पश्चातवर्ती अवधि की धनराशि को अनिश्चितता के कारण जब भी देय प्राप्त हुआ है, माना गया है।

ग) वित्तीय वर्ष के अंत में असुरक्षित गैर सरकारी संगठन/छात्रों को सीधे संवितरित ऋणों पर अतिदेय ब्याज का प्रावधान किया गया है।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	100%

Beside above, as a matter of prudence , where even due amount of interest not received during the financial year on Unsecured loans, disbursed without security / Post dated Cheques etc. provided for.

FY 2024-25 (₹ in Lakhs)

Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @100%
Bihar BC			0.00	0.00
MP SC	56.87	75.65	132.52	132.52
MP BC	56.42	100.47	156.89	156.89
Maharashtra Mahatma Phule	48.62	26.71	75.33	75.33
Assam Artfed	1331.93	55.04	1386.97	1386.97
Othses NGO	5.83	3.92	9.76	9.76
Penal Interest		245.26	245.26	245.26
Total	**1499.68**	**507.04**	**2006.72**	**2006.72**
Name of the SCA	**Principal Outstanding**	**Interest Outstanding**	**Total**	**Provision @15%**
Chandigarh SC/ST/BC			0.00	0.00
Delhi SC/ST	13.30	1.33	14.63	2.19
Bank of Baroda	880.33	108.00	988.33	148.25
	893.62	109.33	1002.95	150.44
Gross Total	**2393.30**	**616.37**	**3009.68**	**2157.16**

FY 2023-24 (₹ in Lakhs)

Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @100%
Bihar BC		384.91	384.91	384.91
MP SC	56.87	73.09	129.96	129.96
MP BC	56.42	97.93	154.35	154.35
Maharashtra Mahatma Phule	48.62	25.07	73.69	73.69
Assam Artfed	1262.88	58.76	1321.64	1321.64
Othses NGO	5.83	3.92	9.76	9.76
Penal Interest		245.26	245.26	245.26
Total	**1430.63**	**888.93**	**2319.56**	**2319.56**
Name of the SCA	**Principal Outstanding**	**Interest Outstanding**	**Total**	**Provision @15%**
Chandigarh SC/ST/BC	1.17	0.15	1.32	0.20
Delhi SC/ST	4.73	0.61	5.34	0.80
Bank of Baroda	0.00	1.58	1.58	0.24
	5.89	2.35	8.24	1.24
Gross Total	**1436.52**	**891.28**	**2327.80**	**2320.80**

Unconfirmed Balances & Unutilsed Fund (₹ in Lakhs)

NAME OF CHANNEL PARTNER	FY 2024-25		FY 2023-24	
	Balance Confirmation	Unutilised Fund	Balance Confirmation	Unutilised Fund
Andhra Pradesh (BC)-I NEW	3630.71		3887.89	1511.91
Bihar (BC)	2485.80		3437.37	
Chandigarh SC/ST/BC	9.53	3.68	13.63	5.00
Chattisgarh Bahudeshiya				23.54
Delhi SC/ST/OBC	71.69		72.97	
Goa SC & ST		57.93		
Gujarat BC	733.67			
Gujrat Takor Koli	2392.87			
Gujarat DNT		0.03	60.73	21.33
Haryana(BC)		380.34		113.25
Himachal Pradesh (BC)		78.95		1.69
Jammu & Kashmir SC/ST/BC		171.57		133.87
Jammu & Kashmir (WOMEN)	1125.78	22.35	1270.79	0.88
Jharkhand (ST)	149.13	119.55	1392.83	119.55
Karnatka (Vishkarma)	296.04	19.50	487.59	19.50
Kerala (BC)				2.35
Kerala (Fisheries)		227.56		84.31
Kerala (Palmarah)	94.64		100.34	

इसके अतिरिक्त, विवेक के तौर पर, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान बिना सुरक्षा / पोस्ट डेटेड चैक के वितरित के असुरक्षित ऋणों पर ब्याज की देय राशि भी प्राप्त नहीं हुई, का प्रावधान किया गया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष 2024-25

(₹ लाख में)

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @100%
बिहार बी.सी.			0.00	0.00
मध्य प्रदेश एस.सी.	56.87	75.65	132.52	132.52
मध्य प्रदेश बी.सी	56.42	100.47	156.89	156.89
महाराष्ट्र महात्मा फुले	48.62	26.71	75.33	75.33
असम आर्टफेड	1331.93	55.04	1386.97	1386.97
अन्य एनजीओ	5.83	3.92	9.76	9.76
दंड ब्याज		245.26	245.26	245.26
योग	**1499.68**	**507.04**	**2006.72**	**2006.72**
राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	**बकाया मूलधन**	**बकाया ब्याज**	**योग**	**प्रावधान @100%**
चंडीगढ़ एससी/एसटी/बीसी			0.00	0.00
दिल्ली एससी/एसटी	13.30	1.33	14.63	2.19
बैंक ऑफ बड़ौदा	880.33	108.00	988.33	148.25
	893.62	109.33	1002.95	150.44
कुल योग	**2393.30**	**616.37**	**3009.68**	**2157.16**

वित्त वर्ष 2023-24

(₹ लाख में)

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @100%
बिहार बी.सी.		384.91	384.91	384.91
मध्य प्रदेश एस.सी.	56.87	73.09	129.96	129.96
मध्य प्रदेश बी.सी	56.42	97.93	154.35	154.35
महाराष्ट्र महात्मा फुले	48.62	25.07	73.69	73.69
असम आर्टफेड	1262.88	58.76	1321.64	1321.64
अन्य एनजीओ	5.83	3.92	9.76	9.76
दंड ब्याज		245.26	245.26	245.26
योग	**1430.63**	**888.93**	**2319.56**	**2319.56**
राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	**बकाया मूलधन**	**बकाया ब्याज**	**योग**	**प्रावधान @100%**
चंडीगढ़ एससी/एसटी/बीसी	1.17	0.15	1.32	0.20
दिल्ली एससी/एसटी	4.73	0.61	5.34	0.80
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.00	1.58	1.58	0.24
	5.89	2.35	8.24	1.24
कुल योग	**1436.52**	**891.28**	**2327.80**	**2320.80**

अपुष्ट अवशेष एवं अप्रयुक्त निधि

(₹ लाख में)

चैनल सहभागियों का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	अवशेष पुष्टिकरण	अप्रयुक्त निधि	अवशेष पुष्टिकरण	अप्रयुक्त निधि
बिहार (बी.सी.)	2485.80		3437.37	
चंडीगढ़ एससी/एसटी/बी.सी.	9.53	3.68	13.63	5.00
छत्तीसगढ़ बहुद्देशिय				23.54
दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.	71.69		72.97	
गोवा एस.सी. एवं एस.टी.		57.93		
गुजरात बी.सी.	733.67			
गुजरात टकोर कोली	2392.87			
गुजरात डी.एन.टी.		0.03	60.73	21.33
हरियाणा (बी.सी.)		380.34		113.25
हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)		78.95		1.69
जम्मू एवं कश्मीर एस.सी./एस.टी./बी.सी.		171.57		133.87
जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	1125.78	22.35	1270.79	0.88
झारखंड (एस.टी.)	149.13	119.55	1392.83	119.55
कर्नाटक (विश्कर्मा)	296.04	19.50	487.59	19.50
केरल (बी.सी.)				2.35
केरल (मत्स्य पालन)		227.56		84.31
केरल (पालमारह)	94.64		100.34	

Kerala Handicraft		0.28		41.87
Madhya Pradesh (sc)	173.16		169.29	
Madhya Pradesh (BC)	239.77		235.70	
Maharashtra (Mahatma Phule)	82.37		80.19	
West Bengal (BC)			1292.43	
Assam (Artfed)	1472.12		1512.40	50.00
Punjab BC		1.51		51.92
Punjab National Bank			6227.37	
Pondicherry BC	708.45		760.01	
Rajasthan (BC)	2091.25	101.17		436.72
Sikkim SC/ST				87.00
Streenidhi Credit Cooperative Federation Ltd.			685.71	
Tamilnadu (BC)		0.07		0.01
UP sahkari Gram Vikas Bank		228.85		53.12
West Bengal (BC)				3.80
NGOS	12.22		12.22	
Total	**15769.19**	**1413.33**	**21699.45**	**2761.59**

Note :- 34 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 30 for further disclosures.

Note 35 : Operating Segment reporting

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies and other financial institutions in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

Note :- 36 : Prior Period Errors (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)		
Trade Payables		
Other current & Non current Provision		
Trade Receivables		
Other Financial Assets (Current)		
Other Financial Liabilities		11.63
Other current & Non - Current liabilities		
Other Receivable (Current)		
Intangible Assets		
Property, Plant & Equipment's		(0.01)
Right of Use		
Provisions		
Financial Assets-Loan & Advances		
Net Impact on Equity	-	**11.61**

केरल हस्तशिल्प		0.28		41.87
मध्य प्रदेश (एस.सी.)	173.16		169.29	
मध्य प्रदेश (बी.सी.)	239.77		235.70	
महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	82.37		80.19	
पश्चिम बंगाल (बी.सी.)			1292.43	
असम (आर्टफेड)	1472.12		1512.40	50.00
पंजाब बी.सी.		1.51		51.92
पंजाब नेशनल बैंक			6227.37	
पुडुचेरी ई.पू	708.45		760.01	
राजस्थान (बी.सी.)	2091.25	101.17		436.72
सिक्किम एस.सी./एस.टी.				87.00
स्त्रीनिधि क्रेडिट सहकारी संघ लिमिटेड			685.71	
तमिलनाडु (बी.सी.)		0.07		0.01
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक		228.85		53.12
पश्चिम बंगाल (बी.सी.)				3.80
गैर सरकारी संगठन	12.22		12.22	
योग	**15769.19**	**1413.33**	**21699.45**	**2761.59**

टिप्पणी 34 अनिश्चतता अनुमान के प्रमुख स्रोत

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीय जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है। उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट निर्णय में विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रकटीकरणों को आगे और देखने के लिए टिप्पणी 30 देखें।

टिप्पणी 35 परिचालन भाग रिर्पोटिंग(सेममेंट)

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्ग़ों के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 36 पूर्वावधि त्रुटियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
साम्य अंश पर प्रभाव(साम्य अंश में वृद्धि/कमी)		
देय व्यवसाय		
अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान प्रावधान		
प्राप्य व्यवसाय		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (वर्तमान)		
अन्य वित्तीय देयताएं		11.63
अन्य वर्तमान एवं गैर-वर्तमान देयताएं		
अन्य प्राप्य (वर्तमान)		
अमूर्त पसंपत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		(0.01)
उपयोग का अधिकार		
प्रावधान		
वित्तीय परिसंपत्तियां-ऋण एवं अग्रिम		
साम्य अंश पर शुद्ध प्रभाव	-	**11.61**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Impact on statement in Income and Expenditure loss (increase/(decrease) in Surplus)		
Other Expenses		
Employees Benefit Cost		-
Training & other Developmental Expenditure		11.63
Depreciation & Amortization Costs		(0.01)
CSR expenses		
Other Developmental Expenses		
Exceptional Items		
Interest Income on Loan to Channel Partners		
	-	11.61
Attributable to Equity Holders	**-**	**11.61**

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS) (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.08
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.08

Note :- 37 : Contingent Liabilities /Asset and commitments Liabilities: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for)		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any)is Nil (Nil as at 31.03.2024).	-	-

Assets: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contingent Asset and commitments (to the extent not provided for)		
Estimated amount on account of and not provided for	-	-

Note 38: In accordance with the approval of the Board, surplus undisbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits with banks whom transaction are made , taking into account the Government guidelines issued from time to time for the purpose and the income generated by this has been ploughed back into the schemes for the welfare of target groups.

Note 39: The Corporation has waived off penal interest and incentive of interest of ₹ Nil (₹ Nil as at 31.03.2024) , under One time Settlement Scheme (OTS). As per One Time Settlement Scheme (OTS) of the Corporation borrowers (SCAs/ NGOs and others , who have some overdues and ready to settle the overdues with in the 3 months of sanction by NBCFDC . The Corporation will provide waiver of 100% of penal interest receivable as on cut off date . Further, the borrower would be eligible for getting interest incentive @3% on the settlement amount for the period of 6 months separately only after receipt of full repayment of settlement amount. The detail is as under:-

Note 40: A property situated at x-29 , Hauz Khas , New Delhi was purchased for residential purpose of Managing Director during 1994-95, which is lying vacated since 2014-15 and used for storage and other event purpose except one room. The room is used for official guest of the Corporation who belongs to official of Channel partner of the Corporation when they visit Corporation. The Corporation charges nominal charges for staying period . The said income is nominal & incidental nature. The Corporation is also registered under section 12 AA and gets 80 G certificate from Income Tax Authority. Hence the all incidental income and etc. is exempt from tax.In the opinion of the management the said property is still for residential purpose.

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
साम्य अंश पर प्रभाव(सांम्य अंश में वृद्धि/कमी)		
देय व्यवसाय		
कर्मचारी लाभ लागत		-
प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय		11.63
अवमूल्यन एवं परिशोधन लागत		(0.01)
सी.एस.आर. व्यय		
अन्य विकासात्मक व्यय		
असाधारण मदें		
चैनल सहभागियों को दिए गए ऋण पर ब्याज आय		
	-	11.61
अंश धारकों पर आरोप्य	**-**	**11.61**

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस.) में वृद्धि (कमी)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
सतत् संचालन से प्रति अंश आय		
अंशधारकों पर आरोप्य, सतत् संचालन से लाभ, मूल	-	0.08
अंशधारकों पर आरोप्य सततज्ञ संचालन से लाभ, तनुकृत	-	0.08

टिप्पणी 37 आकस्मिक दायित्व/संपत्ति एवं प्रतिबद्धताएं दायित्व :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएँ (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया)		
पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि शून्य (शुद्ध अग्रिम, यदि कोई हो) है और इसका प्रावधान नहीं किया गया है (31.3.2024 को शून्य)।	-	-

संपत्तिः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आकस्मिक परिसंपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएं ((सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया)	-	-
खाते पर अनुमानित धनराशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।		

टिप्पणी 38 इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देश और इसके द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार, निगम के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय-समय पर उन बैंकों में अल्पावधि जमा में रखा जाता है, जिनसे लेन-देन किया जाता है और इससे सृजित आय को लक्षित समूहों के कल्याण के लिए योजनाओं में प्रयोग किया गया है।

टिप्पणी 39 निगम ने एकल निस्तारण योजना(ओ.टी.एस.) के अंतर्गत दण्ड ब्याज एवं ब्याज प्रोत्साहन ₹ शून्य लाख (31.03.20224 को ₹ शून्य लाख) माफ किया है। निगम की एकल निस्तारण योजना के अनुसार ऋणग्राहियों(रा.चै.ए./एन.जी.ओ. एवं अन्य), जिनपर कुछ बकाया है एवं बकाया के निस्तारण हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी.की स्वीकृति के 3 माह में बकाया के भुगतान हेतु तैयार है। निगम निर्धारित तिथि पर प्राप्य दण्ड ब्याज को 100% माफ करेगा। इसके अलावा, 6 माह की अतिरिक्त अवधि में सम्पूर्ण धनराशि का पुनर्भुगतान का निस्तारण करने के बाद ही ऋणग्राही 3% की दर से ब्याज प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।

टिप्पणी 40 एक्स-29, हौज खास, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति 1994-95 के दौरान प्रबंध निदेशक के आवासीय उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी, जो 2014-15 से खाली पड़ी है और एक कमरे को छोड़कर भंडारण और अन्य कार्यों के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। निगम के आधिकारिक अतिथि, जो निगम के चैनल सहभागियों के अधिकारी होते हैं जब वे निगम में आते हैं, के लिए कमरे का उपयोग किया जाता है। निगम रहने की अवधि के लिए नाममात्र का शुल्क लेता है। उक्त आय नाममात्र और आकस्मिक प्रकृति की होती है। निगम धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और आयकर प्राधिकरण से 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त है। अतः सभी आकस्मिक आय आदि कर से मुक्त है। प्रबंधन के मतानुसार उक्त संपत्ति अभी भी आवासीय उद्देश्य के लिए है।

Note 41: Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	-
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amount of payment made beyond the appointed day	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
(vi)The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date whe interest due as above are actually paid.	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management .

This has been relied upon by the auditors

Note :- 42

42.1 The Corporation has filed legal cases against the defaulting Channel Partners/ NGOs and there is no case the Corporation has any obligation of any payments

42.2 The Corporation has initiated legal action against the defaulting Channel Partners / NGOs u/s 138 as well as for civil suits . The cumulative Status of legal cases is as under

Particulars	Criminal Suits	Civil Suit	Civil Suit filed by others	Arbitration	Total
Cases under Process	-	-	1	-	1
Decree Execution in process	-		-	-	-
Cases dismissed	-	-	-	-	-
Total	**-**	**0**	**1**	**-**	**1**

Note :- 43 The Income of the Corporation is exempted from tax under section 10 (26b) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for Income Tax is Required . Consequently the provision of Ind As - 12 'Income Tax is not Applicable.

Note :- 44 Provision of 'Non - Banking Finance Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) directions 1998' are not applicable to the Corporation.

Note :- 45 In the opinion of Board /Management , the assets, Loans and Advances have a realisable value of at least equal to the amount at which they are stated in the Balance sheet if realised in the ordinary course of business.

Note :- 46 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agencies prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of ₹ 412.93 lakhs (₹ 404.99 lakhs as at 31.03.2024) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

Note :- 47 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Bihar and out of these states two new states of Jharkhand were formed respectively in the year 2000. Pending the apportionment of Assets and Liabilities between SCAs of successor States, the Corporation has shown the loan outstanding against the SCAs of erstwhile State, which is subject to confirmation.

टिप्पणी: - 41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यक है

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई अवशेष मूलधन राशि	-	-
(ii) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई धनराशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तिथि के बाद प्रदत्त ब्याज की धनराशि के साथ-साथ किया गया भुगतान	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अवशेष अदा नहीं की गई धनराशि		
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य बकाया धनराशि, जब तक कि उस तिथि को जब उपरोक्तानुसार ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किए गए।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर इन पार्टियों की सीमा की पहचान की गई है व सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को निर्धारित किया गया है।

इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 42

42.1 निगम ने चूककर्त्ता चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी मुकदमें दायर किए गए हैं और निगम के पास किसी भी भुगतान के दायित्व का मामला नहीं है।

42.2 ने धारा 138 के तहत चूक करने वाले चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सिविल अभियोग शुरू किया है। कानूनी मामलों की सकल स्थिति निम्नानुसार है-

विवरण	आपराधिक मुकदमे	सिविल केस	अन्य द्वारा दायर किए गए सिविल केस	मध्यस्थता	योग
प्रक्रियाधीन मामले	-	-	1	-	1
न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में	-		-	-	-
खारिज केस	-	-	-	-	-
योग	**-**	**0**	**1**	**-**	**1**

टिप्पणी 43 निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट दी गई है। इस प्रकार आयकर के लिए कोई प्रावधान वांछित नहीं है। इसी प्रकार भारतीय लेखाकरण मानक-12, आयकर लागू नहीं है।

टिप्पणी 44 1998 के सार्वजनिक जमा (रिजर्व बैंक) के गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों के प्रावधान निगम के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45 निदेशक मण्डल / प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य अवधि में व्यवसाय किया गया है, परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य माना जाता है जिस पर उनका तुलन-पत्र में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी 46 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और वर्ष 2000 में इस राज्य से एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। राज्य के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को ऋण दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण चुकाने के लिए इसकी गारंटी है। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को दिया गया था, हालांकि, उत्तराधिकारी राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ₹ 412.93 लाख (31.03.2024 को ₹ 404.99 लाख) की अपनी देयता का भुगतान नहीं किया है और इसलिए बकाया ऋण का दायित्व पूर्ववर्ती राज्य के नाम किया गया है।

टिप्पणी 47 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य का विभाजन हुआ और इस राज्य से झारखंड नाम के एक नए राज्य का गठन 2000 में किया गया था। उत्तराधिकारी राज्य की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व का बटवारा नव सृजित राज्य की एस.सी.ए. के मध्य होना लंबित है, निगम ने इसे पूर्ववर्ती राज्य की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के नाम दर्शाया है, जो पुष्टि के अधीन है।

Note 48 : 1. The company has adopted Ind AS 116 (Leases) in accordance with applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statements of NBCFDC.

2. Expenses relating to the short-term operating leases as per Ind AS 116 are as follows-

Nature of Expenses	Amount ₹ In Lakh
Rent	242.26
Hiring of Vehicle	46.52
Security & Other Services Charges	64.81
Total	**353.59**

Note No. 49

DISCLOSURE OF RATIOS:	2024-25		2023-24		Increase/ Decrease from Previous Year	Remarks
Current Ratio:		89.90		161.27	-79%	Increse in Other Financial Liability
Current Asset	73,585.66		62,962.06			
Current Liabilities	818.53		390.41			
Debt-Equity Ratio:		0.04		0.02	57%	Increse in Other Financial Liability
Total Liablities	8,614.40		3,644.42			
Total Share Holder Equity	2,18,654.24		2,14,531.39			
Debt Service coverage Ratio						
Operating income	53.23		5,490.15			
Short term debt & current portion of long term debt	-		-			
Return on Equity Ratio:		0.02		0.01	23%	Increse in Net profit/Surplus
Net Income/surplus	4,090.97		3,071.45			
Share holder Equity	2,18,654.24		2,14,531.39			
Inventory Turnover Ratio:						
cost of Good sold	-					
AverageInventory for same period	-					
Trade Receivable Ratio:						
Net Sale	-					
Average account receivable	-					
Trade Paybale Ratio:						
Average No. of Days for amount due	-					
Average no of days i.e. 365	-					
Net Capital Turnover Ratio:		0.03		0.03	9%	
Total sales /Reenue from Operation	6,133.72		5,491.03			
Share Holder Equity	2,18,654.24		2,14,531.39			
Net Profit/Surplus Ratio:		0.67		0.56	16%	
Revenue-Cost	4,082.97		3,058.66			
Revenue	6,133.72		5,491.03			
Return on Capital Employed Ratio:		0.02		0.01	23%	Increse in Net profit/Surplus
Earning before intt. & tax	4,085.43		3,070.18			
Capital Employed(Total Asset- Curent Liability	2,18,736.54		2,14,582.29			
Return on Investment:		0.02		0.01	23%	Increse in Net profit/Surplus
Net Income/ Surplus	4,085.43		3,070.18			
Cost of Investment(Total Asset- Curent Liability	2,18,736.54		2,14,582.29			

टिप्पणी 48

1. कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 116 (लीज) को वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अंगीकार किया है; इसके अंगीकरण के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार संक्षिप्त अवधि के परिसंचालन लीज से संबंधित व्यय निम्नानुसार है-

व्यय की प्रकृति	धनराशि
किराया	242.26
वाहन को किराए पर लेना	46.52
सुरक्षा एवं अन्य सेवा शुल्क	64.81
योग	**353.59**

टिप्पणी संख्या 49

अनुपातों का प्रकटीकरण:	2024-25		2023-24		गत् वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी	टिप्पणियाँ
वर्तमान अनुपात:		89.90		161.27	-79%	अन्य वित्तीय दायित्वों में वृद्धि
वर्तमान परिसंपत्ति	73,585.66		62,962.06			
वर्तमान देएताएं	818.53		390.41			
ऋण इक्विटी अनुपात:		0.04		0.02	57%	अन्य वित्तीय दायित्वों में वृद्धि
कुल देयताएं	8,614.40		3,644.42			
अंशधारक के कुल अंश	2,18,654.24		2,14,531.39			
ऋण सेवा कवरेज अनुपात						
परिचालन आय	53.23		5,490.15			
अल्पावधि ऋण और	-		-			
दीर्घावधि ऋण का वर्तमान भाग		0.02		0.01	23%	शुद्ध लाभ / अधिशेष में वृद्धि
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल:	4,090.97		3,071.45			
शुद्ध आय/आधिक्य	2,18,654.24		2,14,531.39			
साम्य अंश धारक						
अच्छाई की लागत बेचा	-					
इसी अवधि के लिए औसत इन्वेंट्री	-					
व्यापार प्राप्य अनुपात:						
शुद्ध बिक्री	-					
प्राप्य औसत खाते	-					
व्यापार देय अनुपात:						
दिनों की औसत संख्या अव से धनराशि देय है	-					
दिनों की औसत संख्या अर्थात 365	-					
शुद्ध पूंजी व्यवसाय अनुपात:		0.03		0.03	9%	
योग बिक्री / संचालनों से आय	6,133.72		5,491.03			
साम्य अशधारक	2,18,654.24		2,14,531.39			
शुद्ध लाभ/अधिशेष अनुपात:		0.67		0.56	16%	
राजस्व-लागत	4,082.97		3,058.66			
राजस्व	6,133.72		5,491.03			
नियोजित पूंजी अनुपात पर वापसी:		0.02		0.01	23%	शुद्ध लाभ / अधिशेष में वृद्धि
ब्याज एवं कर से पूर्व आय	4,085.43		3,070.18			
नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्ति- वर्तमान देयताएं)	2,18,736.54		2,14,582.29			
निवेश पर वापसी:		0.02		0.01	23%	शुद्ध लाभ / अधिशेष में वृद्धि
शुद्ध आय/ अधिक्य	4,085.43		3,070.18			
निवेश की लागत (कुल परिसंपत्ति- वर्तमान देयता)	2,18,736.54		2,14,582.29			

Note 50 : Previous year's figures have been regrouped /reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

Note 51 : Approval of financial Statement

The Financial Statement were approved for issue by the Board of Directors on 25.07.2025

Signatories to Note 1 to 51

For & on behalf of Board of Directors,

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
(Bindu V C)
Director
(DIN No.07644408)

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
Sandeep Garg
Partner
M.No. 075312
UDIN: 25075312BMJKMJ1405

Sd/-
Ajit Kumar Samal
C.G.M. (Finance) & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: July 25, 2025

टिप्पणी 50: जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत् वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के मद्देनज़र पुनःसमूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 51: वित्तीय विवरण का अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने हेतु दिनांक 25.07.2025 को जारी किया गया।

टिप्पणी 1 से 51 तक के हस्ताक्षरकर्ता

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
एम.नं. 075312
यूडीआईएन: 25075312BMJKMJ1405

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 25, 2025

निदेशक मंडल की ओर से एवं उसके निमित्त

ह0 /-
(बिन्दु वी सी)
निदेशक
(डिन सं. 07644408)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. - 03633935)

ह0 /-
अजीत कुमार सामल
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NOTE

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3. सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

ई-मेल: nbcfdc@nbcfdc.gov.in वेबसाइट: www.nbcfdc.gov.in

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5 Floor, NCUI Buliding, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016

E-mail: nbcfdc@nbcfdc.gov.in, Website: www.nbcdc.gov.in